गुरूवार, 16 अप्रैल 1981

26 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 42 गुरुवार, 16 अप्रैल, 1981/26 चैत्र, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—29
*तारांकित प्रश्न संख्या 829 से 831, 833, 834, 839, 838, 840 और 842	
प्रप्रश्नों के लिखित उत्तर :	29—145
तारांकित प्रश्न संख्या 828, 832, 835 से 837, 841 और 843 से 847	29—36
अतारांकित प्रश्न संख्या 7689 से 7726, 7728 से 7756 और 7758 से 7843	36—143
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	145—149
सभापटल पर रखे गये पत्र	149—151
प्राक्कलन समिति	151
चौदहवां प्रतिवेदन और सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही सम्बन्धी बारहवां प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	151
सत्रहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	151—191
अतिरिक्त न्यायाधीशों से अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण के लिए सहमति प्राप्त करने के बारे में, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा गया परिपत्र ।	
श्री रसीद मसूद	151
श्री पी० शिवशंकर	152
श्री जैनुल बशर	160
श्री बापू साहिब परुलेकर	168
श्री चित्त बसु	181
श्री राम विलास पासवान	184
वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	192

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	192—195
(एक) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में शारदा नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता श्री हरीश कुमार गंगवार	192
(दो) लौंग का तेल निकालने की फ़ैक्टरी की स्थापना करने के लिए केरल सरकार को वित्तीय सहायता दिया जाना श्री बी० एस० विजयराघवन	192
(तीन) राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात आदि के स्टाक के उठाए जाने के लिए और अधिक रेल वैगन आबंटित किए जाने की आवश्यकता श्री रास बिहारी बहेरा	193
(चार) बिहार में मोकामा-बड़हिया ताल परियोजना को सरकारी नियंत्रण में लिए जाने की आवश्यकता श्रीमती कृष्णा साही	194
(पांच) इन्दौर को नई बोइंग और एवरों विमान सेवाओं के अन्तर्गत लाए जाने की आवश्यकता श्री सत्य नारायण जटिया	194
(छः) पश्चिमी बंगाल में रह रहे असम से निष्कासित गैर-असमिया लोगों को राहत देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	194
(सात) भारत के संविधान का एक प्रमाणित हिन्दी संस्करण प्रकाशित करने की आवश्यकता श्री राम विलास पासवान	195
अनुदानों की मांगें, 1981-82	196—208
कृषि मंत्रालय और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय	195
श्री तपेश्वर सिंह	195
श्री वृद्धि चंद्र जैन	199
श्री के. अर्जुनन	201
श्री दिग्विजय सिंह	203
श्री आर. बी. स्वामीनाथन	204
विधेयक पुरःस्थापित	209—212
(1) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (आदेश 20 का संशोधन) श्री उत्तम राव पाटिल	209

विषय	पृष्ठ
(2) रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1981 (धारा 21 आदि का संशोधन) श्री रामावतार शास्त्री	210
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1981 (अनुच्छेद 16 का संशोधन) श्री के० पी० सिंह देव	210
(4) अनिवार्य सैनिक, प्रशिक्षण विधेयक, 1981 श्री के० पी० सिंह देव	210
(5) कृषि जन्य वस्तुएं समर्थन कीमत विधेयक, 1981 श्री के० लकप्पा	211
(6) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1981 (सप्तम अनुसूचि का (संशोधन) श्री के० लकप्पा	211
(7) मुनाफाखोरी निवारण और कीमत नियंत्रण विधेयक, 1981 श्री के० लकप्पा	211
(8) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1981 (नई धारा 10ख का अंत:स्थापन) श्री जगदीश टाइटलर	212
(9) सामाजिक नि:शक्तताओं का निवारण विधेयक, 1981 श्री मूल चन्द डागा	212
(10) पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) निरसन विधेयक, 1981	212
छोटे किसान सहायता विधेयक	213—235
श्री जेवियर अराक्कल	213
श्री बी० एस० विजयराघवन	215
श्री जगपाल सिंह	217
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	218
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	220
श्री मधुसूदन बैराले	222
श्री बालेश्वर राम	224
श्री के० लकप्पा	230
पेंशन विधेयक	236—248
श्री बी० एन० गाडगिल	236

लोक-सभा

शुक्रवार, 16 अप्रैल, 1981/26 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"ड्रग शार्टेज एट्स हास्पिटल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

*829. श्री के० लक्कप्पा :

श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 1981 के "नेशनल हैरल्ड" में "ड्रग शार्टेज एट्स हास्पिटल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अस्पतालों में पर्याप्त औषधियां सप्लाई कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह समाचार स्पष्टतः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में है। रोगियों को देने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दवाइयों की कमी नहीं है।

श्री के० लक्कप्पा : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न मैंने पूछा है, उसमें मूलभूत मुद्दे सम्मिलित हैं। इससे सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण अनुपूरक तथा अनेक आनुषंगिक प्रश्न भी हैं। (व्यवधान) महोदय, माननीय मंत्री ने केवल एक वाक्य कहा है कि "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दवाईयों की कमी नहीं है।" मैं समझता हूँ कि मन्त्री महोदय ने 'ड्रग शार्टेज एट्स हास्पिटल्स शीर्षक

के अन्तर्गत 'नेशनल हेरल्ड' समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार का बहुत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया होगा। महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर सम्पूर्ण राष्ट्र को गर्व है। चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में यह एक अत्यन्त प्रमुख अस्पताल है तथा इस मामले को उचित महत्व अवश्य दिया जाना चाहिये। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें दवाइयों की कमी नहीं होने देनी चाहिये। दवाइयों की अनेक श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी 'जीवन-रक्षक ओषधियों' की है तथा जैसा कि हम जानते हैं, अस्पतालों में ओषधियों के वितरण के सम्बन्ध में दो श्रेणियां हैं : एक श्रेणी तो उन गरीब लोगों की है, जो वहां जाते हैं तथा जिनको मुफ्त दवाईयां वितरित की जाती हैं। दूसरी श्रेणी उन व्यक्तियों की है, जिन्हें ये दवाईयां पैसे देने पर दी जाती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन जीवन रक्षक ओषधियों की अस्पताल में कमी है अथवा नहीं ? पिछले एक वर्ष से अस्पताल के गरीब रोगियों तथा पैसे देने वाले व्यक्तियों के वितरण के लिये अस्पताल में कौन-कौन सी जीवन-रक्षक ओषधियों की कमी है ? यदि कैंसर तथा अन्य रोगों से सम्बन्धित जीवन रक्षक ओषधियों की कमी के कोई उदाहरण हैं, तो क्या मन्त्री महोदय हमें उनका ब्योरा देंगे ? इनकी कमी से कितने रोगी प्रभावित थे ? किन-किन अस्पतालों में ऐसी ओषधियों की कमी हुई थी ? क्या मन्त्री महोदय पिछले एक वर्ष से ऐसी ओषधियों की कमी से प्रभावित रोगियों तथा अस्पतालों के आंकड़े देंगे ? महोदय, मैंने यही प्रश्न पूछने हैं।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं पहले ही बता चुका हूं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गरीब रोगियों को मुफ्त दवाईयां दी जाती हैं तथा वहां दवाईयों की कमी नहीं है। जहां तक सम्भव होता है, उन अस्पताल में रोगी को एक अन्तरंग (इन्डोर) रोगी की हैसियत से दाखिल किया जाता है। जहां तक जीवन रक्षक ओषधियों का सम्बन्ध है, मैं इन्हें यह बता सकता हूं कि इन दवाईयों का अन्य देशों से आयात किया जाता है। इनका हमारे देश में उत्पादन नहीं होता है। अनेक बार हमें इनकी सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ता है। जब समय पर इनकी सप्लाई नहीं होती तो निस्सन्देह हमें इनकी कमी तथा कठिनाई महसूस होती है। परन्तु हम यह प्रयास कर रहे हैं कि जो रोगी अन्तरंग रोगियों की हैसियत से दाखिल किये जाते हैं, उन्हें दवाई अवश्य मिले। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि कम से कम अन्तरंग रोगी की हैसियत से दाखिल किये गये रोगियों को ऐसी दवाईयों की कमी से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।

श्री के० लक्कप्पा : जीवन रक्षक ओषधियों की कमी के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु के भी समाचार प्राप्त हुए हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इन दवाईयों की खरीद के लिये पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया गया है। मेरा ख्याल है कि इन जीवन रक्षक ओषधियों की खरीद के लिये भी पर्याप्त धनराशि का आबंटन नही किया जाता। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है कि अस्पताल में जीवन रक्षक ओषधियों की दुबारा कमी न होने पाये ? यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि जो कुछ दवाईयां उपलब्ध भी थी, उन्हें भी अस्पताल के अधिकारियों द्वारा बेच दिया गया है, जिसके फलस्वरूप अस्पताल में दवाईयों की कमी हो गई। इस कारण रोगियों को परेशानी हो रही है। स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दवाईयों की कमी के कारणों की

जांच करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी ताकि रोगियों की कठिनाईयों को बहुत हद तक कम किया जा सके ?

श्री निहार रंजन लास्कर : जहां तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है, हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि दवाईयों की कमी क कारण लोगों की मृत्यु हुई है। दूसरे, इन दवाईयों की खरीद के लिये हमारे पास पर्याप्त धनराशि है। प्रत्येक वर्ष इस राशि को बढ़ाया जा रहा है। मैं आंकड़े दे सकता हूं। वर्ष 1978-79 के लिये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिये दवाईयों तथा ओषधियों के लिये यह राशि 38.70 लाख रुपये थी, वर्ष 1979-80 के लिये यह राशि 40.41 लाख रुपये थी तथा वर्ष 1980-81 के लिये यह राशि 61 लाख रुपये थी। अतएव हम दवाईयों तथा ओषधियों के लिये नियत धनराशि को बढ़ा रहे हैं।

श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अनेक राज्यों के ग्रामीण अस्पतालों में वर्ष में केवल दो-तीन महीनों के लिये ही दवाईयां उपलब्ध होती हैं तथा उनमें से भी कुछ दवाईयां घटिया किस्म की होती हैं ? एक दवाई खरीदने के लिये बेचारे मरीजों को 10 से 15 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, दवाई की लागत की तुलना में दवाई लाने के लिये खर्च किया गया धन तथा समय बहुत अधिक होता है। भारत सरकार राज्यों को ग्रामीण अस्पतालों में स्वयं सही किस्म की आवश्यक दवाईयों की सप्लाई सुनिश्चित करने सम्बन्धी सुझाव देने की दिशा में क्या ठोस कार्यवाही कर रही है ताकि निर्धन ग्रामीण जनता को सहायता प्राप्त हो सके ?

श्री निहार रंजन लास्कर : यह एक पृथक प्रश्न है। इसका उत्तर देने के लिये मुझे अलग से नोटिस दिया जाना चाहिये।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, देश में जनसंख्या के साथ साथ बीमारी भी बहुत जोरों से बढ़ रही है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान बिहार के पूर्वी जिलों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जहां कालाजार में हजारों लोग मर रहे हैं। माननीय मन्त्री जी ने बताया कि आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में दवाओं की कमी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि गाँवों से लेकर जिला और राज्य की राजधानियों तक में जो हास्पिटल्स हैं वहां दवा के नाम पर केवल लाल पानी दिया जाता है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रति मरीज कितना एलाटमेंट किया गया है और यदि वह कम है तो उस दिशा में मन्त्री जी क्या करना चाहते हैं ?

श्री निहार रंजन लास्कर : यह राज्य का विषय है। मेरा विचार है कि राज्य सरकार इस मामले में कार्यवाही कर रही है। परन्तु मेरा यह कहना है कि दवाईयों तथा ओषधियों की कोई कमी नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं समझता हूं कि न केवल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अपितु दिल्ली के अन्य अस्पतालों में भी कुछ दवाईयों की कमी है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह पता लगाने के लिये कि अस्पतालों में दवाईयां उपलब्ध हैं अथवा

नहीं, क्या कोई सावधिक सर्वेक्षण किया जाता है ? इस समय मन्त्री महोदय एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कह रहे हैं कि अस्पतालों में दवाईयों की कोई कमी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया था ? यह सर्वेक्षण कब किया गया था ? इन्होंने सभा को आश्वस्त किया है कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाईयों की कमी नहीं है। दिल्ली में दवाईयों की कुछ कमी है। माननीय मन्त्री महोदय ने किस आधार पर कहा है कि दवाईयों की बिल्कुल कमी नहीं है।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुछ कैंसर विरोधी दवाईयां, जिनका आयात किया जाता है, समय पर उपलब्ध नहीं हो पातीं। कई बार हमें दवा सप्लाई करने वालों पर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार एन्टी-माईसिन-डी बाजार में उपलब्ध नहीं होती। यह दवाई पिछले 6 महीनों से बाजार में उपलब्ध नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने संविदा दर पर एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय फर्म से इन दवाईयों की सप्लाई के लिये अनुबन्ध किया हुआ है तथा उस फर्म ने इसकी सप्लाई के सम्बन्ध में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। अस्पतालों के अधिकारियों द्वारा दिल्ली के औषधि नियन्त्रक के माध्यम से इन दवाईयों को प्राप्त करने के प्रयास का कोई लाभ नहीं हुआ है। परन्तु इस उद्देश्य के लिये धनराशि उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी हम इन फर्मों से ये दवाईयां प्राप्त नहीं कर सके हैं। ये फर्म हमें ऐसी दवाईयां सप्लाई नहीं कर रहीं हैं। हम बहुत कठिनाई की स्थिति में हैं परन्तु हम इन दवाईयों को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : देश के औषधि-उद्योग ने सरकार से अभ्यावेदन किए हैं कि चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के आई० डी० पी० एल० ने टेट्रासाइक्लिन तथा ओक्सी-साइक्लिन सप्लाई करने के प्रस्ताव पर लगभग पिछले छः महीनों से कोई कार्यवाही नहीं की है, अतएव उनके पास अनेक जीवन रक्षक दवाईयों की बहुत अधिक कमी हो गई है। क्या सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ? आई० डी० पी० एल० ने जिन दवाईयों के भण्डार को पिछले छः महीने से सप्लाई नहीं की है, उनकी सप्लाई करवाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : यहां यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। इन दवाइयों के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे सकता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सबसे अधिक दोष आई० डी० पी० एल० का ही है। आप यह बात जानते हैं। आपको औषधि-उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस बारे में आपको बहुत से टेलीग्राम मिले हैं।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अपराधियों के सबसे बड़े अपराधी ये ही हैं मन्त्री महोदय, क्यों कि यहां सब-स्टैंडर्ड दवाइयां मिल रही हैं, लोगों की जिन्दगी से खेला जा रहा है, यह बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है कि दवाइयों की कमी है, विदेशों से मंगाने में कठिनाई होती है। इसलिए कि इनका प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग ठीक होता तो

दवाइयां मंगाने में क्यों कठिनाई हो। क्योंकि आपके पास सर्वे नहीं है, कितनी दवाईयां चाहिए, किस तरह से मरीजों को देनी है। यह आपने कमजोरी बताई है। खुद मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह यादव : इन शब्दों को कार्यवाही-वृतान्त से निकाल देना चाहिये। अपराधियों के अपराधी हैं मन्त्री महोदय।

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर

*830. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी नीचा है;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में राज्यवार अब तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोले गये हैं;

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने के उद्देश्य से पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनावधि में वहीं प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोलने के लिए राज्यो और उनके मंत्रालय ने क्या स्वस्थ्य सेवा नीति अपनाई है;

(घ) वर्ष 1980-81 और 1981-82 सहित पांचवीं योजना और छठी योजना में राज्यों ने राज्य योजना परिव्ययों से आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की है; और

(ङ) उनके मन्त्रालय ने आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए पांचवी योजना और छठी योजनाओं के अन्तर्गत कितनी राशि रखी और राज्यों को दी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र चल रहे हैं, इसका विवरण-1 सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में और अधिक अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, यह निश्य किया गया है कि इन इलाकों में हर 20,000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक केन्द्र और हर 3000 की आबादी के लिए एक उप-केन्द्र खोला जाए, जबकि गैर-आदिवासी इलाकों में हर 30,000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और हर 5000 की आबादी के लिए एक उपकेन्द्र खोला जाता है।

(घ) और (ङ) विवरण 2 से 5 सभा पटल पर रख दिए गए हैं।

विवरण — 1

चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों का विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चल रहे	
	स्वास्थ्य-केन्द्र प्राथमिक	उप-केन्द्र
1. आन्ध्र प्रदेश	29	273
2. असम	30	159
3. बिहार	112	803
4. गुजरात	64	192
5. हरियाणा	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	8	22
7. जम्मू व कश्मीर	—	—
8. कर्नाटक	45	510
9. केरल	—	—
10. मध्य प्रदेश	174	1114
11. मणिपुर	15	74
12. महाराष्ट्र	56	168
13. मेघालय	18	93
14. नागालैंड	14	59
15. उड़ीसा	118	568
16. पंजाब	—	—
17. राजस्थान	23	202
18. सिक्किम	—	—
19. तमिलनाडु	9	61
20. त्रिपुरा	14	28
21. उत्तर प्रदेश	11	97
22. पश्चिम बंगाल	21	91
23. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	—
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—
25. चंडीगढ़	—	—
26. दादर और नगर हवेली	2	5
27. दिल्ली	—	—
28. गोवा	1	3
29. लक्षद्वीप	7	—
30. मिजोरम	10	49
31. पांडिचेरी	—	—
जोड़	782	4571

विवरण—2

आदिवासी क्षेत्रों के लिए लगभग कितना धन दिया गया

(राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र) (रुपये लाखों में)

	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	छठी यो० 1980-81
1 आन्ध्र प्रदेश	26.00	30.00	32.42	742.28	55.00	325.00
2. बिहार		220.00	200.00		264.27	1248.27
3. असम			57.00		22.90	105.00
4. गुजरात	53.40		80.00		203.00	1406.00
5. हिमाचल प्रदेश		25.00			14.05	56.74
6. कर्नाटक		10.00	18.00			
7. केरल	1.50		5.00	9.35		
8. मध्य प्रदेश	50.00	225.00	260.00	323.18	640.00	3760.00
9. महाराष्ट्र	165.93			127.33		
10. मणिपुर		58.00				
11. मेघालय		66.70				
12. नागालैंड		79.00				
13. उड़ीसा	49.50	73.32	93.41	157.70	247.00	1147.00
14. राजस्थान	27.94	48.85	25.16	85.63		
15. तमिलनाडु	3.00	26.50	27.50	31.50		
16. त्रिपुरा		56.50	37.00			
17. उत्तर प्रदेश			2.88	3.570		
18. पश्चिम बंगाल				(*S.C.A.)		
19. अरुणाचल प्रदेश		71.00			125.00	805.00
20. गोवा दमन और दीव	1.00					
21. मिजोरम		75.00			137.00	700.00
22. दादर व नगर हवेली		6.50			14.00	65.00
23. लक्षद्वीप		8.50			10.00	55.00

विवरण-3

केन्द्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र

वार्षिक योजना 1977-78 के दौरान आदिवासी क्षेत्रों के लिये योजना-वार लगभग कितना धन दिया गया उसका विवरण :—

(60 लाखों में)

योजना	1977-78 के दौरान आदिवासी इलाकों के लिए प्रदत्त धनराशि
1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	548.24
2. चेचक	37.97
3. कुष्ठ	53.06
4. क्षय	15.62
5. रतिज रोग (एस० टी० डी०)	1.22
6. हैजा	6.60
7. रोहों और अन्धता की रोकथाम	22.35
8. फाइलेरिया	0.30
9. बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं को एकीकृत करना	3.86
10. संयुक्त खाद्य और औषध प्रयोगशालाएं तथा क्षेत्रीय खाद्य प्रयोग शालाएं	5.16

विवरण—4

केन्द्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र

वार्षिक योजना 1979-80 और 1980-81 के दौरान आदिवासी क्षेत्रों के लिए योजनावार लगभग कितना धन दिया गया, उसका विवरण :—

(रुपए लाखों में)

योजना	1978-79 आदिवासी क्षेत्रों में संभावित व्यय	1979-80 आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्याशित व्यय	1980-81 आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित धन राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1. जन स्वास्थ्य रक्षक	160.00	266.00	400.00
2. बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार	81.73	117.80	153.34
3. दृष्टि विकार की रोकथाम और अन्धता नियंत्रण	45.25	85.26	45.00
4. क्षय नियंत्रण	13.81	17.32	17.32
5. कुष्ठ नियंत्रण	60.00	25.50	40.00
6 एस० टी० डी० नियंत्रण	1.29	1.43	1.66
7. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)	767.17	457.86	461.63
8. फाइलेरिया नियंत्रण	0.85	1.60	2.00

विवरण—5

केन्द्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र

वार्षिक योजना 1981-82 और छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान आदिवासी उप योजना एवं विशेष कम्पोनेंट उप योजना क्षेत्रों के लिए लगभग कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी।

(रु० लाखों में)

क्रम संख्या	योजना	आदिवासी उप-योजना 1980-85	आदिवासी उप-योजना 1981-82	विशेष कम्पोनेंट उप योजना 1980-85	विशेष कम्पोनेंट उप योजना 1981-82
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जन स्वास्थ्य रक्षक	3540.15	556.70	—	—
2.	बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता	685.98	152.15	—	—
3.	राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण (ग्रामीण)	4041.50	938.15	4933.34	1133.21
4.	क्षय	112.24	25.51	208.87	47.47
5.	कुष्ठ	455.00	38.00	—	—
6.	फाइलेरिया	13.39	2.47	21.23	3.93
7.	संघ शासित क्षेत्र में स्कूल स्वास्थ्य	1.77	0.42	—	—
8.	संघ शासित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो	6.30	1.30	2.22	0.47
9.	संघ शासित क्षेत्रों के आदिवासी ब्लाकों में टी० सी० एम०/ होम्यो औषधालय	3.00	0.48	—	—

1	2	3	4	5	6
10.	दस्त सम्बन्धी रोगों के नियंत्रण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिक्षा	6.00	1.50	—	—
11.	एस० टी० डी० नियंत्रण तथा प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रवृत्ति	6.92	0.79	9.88	1.21
12.	केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	3.83	0.46	—	—
13.	120 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशायल छात्रवृत्ति योजना	2.50	0.50	5.00	1.00
14.	परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ न्यूक्लीयर मेडिसिन के क्षेत्र में सहयोगी अध्ययन	—	0.03	—	0.02
15.	जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	12.58	2.67	—	—
16.	आदिवासी क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के लिए स्वास्थ्य रूपरेखा तथा स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान अध्ययन	15.00	3.97	15.00	3.98
17.	स्वास्थ्य आसूचना	8.93	3.11	8.93	3.11
18.	अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु योजना सैल	2.14	0.48	—	—
19.	आयुर्वेद और अनुसंधान का उच्च अध्ययन संस्थान, केरल	3.00	—	2.00	—
20.	आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद	20.00	3.00	12.00	2.00
21.	यूनानी चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद	17.00	4.00	53.00	10.00
22.	होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद	36.40	4.00	16.00	—

श्री गिरधर गोमांगो : मेरे प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने नकारात्मक उत्तर दिया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सकारात्मक उत्तर देने से पहले उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार किया है ? मैं नहीं जानता कि क्या आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं का कोई गहन अध्ययन किया गया है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी रही है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। जहां तक राज्य के विषयों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारें इसकी देखभाल कर रही हैं। परन्तु जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कर रही है।

श्री निहार रंजन लास्कर : हम इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों और अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र खोले जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र खोलने के सम्बन्ध में हमारे अलग मानदण्ड हैं। अब यह निर्णय किया गया है कि अन्य क्षेत्रों में 30 हजार की जनसंख्या होने पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 5,000 की जनसंख्या होने पर एक उपकेन्द्र खोला जाए, परन्तु आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में हमारे अलग मानदण्ड हैं ताकि वहां पर अधिक से अधिक संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र खोले जा सकें। आदिवासी क्षेत्रों में हम प्रत्येक 20 हजार की जन-संख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रत्येक 3 हजार की जन संख्या पर एक उपकेन्द्र की व्यवस्था करेंगे।

अभी तक हमने देश में कुल 5499 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 49323 उप-केन्द्र खोले हैं। इनमें से 782 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 4571 उपकेन्द्र आदिवासी खण्डों में खोले गए हैं। जैसाकि मैं कह चुका हूं, इन क्षेत्रों के लिए हमारे मानदण्ड अलग हैं ताकि आदिवासी क्षेत्रों में अधिक से अधिक संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र खोले जा सकें। इसके अतिरिक्त छठी पंचवर्षीय योजना में हम आदिवासी क्षेत्रों में 500 उपकेन्द्र तथा 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे।

श्री गिरधर गोमांगो : मंत्री महोदय ने बताया कि वे आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के लिए राज्यों को समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करते रहे हैं। पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जब उप-योजना रिपोर्ट स्वीकार की गई थी, उस समय मत्रालय द्वारा राज्यों को आदिवासी क्षेत्रों में उपकेन्द्र खोलने के सम्बन्ध में विशेषरूप से दिशानिर्देश जारी किये गए थे। जैसाकि मैंने अपने प्रथम अनुपूरक प्रश्न में कहा है, स्वास्थ्य सेवा का अर्थ आदिवासी क्षेत्रों में केवल अस्पताल खोलने से ही नहीं है अपितु आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों के माध्यम से समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने से भी है। प्रशासकीय तन्त्र को मजबूत बनाने तथा अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा कौन से दिशानिर्देश जारी किए गए थे। ऐलोपेथिक तथा अन्य दवाइयां सप्लाई करने के साथ-साथ हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं आदि उपलब्ध कराके इन लोगों की सहानुभूति प्राप्त करनी चाहिये। यह बहुत आवश्यक है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशासनिक के बारे में केन्द्र तथा राज्य सरकारों का

क्या दृष्टिकोण तथा रवैया है । मैं इन क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्रों को खोलने के बारे में स्वीकृत उन मानदण्डों के बारे में नहीं जानना चाहता, जिनका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है ।

श्री निहार रंजन लास्कर : जैसाकि मैं कह चुका हूं, हम आदिवासी खण्डों तथा आदिवासी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं । माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि 1971 की जनगणना के अनुसार, हमारे देश में 3 करोड़ 80 लाख आदिवासी लोग हैं । इनमें से 75 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् लगभग 2 करोड़ 85 लाख आदिवासी लोग आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं । हम इस प्रकार की सुविधाओं का विस्तार करके और अधिक आदिवासी जनसंख्या को इसके अन्तर्गत लाने की चेष्टा कर रहे हैं ।

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1978-79 में इन्टीग्रेटेड ट्राइबल डवेलपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आपके मंत्रालय द्वारा ट्राइबल एरियाज में मोबाइल यूनिट्स कायम किये गए थे । उनके पास न कोई इक्विपमेन्ट है, न दवा है और न कोई अन्य साधन हैं । वे ब्लाक स्तर पर बैठे रहते हैं और तनख्वाह लेते रहते हैं । क्या मंत्री महोदय इस ओर कुछ सोच रहे हैं ?

मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में आप ने बतलाया है, ट्राइबल एरियाज में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्ज 174 हैं तथा सब-सेन्टर्स 1114 हैं । मध्य प्रदेश के विशाल एरिया को देखते हुए तथा ट्राइबल लोगों की ज्यादा आबादी को देखते हुए जो आंकड़े बतलाए गए हैं वे बहुत कम हैं—क्या सरकार इन सेन्टर्स की संख्या को बढ़ायेगी ?

छठी पंचवर्षीय योजना में आप ने एमाउन्ट बतलाया है—3760 लाख रुपए, यह राशि भी बहुत कम है । क्या इस राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव आपके पास है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दूंगा । उन्होंने यह पूछा है कि क्या हम जनजातीय क्षेत्रों में अधिक संख्या में जन स्वास्थ्य केन्द्र खोलने जा रहे हैं । महोदय, हमने पहले ही राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेशों को यह हिदायतें दी हैं कि वे इस जन स्वास्थ्य रक्षक योजना को लागू करने के लिए, जन स्वास्थ्य केन्द्र का चुनाव करते समय जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दें । आम तौर पर औसतन एक हजार आबादी के लिए हम एक जनस्वास्थ्य रक्षक नियुक्त करते हैं लेकिन हम उन जनजातीय क्षेत्रों में भी जनस्वास्थ्य रक्षक नियुक्त कर रहे हैं, जहां की जनसंख्या एक हजार से कम है । इस प्रकार हम जनजातीय इलाकों में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं ।

भारत-अमरीका संयुक्त आयोग

*831. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विदेश मंत्री भारत-अमरीका संयुक्त आयोग के बारे में दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3460 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-अमरीका संयुक्त आयोग की स्थापना के पश्चात् क्या विशिष्ट समस्याएं उत्पन्न हुई और अभी तक अनिर्णीत हैं;

(ख) ऐसी पूंजीगत वस्तुओं, तकनीकी जानकारी आदि के आयात के सम्बन्ध में जिनका भारत में अभाव है तथा उन वस्तुओं आदि के निर्यात के सम्बन्ध में जिनके लिए भारत बाजार की तलाश में है, किन विशिष्ट मदों पर करार हुए हैं तथा क्रियान्वित हुई है;

(ग) क्या अमरीका ने अमरीकी डालर के अनुरूप भारतीय रुपये को विनिमय का माध्यम मानना स्वीकार कर लिया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग की स्थापना दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए की गई है। इसलिए इस आयोग की कार्रवाइयों से किन्हीं विवादास्पद मामलों के पैदा होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) संयुक्त आयोग तथा उसके उप-आयोगों के क्रियाकलापों की रूपरेखा लोक सभा 11 दिसम्बर, 1980 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3460 के उत्तर में बताई जा चुकी है। मैंने जो पहले उत्तर दिया था उससे यह स्पष्ट होगा कि आर्थिक तथा वाणिज्यिक कार्य से सम्बद्ध उप-आयोग के तत्वाधान के अन्तर्गत दोनों पक्षों ने समान हित के विभिन्न मसलों पर विचार-विनिमय किया। इस बातचीत का उद्देश्य किसी विशिष्ट करार को सम्पन्न करने की बजाय एक-दूसरे को अपने विचारों से अवगत कराना था।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। अमरीका डालर परम्परागत रूप से अन्तर्राष्ट्रीय रिजर्व मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होता रहा है जबकि संसार में सभी जगह भारतीय रुपये को सहज परिवर्तनीय मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। अमरीकी डालर और भारतीय रुपये का सापेक्ष मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के घटते बढ़ते मुद्रा मूल्यों पर निर्भर करता है। इसलिए अमरीका द्वारा भारतीय रुपए को अमरीकी डालर के समतुल्य मूल्य पर स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, अपने जबाव में, एक बार मंत्री महोदय ने कहा था :

"इस जांच आयोग के द्वारा हम कुछेक प्रमुख विषयों पर जिनका हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ता है, अमरीकी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सके हैं जैसे कि अमरीकी जी० एस० पी० योजना में सुधार कुछेक मदों के लिए कोटे में ढील तथा विकासशील देशों के लिए उदार अमरीकी आयात नीति।"

महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि इन मुद्दों के सम्बन्ध में इनकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय यह मामला स्पष्ट रूप से वाणिज्य मंत्रालय का है। मेरे पास पूरे विवरण नहीं हैं लेकिन मुझे स्वयं, इन एक अथवा दो मामलों के बारे में अमरीका के तत्कालीन विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करने का अवसर मिला जिस में अमरीकी सरकार के संरक्षण वादी रवैये से भारतीय विनिर्माताओं को हो रही असुविधा तथा हानि की चर्चा की गई। इस बात को नोट किया गया था। लेकिन उस पर क्या निर्णय लिया गया उसके विवरण मेरे पास नहीं

हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर उनके साथ निरन्तर चर्चा होती रही है, तथा कुछेक मामलों में अगर हमें लगेगा कि हमें नुकसान हो रहा है, तो हम 'जी ए टी टी' के समक्ष भी पहुंच सकते हैं। इस सबके विषय में केवल वाणिज्य मंत्रालय ही बता सकता है।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, मेरे प्रश्न का (ख) भाग यह है। ऐसी पूंजीगत वस्तुओं, तकनीकी जानकारी के आयात के सम्बन्ध में जिनका भारत में अभाव है तथा उन वस्तुओं आदि के निर्यात के सम्बन्ध में जिनके लिए भारत बाजार की तलाश में है, किन विशिष्ट मामलों पर करार हुए हैं तथा क्रियान्विति हुई है।

इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जब संसार के सबसे अधिक विकसित देश, अमरीका संरक्षणवाद का रवैया अपनाता है, उस स्थिति में इन दो मुद्दों पर– (क) प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से उद्योगों में काम आने वाली प्रौद्योगिकी अर्थात प्रमुख उद्योग के बारे में क्या हमें कोई आश्वासन मिला है अथवा कोई समझौता किया गया, और (ख) उस सामान के व्यापार के लिए, जिसके लिए हमें बाजार की तलाश है, ताकि हम डालर अर्जित कर सकें, क्या हमारे द्वारा मांग किए जाने पर कोई समझौता किया गया है तथा अमरीका ने उसे स्वीकार किया है अथवा अस्वीकार ? प्रश्न का अन्तिम भाग यह है। वर्तमान स्थिति के बारे में, मंत्री महोदय का कहना यह है कि हमारे रुपए को अमरीका द्वारा स्वीकृति दिए जाने की हमें जरूरत नहीं है। यहां मैं उनसे असहमत हूं। लेकिन, अगर उनका यही कहना है तो यह हमारे देश के लिए तथा कुल मिला कर विकासशील देशों के लिए, बहुत ही गम्भीर बात है, क्योंकि अभी भी हम अपने रुपए को एक गुलाम राष्ट्र की, एक उपनिवेशी राष्ट्र की मुद्रा के रूप में लेते हैं न कि एक स्वतन्त्र राष्ट्र की। अतः ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी सरकार इस पर जोर नहीं देती कि हमारे व्यापार के सबसे बड़ा साझीदार—अमरीका उसे उसी तरह स्वीकार कर ले जिस तरह हम उनके डालर को—प्रमुख और भारी उद्योग की प्रौद्योगिकी के बारे में स्वीकार करते हैं—हमें प्रौद्योगिकी की जरूरत है।

श्री नरसिंह राव : मैंने यह पहले ही कहा है कि ये बातें विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। कुछेक विचार विमर्श किए जाते हैं, कुछ के बारे में लिखा जाता है, कुछेक निर्णय लिए गए हैं और कुछ नहीं, तथा आगे विचार-विमर्श किया जा रहा है। अतः, मेरे पास विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

जहां तक रुपए का सम्बन्ध है, मैंने इस समय रुपये की व्याप्त स्थिति के बारे में कहा है। यह सच है कि अमरीकी डालर का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय रिजर्व मुद्रा के रूप में बहुत पहले से हो रहा है न कि भारतीय रुपए का। मैंने केवल इस समय वर्तमान वास्तविक स्थिति बताई है।

श्री नीरेन घोष : जहां तक नकद प्रतिपूर्ति योजना का सम्बन्ध है, इस बारे में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अमरीका ने इस पर आपत्ति की थी क्योंकि यह एक प्रकार से आर्थिक सहायता है तथा भारतीय सामान के आयात पर रोक लगाई थी। क्या इसे संयुक्त आयोग के समक्ष उठाया गया था; और क्या भारत ने किसी क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के अन्तरण के बारे में संयुक्त आयोग में मांग की थी अगर हां तो वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं ? तथा क्या इन अनुरोधों को

मान लिया गया है अथवा नहीं ? क्या आरविल फ्रीमैन ने यह मांग की थी कि भारत को अमरीका के लिए पूरी तरह से खुला बाजार घोषित किया जाना चाहिए जिससे वह इसका इस्तेमाल अपने मन के अनुरूप कर सके ।

श्री नरसिंह राव : यह विवरण केवल उप-आयोगों की रिपोर्टों में ही मिल सकेंगे । अगर माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं, तो मैं वाणिज्य मंत्रालय से रिपोर्टें प्राप्त करके और उनमे से विवरण लेकर अथवा रिपोर्ट का सार जिसमें यह सब बातें दी होंगी, उन्हें उपलब्ध करने के लिए तैयार हूं ।

श्री रतन सिंह राजदा : समाचार पत्रों में यह खबर है कि तारापुर के लिए अमरीका द्वारा परिष्कृत यूरेनियम सप्लाई किए जाने के बारे में हुए समझौते का पालन नहीं करने तथा इस के प्रति अनिच्छा जाहिर करने से यह समझौता रद्द हो जाएगा । जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है और क्या अमरीका द्वारा इस समझौते का पालन नहीं किए जाने से इस विशेष संयुक्त आयोग पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

श्री नरसिंह राव : यह एक स्वतन्त्र अनुबन्ध है, 1963 में किए गए इस समझौते की शर्तें 1993 तक लागू रहती थीं । इस बीच अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं । विदेश मंत्रालय से एक दल तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अमरीका गए हैं । वे अगले कुछ दिनों में वहां बातचीत करेंगे तथा कुछ समय बाद इस बातचीत के परिणाम हमें मिल सकेंगे ।

बच्चों को शिशु दूध अथवा सूखा दूध देना

*833. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्णय के अनुसार अथवा इसकी सलाह पर कई देशों ने, जिनमें श्रीलंका प्रमुख है, बच्चों को शिशु दूध न देने का निर्णय किया है और उनके विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या इस प्रकार का दूध कई रोग उत्पन्न करता है और बच्चे की प्रतिरोध शक्ति कमजोर बनाता है; और

(ग) यदि हां तो क्या भारत में इस दिशा में कोई कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार श्री लंका सरकार ने स्तन पान को प्रोत्साहित करने के लिए शिशुओं के दुग्धाहारों के किसी भी प्रकार के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । श्री लंका ने शिशुओं के दुग्धाहारों की बिक्री पर रोक नहीं लगाई है बशर्ते उसके डिब्बों पर यह लिखा हो "स्तन पान सर्वोत्तम होता है ।"

विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी किसी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा है । उसने मां के दूध के स्थान पर दिये जाने वाले दुग्धाहारों की बिक्री के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय संहिता का एक प्रारूप तैयार किया है जिस पर विश्व स्वास्थ्य सभा के मई, 1981 के अधिवेशन में विचार किया जाना है ।

(ख) शिशु आहारों में वे रोग प्रतिरक्षण सम्बन्धी तत्व नहीं होते जो मां के दूध में रहते हैं। अत: यह सम्भव है कि उनसे बच्चे की प्रतिरोध शक्ति कमजोर हो जाती हो।

(ग) समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित किया गया एक कार्य दल भारत में शिशु आहारों तथा दूध की बोतलों आदि के उत्पादन, बिक्री तथा विज्ञापन के बारे में संहिता का एक प्रारूप तैयार करने की सोच रहा है।

श्री फूलचन्द वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि स्तनपान से शिशु का जो रोगों से बचाव होता है वह सूखा या अन्य प्रकार के जो दुध बाजार में उपलब्ध होते हैं, उनसे सम्भव नहीं है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। सूखे दूध जो बच्चों को दिए जाते हैं, इनके प्रति माताओं का रूझान कम हो, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सलाह दी है, इस ओर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : मुख्य प्रश्न के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि संसार भर में विशेषज्ञों की यह राय है कि स्तनपान शिशु के लिए सर्वोत्तम है। अत: हमारी सरकार भी इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है। शुरु में हमारे देश में, ज्यादातर, गांवो में ही माताए बच्चों को स्तनपान कराती थीं। अब आधुनिकता आ गई है अत: हमें कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है लकिन, हम यह कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा स ज्यादा माताएं बच्चों को स्तनपान कराएं। कानून क बारे में मैंने पहले ही बताया है कि समाज कल्याण मंत्रालय इस बारे में कानून तैयार करेगा। वर्ल्ड हैल्थ असेम्बली द्वारा योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही हमारी सरकार आगे की कार्यवाही की रूप रेखा तैयार करेगी।

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि हमारे देश में जिस प्रकार का सूखा दूध या दूसरे प्रकार के दूध मिलते हैं, उनकी किस्में इतनी घटिया होती हैं कि उससे शिशु के स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से बुरा असर पड़ता है। इस सम्बन्ध म मंत्रालय को और सरकार का कई बार ध्यान आकर्षित किया गया है। इस प्रकार के घटिया दूध की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार ने उन घटिया दूध बनाने वाली कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : हमने पहले ही कहा है कि हम स्तनपान कराने के पक्ष में हैं। हम इस शिशु दुग्धाहार और अन्य वस्तुओं का विरोध करते हैं लेकिन आवश्यक विधान के लिए हमें इन्तजार करना होगा, जब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन···

श्री फूलचन्द वर्मा : मैंने घटिया किस्म के दूध के बारे में प्रश्न किया है, जो कम्पनियां घटिया दूध बनाती हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। इसके बारे में जो शिकायतें मिली हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : शिकायतें मिली हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से एक बात जानना चाहूंगा। आजकल देश में कई औरतें सौंदर्य के लिए ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है और आपका क्या अनुभव है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इनसे कैसे करेंगे आप ?

श्री निहार रंजन लस्कर : मैं आप को बता रहा हूं कि हम यह प्रचार कर रहे हैं कि शिशु के लिए स्तनपान सर्वोत्तम है तथा माताओं को उन्हें शिशु दुग्धाहार नहीं देना चाहिए।

रामपुर-लखनऊ तथा बरेली-शाहजहांपुर के बीच राष्ट्रीय राजपथ की बुरी दशा

*834. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली को लखनऊ से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजपथ रामपुर से लखनऊ तक बहुत बुरी दशा में है और बरेली से शाहजहांपुर तक का टुकड़ा तो बहुत ही बुरी हालत में है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त राष्ट्रीय राजपथ की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि वास्तविक आवश्यकता के 10वें भाग के बराबर है;

(ग) क्या इस राष्ट्रीय राजपथ के महत्व को समझते हुए सरकार का विचार मरम्मत के लिए दी गई उक्त राशि में वृद्धि करने हेतु पुन: विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) उत्तर प्रदेश में 2328 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों में से लगभग 500 किलोमीटर की सड़कें ही इकहरी लेन की सड़कें रह गई हैं। इकहरी लेन के इन खंडों के 90 किलोमीटर की सड़क को चौड़ा करने की स्वीकृति दे दी गई है और 310 किलोमीटर की सड़कों को चौड़ा करने के कार्य को 1980-85 की योजना में शामिल किया जा रहा है। लगभग 350 किलोमीटर में सड़क को मजबूत कर दिगा गया है और अन्य 275 किलोमीटर में मजबूत करने का कार्य चल रहा है। लगभग 260 किलोमीटर की सड़कों को मजबूत करने का कार्य 1980-85 की योजना में शमिल करने का प्रस्ताव है। मुख्यत: ऐसे सड़क-खण्डों को वर्षा से क्षति हुई है जो अभी तक इकहरी लेन के है, या जहां पर्याप्त रूप से मजबूत करने का काम नहीं हुआ। पिछली बरसात में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश में सभी किस्म की सड़कों को क्षति पहुंची थी। अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्गों को कुछ न कुछ क्षति हुई जिनमें दिल्ली-लखनऊ सड़क-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में सभी राष्ट्रीय राज-मार्गों जिन्हें बाढ़ से क्षति हुई थी, की मरम्मत के लिए 355 लाख रुपये के अनुमान स्वीकृत किए गए और 190 लाख रुपये नियत किए गए। मूल कार्यों के कार्यक्रम के अन्तर्गत भी सड़कों के पुनर्निर्माण के 206 लाख रुपये के अतिरिक्त कार्य स्वीकृत किए गए। इसमें से केवल दिल्ली-लखनऊ सड़क पर ही कुल 76.5 लाख रुपये के मरम्मत और पुनर्निर्माण के कार्य स्वीकृत किए गए।

रामपुर और लखनऊ के बीच की सड़क, विशेषकर बरेली-शाहजहांपुर सड़क की हालत भी भारी वर्षा के कारण खराब हो गई थी। बरेली-शाहजहांपुर के बीच सड़क के खतरनाक मोड़ों को सीधा करने के लिए सुधार कार्य स्वीकृत किए गए। वर्षा काल के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस काम के पूरा होने के बाद बरेली-शाहजहांपुर सड़क की स्थिति सुधर जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षतिग्रस्त खंडों की तत्काल मरम्मत तो पहले ही की जा चुकी है और सड़कें यातायात के लिए उपयुक्त हैं। जिन सड़कों को बाढ़ से क्षति हुई, उन की मरम्मत 1980-81 में शुरू की गई और वह हो रही है। उसमें से बहुत सा कार्य आगामी बरसात से पहले पहले पूरा हो जाने की सम्भावना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर अन्य सुधार कार्य जैसे सड़क को चौड़ा और मजबूत करना, जहां पानी खड़ा होता हो उस भाग को ऊंचा करना आदि जैसे 1760 लाख रुपये की लागत के कार्य हो रहे हैं और जब ये कार्य पूरे हो जाएंगे तो सडकों की स्थिति और भी सुधर जाएगी। लगभग 900 लाख रुपये की अनुमानित लागत के सुधार कार्य छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है जिसे अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 की मरम्मत के लिए 76.5 लाख की मंजूरी दी गई है। इसलिए मैं यह पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए जो 76.5 लाख रुपये की मंजूरी दी गई उसके लिए कुल कितनी अनुमानित राशि की आवश्यकता थी ? रामपुर और लखनऊ तथा बरेली-शाहजहांपुर के बीच राजमार्ग के लिए कितनी अनुमानित राशि की आवश्यकता थी ? इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ? इस राजमार्ग के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस वर्ष मरम्मत की राशि बढ़ाने के लिए सहमत हो जाएगी ?

श्री बूटा सिंह : सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 में सुधार कार्य जैसे पटरियों को चौड़ा और मजबूत करना जहाँ पानी खड़ा होता हो उस भाग को ऊंचा करने का कार्य, जिनकी लागत लगभग 17 करोड़ 60 लाख रुपये है, प्रगति पर है और जब यह कार्य पूरा हो जाएगा तब सड़क और भी सुधर जाएगी। छठी पंचवर्षीय योजना में जिसे अभी अन्तिम रूप दिया गया है, लगभग नौ करोड़ रुपये की लागत का सुधार कार्य शामिल किये जाने का प्रस्ताव है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मानसून व अन्य कारणों से हुए नुकसान तथा बड़े पैमाने पर मरम्मत और सड़कों को चौड़ा करने और इन्हें मजबूत करने के सम्बन्ध में क्या किया जाएगा ? इस विषय में कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री बूटा सिंह : जैसा कि मैंने अभी बताया भी है तथा वक्तव्य में भी यही कहा गया है कि नौ करोड़ रुपये की राशि को, सड़कें चौड़ी करने और मरम्मत कार्यों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : इसके लिए कितनी अनुमानित राशि की आवश्यकता होगी।

श्री बूटा सिंह : अनुमानित राशि में अन्तर होता है। बाढ़ आने के बाद राज्य सरकारें अनुमानित तैयार करती हैं और तब'''(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मेरी सूचना के अनुसार सड़कों के लिए बहुत थोड़ी राशि आवंटित की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी अनुमानित राशि की आवश्यकता होगी।

श्री बूटा सिंह : उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक राशि आवंटित की गई है। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह अधिक है परन्तु तुलनात्मक दृष्टि से यह काफी है। राशि का अनुमान तो किसी विशेष सड़क के वास्तविक नुकसान को देखकर ही लगाया जा सकता है। राज्य द्वारा अनुमान लगाने के बाद हम स्थल की जांच के लिए अपना दल भेजते हैं, उस जांच के उपरान्त हम पूरी परियोजना पर विचार करके तब राशि आवंटित करते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश को दी गई राशि सन्तोषजनक है तथा वहां कार्य जारी है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि 1980-81 के अन्त तक, अर्थात अगली मानसून से पहले हम सारी सड़कों की मरम्मत पूरी कर सकेंगे।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या यह सच है कि डामर (बिटुमेन) की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के सभी राजमार्गों में मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य अवरूद्ध है, यदि हां तो सरकार सड़कों की मरम्मत मानसून से पहले कैसे कर सकती है ? क्योंकि मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी राजमार्गों पर कार्य बन्द पड़ा है।

श्री बूटा सिंह : यह कहना सही नहीं है कि डामर (बिटुमेन) सीमेंट और इस्पात के पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने के कारण कार्य बन्द पड़ा है। योजना आयोग व अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों की सहायता से हम सभी सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं कि सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव सम्बन्धी कार्य में कोई अवरोध न पड़े।

अध्यक्ष महोदय : डोगराजी, क्या आप की भी इस सड़क में रुचि है ?

श्री जी० एल० डोगरा : यदि सड़कों के रख रखाव के लिए प्रावधान किया जाए तो क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि वाकई रखरखाव ठीक हो रहा है अथवा नहीं ? यदि वह देखभाल करते हैं तो सड़कों की ऐसी बुरी दशा क्यों है ?

श्री बूटा सिंह : हम राज्य सरकार के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा हमारे अधिकारी भी उस स्थल पर जाकर यह देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा रख रखाव ठीक प्रकार से किया जा रहा है अथवा नहीं और उनके द्वारा किए गए कार्य से हम पूर्णतया सन्तुष्ट

हैं। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग का सम्बन्ध है मैं खुद श्री डोगरा जी के क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर गया था तथा अपने दौरे के बाद मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हूं कि स्थिति में सुधार हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल लखनऊ की तरफ ही ?

श्री बूटा सिंह : श्री डोगरा इसके साक्षी हैं। (व्यवधान)

हल्दिया पत्तन पर गाद निकालने का कार्य

839. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री चित्त बसु :

क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन को पानी देने वाली हुगली नदी की नहर की दशा, गाद निकालने के कार्य पर भारी खर्च किए जाने के बावजूद भी निरन्तर खराब होती जा रही है;

(ख) क्या हल्दिया पत्तन पर पानी की गहराई (ड्राॅट) वर्ष 1980 तक 40 फिट कर देने की योजना थी;

(ग) यदि हां, तो अब तक वस्तुतः कितनी गहराई (ड्राॅट) प्राप्त की जा चुकी है; और

(घ) गाद निकालने के ऐसे अवैज्ञानिक तथा अपर्याप्त उपाय करने और नदी के बहाव को ठीक करने के प्रति लापरवाही बरतने की अनुमति देने के क्या कारण हैं जिनके फलस्वरूप हल्दिया पत्तन नष्ट होता जा रहा है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) यहां पर पानी की गहराई ज्वार पर निर्भर करती है और यह हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। यह गहराई अक्टूबर 1980 से मार्च 81 के दौरान 7.3 मीटर (24 फीट) से 9.1 मीटर (30 फीट) तक रही है।

(घ) यहां नदी की गहराई को बनाये रखने के लिए जो निकर्षण कार्य आदि किए गए वे नमूना अध्ययन पर आधारित थे। हुगली नदी के मुहाने पर स्मात्मक तथा जलीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रहने के कारण अभीष्ट परिणाम प्राप्त नहीं हो सके।

हाल में नदी की गहराई से सम्बन्धित निकर्षण कार्य आदि के लिए पुणे और कलकत्ता में और आगे जलीय नमूना अध्ययन और पश्चिमी जर्मनी में कुछ अतिविशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययन किए गए जिनसे नदी के प्रवाह को स्थायी बनाया जा सके तथा समुचित रीति से निकर्षण कार्य किया जा सके। इन अध्ययनों के आधार पर कलकत्ता पत्तन अधिकारियों द्वारा जलधारा को अधिक गहरा बनाने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि जो भी निकर्षण कार्य किए गए वे अवैज्ञानिक या अपर्याप्त थे या यह कि नदी की गहराई बनाए रखने के लिए समुचित ध्यान नहीं दिया गया।

श्री चित्त बसु : प्रश्न के (घ) भाग के उत्तर में उन्होंने कहा है कि नमूना अध्ययन के आधार पर कुछ विशेष योजनाएं बनाई गई थी और इन योजनाओं से वंछित परिणाम नहीं निकले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी एजेंसियां थीं जिनके द्वारा किए गए नमूना अध्ययन के फलस्वरूप हुगली नदी में जल स्तर बढ़ाने और निकर्षण कार्य पर इतनी राशि व्यय की गई थी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ गलतफहमी हुई है। माननीय सदस्य की यह धारणा है कि नमूना अध्ययन के आधार पर ही ये योजनाएं बनाई गई हैं और वह सभी योजनाओं की अनुमानित लागत जानना चाहते हैं। मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं कि नमूना अध्ययन तथा अंकगणितीय अध्ययन के आधार पर पानी की गहराई (ड्रॉट) में सुधार लाने के उद्देश्य से योजनाएं बनाई जा रही हैं, वे अभी बनाई नहीं गई हैं।

श्री चित्त बसु : कृपया भाग (घ) के अपने उत्तर पर गौर कीजिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह प्रश्न के भाग (घ) का ही उत्तर है। नमूना अध्ययन किया गया था। एक अध्ययन पूना अनुसन्धान केन्द्र में किया गया था तथा गणितीय अध्ययन हैमबर्ग में किए गए थे। हमें इनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं और इन रिपोर्टों के आधार पर, पूना अनुसन्धान केन्द्र के परामर्श से योजनाएं बनाई जा रही हैं। जैसे ही योजनाए तैयार हो जाएंगी वे मन्त्रालय को भेज दी जाएंगी, तब हम इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री चित्त बसु : या तो मन्त्री महोदय नहीं समझ पाए हैं या मैं उन्हें नहीं समझा पाया हूं। हल्दिया पत्तन की दशा सुधारने के लिए, हुगली नदी पर निकर्षण कार्य तथा नदी को गहरा बनाने के कार्य किए गए। आपने कहा है कि यह योजनाएं अवैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित थी इसीलिए चालू योजनाओं से वांछित परिणाम नहीं निकल पाया। इस सम्बन्ध में मेरा प्रश्न यह था कि वह एजेंसियां कौन सी हैं जिन्होंने यह योजनाएं तैयार की थी तथा इन योजनाओं पर आप अब तक कितनी राशि व्यय कर चुके हैं ? भविष्य में शुरू की जाने वाली योजनाओं के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं उन पिछली योजनाओं के विषय में पूछ रहा हूं जिन पर कार्य शुरू हो चुका है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक हल्दिया पत्तन की जहाजरानी की जलधारा के निकर्षण कार्य का सम्बन्ध है यह कार्य 1963 से चल रहा है। वर्ष 1973 से प्रत्येक वर्ष जलधारा में निकर्षण कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1980 तक सरकार ने—कलकत्ता पत्तन ने—निकर्षण कार्य पर 50 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। यह प्रमुख निकर्षण कार्य पर व्यय किए हैं। उसके अनुरक्षण निकर्षण कार्य पर कलकत्ता पत्तन प्रति वर्ष 6 से 7 करोड़ रुपये व्यय करता है। परन्तु दुर्भाग्यवश, नदी के मुहाने पर असामान्य परिस्थितियों के कारण हमें वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसी-लिए हमने पूना अनुसन्धान केन्द्र में नमूना अध्ययन करने और हैमबर्ग में गणितीय अध्ययन करने के लिए कहा। हैमबर्ग से रिपोर्ट आ गई है और उन रिपोर्टों के आधार पर कलकत्ता पत्तन में विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। हम देखेंगे कि पानी की गहराई (ड्रॉट) में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और इन योजनाओं की अनुमानित लागत क्या होगी। यह सब किया जाएगा और कलकत्ता पत्तन से योजनाएं प्राप्त होने के पश्चात ही कार्यवाही की जाएगी।

श्री डी० पी० यादव : नदी की धारा को नियंत्रित करने और पत्तनों के रखरखाव के लिए निकर्षन कार्य अत्यन्त आवश्यक है। क्या सरकार ने फरक्का से बक्सर तक गंगा नदी की धारा को नियंत्रित करने के लिए तलकर्षक का प्रबन्ध किया है।

श्री विरेन्द्र पाटिल : यह तो बिल्कुल ही अलग प्रश्न है। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह इसके लिए अलग से नोटिस दें।

प्रो० मधु दंडवते : मैं श्री रेड्डी से नहीं पूछना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें यह उत्तर देना चाहेंगे ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं अवश्य उन्हें उत्तर दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : श्री रेड्डी तो उत्तर देने के लिए खड़े हो गए थे। माननीय सदस्य एक साथ ही सबका उत्तर तो नहीं दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह दो काम एक साथ तो नहीं कर सकते।

प्रो० मधु दंडवते : मूल प्रश्न का भाग (घ) वैज्ञानिकों के बारे में है। हमारा देश शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए कटिबद्ध है। इसे देखते हुए, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में अनुसंधान किया जा सकता है कि पत्तन में निकर्षण कार्य के लिए परमाणु ऊर्जा का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है अथवा नहीं, क्योंकि जो देश निकर्षण कार्य के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं वहां यह बहुत कारगर सिद्ध हुई है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इस समय तो हम हैमबर्ग से प्राप्त रिपोर्ट के बारे में चिन्तित हैं। यदि जांच के पश्चात यह महसूस किया गया कि जो योजनाएं तैयार की गई हैं, तो माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर अवश्य विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न मैं यहां एक संशोधन करना चाहूंगा। जब मैंने अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न सं० 838 के लिए कहा था तब मैंने श्री जायनल अबेदिन के स्थान पर श्री जैनुल बशर का नाम पुकारा था। मुझे इस भूल के लिए खेद है। अब प्रश्न सं० 838।

सियालदह और लालगोला के बीच गाड़ियों का देरी से चलना

*838. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1980 और जनवरी, 1981 के दौरान लालगोला से सियालदह और सियालदह से लालगोला तक सीधी चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि में उनमें से कितनी गाड़ियां देरी से चलीं; और

(ग) उक्त गाड़ियों के देर से चलने के मुख्य कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिसम्बर, 1980 और जनवरी, 1981 के दौरान लालगोला से सियालदह तक और वहां से 703 सवारी गाड़ियां चली थीं।

(ख) उक्त अवधि के दौरान 492 गाड़ियां अपने गन्तव्य स्थान पर देर से पहुंचीं।

(ग) इन गाड़ियों का देर से चलने का मुख्य कारण खतरे की जंजीर खींचना, आंदोलन, उपस्करों की खराबी, क्रासिंग और अग्रगामिता आदि था।

श्री जायनल अबेदिन : स्यालदह और लालगोला के बीच का फासला करीब 235 किलो-मीटर है। लेकिन रेलगाडी इस थोड़े से फासले को तय करने में आमतौर से 9 से 11 घंटे लगाती है। रेले दो से तीन घंटे देर से चलती हैं। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि इसके मुख्य कारण हैं—मशीनों का खराब होना क्रासिंग की परेशानियां आदि। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं क्या सरकार बहुत ही पुराने और खराब एच० पी० एस० एक्सप्रेस इंजिनों के बदले डीजल इंजिनों या किसी और किस्म के बेहतर इंजिनों को लगाने के बारे में सोच रही है ? मशीनों की खराबी और क्रासिंग की परेशानियां दूर करने के लिये क्या सरकार का विचार उस एकल लाइन को दोहरी लाइन में बदलने का है।

श्री मल्लिकार्जुन : इस समय सियालदह से लालगोला तक (बरास्ता रानाघाट) इस लाइन को दोहरा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक उपस्करों की खराबी का सम्बन्ध है उनमें सिगनल की खराबी की 12 घटनायें हुई थीं न कि इंजिनों में कोई खराबी की घटनाएं हुई।

श्री जायनल अबेदिन : 301 अप और 302 डाउन पैसेंजर गाड़ियां जिन्हें तीव्र पैसेंजर गाड़ियां कहा जाता है, बिल्कुल भी तेज नहीं हैं। वे बहुत ही धीमे चलने वाली गाड़ियां हैं। इसे देखते हुए, कोई भी विश्वासपूर्वक यह नहीं कह सकता कि वे स्टेशन पर कब तक पहुँचेंगी। इस-लिये, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस लाइन पर तीव्र एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव मन्त्री महोदय के विचाराधीन है।

श्री मल्लिकार्जुन : इस समय इस लाइन पर कोई भी तीव्र गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि कोई नहीं जानता कि इस लाइन पर यह गाड़ी कब कौन से स्टेशन पर पहुँचेगी, इस बारे में मैं इस माननीय संसद को सूचित करना चाहता हूं कि इस लाइन पर अनेक प्रकार के आन्दोलन होते रहते हैं और इसे गाड़ियों की जंजीर खींची जाती है और अभी भी ऐसा हो रहा है। जैसे ही अनुशासनहीन गतिविधियां कम हो जायेंगी हमें गड़ियों को सही समय पर पहुँचाने में सहायता मिलेगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मन्त्री महोदय ने इसका कारण बता कर बड़ी कृपा की है। उन्होंने इसका कारण आन्दोलन बताया है। कभी-कभी तो ये आन्दोलन होते ही इसीलिये हैं कि गाड़ियां बिलम्ब स चलती हैं।

अध्यक्ष महोदय : वही पुराना सवाल : मुर्गी पहले पैदा हुई या अंडा ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मन्त्री महोदय को अपना अनुभव सुना सकता हूं । मैं एक दिन इस लाइन पर यात्रा कर रहा था । मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सारा का सारा इंजन खराब हो गया; इसका कारण था कि उस इंजन को जिसे काम में लाया जा रहा है, बहुत पहले ही हटा दिया जाना चाहिये था । क्योंकि मुफ्फासिल में रहने वाले निर्धन ग्रामीण लोग इस गाड़ी का उपयोग करते हैं और वे'''जोर नहीं दे सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न कीजिये ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय, बहाना बनाने के बजाय पुराने इंजिनों के स्थान पर नये इंजिन लगाने की कोई ठोस कार्यवाही करेंगे ताकि गाड़ियाँ समय पर चल सकें ।

श्री मल्लिकार्जुन : हमारे पास 7000 भाप के इंजन हैं और यह भी ठीक है कि उनमें से कुछ काफी पुराने हो गये हैं । हम अब और भाप के इंजन नहीं बना रहे हैं । हम उनको पूर्णतया बदलना चाहते हैं ताकि हम पूरी तरह से उनका डीजली-करण अथवा विद्युतीकरण कर सकें । हम इस मामले में बहुत सावधान हैं और इसमें ठोस कार्रवाही की जा चुकी है । मैं अपने मित्र को यह बताना चाहता हूं कि मैं आंदोलनों की चर्चा सारे देश के संदर्भ में कही थी न कि सिर्फ इस लाइन के ही सम्बन्ध में ।

श्री त्रिदिव चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि सियालदह के बीच चलने वाली 6 जोड़ी गाड़ियों में से कितनी गाड़ियों के भाप इंजन अत्यधिक पुराने पड़ गये हैं । हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और हो सकता है कि कुछ अत्यधिक पुराने इंजन भी हों । लेकिन, इस लाइन विशेष पर, अत्यधिक पुराने कितने इन्जन हैं ? क्या वह यह मालूम करने की कोशिश करेंगे और इसमें सुधार लाने का भी प्रयास करेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : हम स्थिति में सुधार लाने का हमेशा प्रयास करते हैं और हम ऐसा निरंतर कर रहे हैं । जहां तक रानाघाट और लालगोला के बीच चल रहे 6 जोड़ी भाप इंजनों का सम्बन्ध है, वे अत्यधिक पुराने नही हैं । गाड़ियों में लगाने के लिये लाये जाने से पूर्व शेड में उनकी पूरी तरह से जांच की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री हरिनाथ मिश्र ।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं'''

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगले प्रश्न के लिये कह दिया है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह अगले आधे घंटे की बहस को टालने के लिये किया गया है । मैं उस प्रश्न को और विस्तृत करना चाहता हूं जो किया जा चुका है । क्या यह देखने का प्रयास किया जायेगा कि इस क्षेत्र में इन इंजनों का प्रयोग जारी रखने के बजाय बेहतर इंजन लगाये जायें ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : निस्सन्देह यह अमल में लाये जाने के लिये एक सुझाव है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर विचार करें।

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : मैं इस पर विचार करूंगा।

गठिया बुखार और गठिया हृदयरोग को रोकने के लिये राष्ट्रीय नीति

*840. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक के अनुसार भारतीय अस्पतालों में हृदयरोग के जितने मामले आते हैं उनमें से एक तिहाई से अधिक वात्व सम्बन्धी पुराने हृदयरोग के मामले होते हैं और यह रोग गठिया बुखार की गम्भीर स्थिति होती है ;

(ख) क्या गठिया बुखार और गठिया हृदय रोग को नियन्त्रित करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय नीति की कोई रूपरेखा पेश की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रो० रामलिंग स्वामी के सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) परिषद ने आमवाती हृद्-रोगों के नियन्त्रण के बारे में एक शोध परक निबन्ध तैयार किया है। इसकी प्रति सभा पटल पर रख दी गई है।

(ग) परिषद द्वारा दिए गए सुझावों पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

विवरण

आमवाती हृद्-रोग नियन्त्रण का ढंग

आमवती हृद्-रोग देश में एक गम्भीर जन स्वास्थ्य समस्या है इससे यहां पर प्रति हजार 2 से 11 तक व्यक्ति पीड़ित हैं। दिल्ली इस दृष्टि से अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में है जहां प्रति हजार 11 लोग इस रोग के ग्रस्त हैं। दिल्ली के स्कूलों में निम्न समाजार्थिक वर्ग के बच्चों में 10 से 13 प्रतिशत तक ग्रुप ए०, बी० हीमोलिटिक स्ट्रैप्टोकांकसी संक्रमण से ग्रस्त पाये गये हैं। इस संक्रमण से आमवाती ज्वर हो जाता है। इस क्षेत्र में जाड़ों में इस संक्रमण का अधिक प्रकोप होता है।

दिल्ली (खिचड़ीपुर) के 500 ग्रामीण बच्चों का एक वर्ष तक निकट सर्वेक्षण करते रहने पर पता चला कि इन बच्चों में से 3 को अर्थात् 6 प्रति हजार को आमवाती ज्वर/आमवाती हृद्-रोग था। सौभाग्य से आमवाती पैनिसिलिन का एक-एक इंजेक्शन कुछ कुछ समय बाद देते रहने से

आमवाती ज्वर/आमवाती हृद्-रोग को और उसके फिर से होने को रोकने में मदद मिल जाती है। इसे देखते हुए देश में आमवाती हृद-रोग को रोकने के लिए एक कार्य-नीति बनाने की बड़ी जरूरत है।

आमवाती हृद्-रोग को रोकने के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए निम्नलिखित बातें अनिवार्य हैं :—(क) क्षेत्रों के स्कूली बच्चों में इस रोग के फैलाव के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए जाएं। (ख) स्कूलों में स्ट्रेप्टोको ओरल की महामारी सम्बन्धी आंकड़े लिए जाएं। (ग) एक स्ट्रेप्टोकाकसी सन्दर्भ प्रयोगशाला हो। (घ) बेंजाथीन पैनिसिलिन खूब उपलब्ध होती रहे। (ङ) लागत सामर्थ्य जानने के लिए मार्गदर्शी कार्यक्रम का अनुभव हो। (च) सरकार परियोजना के महत्व को माने और वह आमवाती ज्वर और आमवाती हृद्-रोग को रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाये और अन्ततः (छ) प्राथमिक और माध्यमिक रोग रोधन कार्यक्रम को मिलाकर स्वास्थ्य परिचर्या पहुंचाने का एक ऐसा तन्त्र तैयार कर लिया जाय जो इन क्षेत्रों के चारों ओर यह कार्य करता रहे।

संचारी रोग और परिवार कल्याण कार्यक्रम तो प्राथमिकता वाले क्षेत्र बने ही हुए हैं किन्तु आमवात हृद्-रोग को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल पाई है। वैसे, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इस सम्बन्ध में काफी अर्से से दिलचस्पी लेती आ रही है, इसीलिए दिल्ली, आगरा, हैदराबाद, अल्लेपी, वेल्लोर और बम्बई में आमवात हृद्-रोग की व्याप्तता सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध हैं और उनसे यह पता चलता है कि अलग अलग क्षेत्र में इसकी व्याप्तता भिन्न-भिन्न है। स्ट्रेप्टोकाकसी महामारी विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन वेल्लोर और दिल्ली में भी किए गए हैं। दिल्ली में 1974 से राष्ट्रीय स्ट्रेप्टोकाकसी संदर्भ प्रयोगशाला खुली हुई है और देश में क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के विकास के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली और हैदराबाद में रोग रोधन सम्बन्धी मार्गदर्शी अध्ययन किए गए हैं। यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि प्रति रोगी वर्ष स्ट्रेप्टोकाकसी संक्रमण तथा प्रति रोगी वर्ष आमवाती पुनरावृत्ति दोनों क्षेत्रों में थोड़ा बहुत रोग रोधन पूर्णतः ना से अच्छा है। देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इस रोग का प्रकोप किस-किस मौसम में सर्वाधिक होता है, इसका पता लगा लिया गया है।

उपलब्ध जानकारी को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर कार्यरूप देना आरम्भ कर देना चाहिए। यदि इस कार्यक्रम को वर्तमान स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मिला दिया जाए तो ठीक रहेगा। पाठशालाओं के अध्यापकों को अल्पकालिक विषय परिचायक पाठ्यक्रम पढ़ाकर उनसे गले की खराबी के लक्षणों की पहचान करने का काम लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में स्वैच्छिक संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिन क्षेत्रों के बारे में यह जानकारी न हो कि वहां किन मौसमों में इस रोग का प्रकोप होता है, उनका पता लगाना अनिवार्य है। तत्पश्चात् जनसंख्या के अधिक जोखिम वाले समूह अर्थात् 6-10 वर्ष की उम्र वाले सभी स्कूली बच्चों अथवा गले की खराबी के संदिग्ध रोगियों को वैनिसिलिन की एक खुराक दी जा सकती है। यदि आमवाती हृद् रोग के लक्षण दिखाई दें तो 6 महीने के पश्चात् इन बच्चों का क्लीनिकी परीक्षण किया जाए। यदि बच्चे का गला लगातार खराब रहे तो उसे पुनः इंजेक्शन दिया जा सकता है। इसके विपरीत यदि आमवाती हृद्-रोग के लक्षण हों तो 5 साल

तक निरंतर अथवा जीवन पर्यन्त 3-3 सप्ताहों के बाद एक इंजेक्शन देने पर विचार किया जा सकता है। सौभाग्यवश बेंजथीन पेनसिलिन की गम्भीर प्रतिक्रियाएं इस आयुवर्ग पर बहुत ही कम होती हैं। इस कार्यक्रम का मूल्यांकन ठीक इसके प्रारम्भिक काल से ही किया जाना चाहिए। जहां कहीं सम्भव हो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकाकसी संक्रमण की प्रारम्भिक अवस्था में ही यह निर्णय लिया जा सकता है कि इसकी रोकथाम कितनी अवधि तक चलनी चाहिए। मेडिकल कालेजों, जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को इस कार्यक्रम में अधिकाधिक लगाना चाहिए और फिर इसका विस्तार करके इसे शहरों और गांवों के स्कूलों में भी चलाया जा सकता है।

श्री हरिनाथ मिश्र : महोदय, सन् 1955 में ही तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था, कि राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से ठोस आधार पर स्कूल स्वास्थ्य सेवा का गठन किया जाये ताकि उन बीमारियों के बारे में रोकथाम और उपचारात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जा सके जिनसे स्कूल जाने वाले बच्चे पीड़ित हैं। इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रोफेसर रामलिंगास्वामी द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए, इस योजना को फिर से शुरू करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने केवल हाल ही में सरकार को दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। इस पर विचार किया जा रहा है। एक बार इनकी जांच करने के बाद ही हम यह देखेंगे कि इस पर क्या कार्यवाही की जा सकती है।

श्री हरिनाथ मिश्र : जो कुछ भी मंत्री महोदय ने बताया है वह योजन के कार्यान्वियन के बारे में है। उन्होंने बताया है कि इस मामले पर योजना आयोग विचार कर रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है वह यह है कि योजना आयोग में चिकित्सा विशेषज्ञों का कोई दल अथवा ऐसे मामले की जांच के लिए किसी प्रकार के विशेषज्ञ नहीं हैं। इन परिस्थितियों में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विशेष रूप से चिकित्सा शास्त्रियों और इस सदन के अथवा राज्य सभा के इस विषय में जानकारी रखने वाले सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित करने का इरादा रखती है जो इस योजना पर विचार करे, और जहां कहीं संशोधन की आवश्यकता है तो उनका सुझाव दे तथा एक ऐसी व्यावहारिक योजना प्रस्तुत करे जिसे क्रमिक रूप से कार्यान्वित किया जा सके। क्योंकि बीमारियां अधिकांशत अस्वास्थ्यकारी एवं पिछड़े इलाकों में ही फैलती हैं इसलिये यह स्वाभाविक है कि सर्वोच्च प्राथमिकता निर्धनता पीड़ित इलाकों को देनी ही पड़ेगी। सरकार का इस बारे में क्या विचार है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है, मेरा उत्तर नहीं में है क्योंकि योजना आयोग ने कई प्रश्न उठाये हैं। हम इन पर प्रश्नों की जांच कर रहे हैं। एक बार इनकी जांच हो जाने के पश्चात् ही हम यह देखेंगे कि इस पर क्या कार्यवाही की जा सकती है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या सरकार ने कोई ऐसा सर्वेक्षण करवाया है यह जानने के लिये कि यह रोग देश के किस भाग में या किस राज्य में अधिक होता है और उसका कारण क्या है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय, गर्मियों का बुखार अधिसूचित बीमारी नहीं है। इसलिये हमारे पास इसके बारे में कोई अधिकृत आंकड़े नहीं हैं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि 1978 में हमने इसके बारे में कुछ जाँच की थी। लगभग 4·2 प्रतिशत बच्चे सकुलेटरी सिस्टम की खराबी के कारण पीड़ित थे। यही इसका कारण है कि हम इस बारे में चिंतित हैं। हमारे पास रिपोर्ट भी है। योजना आयोग ने कई प्रश्न उठाये हैं। हम उनकी जाँच करेंगे और तब हम देखेंगे कि किस तरह हम कार्य कर सकते हैं।

सारनाथ एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने का प्रस्ताव

*842. श्री बलवीर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन सारनाथ एक्सप्रेस को भिलाई से वाराणसी के बीच प्रतिदिन चलाने की मांग पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग पर निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकाजुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैंने इसलिए नहीं पूछा था कि "क्वेश्चन डज नाट एराइज है" और "नो सर" यह उत्तर मिले। मेरा निवेदन यह है कि भिलाई से लेकर सरगुजा शहडोल यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश और बिहार के सारें लोग वहां काम करते हैं। केवल सारनाथ एक्सप्रेस एक दिन चलती है। यदि इस ट्रेन को चलाने की आपकी नीयत नहीं है तो क्या कोई दूसरी ट्रेन इस लाइन पर आप देंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में 'जी नहीं', और 'प्रश्न नहीं उठता' इस वास्ते कहना पड़ा क्योंकि प्रश्न का स्वरूप ही वैसा है। वे चाहते हैं सारनाथ एक्सप्रेस को भिलाई तक चलायें, हम चला नहीं सकते हैं इस वास्ते मैंने कहा 'जी नहीं' और 'प्रश्न नहीं उठता'।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आस्ट्रियाई विदेश मंत्री के साथ हुई वार्ता

828. श्री अमर राय प्रधान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में मार्च 1981 में भारत के प्रधान मंत्री और आस्ट्रिया के विदेश मंत्री की वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्री (पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) आस्ट्रियाई विदेश मंत्री डा० बिलियाबाल्ड मेहर ने 21 से 26 मार्च, 1981 तक भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान

उन्होंने प्रधान मंत्री से भेंट की। उन्होंने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं और द्विपक्षीय मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया तथा विशेषतौर पर उत्तर-दक्षिण शिखर वार्ता की सम्भावनाओं पर गौर किया। इस यात्रा के फलस्वरूप, सांस्कृतिक, आर्थिक और वाणिज्यक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को भी प्रोत्साहन मिला है।

विदेशों में स्थित भारतीय स्वाधीनता स्मारक

832. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या विदेश मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थापित किए गए भारतीय स्वाधीनता स्मारकों के रखरखाव तथा उनके कार्यकरण में सुधार के लिये कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो स्मारकों की सूची तथा उनके प्रबन्ध का ढाचा बतायें और सरकार द्वारा प्रत्येक स्मारक के रखरखाव के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई और उनकी स्थापना कब की गई थी; और

(ग) क्या सरकार उनमें से ऐसे स्मारकों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेगी जिसका रखरखाव वित्तीय, प्रशासनीय कठिनाइयों के कारण इस समय ठीक नहीं हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जहां-जहां भी भारतीय स्वाधीनता स्मारक हैं सरकार उनके कार्यसंचालन और देखरेख में पूर्ण सहायता देती है।

(ख) **बर्मा** : भारतीय समुदाय के चन्दे से और भारत सरकार की सहायता से 1956-57 में मेमोरियल हाल का निर्माण किया गया। यह हाल मांडले जेल के अन्दर है जो बर्मी प्राधिकारियों के नियंत्रण में है। बर्मा सरकार की सहायता से बर्मा स्थित भारतीय मिशन इसकी देखरेख करता है।

संयुक्त राज्य अमरीका : सान-फ्रांसिस्को में 23 मार्च, 1975 को गद्र मेमोरियल का उद्घाटन हुआ था जिसे 4 दिसम्बर, 1975 को सान-फ्रांसिस्को स्थित प्रधान कोंसलावास ने अपनी देख रेख में ले लिया था। एक स्थानीय परामर्शदायी समिति और कार्यकारी समिति इसकी देखभाल में सहायता करती है। इसकी देखरेख के लिए इस स्मारक को वार्षिक आधार पर सरकारी अनुदान प्राप्त होता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों में लगे भारतीय स्वयंसेवी संगठन

*835. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रमों में लगे भारतीय स्वयंसेवी संगठनों के और उन संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने यू० एन० एफ० पी० ए० से सहायता हेतु सम्पर्क किया है;

(ख) क्या उनमें से कुछ की सिफारिश सरकार ने की थी; और

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और उस पर यू० एन० एफ० पी० ए० का अन्तिम निर्णय क्या है तथा इस मामले में क्या मानदंड अपनाया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या ल० टी० 2368/81]

बिहार में जनजातीय लोगों में मृत्यु दर

*836. श्री बागुन सुम्बरुई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार जनजातीय लोगों में बच्चों की मृत्यु दर सब से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) समुचित प्रसव-पूर्व देखरेख तथा प्रसव सेवाओं और स्वास्थ्य स्थितियों को सुधारने हेतु केन्द्र सरकार का विचार क्या विशेष कदम उठाने का है ताकि बाल एवं प्रसूति का मृत्यु दर कम हो जाये; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जच्चा बच्चा की जिन सेवाओं की व्यवस्था और विस्तार किया जा रहा है, वे इस प्रकार हैं :—

(1) गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को टीके आदि लगाकर रोगों से बचाना।

(2) महिलाओं और बच्चों को पोषण की कमी के कारण होने वाली खून की कमी से बचाना।

(3) उप-केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का जाल सा बिछाकर और रेफरल सेवा पद्धति के जरिये गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले, प्रसव के समय और प्रसव के बाद सेवाएं प्रदान करना।

(4) परम्परागत दाइयों को साफ-सुथरे ढंग से प्रसव कराने का प्रशिक्षण देना।

(5) बाल-क्लिनिकों के जरिये शिशुओं के फलने-फूलने और विकास की ओर समुचित ध्यान देना ।

(6) माताएं अपने बच्चों को लम्बे अर्से तक दूध पिलाती रहें, इसके लिए उन्हें पोषाहार की जानकारी देना तथा बच्चों को मां का दूध छुड़ाने के लिए किसी उपयुक्त वैकल्पिक आहार की व्यवस्था करना ।

(7) अधिक दस्त लगे बच्चों में पानी की कमी हो जाने के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए उन्हें रिहाइड्रेशन साल्ट्स पिलाने की व्यवस्था करना ।

भारतीय जहाजरानी कम्पनियों के जहाजों द्वारा सामान की ढुलाई में कमी

837. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार वर्षों में भारतीय जहाजरानी कम्पनियों के जहाजों द्वारा की गई माल की ढुलाई में विदेशी कम्पनियों के जहाजों द्वारा की गई माल की ढुलाई की तुलना में तेजी से कमी हुई है ।

(ख) यदि हां, तो आंकड़े क्या हैं, और कमी के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या जहाजरानी व्यापारियों, दलालों और मेरिन एजेन्टों के विभिन्न संघों ने सामान की जहाजों से ढुलाई को प्रोत्साहन देने, आकर्षित करने और भारतीय जहाजरानी कम्पनियों के लिए लाभप्रद बनाने हेतु सरकार की नीति में परिवर्तन की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इण्डियन कारगो शिपिंग (भारतीय माल जहाजरानी) के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं और विशेषकर सूखे, बल्क और भारी सामान के लिए क्या नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) मन्त्रालय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले 4 वर्षों में माल ढुलाई में कुछ कमी आई है ।

(ख) सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	वर्ष	समुद्री मार्ग से कुल आयात और निर्यात	सामान्य लाइनर माल का समुद्री मार्ग से कुल आयात और निर्यात	भारतीय जहाजों द्वारा ढोए गए सामान्य लाइनर माल का आयात और निर्यात	कुल सामान्य लाइनर माल की तुलना में भारतीय जहाजों द्वारा ढोए गए माल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
					(मिलियन टन में आंकड़े)
1.	1976-77	66.21	9.6	3.8	39.58
2.	1977-78	58.88	9.0	3.4	37.78
3.	1978-79	63.70	10.0	3.3	33.00
4.	1979-80	71.15	11.6	3.3	38 45

भारतीय लाइनर जहाजों द्वारा ढोये गए लाइनर माल के प्रतिशत में गिरावट आने के के कारण ये हैं :—गैर-कान्फ्रेंस कम्पनियों या आपरेटरों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा क्योंकि इन कम्पनियों ने अपने कारोबार में अति आधुनिक जहाज लगा रखे हैं और ये कम्पनियां भारतीय कम्पनियों द्वारा वसूल की जाने वाली टैरिफ-दरों से बहुत कम दरों की पेशकश करती हैं, विशेषकर भारतीय पश्चिम तट से निर्यात किए जाने वाले माल के सम्बन्ध में।

(ग) जहाज-व्यापारियों, दलालों, स्टीमर एजेन्टों इत्यादि की एसोसिएशन समय-समय पर भारतीय नौवहन कम्पनियां से आग्रह करती रही हैं, कि नौवहन सेवा में सुधार करने के अलावा इन कम्पनियों को भी चाहिए कि वे विदेशी कम्पनियों की आधुनिक जहाजों को अपने कारोबार में लगाएं और अधिक लाभ देने वाली भाड़ा दरें वसूल करें।

(घ) नौवहन सेवाओं में सुधार लाने के लिए आवश्यक अर्थोपायों पर विचार करने के लिए भारतीय नौवहन कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके मन्त्रालय ने पहले-ही इस दिशा में पहल की है। इसके परिणामस्वरूप, यू० के०/कंटीनेंट व्यापारिक मार्ग पर काम कर रही तीन राष्ट्रीय कम्पनियों ने एक कंटेनर सहायता-संघ का निर्माण कर लिया है।

2. छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के मौजूदा टनभार में लगभग 2.5 मिलियन जी० आर० टी० फ्री और वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसमें मुख्य रूप से सूखा, खुला और अन्य प्रकार का माल लाने-ले जाने वाले जहाज शामिल हैं।

मैसूर में मेडिकल विश्वविद्यालय का खोला जाना

*841. **श्री के० मालन्ना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने मैसूर में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे अपना प्रस्ताव स्थगित कर लें।

दिल्ली परिवहन निगम में तदर्थ नियुक्तियां

843. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है दिल्ली परिवहन निगम में तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की गई हैं जिसके कारण वहां के कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान तदर्थ नियुक्तियां किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम में भर्ती के तरीकों में सुधार करने के लिए क्या उपाय सोचे जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी, हां। यह ठीक है कि दिल्ली परिवहन निगम में कुछ तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं और कुछ यूनियनों/एसोसिएशनों ने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन किया है।

(ख) ये तदर्थ नियुक्तियां निगम के कार्यों के हित में नियमित नियुक्तियां होने तक के लिए की गई हैं।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम अपना एक चयन और भर्ती प्रभाग स्थापित करने की योजना बना रहा है।

स्वैच्छिक स्वीकृति से जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने की नीति

*844. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाने का निर्णय किया है जिससे छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से नगरीय और ग्रामीण निर्धन लोग स्वेच्छा से 'छोटा-परिवार' सिद्धांत को स्वीकार कर लें और इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी राशि नियत की गई है और इसके लिए क्या कार्यक्रम बनाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए सरकारी नीति यह है कि सभी वर्गों की जनसंख्या को शिक्षा और प्रेरणा देकर स्वेच्छा से अपना परिवार छोटा रखने के लिए राजी किया जाए।

(ख) छठी पंच वर्षीय योजना (1980-85) में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए 1010 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को सहायता

*845. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण समा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाओं के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को कई विदेशी ऐजेन्सियां तथा भारत सरकार सहायता देती है;

(ख) वर्ष 1980-81 में सभी स्रोतों से इसकी कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई; और

(ग) 1980-81 में विभिन्न परीक्षणों के लिए मरीजों से कुल कितना शुल्क वसूल किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को विदेशी एजेन्सियों के साथ-साथ भारत सरकार से सहायता मिल रही है। 1980-81 में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई विदेशी सहायता नहीं मिली थी। तथापि, 1980-81 के दौरान अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विदेशी एजेन्सियों से 27.34 लाख रुपये की सहायता मिली थी। इसके अलावा संस्थान को भारत सरकार से 873.09 लाख रुपये की सहायता अनुदान मिला था।

2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि विभिन्न परीक्षणों के लिए रोगियों से लिए गये शुल्कों का हिसाब अलग से नहीं रखा जाता है। वैसे 1980-81 के दौरान अस्पताल शुल्कों के रूप में जिनमें आवास और भोजन सम्बन्धी शुल्क भी शामिल हैं, 50.64 लाख रुपये की रकम वसूल की गई थी।

मलेरिया उन्मूलन के लिए केन्द्रीय सहायता

*846. **प्रो० अजितकुमार मेहता :**
श्री बी० डी० सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेरिया देश में अब पुन: बड़े पैमाने पर आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जो मलेरिया से अत्यधिक ग्रस्त हैं; और

(ग) मलेरिया की रोक थाम के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है तथा इस कार्य के लिये राज्य सरकारों को किस प्रकार की तथा कितनी केन्द्रीय सहायता दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी नहीं। मलेरिया तथा पी० फाल्सोपेरम के भी मामलों (घातक मलेरिया) का राज्यवार विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2369/81] वर्ष 1979 के मुकाबले में 1980 में मलेरिया के रोगियों में कुल मिलाकर 12.08 प्रतिशत तथा पी० फाल्सीपेरम के मामलों में 7.2 प्रतिशत की कमी हुई है।

(ग) मलेरिया को रोकने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है या उठाने का विचार रखती है, उनका एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिऐ संख्या एल० टी०-2369/81] राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को, जिसका खर्च केन्द्र और राज्य सरकारें बराबर-बराबर वहन करती हैं, कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों की सहायता के लिए 1981-82 के बजट अनुमानों में प्रस्तावित रकम का एक विवरण भी सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिऐ संख्या एल० टी०-2369/81]

खड़गपुर और टाटानगर के बीच अधिक यात्री गाड़ियां चलाया जाना

*847. **श्री मतिलाल हसदा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खड़गपुर और टाटानगर के बीच इस समय चल रही यात्री गाड़ियों की संख्या अपर्याप्त है;

(ख) क्या खड़गपुर और टाटानगर के बीच अधिक यात्री गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) खड़गपुर और टाटानगर के बीच वर्तमान गाड़ियों के उपयोग के विश्लेषण से पता चला है कि इन गाड़ियों में कोई भीड़-भाड़ नहीं रहती ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यातायात सम्बन्धी औचित्य के प्रश्न के अलावा, खड़गपुर और टाटानगर के बीच कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाना लाइन क्षमता एवं टर्मिनल कठिनाइयों के साथ-साथ साधनों की कमी के कारण भी परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

जयपुर रेलवे कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित किया जाना

7689. **श्री के० ए० राजन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन के भारी संख्या में रेलवे कर्मचारियों को खराब गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर पदोन्नति से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की 1979 और 1980 में कितनी संख्या थी; और

(ग) क्या ऐसे मामलों का पुनरीक्षण करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वर्ष 1979 और 1980 के दौरान गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणियों के कारण पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के केवल लगभग 50 कर्मचारियों की पदोन्नतियां न की जा सकीं ।

(ग) जी नहीं ।

महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट ऐसोसिऐशन से ज्ञापन

7690. **श्री आर० के० महालगी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसियेशन से सरकार को दिनांक 22 जून, 1980 को एक ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या मांगें हैं;

(ग) सरकार ने उन मांगों में से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं और कार्यवाही कब की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) हाँ।

(ख) इस ज्ञापन में उठाई गई मांगें इस प्रकार थीं :— (1) औषधि अधिनियम की धारा 65 (15) ग को संशोधित करना, (2) तीन वर्ष के अनुभव वाले एस० एस० सी० छात्र को और 7 वर्ष के अनुभव वाले गैर एस० एस० सी० छात्र को "योग्यताप्राप्त फार्मासिस्ट" स्वीकृत करना, और (3) योग्यता प्राप्त फार्मासिस्टों की उचित अपेक्षाओं को आँकने तथा अवांछित लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए एक समिति का बनाना।

(ग) भारतीय फार्मेसी परिषद तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के परामर्श से प्रत्येक मांग पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने औषधि अधिनियम की धारा 65(15)ग को संशोधित करना वांछनीय नहीं समझा क्योंकि केवल अनुभव के आधार पर लोगों को "योग्यता प्राप्त फार्मासिस्ट्स" स्वीकृत करने से औषधि की बिक्री और विवरण पर किए जा रहे नियंत्रण उपायों तथा योग्यता प्राप्त फार्मासिस्टों के रोजगार अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फार्मेसी अधिनियम की धारा 42 को, जिसके अन्तर्गत गैर-पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली प्रैक्टिस एक दण्डनीय अपराध है, संशोधित करने का विचार है ताकि उसे 1-9-81 से लागू किया जा सके। इस अवधि के दौरान इस व्यवसाय में लगे अनर्ह व्यक्ति पंजीकरण के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते है। कुछेक शर्तें पूरी करने वाले ऐसे व्यक्ति के लिए फार्मेसी का एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम चलाने के लिए शिक्षा सम्बन्धी विनियम भी संशोधित कर दिए गए हैं। इस बात को देखते हुए शैक्षिक स्तर को और कम करना उचित नहीं समझा गया था। जहाँ तक भ्रष्टाचार आदि को रोकने के लिए एक समिति बनाने का सुबंध है इसे आवश्यक नहीं समझा गया था क्योंकि फार्मेसी अधिनियम में ऐसे प्रयोजन के लिए राज्य परिषद द्वारा निरीक्षकों की नियुक्ति करने की पहले से ही व्यवस्था है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

इंटेगरल कोच फैक्ट्री मद्रास में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

7691. श्री के० बी० एस० मणि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटेगरल कोच फैक्ट्री, मद्रास में श्रेणी I तथा श्रेणी II में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए समुचित आरक्षण नहीं है, यदि हां, तो पीछे से चले आ रहे पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) वर्ष 1978 में से अब तक कुल कितने कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति की गई है

और आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को लागू करके वर्ष-वार तथा कार्डर-वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार नियुक्त/पदोन्नति किये गये;

(ग) इंटेगरल कोच फैक्ट्री, मद्रास में वर्ष 1978 से श्रेणी II के कितने अधिकारियों की श्रेणी I में पदोन्नति की गयी है और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित लोगों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उसके क्या कारण हैं और पीछे-पीछे से लाये गये पदों को कब भरा जायेगा ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 40 सूत्रीय रोस्टर के अनुसार श्रेणी 3 से श्रेणी 2 और श्रेणी 2 से श्रेणी 1 के निम्नतम श्रृंखला तक पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए रिक्तियों का उचित आरक्षण है।

(ख) से (घ) 1978 से सवारी डिब्बा कारखाने में भर्ती/पदोन्नत किये गये कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

भर्ती

श्रेणी	1978			1979			1980		
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.
श्रेणी 1	कुछ नहीं	—	—	कुछ नहीं	—	—	कुछ नहीं	—	—
श्रेणी 2	कुछ नहीं	—	—	कुछ नहीं	—	—	कुछ नहीं	—	—
श्रेणी 3	71	17	3	62	13	3	51	8	2
श्रेणी 4	616	164	53	288	86	27	156	37	—

पदोन्नति कोटि

श्रेणी	1978			1979			1980		
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.
श्रेणी 1 (व०वे०)	2	—	—	4	1	—	8	1	—
(क०वे०)	1	—	—	2	—	—	1	—	—
श्रेणी 2	16	5	—	8	2	—	15	4	2
श्रेणी 3	3423	542	96	1105	175	71	1226	169	74
श्रेणी 4	511	91	44	368	48	19	126	21	7

जहां तक श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों में कमी का सम्बन्ध है, इसे पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक त्वरित कार्यक्रम चलाया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य समुदायों के कर्मचारियों की मुख्य लिपिकों के रूप में पदोन्नति

7692. **श्री थाभाई एम० करूणानिधि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य समुदायों के कर्मचारियों का ब्योरा क्या है जो 27 जुलाई, 1979 को चुन लिये गये थे और जिन्हें पैनल में रखा गया था तथा जिन्हें 29 दिसम्बर, 1979 तक जो इसके बाद मुख्य लिपिक के रूप में पदोन्नत किया गया था;

(ख) ऐसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य समुदायों के कर्मचारियों का ब्योरा क्या है जिन्हें 30 नवम्बर, 1979 को पैनल में रखा गया था और उन्हें कब पदोन्नति किया गया था;

(ग) ऐसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को, जो 27 जुलाई, 1979 को चुन लिये गये थे और पैनल में रखे गए थे, का अधिक्रमण करके उन्हें 6 फरवरी, 1980 को पदोन्नत क्यों किया गया था और अन्य समुदायों के कर्मचारियों को जो 30 नवम्बर, 1979 को लिए गए थे और पैनल में रखे गए थे 2 जनवरी, 1980 को किस प्रकार पदोन्नत किया गया था; और

(घ) इस बारे में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना क्षेत्रीय रेलवे से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आसन सोल रेलवे डिविजनल अस्पताल के सामने बस स्टैंड

7693. **श्री सुशील भट्टाचार्य** :
श्री मोहम्मद इस्माइल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसनसोल रेलवे डिविजनल अस्पताल के सामने बने अवैध बस स्टेण्ड को हटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : बस स्टैंड पहले मुख्य डाक-घर, आसनसोल के समीप आसनसोल शहर के मध्य में स्थित था जो कि भीड़-भाड़ वाला शहरी इलाका है । अगस्त, 1980 में राज्य प्राधिकरण ने बस स्टैंड को रेल प्रशासन से विचार-विमर्श किए बिना मंडल रेलवे अस्पताल के पास एक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था । सितम्बर, 1980 में हुई एक बैठक में आसनसोल के ए० डी० एम० ने बताया था कि यह बस स्टैंड पूर्णतया अस्थायी है तथा इसे आसनसोल शहर के दोनों ओर बन रहे नए बस स्टैंडों का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने पर स्थानांतरित कर दिया जायेगा । यद्यपि नए बस स्टैंड कुछ माह पूर्व निर्मित

हो गए है, फिर भी, रेलवे अस्पताल के पास बस स्टैंड का अभी भी प्रयोग किया जा रहा है। रेल प्रशासन ने आसनसोल मंडल रेलवे अस्पताल के समीप के बस स्टैंडों को हटाने के लिए यह मामला आसनसोल के ए० डी० एम० तथा अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक के समक्ष उठाया है। इस मामले में अभी नागरिक प्राधिकारियों से विचार-विमर्श चल रहा है।

नेत्रहीन व्यक्तियों को रेलवे रियायत

7694. **मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय नेत्रहीन व्यक्तियों को क्या-क्या रेलवे रियायतें दी जाती हैं;

(ख) इस अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में विकलांगों और विशेष रूप से नेत्रहीन व्यक्तियों को कौन-कौन सी विशेष रेलवे रियायतें दिए जाने का विचार है; और

(ग) नेत्रहीन व्यक्तियों को विशेष रेलवे रियायतें देने के सम्बन्ध में मेहसाना जिले के राष्ट्रीय अन्धजन मंडल की विसनगर शाखा के सचिव द्वारा दिनांक 6 मार्च, 1981 के भेजे गए पत्र के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है और इस वर्ष उन्हें क्या रेलवे रियायतें दिए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नेत्रहीन और विकलांग व्यक्ति जब तक किसी अनुरक्षी के साथ यात्रा कर रहे हों तो उन्हें पहले और दूसरे दर्जे दोनों में 50% की रियायत दी जाती है। नेत्रहीन व्यक्ति अकेले यात्रा करने पर भी इस रियायत को पाने के पात्र हैं।

वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन

7695. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वरिष्ठता सूचियों के प्रकाशन के लिए अवधि निर्धारित करने के सम्बन्ध में 'आल इंडिया रेलवेमैन्स' फेडरेशन की ओर से पत्र संख्या ए० आई० आर० एफ०/53 (एस० ई० 19/79) (368) दिनांक 9 जुलाई, 1980 प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या फेडरेशन को इसका उत्तर भेज दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों की सभी श्रेणियों की वरिष्ठता सूचियां प्रत्येक तीन साल की अवधि में एक बार प्रकाशित की जानी चाहियें;

(घ) क्या रेलवे के अन्य जोनों ने भी ऐसे अनुदेश जारी किए हैं और यदि नहीं; तो क्यों;

(ङ) क्या रेलवे बोर्ड प्रत्येक तीन वर्ष के बाद कर्मचारियों की वरिष्ठता-सूचियां एक बार प्रकाशित करने के लिए रेलवे जोनों से अनुरोध करेगा; और

(च) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड द्वारा ऐसा अनुदेश कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) से (च) अन्य क्षेत्रीय रेलों ने इस बात की पुष्टि की है कि वरिष्ठता सूची समुचित रूप से रखी जाती है और कर्मचारियों को उनकी स्थिति के सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया है जब कभी वे इसकी पूछताछ करते हैं। कर्मचारियों को पदोन्नति/ट्रेड परीक्षा के समय भी उनकी स्थिति से सूचित किया जाता है। इस सम्बन्ध में सामान्यतः संतोषप्रद स्थिति को देखते हुए, रेलवे बोर्ड इस सम्बन्ध में रेलों को किसी प्रकार के निदेश देना आवश्यक नहीं समझता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को फीस में रियायत

7696. **श्री आर० आर० भोले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के एम० बी० बी० एस० और बी० एस० सी० (आनर्स) ह्यूमन वायलाजी पाठ्यक्रमों के लिए मिले जुले कम्पीटीटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन (प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा) के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों के लिए फीस में कोई रियायत नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य उम्मीदवारों की भांति परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को 17 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले जनजातियों के आवेदकों को सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेटों से अपना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है और उनके माता-पिता के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जैसे किसी अन्य साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाता; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या संस्थान से यह कहा जायेगा कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामलों में सामान्य नीति का अनुसरण करें ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) हां।

(ख) जहां तक परीक्षा फीस का सम्बन्ध है सभी वर्गों के उम्मीदवार बराबर समझे जाते हैं।

(ग) हां।

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक स्वायत्त, सांविधिक निकाय है। तथापि, संस्थान को इस मामले की समीक्षा करने की सलाह दी जाएगी।

कैरिज एण्ड वैगन सुपरिटेंडेंट ग्रेड में रिक्त पद

7697. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में टाटा इंजीनियरिंग स्टील लिमिटेड और

राउरकेला स्टील लिमिटेड के लिए मंजूर किये गये कैरिज और वैगन सुपरिंटेंडेंट के ग्रेड रुपये 840-1040 (आर० एस०) के पद बहुत से रिक्त पड़े हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) उन्हें उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा कब तक भरे जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 840-1040 रु० (संशोधित वेतनमान) के वेतन-मान में सवारी और माल डिब्बा निरीक्षकों के दो पद दक्षिण-पूर्व रेलवे के टाटा और बोंडा में रखे गये हैं । ये पद भरे जा चुके हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में फार्मेसिस्टों द्वारा औषधियों का हिसाब किताब रखने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का सुझाव

7698. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सुझाव दिया है कि औषधियों के हिसाब किताब सम्बन्धी कार्य को लिपिकों के बजाय फार्मेसिस्टों को सौंपा जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस प्रकार के सभी पदों पर फार्मेसिस्टों की नियुक्ति कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक इस प्रकार की नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नहीं।

(ख) नहीं

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा

7699. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाण्डे समिति ने राज्यमार्गों को राष्ट्रीय-राजमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए किन्हीं मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुझाव दिया था;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 3561 किलोमीटर की कुल लम्बाई वाले 12 मार्गों का दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इनमें से कितनों का दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय राजमार्ग करने का विचार किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। पांडे समिति ने यह सुझाव दिया है कि राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए मौजूदा मानदंडों के अलावा यात्रा तय करने में समय और दूरी में बचत तथा पर्वतीय एवं पिछड़े इलाकों का विकास इत्यादि को भी मानदंड बनाया जाए।

(ख) जी, हाँ।

(ग) ऐसे-ही प्रस्ताव कुछ अन्य राज्यों से भी मिले हैं और इन सभी प्रस्तावों की जांच उपलब्ध संसाधनों, सड़को को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए निर्धारित मापदंडों तथा अखिल भारतीय आधार पर प्रत्येक सड़क की पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि कितनी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा।

भिवानी और चंडीगढ़ के बीच बरास्ता रोहतक और पानीपत,सुपर फास्ट रेलगाड़ी

7700. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिवानी और चण्डीगढ़ के बीच बरास्ता रोहतक और पानीपत एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यह रेल गाड़ी कब शुरू की जायेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आसनसोल में कोचिंग टर्मिनल सुविधाएं

7701. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल में कोचिंग टर्मिनल सुविधा उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या इसे 1982-83 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सर्वेक्षण किया जा रहा है और अगस्त, 1981 तक रिपोर्ट मिल जाने की सम्भावना है।

(ख) से (घ) सर्वेक्षण दल की सिफारिश की जांच की जायेगी और यदि यातायात की दृष्टि से यह कार्य औचित्यपूर्ण पाया गया तो उसे 1982-83 के बजट में शामिल कर लिया जायेगा।

1980 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों से आय

7702. श्री दया राम शाक्य : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1980 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को उनकी अपनी बसों से तथा दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली गैर-सरकारी बसों से कितनी आय हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : दिल्ली परिवहन निगम को अपनी निजी बसों से और निगम के अधीन चलने वाली प्राइवेट आपरेटरों की बसों से क्रमश: 32.64 करोड़ रुपये और 6.82 करोड़ रुपये आमदनी हुई।

सामान्य नियमों के अंतर्गत रेल कर्मचारियों के वेतन को निर्धारित करना

7703. श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब कभी कोई रेलवे कर्मचारी, चाहे वह स्थायी है अथवा अस्थायी, रेल सेवा आयोग को, पूर्वानुमति के साथ, नियुक्ति के लिए आवेदन देता है तो उसका वेतन सामान्य नियमों के अनुसार नियत किया जाता है और सेवा में निरन्तरता बनी रहती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नैमित्तिक श्रमिक द्वारा 120 दिन की लगातार सेवा पूरी कर लिए जाने के बाद यदि उसे नियमित रेल कर्मचारी के रूप में खपा लिया जाये तो उसकी इस सेवा को पेशन लाभों के लिए अर्हक-सेवा के रूप में माना जाता है; और

(क) यदि हां, तो भारतीय रेलवे के मजदूर वर्ग के सी० पी० सी० मैन को रेल सेवा आयोग अथवा किसी अन्य रेल भारती प्राधिकरण के माध्यम से नए पद पर नियुक्ति के समय यह लाभ किस कारण से नहीं दिए जाते ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जिन नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थायी ओहदा प्राप्त हो जाता है, उनकी 1.1.61 के बाद की गयी सेवा का 50 प्रतिशत भाग पेंशनीय लाभों के जिए गिना जाता है, यदि इसके पदधारी नियमित रेल कर्मचारियों के रूप में समाहित कर लिए जाते हैं।

(ग) सम्भवत: आशय परियोजनाओं में काम कर रहे उन नैमित्तिक श्रमिकों से है जिन्हें 180 दिन लगातार सेवा पूरी करने के बाद वेतनमान का 1/30 और महंगाई भत्ता दिया जाता है। ऐसे नैमित्तिक श्रमिक पेंशनीय लाभों के हकदार नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें अस्थायी ओहदा नहीं दिया जाता।

एनोरेंटिक औषधियों के प्रतिकूल प्रभाव

7704. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में वजन कम करने की औषधियों के, जिन्हें तकनीकी दृष्टि से

"एनोरैटिक ड्रग" कहा जाता है, बढ़ते हुए बाजार तथा उनसे पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो वजन कम करने की ऐसी ओषधियों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिनसे जन स्वास्थ्य खराब होता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) यह हो सकता है कि वजन कम करने की ओषधियों की मांग हो। एनोरैटिक ओषधियां वे पदार्थ हैं जो भूख की अनुभूति को दबाते हैं। एनोरैटिक ओषधियां मोटापे को कम करने का पूर्ण उपचार नहीं हैं, उन्हें अन्य उपचारों में केवल सहयोगी के रूप में ही समझा जाना चाहिए विशेषकर इसे तो कम एनर्जीवाला भोजन लेने में मददगार समझा जाए। सामान्यत: मतली, दस्त, सिर-दर्द, चक्कर आना और सिडेशन इसके अनुषंगिक प्रभाव बतलाए जाते हैं। मुंह सूखना, अफसारा पेट की गड़बड़ कब्ज, थकान और फोड़े-फुंसियां भी इसके अन्य गौण प्रभाव बतलाए जाते हैं।

(ख) एनोरैटिक ओषधियों को चिकित्सक की देख-रेख में लिया जाना चाहिए। औषधि और सौन्दर्यप्रसाधन अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन एनोरैटिक ओषधियां केवल रजिस्टर्ड चिकित्सक के नुस्खे पर ही बेची जानी चाहिये। जो कैमिस्ट ग्राहकों को ये ओषधियाँ बेचते हैं, उन्हें चाहिए कि वे सप्लाई करते समय विशेष रूप से इस कार्य के लिए रखे गए नुस्खा रजिस्टर में ये रिकार्ड भी रखें—प्रविशिष्ट की क्रम सख्या, सप्लाई की तारीख, चिकित्सक का नाम और पता, रोगी का नाम और पता, औषधि का नाम और उसकी मात्रा, औषधि निर्माता का नाम, औषधि का बैच नम्बर और समाप्ति तिथि, यदि कोई हो तो उस क्वालीफाइड व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसके द्वारा अथवा जिसकी देखरेख में वह औषधि सप्लाई की गई है, तथा रजिस्टर में प्रविष्टि की जो क्रम संख्या लिखी हो, उसे नुस्खे पर भी लिखें।

पश्चिम रेलवे के भावनगर डिवीजन में चल रही गाड़ियों की संख्या

7705. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के भावनगर डिवीजन में कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं;

(ख) वर्ष 1971, 1975 और 1980 के दौरान पश्चिम रेलवे भावनगर डिवीजन में कितने-कितने यात्रियों ने यात्रा की थी;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष-प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या में कमी होती गई; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भावनगर मंडल में कुल 92 गाड़ियाँ चलती हैं जिसमें 10 डाक/एक्सप्रेस 48 सवारी तथा 34 मिश्रित गाड़ियाँ शामिल हैं।

(ख) भावनगर मंडल में 1971-72 में प्रारम्भिक यात्रियों की संख्या 217 लाख थी जब कि 1975-76 और 1980-81 में यह क्रमश: 173 लाख और 177 लाख थी।

(ग) 1971-72 की तुलना में केवल 1975-76 में।

(घ) जेतलसर-पोरबन्दर खंड में गाड़ी सेवाओं में व्यवधान पड़ने, 1974-75 में निरन्तर सूखा पड़ने और 1975-76 में सौराष्ट्र के अग्रभाग पर चक्रवात आंधी से प्रभाव पड़ने के कारण।

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की नई योजना

7706. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना तैयार की है तथा आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश की ग्रामीण जनसंख्या के लाभ के लिए देश भर में उक्त योजना लागू करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

आसनसोल में कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

7707. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बार-बार अभ्यावेदन देने के बाद रेल मंत्रालय ने असानोल में कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं के लिए तकनीक आर्थिक सर्वेक्षण की स्वीकृत प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण दल ने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्व रेलवे द्वारा प्रस्तावित सर्वेक्षण 1980-81 के बजट में शामिल किया गया है।

(ख) सर्वेक्षण किया जा रहा है और अगस्त, 1981 तक उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के कैटरिंग कर्मचारी

7708. **श्री राम बिलास पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4 के कैटरिंग कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे समस्तीपुर डिवीजन में श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4 के कैटरिंग कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या यह सच है कि प्रारंभिक भरती के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या में भरती नहीं की जाती ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अमृतसर स्टेशन का बुकिंग कार्यालय का निर्माण

7709. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर रेलवे स्टेशन पर एक बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय तथा गोल बाग की ओर उपरि-पुल के विस्तार के निर्माण कार्य में काफी विलम्ब हुआ है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ; और

(ग) इसे पूरा करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में यदि कोई तिथि निर्धारित की गई है तो वह क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) ; (क) से (ग) उक्त निर्माण कार्यों को पूरा करने में कुछ विलम्ब मुख्यत: सीमेंट और इस्पात की कमी के कारण हुआ था। बहरहाल, काम को जून, 1982 के अन्त तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को सवारी भत्ता न दिया जाना

7710. **श्री सतीस प्रसाद सिंह** : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को पिछले एक वर्ष से उनका मासिक भत्ता अदा नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसकी अदायगी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहान रंजन लास्कर) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

भाप के इंजन का कार्यकाल

7711. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाप के इंजन और डीजल तथा बिजली के इंजिनों के लिए कार्यकाल की कोई सीमा निर्धारित है;

(ख) इस समय भाप, डीजल और बिजली के कुल कितने इंजिन कार्यरत हैं;

(ग) इनमें से कितने भाप, डीजल और बिजली के इंजिन अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुके हैं ; और

(घ) क्या इन इंजिनों के निर्धारित कार्यकाल के पश्चात् प्रयोग में लाने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल इंजन कितने समय तक कार्य कर सकते हैं इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। फिर भी बदलाव आवश्यकताओं के कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए, विभिन्न वर्ग की परिसम्पत्तियों की सामान्य आयु निधारित की गई है। तदनुसार, भाप रेल इंजनों की आयु 40 वर्ष डीजल रेल इंजनों की 36 वर्ष तथा बिजली रेल इंजनों की 35 वर्ष है।

(ख) 1-3-81 को रेल इंजनों की कुल संख्या इस प्रकार थी :—

डीजल रेल इंजन—2410

बिजली रेल इंजन—1027

(ग) कोई भी डीजल रेल इंजन गतायु नहीं है, जबकि 19 डी० सी० बिजली रेल इंजन गतायु हो चुके हैं।

(घ) जी नहीं। रेल इंजनों तब तक ही सेवारत रखा जाता है जब वे सभी प्रकार से उपयुक्त होते हैं।

रायपुर में वैगन रिपेयर वर्कशाप का विकास

7712. श्री कँवर भूषण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैगन रिपेयर वर्कशाप, रायपुर के भावी विकास की योजना सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार तथा तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए पांच वर्ष पहले प्रशिक्षण केन्द्र बनाया गया था;

(ग) यदि हां, तो प्रशिक्षण केन्द्र में अभी तक कार्य आरम्भ क्यों नहीं हुआ है, जबकि इसकी इमारत का निर्माण हो गया है और वहां उपकरण भी पहुँच गये हैं;

(घ) प्रशिक्षण केन्द्र के कब चालू होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) माल-डिब्बा मरम्मत कारखाना, रायपुर में प्रतिदिन 30 माल डिब्बों के बजाय प्रतिदिन 55 मालडिब्बों उत्पादन करने के सम्बन्ध में कारखाने का विस्तार करने के लिए एक योजना अनुमोदित की गयी है। विस्तार कार्य के निष्पादन की समीक्षा की जा रही है।

(ख) प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आने वाले प्रशिक्षण देने के लिए 1975 में एक बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण किया गया था।

(ग) चूंकि रेलवे बोर्ड ने प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन अप्रैल 1977 में स्थगित कर दिया था, बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र ने काम प्रारम्भ नहीं किया।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में कोई तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण देने की योजना को कार्यान्वित करने का अभी तक कोई नियम निर्णय नहीं लिया गया है।

बड़े ठेकेदारों को रेलवे बुक स्टाल

7713. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1975 से पहले यात्री प्लेटफार्मों पर बने बुक स्टालों के कार्य का पूर्ण अधिकार विशेषतया बड़े ठेकेदारों को ही दिया जाता है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि जनवरी, 1976 के बाद खाली/निर्मितनव/बढ़ाये गये माल प्लेटफार्म से यात्री प्लटफार्म में परिवर्तित किये गये और प्रतीक्षा गृहों और रेलवे की समस्त इमारत में भी इन्हीं को एकाधिकार दिया जाता है;

(घ) क्या यह सच है कि इस समय दो बड़े ठेकेदार प्रत्येक बड़े या मध्यम श्रेणी के स्टेशन पर अनगिनित बुक स्टालों का ठेका लिए हुए हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि उसकी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बेरोजगार स्नातकों और बुक स्टालों के अन्य छोटे ठेकेदारों को केवल पाँच बुक स्टाल दिये जाएं और एकाधिकार भी इनको न दिया जाये; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बड़े या छोटे सभी बुक स्टाल ठेकेदारों के एकमात्र अधिकार धीरे-धीरे समाप्त किये जा रहे हैं। यहां तक कि मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी तथा मैसर्स गुलाब सिंह एण्ड सन्स के मामले में, एकाधिकार यद्यपि बिल्कुल समाप्त नहीं किये गये, निम्न सीमा तक कम कर दिये गये हैं :—

1. रेलें उन स्टेशनों पर भी, जो पहले उनके एकाधिकार में पड़ते थे, पात्र कोटियों को बुक स्टाल आबंटित कर सकती है बशर्ते कि उनके द्वारा कोई बुक स्टाल न खोला गया हो।

2. रेलें स्टेशनों में निर्मित/बढ़ाये गये नये प्लेटफार्मों और 1-1-1976 को या उसके बाद पाल से यात्रा प्लेटफार्मों में परिवर्तित प्लेटफार्मों में पात्र कोटियों को भी बुक स्टाल आबंटित कर सकती है, चाहे वहां इन ठेकेदारों के बुक स्टाल हों।

3. रेलें लोक हितैषी लाभ निरपेक्षी संगठनों, जैसे सर्व सेवा संघ प्रकाशन गीता प्रैस आदि को उन प्लेटफार्मों में भी बुक स्टाल आबंटित कर सकती है, जहां उक्त ठेकेदारों के बुक स्टाल हों।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) बुक स्टाल रखने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। फिर भी, वर्तमान नीति यह है कि बेरोजगार स्नातकों की सहकारिता समितियों/एसोसिएशनों और बुक स्टालों के वास्तविक कामगारों/वेंडरों सहकारी समितियों के अतिरिक्त, पहले से ही 5 या 5 से अधिक बुक स्टाल रखने वाले ठेकेदारों को छोड़कर अतिरिक्त बुक स्टाल आबंटित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा रेल मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेना आपेक्षित है।

कुछ व्यक्तियों के पास बुक स्टाल केन्द्रित न हो जायें, इसके लिए किसी ठेकेदार को नये एकाधिकार स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं।

रुट संख्या 20 पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों की आवर्तिता (फ्रीक्वेन्सी)

7714. **श्री नवलकिशोर शर्मा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूट संख्या 20 पर चल रही दिल्ली परिवहन निगम की बसों की अवर्तिता क्या है;

(ख) लालकिले के केन्द्रीय टर्मिनल तक रूट संख्या 20 पर पिछले एक वर्ष के दौरान कितने चक्कर नहीं लगे;

(ग) रूट संख्या 20 पर दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसें लगाई गई तथा इन बसों द्वारा कितने चक्कर लगाए गए;

(घ) क्या लघु मुद्रिका केन्द्रीय टर्मिनल के स्टैंड संख्या 20 के बस स्टैण्ड पर खड़ी न होकर, रूट संख्या 210, 220 और 240 के स्टैण्ड पर खड़ी होती है जबकि इसका स्टाप रूट संख्या 20 पर होना चाहिये क्योंकि इसका मार्ग दरियागंज और लालकिला होकर है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त बस को नियमित करने और लघु मुद्रिका का स्टाप रूट संख्या 20 बनायेगी; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) केन्द्रीय सचिवालय और रेलवे स्टेशन के बीच रूट नं० 20 की बसों की 13/26 मिनट की सेवा है।

(ख) 1980 में रूट नं० 20 पर बसों के निर्धारित फेरों, लगाये गए फेरों और जितने नहीं लगाए गए, उन फेरों की संख्या संबंधी सूचना नीचे दी गई है :—

	निर्धारित फेरे	लगाये गए फेरे	जितने फेरे नहीं लगाए गए	लगाए गए फेरों का प्रतिशत
1980 में कुल फेरों की संख्या	44990	38632	7358	84 प्रतिशत

(ग) दिल्ली परिवहन निगम ने रूट नं० 20 पर 6 बसें लगाई हैं और मार्च, 1981 औसत निर्धारित 90 फेरों की तुलना में प्रतिदिन केवल 79 फेरे लगाए गए। इस प्रकार परिचालन का प्रतिशत 88 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

(घ) जी, हां। केन्द्रीय टर्मिनल पर लघु मुद्रिका सेवा का स्टाप वही रखा गया है जहां रूट नं० 210, 220 और 240 की बसों का स्टाप है और ये सभी बसें अंतर्राज्यीय बस अड्डे और उसके आगे तक जाती हैं।

(ङ) और (च) केन्द्रीय टर्मिनल पर, लघु मुद्रिका, रूट नं० 20, 210, 220 और 240 की बसों के लिए अब एक ही स्थान पर स्टाप की व्यवस्था कर दी गई है।

यमुना विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक औषधालय खोलना

7715. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यमुना विहार के कर्मचारियों के हित के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एक औषधालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो यह वहां कब तक खोलने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) 1981-82 के दौरान नये औषधालय खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

बम्बई में विरार और चर्चगेट के बीच उपनगरीय रेलगाड़ियों के चलने की आवृत्ति

7716. श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में विरार और चर्चगेट के बीच उपनगरीय रेलागाड़ियों के चलने की वर्तमान आवृत्ति क्या है;

(ख) क्या इस आवृत्ति को बढ़ाने के लिए विरार तथा उसके समीप के स्थानों के लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो मांगों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उपनगरीय यातायात की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ई० ए० यू० एकक की संख्या में वृद्धि अपर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) व्यस्त अवधि के दौरान विरार आने जाने वाली उपनगरीय गाड़ियों की वर्तमान आवृत्ति 21 मिनट है। लेकिन व्यस्त अवधि के दौरान विभिन्न स्टेशनों के लिए चर्चगेट पर उप-नगरीय गाड़ियों की आवृत्ति 2 मिनट 20 सैकिन्ड है।

(ख) जी हां।

(ग) और (ङ) उपलब्ध समय संसाधनों के अन्तर्गत सभी महानगरीय केन्द्रों में उप-नगरीय गाड़ियों में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिजली गाड़ियों की वास्तविक उपलब्धता भी गाड़ियां बढ़ाने में एक कठिनाई है। सार्वजनिक क्षेत्र की सम्बद्ध यूनिटों विशेषकर बी० एच० ई० एल० के परामर्श से अधिकतम अतिरिक्त उत्पादन किया जा रहा है और बम्बई क्षेत्र के लिए बिजली उपस्कर का कुछ आयात भी आरम्भ कर दिया गया है।

उज्जैन के लिए सीटों का आरक्षण तथा नागदा में सर्वोदय एक्सप्रेस का स्टाप बनाना

7717. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में सर्वोदय एक्सप्रेस में उज्जैन के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं और उज्जैन जाने वाले यात्रियों के लिए नागदा में सर्वोदय एक्सप्रेस का स्टाप न बनाने के क्या कारण हैं;

(ख) सर्वोदय एक्सप्रेस कब चालू हुई थी और उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जिन पर यह उस समय रुकती थी और जिन पर यह अब रुकती है;

(ग) क्या प्रारम्भ में यह जिन स्टेशनों पर रुकती थी उनकी तुलना में जिन स्टेशनों पर यह अब रुकती है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उज्जैन जाने वाले यात्रियों के लिए नागदा में इसका स्टाप न बनाने का क्या औचित्य है जबकि यह स्टाप उसके लिए ज्यादा सुविधाजनक है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उज्जैन से अहमदाबाद जाने वाले और रतलाम में चढ़ने वाले यात्रियों के लिए 181 डाउन सर्वोदय एक्सप्रेस से दूसरे दर्जे के वातानुकूल शयनयान की दो शायिकाओं तथा दूसरे दर्जे में 20 शायिकाओं का कोटा निर्धारित किया गया है। 182 सर्वोदय एक्सप्रेस से उज्जैन के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) 1-5-79 से सप्ताह में दो बार चलने वाली 181/182 सर्वोदय एक्सप्रेस आणंद, बड़ोदरा, गोधरा, रतलाम और कोटा में ठहरती थी। इसके अतिरिक्त, इस समय में गाड़ियां नडियाड और मथुरा में भी रुकती हैं।

(घ) नागदा दिल्ली/नयी दिल्ली के साथ 4 जोड़ी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों तथा अहमदाबाद के साथ एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों से जुड़ा हुआ है। चूंकि 181/182 एक्सप्रेस गाड़ियां मुख्यतः नयी दिल्ली और अहमदाबाद क्षेत्र के बीच थू यात्रियों के लिए है, इन्हें नागदा में ठहराना वांछनीय नहीं है। चूंकि नडियाड से दिल्ली के लिए कोई सीधी सेवा नहीं , वहाँ 181/182 एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था की गई थी। 181/182 गाड़ियां पहले से ही परिचालनिक कारणों से मथुरा में रुकती थीं। बाद में यह ठहराव यात्री-ठहराव में बदल दिया गया।

चक्रधरपुर डिवीजन में गैंगमैन

7718. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चक्रधरपुर डिवीजन (दक्षिण-पूर्वी रेलवे) में कि ऐसे कितने गैंगमैन काम कर रहे हैं, जिन्हें तीन वर्ष की सेवा के बाद भी अब तक स्थायी नहीं किया गया है;

(ख) क्या रेलवे में इस आशय का कोई विनियम है कि तीन वर्षों की नियमित सेवा के बाद कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो चक्रधरपुर डिवीजन में इस विनियम को कार्यान्वित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन कर्मचारियों को रेलवे पास, रियायती टिकट, भविष्य निधि और चिकित्सा सहायता आदि की सुविधाएं प्राप्त हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण रेलवे के चक्रधरपुर मण्डल में रेल पथ पर 2350 ऐसे गैंगमैन काम कर रहे हैं जिनकी सेवा तीन वर्ष से अधिक है।

(ख) और (ग) कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। लेकिन, कारखाने के कारीगरों के मामले में, तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर लेने पर उन्हें स्थायी माना जाता है।

(घ) नैमित्तिक श्रमिकों से भिन्न, नियमित रिक्तियों में नियुक्त किए गए सभी कर्मचारी पास, सुविधा टिकट आदेश, भविष्य निधि, चिकित्सा सहायता आदि जैसे सभी लाभों के पात्र होते हैं। 120 दिन से अधिक की सतत सेवा के पश्चात् चालू लाइन के नैमित्तिक श्रमिक भी इन लाभों के पात्र हो जाते हैं।

वाराणसी रेलवे परिसरों में स्कूल

7719. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी रेलवे परिसरों में एक स्कूल चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसका नाम क्या है तथा रेलवे द्वारा इसे कितनी बार सहायता दी गई है तथा प्रत्येक बार कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्कूल का नाम बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित नाम क्या है और इसे कब तक बदले जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) आदर्श विद्यालय नाम का यह स्कूल 1964 से चलाया जा रहा था। रेलों ने इस स्कूल को तीन बार 10,000 रुपये, 1890 रुपये और 19806 रुपये की सहायता प्रदान की है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा इस स्कूल का नाम बदल कर कमलापति त्रिपाठी आदर्श विद्यालय इन्टर कालेज, उत्तर प्रदेश, वाराणसी कर दिया गया है।

डाक्टरों द्वारा आंदोलन तथा राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक

7720. **श्री वी० बी० देसाई** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरों तथा मेडिकल छात्रों द्वारा शुरू किया गया आन्दोलन सारे भारत में फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में डाक्टरों में आपसी असन्तोष पर चर्चा करने के लिए सरकार का विचार राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का है;

(ग) क्या अनेक राज्य सरकारें इस बैठक के लिए सहमत हो गई हैं;

(घ) यह बैठक कब होने की सम्भावना है; और

(ङ) किन विषयों पर चर्चा की जानी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कुछ राज्यों में डाक्टरों तथा मेडिकल छात्रों द्वारा विशिष्ट मुद्दों पर आन्दोलन चलाए गए हैं। यह सही नहीं है कि ऐसे स्थानीय आन्दोलन अखिल भारतीय रूप ले रहे हैं।

(ख) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

7721. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे खेल कूद नियंत्रण बोर्ड (एक) योग, (दो) शरीर सौष्ठव को अपने विषयों में मान्यता नहीं देता है;

(ख) क्या योग और शरीर सौष्ठव युवावर्ग में अधिक लोकप्रिय नहीं है;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से राज्य इन दोनों विषयों को खेल-कूद के विषय के रूप में मान्यता देते हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार (एक) योग (दो) शरीर सौष्ठव को रेलवे खेल कूद नियंत्रण बोर्ड द्वारा विषयों के रूप में शामिल करने का है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे खेलकूद नियंत्रण बोर्ड रेलों में उन्हीं खेलकूद की गतिविधियों पर विचार करता है जो अखिल भारतीय खेलकूद और शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त हैं। चूंकि अखिल भारतीय खेलकूद परिषद द्वारा योग को खेलकूद की गतिविधि के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, रेलवे खेलकूद कुछ नियंत्रण बोर्ड ने इसे रेलों की गतिविधि में शामिल नहीं किया है। लेकिन, बाडी बिल्डिंग रेलवे खेलकूद नियंत्रण बोर्ड के लिए मान्यता प्राप्त इवेन्ट है, जो प्रसंगवश भारतीय बाडी बिल्डिंग फैडरेशन का एक सदस्य है।

(ख) सम्बद्ध आंकड़े न होने के कारण इसकी लोकप्रियता का निर्धारण करना सम्भव नहीं है।

(ग) यह सूचना रेलवे खेलकूद नियंत्रण बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) जहां तक रेलों का सम्बन्ध है, प्रश्न (क) के उत्तर में दिए गये स्पष्टीकरण के कारण योग को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बाडी बिल्डिंग मान्यताप्राप्त इवेन्ट है।

करीमचन्द-सिल्चर और धरनगाँव के बीच अतिरिक्त गाड़ियों का चलाया जाना

7722. **श्री अजय बिश्वास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करीमगंज-सिल्चर और धरनगाँव के बीच यात्रियों की भारी भीड़ रहती है और यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर रेल डिब्बों की छतों पर बैठ कर यात्रा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार करीमगंज, सिल्चर और धरनगांव के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) करीमगंज-धर्मनगर (न कि धर्मगांव) और करीमगंज-सिल्चर खण्डों पर चलने वाली वर्तमान गाड़ी सेवायें इस खण्ड के यातायात की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करती हैं।

अहमदाबाद-कलकत्ता हावड़ा एक्सप्रेस का रद्द किया जाना

7723. श्री नरसिंह मकवाना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद और कलकत्ते के बीच चलने वाली हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी के रद्द किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस गाड़ी के रद्द किए जाने के कारण राजस्थान और गुजरात के यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यह गाड़ी पुन: कब तक चलाई जायेगी; और

(घ) रद्द न की जाने वाली गाड़ियों की सूचना में इस गाड़ी को सम्मिलित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) इंजन कोयले की भारी कमी के कारण, 133/134 अहमदाबाद-हवड़ा एक्सप्रेस गाड़ियों को 23-1-1981 से रद्द करना पड़ा। फिर भी, उन्हें 23-2-1981 से पुन: चला दिया गया है।

अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में औषधालयों में दवाइयों की कमी

7724. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों की कमी है और इस तथ्य की ओर भी दिलाया गया है कि औषधालयों के डाक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयों के स्थान पर रोगियों को खिड़कियों पर यहां तक कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में, लिखी गई दवाइयों के बदले बहुत ही हल्की दवाइयां लेने के लिए विवश किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि लिखी गई दवाइयां रोगियों को दी जायें तथा केवल वास्तविक दवाइयों को ही सप्लाई के लिये स्टोरों की समय-समय पर जांच की जाए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी नहीं है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में ब्राण्ड नाम वाली दवाइयों के बदले समान चिकित्सीय गुण वाली जातीय (जेनेरिक) नाम वाली दवाइयां दी जाती हैं। असली दवाइयों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए यथेष्ट उपाय किए जाते हैं।

रेलवे स्टेशनों पर उपरि पुल

7725. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणपूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और वाल्टेयर डिवीजनों में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आगमी दो वर्षों में कितने रेलवे उपरि पुल बनाने का विचार है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सुल्तानपुर में भी एक उपरी पुल का निर्माण करने का है जिसके लिये एक प्रस्ताव उनके मंत्रालय को पहले ही प्राप्त हो चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चक्रधरपुर मण्डल बोलनगीर और बरगढ़ रोड़ तथा वाल्तेरू मण्डल में श्री काकुलम रोड़ पर वर्तमान समपारों के बदले उपरी सड़क पुलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। चक्रधरपुर मंडल में चक्रधरपुर, चाइबासा कन्द्रा और सम्बलपुर तथा वाल्तेरू मण्डल में रायझाडों में ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्तावों की, रेलवे तथा राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है। जब कभी विस्तृत अभिकल्पों, आरेखणों, अनुमानों औरलागत का भाग वहन करनेसम्बन्धी शर्तों तथा निबन्धनों के बारे में अन्तिम निर्णय हो जाएगा और रेलवे तथा राज्य सरकार द्वारा इन पर आपस में। समझौता हो जायेगा, तो इन प्रस्तावों को रेलों के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाएगा

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मऊ-शाहगंज लाइन का बदला जाना

7726. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मऊ-शाहगंज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब मंजूरी दी गई थी और इसकी अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 मार्च, 1981 के 'इंडियन एक्सप्रेस' के (बम्बई संस्करण में) 'टू फेसिस आफ केदार पाण्डे' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मऊ से शाहगंज तक लाइन के आमान-परिवर्तन की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ख) से (घ) इस रेलवे लाइन के आमान-परिवर्तन की एक कहानी समाचार पत्रों में छपी थी।

केरल द्वारा प्रस्तुत की गई अन्तर्देशीय जल मार्ग योजना

7728. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम में पूवार जिले से लेकर होक्सदुर्ग कोने वाइन जिले तक अन्तर्देशीय जल मार्ग के विकास की योजना पेश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम जिले में पूवार से लेकर कुन्नूर जिले में होक्सदुर्ग तक अंतर्देशीय जल मार्ग के विकास के लिए जो वेस्ट कोस्ट कनाल के नाम से विख्यात है, केरल सरकार ने कोई योजना नहीं भेजी है। फिर भी, इस नहर के खंडों के जैसे माहे-बड़ागरा, नन्दाकरा-चेरीजखाल, त्रिवेन्द्रम-शेर्तालि के विकास के लिए पिछली योजनाओं में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में स्वीकृति दे दी गई है। केरल सरकार से क्विलोन और कोचीन के बीच नहर क विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शामिल छठी योजना में शामिल करने के लिए एक योजना प्राप्त हुई थी। परन्तु, अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए कम धनराशि के नियतन के कारण इस योजना को शामिल नहीं दिया जा सका है।

उत्तर-दक्षिण वार्ता के बारे में पश्चिमी जर्मनी के नेताओं के साथ हुई बातचीत

7729. **श्री माधवराव सिंधिया** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान उत्तर दक्षिण वार्ता पर नए सिरे से पहल करने के लिए मेक्सिको के शिखर वार्ता के प्रस्तावों के प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) उत्तर-दक्षिण शिखर वार्ता के लिए नवीनतम आशाएं क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) 4 से 9 मार्च, 1981 तक जर्मन संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के समय उनके साथ वहां के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री भी उनके साथ आये। उनसे जो बातचीत हुई उसमें उत्तर-दक्षिण वार्ता और वर्तमान गतिरोध को समाप्त करने की आवश्यकता तथा इस प्रयोजन के लिए नये सिरे से पहल करना भी शामिल था। राज्यों/सरकारों के अध्यक्षों के स्तर पर सहयोग और विकास के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय बैठक, जिसे सीमित मेक्सिको वार्ता कहा गया है, की आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। 13 मार्च, 1981 को इस विषय पर हुए द्वितीय विएना परामर्श के दौरान इस प्रश्न पर भी चर्चा हुई। भारत और जर्मन संघीय गणराज्य के विदेश मंत्रियों ने अन्य 9 विदेश मंत्रियों के साथ इस परामर्श में भाग लिया। इस सलाह मशविरे के फलस्वरूप, 22 और 23 अक्तूबर, 1981 को एक शिखर सम्मेलन करने का फैसला किया गया है। इससे पहले भाग लेने वाले देशों के विदेश मंत्रियों की अगस्त, 1981 में मेक्सिको में एक प्रारम्भिक बैठक होगी।

कोढ़ियों के इलाज के लिए स्वैच्छिक/सरकारी संगठनों विहीन क्षेत्र

7730. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों/इलाकों का पता लगाया है जहां कोढ़ियों के इलाज के लिए कोई स्वैच्छिक अथवा सरकारी संगठन नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रत्येक राज्य के स्थानिक मारी वाले क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या कवर होने की सम्भावना है उसका ब्योरा विवरण-एक पर है।

विवरण-एक

स्थानिक मारी जनसंख्या, कवर की गई जन संख्या तथा कवर न की गई जनसंख्या का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्थानिक मारी जनसंख्या (लाखों में)		1981 तक कवर की गई कुल जनसंख्या (लाखों में)		शेष 1981-85 तक कवर की जाने वाली स्थानिक मारी आबादी (लाखों में)	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	351.0	84.0	361.5	34.0	—	50.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.7	0.1	1.0	—	1.2	0.1
3.	असम	60.0	5.1	45.5	4.5	14.5	0.5
4.	बिहार	507.2	58.3	341.5	10.0	185.7	46.3
5.	गुजरात	96.8	30.6	102.5	10.6	—	20.6
6.	हरियाणा	5.0	1.0	0.5	0.5	4.5	0.5
7.	हिमाचल प्रदेश	28.6	1.6	14.5	0.5	14.0	1.1
8.	जम्मू व कश्मीर	12.6	1.0	10.5	1.0	2.0	—

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	कर्नाटक	171.3	42.0	212.5	20.0	—	21.9
10.	केरल	100.0	23.0	79.5	5.0	20.5	18.0
11.	मध्य प्रदेश	169.5	29.0	110.5	11.0	59.5	18.2
12.	महाराष्ट्र	328.7	144.3	307.0	27.5	21.7	118.8
13.	मणिपुर	9.3	1.4	8.5	0.5	0.8	0.9
14.	मेघालय	6.0	0.8	5.0	0.5	1.0	0.3
15.	नागालैण्ड	4.7	0.5	4.7	0.5	—	—
16.	उड़ीसा	147.0	13.0	169.5	2.5	—	10.5
17.	पंजाब	3.7	2.0	—	5.0	3.7	—
18.	राजस्थान	12.0	2.0	15.0	2.0	—	—
19.	सिक्किम	1.0	—	1.5	—	—	—
20.	तमिलनाडु	287.3	124.6	272.0	24.0	15.3	100.6
21.	त्रिपुरा	13.5	1.5	5.0	1.0	8.5	0.5
22.	उत्तर प्रदेश	346.8	35.7	296.5	25.0	50.3	10.7
23.	पश्चिम बंगाल	333.4	109.7	292.5	25.4	40.9	84.3
	संघ शासित क्षेत्र						
24.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.9	0.3	0.9	0.3	—	—
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	दादरा व नगर हवेली	0.1	—	—	—	0.1	—
27.	दिल्ली	—	1.0	—	0.5	—	0.5
28.	गोवा दमण व दीप	6.3	2.3	6.3	1.0	—	1.3
29.	लक्षद्वीप	0.3	—	—	—	0.3	—
30.	मिजोरम	0.3	0.1	2.5	0.4	—	—
31.	पांडिचेरी	2.7	2.0	2.7	1.0	—	1.0
	भारत	3008.1	717.0	800.3	214.0	446.6	506.6

रेल गाड़ियों का अनुरक्षण, देखरेख तथा सफाई

7731. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों का अनुरक्षण, देखरेख तथा सफाई संतोषजनक नहीं है और निरीक्षण रिपोर्टों से पता चला है कि इस सम्बन्ध में काफी गिरावट आई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लगभग सभी गाड़ियों की रसोई अस्वच्छ हैं और उनकी दीवारें गन्दी हैं, इसमें टूट-फूट, पुराने बर्तन हैं, डस्टर गन्दे हैं और यात्री डिब्बे भी गन्दे हैं तथा अन्दर से मद्दे हैं; और

(ग) क्या सकार का रसोई घर की स्वच्छता तथा रेल गाड़ियों में यात्रियों के लिए स्वस्थ, स्वच्छ और रुचिकर वातावरण सुनिश्चित करने के पहलुओं पर निरीक्षण प्रणाली में सुधार करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) निरीक्षण करने के लिए पहले ही एक सन्तोषजनक निर्धारित प्रणाली मौजूद है।

(घ) यांत्रिक, वाणिज्यक विभागों के अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा प्रारम्भिक मार्ग-वर्ती स्टेशनों पर आवंधिक और अचानक जांच की जाती है। गाड़ियों की मरम्मत और अनुरक्षण पर विशेष तथा व्यक्तिगत रूप से निगरानी रखने के लिए अलग-अलग अधिकारियों को महत्वपूर्ण गाड़ियां सोंपी गयी हैं। स्टेशनों तथा गाड़ियों में सफाई और अनुरक्षण का उपयुक्त स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाते हैं।

उड़ीसा में कुष्ठ रोगी

7732. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुष्ठ रोगियों की संख्या तीन लाख से भी अधिक है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या हिन्द कुष्ठ निवारण संघ की उड़ीसा राज्य की शाखा ने हालीवाडी स्वास्थ्य परियोजना के नाम से एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है जिसकी अनुमानित लागत लग-भग 10 लाख रुपए है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या राज्य के तीन लाख से भी अधिक कुष्ठ रोगियों के इलाज तथा स्वनियोजन के लिए इस परियोजना को लागू करने हेतु उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से अपेक्षित धन राशि मंजूर करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना के रूप में आरम्भ करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं। अनुमान है कि उड़ीसा में लगभग 2.37 लाख कुष्ठ रोगी हैं जिनमें से 1·41 लाख का पता लगाकर उपचार के लिए पंजीबद्ध कर लिया गया है। इस संख्या में वे 0.38 लाख व्यक्ति शामिल नहीं हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान रोग पर काबू पाये जाने/ठीक हो जाने/मर जाने के फलस्वरूप रिलीज/डिसचार्ज कर दिये गए हैं।

(ख) और (ग) एक प्रस्ताव मिला है जिसका उद्देश्य वर्तमान हाटीबाड़ी स्वास्थ्य गृह की पुनर्वास क्षमता को 200 से बढ़ाकर 1000 रोगी करना तथा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार सुविधाएं प्रदान करना है जिससे आरम्भ में 65.06 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत पर कार्यान्वित किया जाएगा और 22.24 लाख रुपये प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय होगा।

(घ) और (ङ) यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

खलीलाबाद में सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना

7733. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के खालीलाबाद में सवारी डिब्बे बनाने के एक एकक की स्थापना करने सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना पर कब तक काम शुरू हो जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) खलीलाबाद में एक सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने का रेलों का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, रेलों के सवारी डिब्बों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एक नयी रेल सवारी डिब्बा उत्पादन यूनिट की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराकाधीन है इस प्रस्ताव की योजना आयोग को उनकी स्वीकृत के लिए भेजा गया है। अभी तक इसके स्थान के सम्बन्ध में कोई निर्णय नही किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोच रिपेयर वर्कशाप

7734. **श्री प्रताप भानू शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार भोपाल के पास एक कोच रिपेयरिंग वर्कशाप की स्थापना करने का है और इसके लिए स्थल का चयन तथा परियोजना रिपोर्ट का प्रारम्भिक कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित वर्कशाप की लागत तथा क्षमता क्या है; और

(घ) इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) परियोजना का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) स्थान—भोपाल (निशातपुरा माल यार्ड के साथ लगा हुआ) ।

(2) क्षमता—इस कारखाने में प्रथम चरण में प्रतिदिन सवारी डिब्बों की 8 इकाइयों और दूसरे चरण में प्रतिदिन 16 इकाइयों की आवधिक ओवरहाल (पी. ओ. एच.) की जाएगी ।

(3) बजट की लागत—लगभग 18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी ।

(4) अपेक्षित भूमि—लगभग 400 एकड़ ।

(घ) इस कारखाने के प्रथम चरण को पूरा हो जाने पर लगभग 4000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो जाने की आशा है ।

मद संख्या 2, 6, 11 और 23 पर रेलवे की कार्यवाही

7735. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा (क) 59 डाउन/60 अप गीतांजली एक्सप्रेस की फ्रीक्वेन्सी बढ़ाने (2) बम्बई और पुणे के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने (3) बम्बई और कसारा के बीच अतिरिक्त उपनगरीय गाड़ियां चलाने और (4) दादर मुख्य लाइन रेलवे स्टेशन को स्थानीय स्टेशन में बदलने के बारे में प्राप्त सुझावों पर रेलवे की कार्यवाही पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि अभी तक कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसमें क्या दिक्कतें हैं और उनको दूर करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उठाये गये मुद्दे (1)	की गयी कार्रवाई (2)
मद-2-59 डाउन/60 अप गीतांजली एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाना ।	इस गाड़ी के फेरे बढ़ा कर इसे सप्ताह में चार दिन चलाया जा रहा है । इस गाड़ी के फेरों को और अधिक बढ़ाकर इसे प्रतिदिन चलाना, आवश्यक कोचिंग स्टाक तथा रेल इंजनों की कमी के कारण परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं पाया गया है ।

1	2

मद-6-बम्बई और पुणे के बीच एक नयी एक्सप्रेस गाड़ी चलाना।	चल स्टाक तथा रेल इंजनों की तंगी, घाट खंड जो कि अपनी चरम सीमा पर काम कर रहा है, में आवश्यक लाइन क्षमता की अनुपलब्धता जैसी अनेक कठिनाइयों के कारण तथा बम्बई तथा पुणे, दोनों जगह टर्मिनल सुविधाओं की कमी को देखते हुए इन स्थानों के बीच एक अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है। फिर भी, कुछ वर्ष पूर्व 309/310 सिंहगढ़ एक्सप्रेस में 2 दुमंजिले सवारी डिब्बे लगाने से कुछ राहत मिली है।
मद-11-बम्बई और कसारा के बीच अतिरिक्त उपनगरीय गाड़ियां चलाना।	बम्बई और कसारा के बीच अतिरिक्त उपनगरीय गाड़ियां चलाने के प्रश्न पर अतिरिक्त बिजली गाड़ी स्टाक प्राप्त होने तथा गतायु स्टाक के बदलाव की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अन्य मार्गों के साथ-साथ विचार किया जाएगा। बम्बई क्षेत्र, विशेषकर मध्य रेलवे पर बिजली गाड़ी उपनगरीय सेवाओं की ओर रेल मन्त्रालय ध्यान दे रहा है।
मद-23-दादर मेन स्टेशन स्थानीय स्टेशन के रूप में माना जाना चाहिए।	तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण दल ने दादर स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, दादर में अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये 245-00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। संसाधनों की तंगी के कारण इस काम को चालू वित्त वर्ष में लिया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

"बिग हाल आफ ड्रग्स" शीर्षक समाचार

7736. **श्री आरिफ मोहम्मद खान**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मार्च, 1971 के हिन्दू में "बिग हाल आफ ड्रग्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जो सरकारी और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के लिए रखी गयी दवाओं के दुरुपयोग के बारे में है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) और (ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हंसन पैसेंजर ट्रेन को पुनः चलाया जाना

7737. **श्री जो० वाई० कृष्णन**: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हंसन पैसेंजर ट्रेन सेवा कब तक पुनः चलाए जाने की संभावना है?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : इस समय कोयले की भारी कमी के कारण हसन को सेवी 5 जोड़ी सवारी गाड़ियों में से, 2 जोणी अर्थात् 275/276 हसन-सकलेशपुर पैसेंजर और 279/280 मैसूर-आरसीकेरे । पैसेंजर गाड़ियां अस्थायी रूप से रद्द की गयी हैं । 285/286 मेंगलूर-बँगलूरु फास्ट पैसेंजर गाड़ी फिर से चला दी गयी है । लोको कोयले की उपलब्धता में सुधार होते ही इस कारण रद्द की गयी सवारी गाड़ियों को उत्तरोत्तर फिर से चला दिया जाएगा ।

अजमेर डिवीजन में माध्यमिक स्कूल

7738. श्री भीखा भाई : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन मुख्यालय में कितने कर्मचारी हैं और उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वहां कितने प्रवर प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल हैं;

(ख) क्या प्रवर प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों की संख्या वहां छात्रों, रेल कर्मचारियों के बच्चों की संख्या के अनुपात से है;

(ग) क्या वहां रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद और आगे शिक्षा पाने की कोई सुविधा नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां कुछ प्रवर प्राथमिक स्कूल तथा माध्यमिक स्कूल खोलने का है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पश्चिम रेलवे के अजमेर-मंडल मुख्यालय में रेल कर्मचारियों की संख्या 2415 है । अजमेर में 26 अपर प्राइमरी और 10 से 15 माध्यमिक स्कूल हैं ।

(ख) ऐसा कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

रेजीडेंसी के वर्तमान कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में बदलना

7739. श्री जनार्दन पुजारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चिकित्सा स्नातकों के लिए इंटर्नशिप और रेजीडेंसों के वर्तमान कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में बदलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठती ।

खाड़ी के युद्ध में भारतीयों को हुई हानि

7740. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी के युद्ध के दौरान भारतीयों, भारतीय फर्मों तथा ईरान और इराक में बसे भारतीयों को जान माल की कितनी हानि हुई; और

(ख) उन्हें राहत पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य के लिए क्या विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) ईरान-इराक युद्ध के दौरान अब तक कुल मिलाकर 17 भारतीय मारे गये हैं और एक लापता बताया जाता है। इस क्षेत्र में बराबर लड़ाई चलती रहने की वजह से सम्पत्ति के नुकसान का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) इस क्षेत्र में स्थित हमारे मिशनों के स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता से उन भारतीयों को निकासी/पारगमन वीसा जारी किए हैं और जिन भारतीयों के पास ऐसे कागजात नहीं थे उन्हें मौके पर ही यात्रा संबंधी दस्तावेज जारी करने का प्रबंध किया है। स्थानीय भारतीय समुदाय तथा भारतीय कम्पनियों की सहायता से सीमा-चौकियों पर भोजन, पानी और जलपान की व्यवस्था की गयी थी। आवश्यक होने पर हवाई अड्डों तक के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की गयी। हमारे मिशनों की सीमा पार से लोगों के प्रत्यावर्तन की गति को विनियमित करने के लिए भी समन्वय किया जिससे अनुसूचित तथा विशेष उड़ानों में उनकी निर्बाध निकासी का सुनिश्चित किया जा सके। जिन कम्पनियों के समक्ष धनाभाव की समस्याएं थीं, उन्हें एयर इंडिया के माध्यम से बार की सुविधायें दिलवाई गयीं। निष्कासित लोगों के प्रवेश तथा अड्डों तक ले जाने के लिए सभी प्रबंध किए गए थे। जो भारतीय मारे गए वे सभी प्राइवेट कम्पनियों अथवा इराक के सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी थे। इन मामलों में मुआवजों के दावे संबंधित इराकी विनियमों के अन्तर्गत उनके नियोक्ताओं द्वारा पेश किए गए हैं और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उन पर विचार किया जा रहा है। माल के नुकसान का जायजा ले लिए जाने के बाद उसके मुआवजे के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

राजस्थान नहर के लिए सीमेंट की वैगनें

7741. श्री राजेश कुमार सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गत एक वर्ष के दौरान राजस्थान नहर परियोजना हेतु सीमेंट और कोयला ले जाने के लिए दिए गये रेलवे-वैगनों को किन्हीं अन्य स्थानों को भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने वैगन अन्यत्र भेजे गए हैं; और

(ग) राजस्थान नहर परियोजना हेतु सामग्री भेजने के लिए वैगनों की मांग की पूर्ति करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, जिससे कि कार्य की समयानुसार प्रगति होती रहे ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश दिए जा चुके हैं कि राजस्थान नहर के लिए सीमेंट, कोयले, आदि जैसे अनिवार्य सामान की मांगें प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जायें।

बर्दवान-दुर्गापुर-आसनसोल सेक्शन पर उपनगरीय गाड़ियां प्रदान करना

7742. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे के बर्दवान-दुर्गापुर-आसनसोल सेक्शन पर उपनगरीय गाड़ियों की सुविधायें प्रदान करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो लम्बे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) इस मांग को पूरा करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) जी हां।

(ख) और (ग) इस मांग को स्वीकार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

मेचेडा स्टेशन पर बुकिंग की व्यवस्था

7743. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के मेचेडा तथा पांसकुरा स्टेशनों पर बुकिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं है और विशेष रूप से पान के पत्तों के उत्पादकों का उक्त स्टेशनों से रेलवे के माध्यम से अपने उत्पाद भेजने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो मेचेडा तथा पांसकुरा स्टेशनों पर वर्तमान बुकिंग व्यवस्था सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दक्षिण पूर्व रेलवे ने मेचेडा और पांसकुड़ा स्टेशनों से विभिन्न गाड़ियों द्वारा पान के पत्तों के यातायात को ढोने के लिए एक लदान कार्यक्रम बनाया है और यह कार्यक्रम उपलब्ध यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

खराब माल डिब्बों की मरम्मत के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग

7744. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल की ढुलाई की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से देश में बड़े पैमाने पर माल डिब्बों के उत्पादन में कठिनाइयों के कारण, सरकार ने निजी

क्षेत्र का सहयोग चाहा है कि वे सामने आयें और खराब माल डिब्बों की मरम्मत करने में मदद करें;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी क्षेत्र ने अनुकूल उत्तर दिया है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र के सहयोग के जरिए इन खराब माल डिब्बों की मरम्मत करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो अगले दो वर्षों के दौरान, वर्ष-वार ऐसे कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र से सम्पर्क नहीं स्थापित किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वैगन फैक्टरियां

7745. **श्री राजेश पाइलट** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वैगन फैक्टरियों की कुल संख्या, उनकी क्षमता तथा उनका वास्तविक उत्पादन क्या रहा है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उनमें से कितनी फैक्टरियां बन्द पड़ी रहीं और इसके कारण क्या हैं;

(ग) पिछले तीन महीनों के दौरान उत्पादन में वृद्धि करने तथा वैगनों की मरम्मत करने के लिए क्या उपाय किए गए और उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) लघु क्षेत्र के उद्योगों में वैगनों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विवरण-1 संलग्न है।

(ग) 1980-81 के अन्तिम तीन महीनों के दौरान माल डिब्बों का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

महीना	(वास्तविक उत्पादन)
जनवरी, 1981	1050
फरवरी, 1981	1157
मार्च, 1981	1680

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि अन्तिम तीन महीनों के दौरान उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि रही है।

जहां तक माल डिब्बों की मरम्मत का सम्बन्ध है, विवरण-2 रूप में एक नोट संलग्न है।

(घ) चूंकि माल डिब्बों के निर्माण में भारी वित्तीय निवेश आवश्यक होता है, अत: लघु उद्योगों में माल डिब्बों का उत्पादन नहीं किया जा सकता।

विवरण-1

(क) और (ख) माल डिब्बा निर्माण कारखानों की संख्या, उनकी वार्षिक स्थापित क्षमता और विगत तीन वर्षों की अवधि में उत्पादित माल डिब्बों की संख्या नीचे दी गयी है :—

(आंकड़े चौपहियों के हिसाब से)

कारखाने का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन		
		1978-79	1979-80	1980-81
सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने				
1. भारत वैगन एंड इंजीनियरी कं० लि० मुजफ्फरपुर	1000	563	402	438
2. भारत वैगन एंड इंजीनियरी कं० लि०।मोकामा	1500	400	202	312.5
3. ब्रेथवेट, कलकत्ता	3000	1658	812	303
4. बर्न/बर्नपुर	3911	1554	1526	1767.5
5. बर्न/हवड़ा	4750	1293	942	1920
6. जैसप, कलकत्ता	3279	—	—	7
प्राइवेट क्षेत्र के कारखाने				
7. सिमको, भरतपुर	2000	2348	1795	952.5
8. एच जी आई, नांगलोई	1000	96	129	54
9. माडर्न इंडस्ट्रीज, साहिबाबाद	2000	657	588	835
10. टेक्समाको, कलकत्ता	3600	1867	2777	3864.5
जोड़	26,040	10,436	9,173	10,454
11. रेल कारखाने	2000	1586	1454	1610
कुल जोड़	28,040	12.022	10,827	12,064

विगत तीन वर्षों की अवधि में उन फर्मों के नाम जो बन्द रहीं तथा उनके बन्द होने के कारण संक्षेप में नीचे दिये गये हैं :—

फर्मों का नाम	बन्द रहने की अवधि	संक्षिप्त कारण
1	2	3
1. मै० सिमको, भरतपुर	6-10-80 से 8-2-81 तक	श्रमिक आंदोलन और तालाबन्दी
2. मै० हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज, नांगलोई	15-5-78 से 4-8-78 तक	अस्थायी छंटनी
"	8-1-79 से 19-3-78 तक	श्रमिक हड़ताल
"	10-9-80 से 31-3-81 तक	"
3. मै० भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कं० लि०, मोकामा	31-8-79 से 9-9-79 तक	तालाबन्दी
"	29-9-79 से 29-10-79 तक	"
"	28-7-80 से 25-9-80 तक	हड़ताल पर

विवरण-2

माल डिब्बों की मरम्मत में सुधार करने के लिए किये गये उपाय

भारतीय रेलों के माल डिब्बा बेड़े की आवधिक ओवर हाल मरम्मत कारखानों में की जाती है। इस प्रयोजन के लिए बड़े आमाल प्रणाली के माल डिब्बों, जो कुल माल डिब्बों का 80 प्रतिशत बैठते हैं, की मरम्मत के लिए 12 प्रमुख कारखाने हैं। इन मरम्मत कारखानों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से पिछले तीन महीनों में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) क्षरण तथा अन्य संरचना संबंधी खराबियों के कारण माल डिब्बों की अपेक्षित भारी मरम्मत के लिए, 9 बड़े कारखानों में राजस्व अनुमानों के माध्यम से कारखानों में अलग से सुविधाओं का सृजन तथा उनकी स्थापना की गई है। अलग से किए जा रहे भारी काम के प्रभावस्वरूप माल डिब्बों की सामान्य दशा में पहले से सुधार हुआ है और आवधिक ओवरहाल का अधिक काम हुआ है।

(2) 1979-80 और 1980-81 में अधिकांश उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में प्रमुख समस्या बिजली की कमी रही। इस प्रकार की पावर की कमी को दूर करने के लिए प्रभावित

कारखानों ने उपलब्ध सहायक बिजली जनित्र उपस्कर से बिजली की सप्लाई बढ़ा दी है। बिजली जनित्रों के लिए सहायक अतिरिक्त उपस्कर की स्वीकृति भी दी जा चुकी है।

(3) अन्य समस्या जिसका रेलों को सामना करना पड़ा वह थी दक्षिण पूर्व और उत्तर रेलवे जैसे कुछ क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त और लदान के अयोग्य माल डिब्बों का एकत्रित हो जाना। इस स्टाक को पश्चिम, दक्षिण और मध्य रेलों जैसी अन्य रेलों को भेजकर, जो इनकी मरम्मत करने की स्थिति में थीं, इस समस्या पर काबू पा लिया है।

की गई इन कार्यवाहियों का मुख्य प्रभाव यह रहा कि रेलवे कारखानों में उत्पादन बढ़ गया है।

मीठा करने वाले प्रतिबन्धित पदार्थों का उत्पादन

7746. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में अनेक छोटे कारखाने बड़े पैमाने पर पैराफेथाडाइन को डालसिन, जो मीठा करने वाला एक प्रतिबन्धित पदार्थ है, में बदल रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रतिबन्धित वस्तु का इलेक्ट्रोप्लेटिंग पाउडर और डी-पाउडर के नाम से दिल्ली में थोक बाजार में बेचा जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों का बस स्टापों पर न रुकना

7747. **श्री राम अवध :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम कि अधिकांश बसें नियमित स्टापों अथवा संकेत पर स्टापों पर नहीं रुकती हैं जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान पर ध्यान देगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीबूटा सिंह) : (क) दिल्ली परिवहन निगम की बसें अक्सर ठीक स्थानों पर ही खड़ी होती हैं, यद्यपि कुछ बसें ठीक स्टापों पर खड़ी न करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम ने बसों को ठीक स्थानों पर खड़ी करना सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) व्यस्ततम समय के दौरान नगर के मुख्य स्टापों पर 25 लाइन-मैन नियुक्त किए गए हैं ताकि बसों का ठीक स्टापों पर रुकना सुनिश्चित किया जा सके। यह उस चेकिंग स्टाफ के अलावा है, जो यातायात की सुव्यवस्था करने और ठीक स्टापों पर बसें खड़ी करने आदि की जाँच करने के लिए पहले ही नियुक्त कर रखा है।

(2) तीन मोबाइल चैकिंग दस्तो को, लाईन पर बसों का ठीक स्टापों पर रोकना सुनिश्चित करने का काम पहले ही सौंप रखा है। पुलिस विभाग के साथ की गई व्यवस्था के अधीन दिल्ली परिवहन निगम के मोबाईल दस्तो के साथ पुलिस के हैड-कास्टेबलों को रखा गया है ताकि तीन पहियों वाले स्कूटरों, मिनी बसों और अन्य प्राइवेट गाड़ियों, बसों के ऐसे चालकों का चालान किया जा सके जो अनधिकृत रूप से दिल्ली परिवहन निगम के बस स्टापों पर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तथा निगम की बसों को ठीक स्टापों पर खड़ी करने में रुकावट पैदा करते हैं।

(3) दो दस्ते अभी हाल ही में बनाए गए हैं ताकि वे अनन्य रूप से बसों का ठीक स्टापों पर खड़ी किए जाने की जाँच करें और दोषी ड्राइवरों का चालान करें।

(4) ड्राइवरों को फिर से अनुदेश जारी किए गए हैं कि ऐसे ड्राइवरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी जो ठीक स्थानों पर बसें खड़ी नहीं करेंगे।

(5) बसें खडी करने के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया है ऐसे छह प्रमुख स्थानों पर बसें रुकने की जगहों पर सफेद रंग कर दिया गया है।

(6) बसों पर चढ़ने के लिए जहाँ यात्री पंक्तियों में खड़े होते हैं ऐसे नये शैल्टरों में रेलिंग की व्यवस्था की गई है ताकि पंक्ति की उचित व्यवस्था कायम रहे और बस स्टैण्डों पर जहां यात्रियों की पंक्तियाँ होती हैं वहां बसें ठीक एक सिरे पर खड़ी की जा सकें।

गोआ में सड़कों के लिए रखी गई धनराशि

7748. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के लिए गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए कुल कितना आबंटन किया गया है;

(ख) कुल परिव्यय में से गोवा में सड़कों के लिए कितनी धनराशि रखी गई है; और

(ग) संघ राज्य क्षेत्र में दूरवर्ती क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़क संचार के द्रुत विकास के लिए क्या विशेष उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) योजना आयोग ने गोआ, दमन और दीव के लिए छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के लिए 192 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमोदन किया है जिसमें सड़कों और पुलों के लिए 16 करोड़ रुपये हैं।

(ग) गोआ सरकार ने धनराशि के उपलब्ध होने पर 100 या इससे अधिक आबादी वाले सभी गांवों को बारह-मासी सड़कों से आपस में मिला देने का प्रस्ताव किया है।

अहमदाबाद मेल का पटरी से उतर जाना और पुराने रेल मार्ग का बदला जाना

7749. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस दुर्घटना की ओर दिलाया गया है जिसमें मार्च, 1981 के तीसरे सप्ताह में गुड़गांव-गढ़ही हरसरु के बीच अहमदाबाद मेल के आठ सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण रेल मार्ग का बहुत पुराना होना है;

(ग) यदि हां, तो इन रेल मार्गों को, जो खतरनाक स्थिति में है बदलने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीति क्या है; और

(घ) ऐसे कितने रेलमार्ग हैं जिन्हें खतरनाक घोषित किया गया है लेकिन जिन्हें बदला नहीं गया है और इन्हें न बदलने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मार्च, 1981 के तीसरे सप्ताह में गुड़गांव और गढ़ी हरसरु स्टेशनों के बीच अहमदाबाद मेल की कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। लेकिन 19-3-81 को रेवाड़ी-दिल्ली सराय रोहिल्ला खंड के पातली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें माल गाड़ी के आठ माल डिब्बे पटरी से उतर गये थे। इस दुर्घघटना की जाँच की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन, प्रथम दृष्टया यह दुर्घटना यांत्रिक उपस्कर की खराबी के कारण हुई थी।

(ग) और (घ) रेलपथ का नवीकरण एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1981-82 में रेलपथ नवीकरण के लिए, धनराशि का शुद्ध निर्याजन वर्ष 1980-81 के 70 करोड़ रुपये बढ़ाकर 110 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि 1980-81 की तुलना में अधिक रेलपथ का नवीकरण किया जा सके।

लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा बुलाई गई बैठक

7750. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लन्दन में प्रमुख भारतीय संगठनों ने प्रधान मंत्री से ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान अप्रवासीय और नस्ली सम्बन्धों सेसम्बन्धित प्रस्तावित नये राष्ट्रीयता कानून और अन्य मुद्दों पर दृढ रुख अपनाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) (क) यूनाइटेड किंगडम स्थिति भारतीय हाई कमीशन में उत्प्रवासन, जातीय सम्बन्धों तथा राष्ट्रीकता कानून के सम्बन्ध में भारतीयों की सम-

स्थाओं पर विचार विनिमय के लिए 29 मार्च, 1981 को यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख भारतीय संगठनों के प्रतिनिधियों तथा कुछ प्रमुख भारतीयों के साथ एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में इस बात पर आम सहमति थी कि भारतीय हाई कमीशन राष्ट्रियता कानून, जातीय सम्बन्धों तथा आप्रवासन की समस्याओं से सम्बन्धित मामलों पर ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय समुदाय की तीक्ष्ण भावना से हमारी प्रधान मंत्री को अवगत कराए ताकि ब्रिटिश प्रधान मंत्री को भारत यात्रा के दौरान इन मामलों पर विचार किया जा सके।

(ख) जहां तक भारत सरकार की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है, इन सभी मामलों को भारत सरकार ने विभिन्न स्तरों पर ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ उठाया है। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रिकता विधेयक में चार संशोधनों का प्रस्ताव किया है जिससे इस विधेयक की भेदभाव सम्बन्धी कुछ बातें कम हो जायेंगी।

दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य जातियों के चीफ क्लर्क

7751. **श्री थाझाई एम० करुणानिधि** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के एस० एन्ड टी० डिपार्टमेंट में चीफ क्लर्क के पद पर तदर्थ आधार पर 1971 से अब तक पदोन्नति किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य जाति के कर्मचारियों के नाम पते आदि क्या हैं और वे कि रोस्टर पोइन्ट के आधार पर नियुक्त किये गये;

(ख) 1971 से अब तक एस० एंड टी० डिपार्टमेंट में हेड क्लर्क के रूप में काम कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बारे में नाम आदि का विवरण क्या है और किस-किस तारीख से काम कर रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1971 के बाद बोर्ड के दिनांक 11 नवम्बर 1968 और 10 दिसम्बर, 1971 के पत्रांक ई (एम० सी० टी०)/68/सी० एम०/5/12 के अनुसार एस० एंड टी० डिपार्टमेंट में चीफ क्लर्क पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के नाम पते आदि क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दक्षिण रेलवे के सिगनल और दूर संचार विभाग में 1971 के बाद रोस्टर पाइन्ट्स के सम्बन्ध में अन्य वर्गों/अ० जा०/अ० ज० जा० के जिन कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर मुख्य क्लर्क के रूप में पदोन्नति दी गयी है, का विवरण नीचे दिया गया है :—

रोस्टर पाइन्ट संख्या	नाम
1 (अ० जा०)	जे० एम० जार्ज (अन्य वर्ग)
2	एम० कृष्णास्वामी (अन्य वर्ग)
3	एन० एस० अरुणाचलम (अ० जा०)

	रोस्टर पाइन्ट संख्या	नाम
4	(अ० ज० जा०)	एम० कृष्णास्वामी (अन्य वर्ग)
5		एम० कृष्णास्वामी (अन्य वर्ग)
6		टी० वाई० नारायण (अ० ज० जा०)
7		एम० कृष्णास्वामी (अन्य वर्ग)
8	(अ० ज०ा)	एम० एस० अरुणाचलम (अ० जा०)
9		एम० कृष्णास्वामी (अन्य वर्ग)
10		एम० आर० रामाराव (अन्य वर्ग)
11		वी० एम० कृष्णन (अ० जा०)
12		वी० चक्रमणि (अन्य वर्ग)
13		एन० एस० अरुणाचलम (अ० जा०)
14	(अ० जा०)	मोहम्मद अब्दुल करीम (अन्य वर्ग)
15		वी० चक्रपाणि (अन्य वर्ग)

(घ) 1971 के बाद से अनु० जाति/अनु० जनजाति के उन कर्मचारियों का ब्यौरा जो सिगनल और दूर संचार विभाग में प्रधान क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं तथा उन तिथियों का ब्यौरा जब से वे काम कर रहे हैं नीचे दिया गया है :—

(1) पी० पोन्निह (अ० जा०)	31-3-1974 से
(2) एन० एस० अरुणाचलम (अ० जा०)	18-9-74 से
(3) वी० एम० कृष्णन (अ० जा०)	24-1-77 से
(4) के० भास्करन (अ० जा०)	30-3-77 से
(5) श्रीमती उमा गणेश (अ० जा०)	11-9-78 से
(6) के० विश्वनाथन (अ० जा०)	20-2-79 से
(7) एम० सुन्दर राव (अ० ज० जा०)	5-10-79 से

यात्रा भत्ते का भुगतान

7752. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेलवे कर्मचारियों को यात्रा भत्ते की अदायगी वेतन के साथ करने के आदेश जारी कर दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस आदेश को पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे तथा अन्य जोनल रेलों में क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलवे बोर्ड द्वारा रेल कर्मचारियों के वेतन के साथ यात्रा भत्ते का भुगतान करने के कोई

आदेश जारी नहीं किये गये थे। बहरलाल, बोर्ड ने 1961 में विभिन्न रेलों को इस आशय के अनुदेश जारी किये थे कि प्रत्येक रेलवे पर किसी एक महीने के यात्रा भत्ते के भुगतान की व्यवस्था अगले दूसरे महीने के अन्त तक अवश्य कर दी जानी चाहिए। इन अनुदेशों के बावजूद यह नोट किया गया था कि यात्रा भत्ते के भुगतान में विलम्ब के सम्बन्ध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं और बोर्ड ने यात्रा भत्ते का जल्दी भुगतान करने के लिए अपनाये जाने वाले विभिन्न वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने के बाद रेलों को सुझाव दिया कि वे यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते को अगले दूसरे महीने के वेतन और भत्तों के नियमित मासिक बिलों में शामिल करने के बारे में विचार करें ताकि वेतन लिपिकों को बार-बार न जाना पड़े और वेतन लिपिकों द्वारा छोटे स्टेशनों पर यात्रा भत्ते का भुगतान करने के लिए आने पर कर्मचारियों के बाहर होने के कारण उन्हें अपने यात्रा भत्ते को प्राप्त न करने के कम से कम अवसर हों। बहरहाल, सुझायी गयी पद्धति को अपनाना महाप्रबन्धकों के स्व-विवेक पर छोड़ दिया गया था सामान्यतया रेलवे बोर्ड द्वारा यात्रा भत्ते का भुगतान दूसरे आगामी महीने के वेतन के साथ भुगतान करने के सुझाव को दक्षिण पूर्व रेलवे सहित अधिकांश रेलों ने अपना लिया है। लेकिन पूर्व रेलवे पर यह पद्धति कुछ कर्मचारियों के लिए ही अपनायी गयी है। शेष कर्मचारियों को अगले महीने में यात्रा भत्ते का भुगतान किया किया जाना जारी है और अगले दूसरे महीने के वेतन/मजूरी के साथ नहीं दिया जाता है।

(ग) पूर्व रेलवे ने, जिसने इस पद्धति को पूर्णतया नहीं अपनाया है, सुनिश्चित किया है कि मौजूदा तंत्र की सहायता से वह यात्रा भत्ते का अधिक तत्परता से भुगतान करने में समर्थ है और कर्मचारी अपेक्षाकृत अधिक सन्तुष्ट हैं।

जोनल आधार पर ट्रेन एग्जामिनरों की वरिष्ठता

7753. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि कुछ जोनल रेलों में 550-750 रु० के ग्रेड में ट्रेन एक्जामिनरों की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता जोनल आधार पर निर्धारित की जाती है; और

(ख) उन रेलों के नाम क्या हैं जिनमें डिवीजनल आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाता है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

ड्रेसरों के लिए पदोन्नति के अवसर

7754. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करने वाले ड्रेसरों के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं और वे उसी पद से सेवा निवृत्त हो जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा ड्रेसरों के लिए पदोन्नति के अवसर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक उनमें से कितने ड्रेसरों को उसका लाभ दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

के० स० स्वा० सेवा औषधालयों का कार्य समय

7755. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के० स० स्वा० सेवा के कुछ औषधालयों का कार्य-समय प्रात: 7 बजे से 1 बजे सायं और 1 बजे सायं से 7 बजे सायं कर दिया गया है जोकि कर्मचारियों और रोगियों दोनों के लिए ही सुविधाजनक है;

(ख) यदि हां, उन औषधालयों के नाम क्या हैं जिनमें यह कार्य-समय लागू कर दिया गया है; और

(ग) इस कार्य-समय को के० स० स्वा० सेवा के सभी औषधालयों में लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) आजमायश के तौर पर थोड़े से औषधालयों में काम के संशोधित घंटे शुरू कर दिए गये हैं।

(ख) काम के संशोधित घंटे निम्नलिखित पांच औषधालयों में लागू किए गये है :—

1. वेलजली रोड
2. रामकृष्ण पुरम-।
3. जनकपुरी
4. किंगस्वे कैम्प
5. शाहदरा

(ग) अन्य यूनिटों में भी यह व्यवस्था शुरू करने सम्बन्धी निर्णय लेने से पहले इस प्रयोग के परिणामों को अभी कुछ देर और देखना होगा।

अलाभप्रद रेल लाइनों का आर्थिक भार

7756. **श्री के० मालन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि अलाभप्रद रेल लाइनों के कारण रेलवे पर पड़ने वाले आर्थिक भार को सम्बद्ध राज्य सरकारों को वहन करने के लिए दे दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जुलाई 19 6 में रेल अभिसमय समिति ने सिफारिश की थी कि यदि अलाभप्रद शाखा लाइनें आवर्ती हानियों के बावजूद भी अनिश्चित काल तक जारी रखी जाती है और उनके अर्थक्षम होने

की कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती, तो वे प्राधिकरण जो इन लाइनों को जारी रखने की इच्छा रखते हों, उन्हें रेलों पर होने वाली अपरिहार्य हानियों के लिए भागीदार होना चाहिए। इस सिफारिश के अनुसरण मे रेलों ने अलाभप्रद शाखा लाइनों की अलोचनात्मक और यथार्थ समीक्षा की थी और ऐसी 23 लाइनों का पता लगाया था जो बन्द किये जाने लायक थीं। इस सम्बन्ध में जून 1978 में राज्य सरकारों से इन अलाभप्रद शाखा लाइनों को बन्द करने या इन लाइनों के चालू रखने से रेलों को होने वाली हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए सहमत होने के बारे में पत्र व्यवहार किया गया था। जिन राज्य सरकारों से अभी तक उत्तर प्राप्त हो चुके हैं उनमें से किसी ने भी लाइनों के बन्द किये जाने या रेलों की होने वाली हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए सहमति नहीं दी है।

भारत-सोवियत रूस की संयुक्त परियोजनाएं

7758. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस द्वारा सहायता दी गई परियोजनाओं का स्वरूप और ब्यौरा क्या है और परियोजनावार वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं के लिए सोवियत रूस द्वारा परियोजनावार दी गई वित्तीय सहायता क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

हरियाणा राज्य के लिए नसबन्दी का लक्ष्य

7759. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1980-81 के लिए हरियाणा राज्य के लिए नसबन्दी का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है ; और

(ग) शेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1980-81 में राज्य के लिए 53,700 नसबन्दी आपरेशनों का लक्ष्य रखा गया है किन्तु राज्य से मिले अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष फरवरी, 1981 तक वहां कुल 28,994 नसबन्दी आपरेशन किए गए हैं।

(ग) सरकार की नीति यह है कि सभी वर्गों के लोगों को जानकारी, शिक्षा और प्रेरणा देकर उन्हें अपना परिवार छोटा रखने पर राजी किया जाए और इसी ध्येय की पूर्ति पर यथा-सम्भव अधिकाधिक बल दिया जा रहा है।

पर्यटक परमिटों पर निजी बस स्वामियों द्वारा ले जाए गए यात्री

7760. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ निजी बस स्वामी दिल्ली परिवहन प्राधिकरण से एक अथवा दो दिन के लिए (पर्यटक) लाइसेंस प्राप्त करते हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों विशेषकर गढ़वाल जिले में यात्रियों को ले जाते हैं जब कि यह यात्री पर्यटक नहीं होते ;

(ख) क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

सरकारी औषधि भण्डार डिपो कर्मचारी संघ, मद्रास के पांचवें वार्षिक सम्मेलन में पारित संकल्प

7761. **श्री थाझाई एम० करुणानिधि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी औषधि भण्डार डिपो कर्मचारी संघ, मद्रास के पांचवें वार्षिक सम्मेलन में क्या संकल्प पारित किये गये;

(ख) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो वर्कर्स यूनियन, मद्रास ने अक्तूबर, 1980 में अपने पाचवें वार्षिक सम्मेलन में अनेक संकल्प पारित किए। इन संकल्पों में अनेक मुद्दे उठाए गए हैं संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र में प्रतिनिधित्व "ग" और "घ" समूह के पदों के भर्ती नियमों का संशोधन जिससे पदोन्नति के अधिक अवसर मिलें, बोनस का भुगतान, दैनिक मजदूरों को सेवा प्रमाणपत्र जारी करना, मृतक कर्मचारियों के बेटो/बेटियों को रोजगार देना, कुछेक पृथककृत पदों के वेतनमानों का संशोधन आदि। जो मांगे इस मंत्रालय के कार्यक्रम में आती हैं, उन पर भारत सरकार के विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेशों और अनुदेशों के अनुसार विचार किया जा रहा है।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चल रही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की गैर-सरकारी बसों की संख्या

7762. **श्री थाम्बाई एम० करुणानिधि** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत कितनी गैर-सरकारी बसें चल रही हैं; और

(ख) इन बसों में से कितनी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) 8-4-1981 को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चल रही प्राईवेट बसों की संख्या इस प्रकार है :—

स्टैंडर्ड साइज की बसें :

1. किलोमीटर योजना—ए	357
2. किलोमीटर योजना—बी	24
	381

मिनी बसें :

1. किलोमीटर योजना—सी	117
2. किलोमीटर योजना—डी	2
3. ए० ओ० सी० स्कीम—	96
कुल :	596

(ख) दिल्ली परिवहन निगम योजना के अधीन चल रही स्टैंडर्ड साइज की 381 बसों में से 42 बसें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की हैं। इसके अलावा, दिल्ली परिवहन निगम के अधीन बसों के रूट अलाट करने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से 47 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और उनके साथ उनकी जमानत राशियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन इनकी बसें अभी तक नहीं प्राप्त हुई हैं।

आदिवासी क्षेत्रों की विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में राज्यों को मार्गदर्शी निदेश

7763. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाबधि में आदिवासी क्षेत्रों की विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने के लिए राज्यों को कोई मार्गदर्शन या मार्गदर्शी निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस मार्गदर्शन का स्वरूप क्या है;

(ग) आदिवासी क्षेत्रों की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने के लिए किन-किन राज्यों को चुना गया है और किन-किन रोगों का पता लगाया गया है;

(घ) पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाओं की वार्षिक योजनाओं में इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए उनके मंत्रालय और राज्यों ने 1980-81 और 1981-82 के लिए क्या राशि रखी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कार्यरूप देने के बारे में जहां कहीं आवश्यकता थी, इस मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा राज्यों को उपयुक्त दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों में आदिवासी जनसंख्या के स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी स्थिति का अध्ययन शुरू किया। मध्य प्रदेश में तो यह अध्ययन 1-8-1981 से चल रहा है परन्तु उड़ीसा में इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जानी है। इन अध्ययनों के परिमाणों की प्रतीक्षा की जा रही है और उनसे पता चलेगा कि इन राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में कौन-कौन से रोग होते हैं।

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों आदि का जाल सा बिछाकर आदिवासी क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों के लोगों की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए इन क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों की स्थापना करने लिए मानदण्डों में ढील दे दी गई है। इन मानदण्डों के अधीन आदिवासी क्षेत्रों में बीस हजार आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और तीन हजार की आबादी के लिए एक केन्द्र खोला जायेगा जबकि अन्य क्षेत्र के मामलों में जनसंख्या क्रमशः तीस हजार और पाँच हजार होगी। इसके अलावा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न ग्राम स्वास्थ्य योजनाओं के अधीन आदिवासी क्षेत्रों को तरजीह देने और इन योजनाओं के कार्यान्वयन में ढील देने के बारे में हिदायतें पहले से ही हैं।

(ङ) विवरण-एक और विवरण-दो संलग्न हैं। एक में 1980-81 और 1981-82 के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों को अलाट किया गया धन दिखाया गया है और और दूसरे में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा आदिवासी सब-प्लान क्षेत्रों के लिए अलाट किए गए धन को दर्शाया गया है।

विवरण-एक

1980-81 और 1981-82 के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलाट किए गए धन का विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1980-81	1981-82
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	742.28	55.00
2.	असम	—	22.90
3.	बिहार	—	264.27
4.	गुजरात	—	203.00
5.	हिमाचल प्रदेश	—	14.05
6.	कर्नाटक	—	—
7.	केरल	9.35	—
8.	मध्य प्रदेश	323.18	640.00
9.	महाराष्ट्र	127.33	—
10.	मणिपुर	—	—
11.	मेघालय	—	—
12.	नागालैंड	—	—
13.	उड़ीसा	157.70	247.00
14.	राजस्थान	85.63	—
15.	तमिलनाडु	31.50	—
16.	त्रिपुरा	—	—
17.	उत्तर प्रदेश	3.510 (*एस० सी० ए०)	—
18.	पश्चिम बंगाल	—	—
19.	अरुणाचल प्रदेश	—	125.00
20.	गोआ, दमन तथा दीव	—	—
21.	मिजोरम	—	137.00
22.	दादर व नगर हवेली	—	14.00
23.	लक्षद्वीप	—	10.00

विवरण-दो

केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के अधीन आदिवासी सब प्लान क्षेत्रों के लिए अलाट किए गए धन का विवरण

1980-81

क्रम सं०	कार्यक्रम	धन की व्यवस्था (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	जन स्वास्थ्य रक्षक सेवा	400.00
2.	बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और रोजगार	153.34
3.	दृष्टि विकार और दृष्टि हीनता निवारण	45.00
4.	टी० वी० नियंत्रण	17.32
5.	कुष्ठ नियंत्रण	40.00
6.	सम्भोगजन्य रोगों का नियंत्रण	1.66
7.	राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण)	461.63
8.	फाइलेरिया नियंत्रण	2.00

1981-82

क्रम सं०	कार्यक्रम	धन की व्यवस्था
1	2	3
		(रुपये लाखों में)
1.	जन स्वास्थ्य रक्षक	556.70
2.	बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता	152.15
3.	राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण (ग्रामीण)	938.15
4.	टी० बी०	25.51
5.	कुष्ठ	38.00
6.	फाइलेरिया	2.47
7.	संघ शासित क्षेत्रों में स्कूल स्वास्थ्य	0.42
8.	संघ शासित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो	1.30
9.	संघ शासित क्षेत्रों के आदिवासी खण्डों में परम्परागत चिकित्सा पद्धति और होम्यो-पैथी के औषधालय	0.48

1	2	3
10.	सम्भोग जन्म रोग नियंत्रण और प्रशिणार्थियों को छात्रवृत्ति	0.79
11.	अतिसार रोगों के नियंत्रण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिक्षा	1.50
12.	केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	0.46
13.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की 120 छात्रवृत्ति योजना	0.50
14.	परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से न्यूक्लीयर मेडिसिन का अध्ययन	0.03
15.	जवारलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	2.67
16.	आदिवासी क्षेत्रों/अनुसूचित जातियों के लिए स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान केन्द्रों सहित स्वास्थ्य रूपरेखा	3.97
17.	स्वास्थ्य आसूचना	3.11
18.	अनुसूचित जाति।अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ योजना सेल	0.48
19.	आयुर्वेद का उच्च स्तरीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान, केरल	—
20.	केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्	3.00
21.	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	4.00
22.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	4.00

जनजातीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन

†7764. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन के बारे में जनजातीय विकास विषयक कार्यदल (1978-83) द्वारा की गई सिफारिश का पता है;

(ख) सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों का जाल फैलाने के लिये योजना तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिये क्या कदम उठाये हैं और राज्यों को इस बारे में क्या मार्गदर्शी निर्देश दिये हैं;

(ग) उनके मंत्रालय ने वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की और 'रिलीज' की; और

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा इन वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों के लिये राज्य क्षेत्र परिव्यय से कितनी धनराशि उपलब्ध की गई ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के विषय में राज्यों की वार्षिक योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन सड़कों का सम्बन्ध है, उनमें ऐसी कोई जनजातीय उप-योजना नहीं है। तथापि, मन्त्रालय के सड़क विकास कार्यक्रम में विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र सड़क योजनाएं जैसे राजमार्ग, सामरिक महत्व की सड़कें, अन्तर्राज्यीय सड़कें और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कें, महत्वपूर्ण सीमा सड़कें, विभिन्न सड़क प्रसारों सहित देश में पूरी तरह से जनजातीय क्षेत्र में पड़ने वाले या गुजरने वाले पुल सम्मिलित हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में .979-80 में। केन्द्रीय क्षेत्र सड़कों पर व्यय 6.10 करोड़ रुपये था और इतनी ही राशि 1980-81 के दौरान खर्च होने की सम्भावना है। यह भी अपेक्षा की जाती है कि 1981-82 में भी इतनी ही राशि व्यय की जाएगी। छठी योजना के प्रारूप में राज्य-जनजातीय क्षेत्र योजनाओं या केन्द्रीय क्षेत्र सडक योजनाओं के अन्तर्गत न आने वाले जनजातीय क्षेत्रों में चुनिंदा सड़कों तथा पुल के कार्यों को विशेष रूप से वित्तीय सहायता देने के लिए 6.50 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

2. राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित राज्य सरकारों की जनजातीय उप-योजनाओं के सम्बन्ध में, राज्य सरकार राज्य क्षेत्र के व्यय में से सड़क निर्माण पर खर्च करती हैं और कुछ मामलों में वे गृह मन्त्रालय द्वारा दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता का भी उपयोग करती हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में रेल लाइनें

7765. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के विस्तार कार्य में अब तक कोई विशेषता नहीं आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन रेल लाइनों के नाम क्या हैं जो राज्यवार, आदिवासी क्षेत्रों से गुजरती हैं;

(घ) आदिवासी क्षेत्रों में किन नई रेलवे लाइनों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि मन्त्रालय ने सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार कर लिया था कि पांचवीं योजना और छठी योजना अवधि में आदिवासी क्षेत्रों के लिये रेलवे के कुल विकास वार्षिक व्यय की लगभग 20 प्रतिशत राशि निर्धारित की जायेगी; और

(च) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिये आदिवासी क्षेत्र की रेल लाइनों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। यह इस तथ्य के कारण है कि रेलों का विकास राज्यवार/क्षेत्रवार के आधार पर नहीं किया जा सकता हैं। पहले देश की आवश्यकता का मूल्यांकन जाता है और योजना आयोग द्वारा उपलब्ध सीमित संसाधनों के अन्तर्गत ही रेलवे के समग्र विकास के लिए निर्णय लिया जाता है। नयी रेलवे लाइनों की योजना का सम्बन्धित क्षेत्रों को परिवहन आवश्यकताओं के साथ निकट का सम्बन्ध होता है। वर्तमान रेलवे कि० मी० दूरी के बजाय प्रत्याशित यातायात की पर्याप्त नयी लाइन परियोजनाओं पर विचार करने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धान्त है।

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में होकर गुजरने वाली राज्यवार नयी रेल लाइनों के नाम नीचे दिये गये हैं :—

क्रम सं०	रल लाइनों का विवरण	दूरी किलोमीटर	राज्य का नाम
1.	पठानकोट—जोगिन्दर नगर	25	पंजाब/हिमाचल प्रदेश
2.	लमडिंग—बदरपुर	185	असम
3.	लमडिंग—चपरमुख	50	असम
4.	धर्मनगर—कल कालीघाट	30	असम/त्रिपुरा
5.	गोमो—आसनसोल	40	पश्चिम बंगाल/बिहार
6.	खड़गपुर—झारसागुडा	320	पश्चिम बंगाल/बिहार/उड़ीसा
7.	राउरकेला—रांची	165	बिहार/उड़ीसा
8.	राउरकेला—बारसो	75	उड़ीसा
9.	टाटानगर—बदम पहाड़	89	बिहार/उड़ीसा
10.	राज खरसवान—गोआ—बोलानी	122	बिहार/उड़ीसा
11.	राउरकेला—बिरमित्रापुर	27	उड़ीसा
12.	पदपड़—बांसपानी	29	बिहार/उड़ीसा
13.	रुपसा—बांगरी पोसी	10	उड़ीसा
14.	बिमलागढ़—किरिबुरु	41	उड़ीसा/बिहार
15.	नवागांव—पुरनापानी	10	उड़ीसा
16.	बोरीउन्ड—बिश्रामपुर	99	मध्य प्रदेश
17.	अनूपपुर—कटनी	130	,,
18.	बिलासपुर—चम्पा	55	,,
19.	बिलासपुर—रायपुर	55	,,

1	2	3	4
20.	बिलासपुर—अनूपपुरा	50	मध्य प्रदेश
21.	नैनपुर—सिवनि	75	,,
22.	जबलपुर—गोंदिया	90	,,
23.	नैनपुर—मंडला	43	,,
24.	आमला—इटारसी	40	,,
25.	आमला—परसिया	25	,,
26.	खण्डवा—मुसावल	40	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र
27.	खण्डवा—अकोला	80	,,
28.	भिलाई—डल्ली राजहरा	25	,,
29.	विजयनगरम—टीटलागढ़	125	आंध्र प्रदेश/उड़ीसा
30.	नौपाड़ा—गुनुपुर	25	,,
31.	कोट्टूवलासा—किरनुडल	420	आंध्र प्रदेश/उड़ीसा/मध्य प्रदेश
32.	काजीपेट—बल्हारशाह	85	आंध्र प्रदेश/महाराष्ट्र
33.	मुदखेड—आदिलाबाद	45	महाराष्ट्र
34.	मट्टुपलायम—औटाकामंडु	6	तमिलनाडु
35.	आपता—रोहा	62	महाराष्ट्र
36.	वणी—चनाका (पीपल कोठी तक)	67	,,
37.	नडियाद—कपडवंज—भौदेसा	105.14	गुजरात
38.	गुवाहाटी—बरनीहाट	28.21	असम/मेघालय
39.	धर्मनगर—कुमारघाट	33.51	त्रिपुरा
40.	बलिपारा—भालुकपोंग	33.45	असम/अरुणाचल प्रदेश
41.	सिलचर—जिरिबम	50.36	असम/मणिपुर
42.	आमगुड़ी—तुली	17.07	असम/नागालैंड
43.	लालघाट—सैराबी	48.77	असम/मिजोरम
44.	भद्राचलम—मनुगुरु	52.00	आंध्र प्रदेश

(घ) आदिवासी क्षेत्रों में नयी रेल लाइनों के लिए प्रारम्भ किये गये सर्वेक्षण और उनकी वर्तमान स्थिति—

क्रम सं०	विवरण	दूरी किलोमीटर में	राज्य	वर्तमान स्थिति
1.	रतलाम-बांसवाड़ा लाइन के डूंगरपुर तक बढ़ाना	ए० एल० टी०-I 79.00 ए० एल० टी०-II 96.00	मध्य प्रदेश राजस्थान	यह लाभकारी नहीं पायी गयी इसलिए इसका निर्माण नहीं किया गया।
2.	दुमका के रास्ते मन्दार हिल सेंथिया वैद्यनाथ धाम—हजारीबाग से रामपुरहाट और देवगढ़ से दुमका के रास्ते रामपुरहाट को एक शाखा लाइन बिछाना	382.00	बिहार	पहले किया गया सर्वेक्षण लाभप्रद पाया गया। बहरहाल देवगढ़ दुमका (63 कि० मी०) हजारीबाग टाउन के रास्ते रांची-गिरिडिह (223 कि० मी०) और मधुपुर दुमका (59 कि मी०) के लिए एक नया प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का कार्य 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है। मन्दरहिल वैद्यनाथधाम तक 59 कि० मी० लम्बी बड़ी लाइन की सर्वेक्षण रिपोर्ट फरवरी, 1981 में प्राप्त हो गयी जिसकी जांच की जा रही है।
3.	खलीलाबाद-बलरामपुर	245.23	उत्तर प्रदेश	इसे लाभप्रद नहीं पाया गया अतः इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया।
4.	काजीपेट (हसनपर्ती रोड़) करीमगंज-जनतिमाल-निजामाबाद	204.00	आन्ध्र प्रदेश	पहले किया गया सर्वेक्षण लाभ प्रद नहीं पाया गया। बहरहाल निजामाबाद से रामागुडेम तक 155 कि० मी० एक बड़ी लाइन के पूर्व सर्वेक्षण को अद्यतन करने का काम को 1980-81 के बजट में शामिल कर लिया गया है और इस पर काम हो रहा है।

1	2	3	4	5
5.	कोरबा-लोहारडागा रांची	381.00	मध्यप्रदेश/बिहार	पहले किया गया सर्वेक्षण लाभ प्रद नहीं पाया गया । बहरहाल रांची लोहारडागा को मीटर लाइन से बड़ी लाइन (69 कि० मी०) में बदलने और इसे तोरी (30 कि० मी०) तक बढ़ाने के लिए पूर्व सर्वेक्षण को अद्यतन करने का काम 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है ।
6.	ढल्ली-राजहरा जगदलपुर	235.00	मध्यप्रदेश	इस लाइन को छठी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था । लेकिन छठी योजना आयोग द्वारा नयी योजनाओं के लिए आबंटित की गई सीमित धनराशि के कारण इस परि-योजना को शामिल नहीं किया जा सका ।
7.	दांतवाड़ा-सूकमा-नरसापटनम	177.6	मध्यप्रदेश/ उड़ीसा/ आंध्र प्रदेश	इसे लाभप्रद नहीं पाया गया इसलिए इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया ।
8.	बरवाड़ी-करौजो	187.00	बिहार/मध्य-प्रदेश	विश्राम-अम्बिकापुर अम्बिकापुर सारनदी, सारनदी-बरवादी (137 कि० मी०) पर इंजीनियरिंग क्षेत्र कार्य पूरा कर लिया गया है । शेष खण्ड पर इंजीनियरी क्षेत्र निर्माण कार्य और यातायात क्षेत्र निर्माण कार्य किये जा रहे हैं । इसे पूरा करने की निर्धारित तारीख जून, 1981 है ।

1	2	3	4	5
9.	सम्भलपुर तालचेर	157.68	उड़ीसा	प्रस्तावित सम्पर्क लाइन की सर्वेक्षण रिपोर्ट की हाल ही में विस्तृत रूप से जांच की गयी है और इस जांच के परिणामस्वरूप यह विनिश्चय किया गया है कि आगे की कार्यवाही करने से पहले रेल प्रशासन द्वारा यातायात, सम्भावनाओं की पुनरीक्षा की जाय/यह पुनरीक्षा 30 जून 1981 तक पूरी कर ली जायेगी ।

(ङ) और (च) जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है । रेल अवसंरचनाओं के विकास का मूल्यांकन राज्य क्षेत्र अथवा प्राप्त के आधार पर नहीं किया जाता । यह परिवहन सुविधाओं के लिए मितव्ययिता की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है । अत: क्षेत्र विशेष के लिए एक विशिष्ट धनराशि आवंटित करने की प्रणाली नहीं है । प्रत्याशित यातायात की मात्रा को सम्हालने के उद्देश्य से नयी अथवा पूरक क्षमता उत्पन्न करने की आवश्यकता के आधार पर रेल क्षमता का सृजन और धन आवंटित किया जाता है ।

डोंड शैडों में रिक्त पद

7766. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री डिविजनल मैनेजर, मध्य रेलवे, को प्राप्त ज्ञापन के बारे में 18 सितम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4445 के उत्तर में संबंध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डोंड स्थित शैडों में रिक्त पदों को भरने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यदि अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 7 और रिक्तियों को भरा जा चुका है और अन्य दो रिक्तियों के भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है । जहां तक शेष पदों का सम्बन्ध है, अर्हता प्राप्त उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है ।

बम्बई वी० टी० पर उपनरीय टर्मिनस

7767. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई वी० टी० के उपनगरीय टर्मिनस के पुन: आयोजन का प्लान मध्य रेलवे द्वारा तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना को कब कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) इस परियोजना पर वित्तीय खर्च का अनुमान क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बेहतर आदान और निकासी के लिए दोतरफा प्लेटफार्म बनाने के लिए बम्बई वी० टी० उपनगरीय यार्ड के ढांचे में परिवर्तन करने के काम को 1977-78 के बजट में शामिल किया गया था । फिर भी दैनिक यात्री यातायात में गम्भीर व्यवधान डाले बिना, वर्तमान यातायात परिस्थितियों में यार्ड के ढांचे में परिवर्तन करने में विभिन्न कठिनाइयों के कारण स्थल पर काम की प्रगति न हो सकी । अब तक नई योजना का विकास किया गया है जिसके अन्तर्गत कारनक बन्दर स्थित माल शैड को पश्चिम रेलवे पर एक वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा । इस तरह के खाली हुए स्थान पर बम्बई वी० टी० यार्ड में उपनगरीय लाइनों में से एक को ब्लाक करने के लिए एक अतिरिक्त प्लेटफार्म तथा लाइन की व्यवस्था की जाएगी ताकि अनुमोदित योजना में प्रगति हो सके । इस काम की अनुमानित लागत 9.6 करोड़ रुपये है ।

बम्बई वी० टी० को पुनः डिजाइन बनाया जाना

7769. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई वी० टी० उपनगरीय टर्मिनस के डिजाइन को चर्च गेट की रूपरेखा पर (दोहरी डिस्चार्ज सुविधा वाले) पुनः बनाने की योजना गत कुछ वर्षों से तैयार है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेल प्रयोक्ता निरन्तर यह मांग कर रहे हैं कि वी० टी० स्टेशन के मस्जिद छोर पर एक निकास (पुल अथवा उप-रास्ता) का रास्ता बनाया जाये;

(ग) इन दो आवश्यकताओं में से किसी एक को भी पूरा न करने के क्या कारण हैं;

(घ) इन सुविधाओं के कब उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) इस परियोजना पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) बेहतर आदान और निकासी के लिए दोतरफा प्लेटफार्म बनाने के लिए बम्बई वी०टी० उपनगरीय यार्ड के ढांचे में परिवर्तन करने के काम को 1977-78 के बजट में शामिल किया गया था। फिर भी दैनिक यात्री यातायात में गंभीर व्यवधान डाले बिना, वर्तमान यातायात परिस्थितियों में यार्ड के ढांचे में परिवर्तन करने में विभिन्न कठिनाइयों के कारण, स्थल पर काम की प्रगति न हो सकी। अब तक नई योजना का विकास किया गया है जिसके अन्तर्गत कारनक बन्दर स्थित माल शैड को पश्चिम रेलवे पर एक वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा । इस तरह से खाली हुए स्थान पर बम्बई वी० टी० यार्ड में उपनगरीय लाइनों में से एक को ब्लाक करने के लिए एक अतिरिक्त प्लेटफार्म तथा लाइन की व्यवस्था की जाएगी ताकि अनुमोदित योजना में प्रगति हो सके । इस काम का अनुमानित लागत 9.6 करोड़ रुपये है ।

विदेशों को भेजे गए सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मण्डल

7769. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा (एक) अमरीका (दो) जापान (तीन) यूरोपीय देशों (चार) कनाडा (पांच) दक्षिण पूर्व ऐशियाई देशों और (छः) चीन को, वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान प्रत्येक देश को भेजे गए भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मण्डलों के सदस्यों के नाम क्या हैं और वे कितने समय के लिये गये;

(ख) क्या उपरोक्त देशों में किन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं अथवा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन के लिए चुना गया था;

(ग) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है और क्या इस बारे में कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराये गए हैं;

(ध) यदि हां, तो प्रत्येक प्रतिनिधि-मण्डल के दौरे का संक्षिप्त विवरण क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-2370/81**]

(ख) ये मंचीय कलाकार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तत्वाधान में भारतीय संस्कृति के प्रसार के निमित्त विदेश गए थे। कलाकारों को अलग-अलग भी उनकी अपनी-अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों के अध्ययन के लिए भेजा गया था जैसे जर्मन जनवादी गणराज्य में रंगमंच, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में नृत्यकला, हंगरी में डिजाइन और स्वीडन में कठपुतली नृत्य।

(ग) से (ङ) मंचीय कलाकारों की यात्राओं पर हमें अपने मिशनों से रिपोर्टें प्राप्त होती हैं जिनमें अखबारों की प्रतिक्रिया और कतरनें आदि भी शामिल होती हैं। जहां तक अलग-अलग जाने वाले यात्रियों का प्रश्न है इस प्रकार की रिपोर्ट इन यात्रियों द्वारा स्वयं अथवा विदेश स्थित हमारे मिशन द्वारा दी जाती हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अथवा प्रतिनिधिमंडल को यात्री का उद्देश्य संलग्न विवरण के कालम 5 में बताया गया है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का गठन

7770. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1981 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की रचना क्या है और परिषद का गठन कब हुआ था; और

(ख) पिछले तीन वर्ष अर्थात 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान परिषद के प्रकाशन, विदेशी प्रतिनिधि-मण्डल/देशों के साथ किए गए समझौतों सहित इस की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 31 मार्च, 1981 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की सहायता और शासी निकाय के मौजूदा गठन के दो विवरण संलग्न हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संविधान के प्रावधानों के अनुसार परिषद के इन दो निकायों का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए 24.8.1978 को किया गया।

(ख) इस परिषद का विदेशी सरकारों के साथ होने वाले सांस्कृतिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने से कोई संबंध नहीं है। यह कार्य शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय करता है। तथापि संसार के कई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद हमारा मुख्य अभिकरण है। इस अवधि के दौरान परिषद ने भारत और उसके पड़ोसी देशों तथा दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका में तीसरे विश्व के देशों के बीच निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन कर सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाया :—

व्यक्तियों और कलाकार प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान; अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों और प्रदर्शनियों की व्यवस्था; भारत में आने वाले और यहाँ से बाहर जाने वाले व्यक्तियों तथा दलों के लिए अभिविन्यास पाट्यक्रमों का आयोजन, विदेशों में अतिथि प्रध्यापकों और वक्ताओं की प्रतिनियुक्ति, फीजी, सूरीनाम और गुयाना में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों का प्रबंध, संसार भर में पुस्तक-उपहार कार्यक्रम, भारत में विदेशी विद्यार्थियों का कल्याण और भारतीय संकृति के विभिन्न पक्षों पर आठ त्रैमासिक पत्रिकाओं तथा 16 पुस्तकों का प्रकाशन।

विवरण-1

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की महासभा का गठन (1978-81)

1. अध्यक्ष

   श्री पी. वी. नरसिंह राव, विदेश मंत्री

2. उपाध्यक्ष

   श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय

   डा० करण सिंह, संसद सदस्य

   श्री आर० डी० साठे, विदेश सचिव

3. सदस्य-सचिव

   श्रीमती मनोरमा भल्ला, सचिव, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद।

   वित्तीय सलाहकार

   श्री आर० पटनायक, वित्तीय सलाहकार, विदेश मंत्रालय।

5. भारत सरकार के मनोनीति अधिकारी

श्री आर० डी० साठे, विदेश सचिव

शिक्षा सचिव

श्री वी. वेंकटरामण, सचिव, पर्यटन तथा नागर विमानन विभाग

श्री ए. के. दत्त, सचिव, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

प्रो० एम. जी. के. मेनन, सचिव विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग

6. लोकसभा के मनोनीत सदस्य

श्री एन. डी. तिवारी, योजना व श्रम मंत्री

श्री इन्द्रजीत गुप्ता, संसद सदस्य

राज्यसभा के मनोनीत सदस्य

श्री नरेन्द्र सिंह, संसद सदस्य

7. तीन राष्ट्रीय अकादमियों के प्रतिनिधि

श्री आर. एस. केलकर, मंत्री, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली।

श्री जे. स्वामीनाथन, सी-55, साउथ एक्सटेंशन (पार्ट-1), नई दिल्ली।

श्री एच. के. रंगानाथ, 49, 1 मेन मारूति एक्सटेंशन।

श्री वेमापुरम, बंगलौर।

8. अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मनोनीत सदस्य

डा० करण सिंह, संसद सदस्य।

श्री धर्मवीर भारती मुख्य संपादक, धर्मयुग, बम्बई।

श्रीमती दीना अहमदुल्ला, 12, पंकज महल, चर्चगेट रिक्लेमेशन, बम्बई।

श्रीमती शान्ति सादिक अली, राजभवन, मद्रास।

श्री राजेन्द्र पुरी, सी-506, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली।

श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, अध्यक्ष, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली।

श्री अरविंद एन. मफतलाल, मफतलाल हाऊस, डांकवे रिल्केमेशन, बम्बई।

श्री बी. सी. वरघेस, फेलो, गांधी पीस फाउंडेशन, नई दिल्ली।

श्री श्याम बेनेगल, 103, संगम, 6, देशमुख मार्ग, बम्बई।

श्री जैनेन्द्र कुमार, पूर्वोदय प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली।

9. शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठनों के मनोनीत अधिकारी

डा० बी. के. थापर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली।

डा० आर. एन. डांडेकर, भंडारकर आरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे।

न्यायमूर्ति शरीफद्दीन अहमद, निदेशक, देरातुल मीटिफ,उसमानिया, हैदराबाद।

श्रीमती ऊषा के. लूथरा, वरिष्ठ उप-निदेशक (सी. ए. आर.), इंडियन कौंसल आफ मेडीकल रिसर्च, नई दिल्ली।

प्रो० एल. एस. वेंकटरमण, अंग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट एंड रूरल ट्रांस्फरमेशन यूनिट, इंडियन इंस्ट्रीट्यूट आफ सोशल एंड इकोनोमिक चेंज, बंगलूर के सीनियर फेलो और अध्यक्ष निदेशक, इण्डियन कौंसल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली।

श्री ओ. एस. नमबूद्रीपाद, अध्यक्ष, केरल कला मंडलम बल्लाथोत नगर, केरल।

डा० शिव मिश्र, निदेशक, एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली।

श्री अशोक चटर्जी, कार्यकारी निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद।

श्री जे. जे. भाभा, न्यासी प्रभारी, नेशनल सेंटर फार परफोर्मिंग आर्ट्स, बम्बई।

डा० आर. के. दास गुप्ता, निदेशक, नैशनल लाईब्रेरी, कलकत्ता।

श्री बी० पी० पोद्दार, फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कलकत्ता।

डा० एन. पी. सिहारे, निदेशक, नैशनल गेलरी आफ माडर्न आर्ट, नई दिल्ली।

श्री राधाकृष्ण, अध्यक्ष, गांधी पीस फाँउन्डेशन, नई दिल्ली।

श्री आई. जे. बहादुर सिंह, इंडियन कौंसल फार वर्ल्ड अफेयर्स, सप्रू हाऊस, नई दिल्ली।

श्री एकनाथ राणाडे, अध्यक्ष, विवेकानन्द राक मेमोरियल एंड विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी, तमिलनाडु।

श्रीमती रुकमणिदेवी अरूरणदते, अध्यक्षा, कलाक्षेत्र, मद्रास।

श्री एस. शर्मा, विकास आयुक्त, आल इण्डिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली।

श्री हीरणमय करलेकर, सम्पादक, इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली।

श्री ए. एन. हक्सर, निदेशक, रायल कलकत्ता गोल्फ क्लब, कलकत्ता।

10. भारतीय विश्वविद्यालयों के मनोनीत

डा० एस. डी. गोगोई, कुलपति, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय।

डा० रमेश मोहन, निदेशक, सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश एंड फोरेन लैंगवेजिज, हैदराबाद।

डा० जे. शर्मा, कुलपति, के. एस. डी. संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार।

डा० के. जे. महाले, कुलपति, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय : नई दिल्ली।

प्रो० पी० जे० मदान, कुलपति, महाराजा सयजी राव विश्वविद्यालय, बड़ौदा।

प्रो० के. ए. जलील, कार्यवाहक कुलपति, कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट।

डा० हरस्वरूप, कुलपति, जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

प्रो० रामजोशी, कुलपति, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई।

प्रो० आर. जी. टकवाला, कुलपति, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे।

डा० पी. एन. कवथाकर, कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

प्रो० आर. सी. पाल, कुलपति, पंजाब, विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।

कुलपति, नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय, शिलांग।

प्रो० राजेन्द्र जैन, कुलपति, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर।

प्रो० आर. एन. सक्सेना, कुलपति, काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

डा० जगदीश नारायण, कुलपति, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की।

श्रीमती प्रभात नलिनी दास, प्रोफेसर व इंगलिश विभाग की अध्यक्ष, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।

डा० एस. वी. चित्त बसु, कुलपति, अन्नामलची विश्वविद्यालय, चिदम्बरम।

डा० पी. एस. लाम्बा, कुलपति, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।

श्री टी. आर. जयरमण, कुलपति, बंगलूर विश्वविद्यालय, बंगलूर।

डा० पी. के. घोष, कुलपति, नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जीलिंग।

विवरण-2

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के शासी निकाय का गठन (1978-81)

अध्यक्ष श्री पी. वी. नरसिंह राव, विदेश मंत्री

उपाध्यक्ष

1. श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, अध्यक्ष, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली।
2. डा० करण सिंह, संसद सदस्य।
3. श्री आर. डी. साठे, विदेश सचिव।

सदस्य-सचिव

श्रीमती मनोरमा भल्ला, सचिव, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद।

वित्तीय सलाहकार

श्री आर. पटनायक, वित्तीय सलाहकार, विदेश मंत्रालय।

भारत सरकार के मनोनीत सदस्य

1. श्री आर. डी. साठे, विदेश सचिव
2. शिक्षा सचिव
3. श्री वी. वेंकटरमण, सचिव, पर्यटन व नागर विमानन विभाग।

महासभा के मनोनीत सदस्य

1. श्री एन. डी. तिवारी, योजना व श्रम मंत्री
2. श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य
3. श्री नरेन्द्र सिंह, संसद सदस्य
4. प्रो० आर. एन. डांडेकर, निदेशक भण्डारकर ओरिमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे।
5. श्रीमती शान्ति सादिक अली, राजभवन, मद्रास।
6. निदेशक, इंडियन कौंसल आफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली।
7. श्री जे. स्वामीनाथन, सी-55, साउथ एक्सटेंशन (पार्ट-1) नई दिल्ली।
8. कुलपति, काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
9. श्री बी. वी. वरघेस, फेलो, गांधी पीस फाउंडेशन, नई दिल्ली।

नागल बांध स्टेशन पर सुविधाएं

7771. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेल प्रशासन को नांगल बांध, किरतपुर साहिब, ज्वालमुख रोड और जैजोन दोआबा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की मांग प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सुविधाओं की मांग की गई है और किस तारीख तक प्रदान किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइनों की लम्बाई

7772. **श्री मोहम्मद इसमाइल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में रेल लाइनों की राज्य-वार लम्बाई कितनी है;

(ख) पश्चिम बंगाल में पिछले 10 वर्षों में कितने किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का पश्चिम बंगाल में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले 10 वर्षों के दौरान अर्थात् 31 मार्च, 1980 तक पश्चिम बंगाल में 47.195 कि० मी० लम्बी नयी लाइनें बिछायी गयी हैं।

(ग) हवड़ा-आमता-चम्पाडांगा (73.53 कि० मी०) और हावड़ा-शियाखला (17.4 कि० मी०) बड़े आमान के रेल सम्पर्क अनुमोदित परियोजनाएं हैं और इन्हें 1974-75 में शामिल किया गया था। संतरागाछी से बड़गछिया तक (23 कि० मी०) प्रथम चरण के 31 मार्च, 1982 तक पूरा होने की संभावना है। धन की अनुपलब्धता के कारण हवड़ा-शियाखला बड़ी लाइन को शुरू नहीं किया जा सका। कुल्थी से लक्ष्मी कान्तपुर (100 कि० मी०) तक शाखा लाइन सहित बज-बज नामखाना बड़ी लाइन को शामिल करने के प्रश्न पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

विवरण

(31-3-1980 की स्थिति)

राज्यवार मार्ग कि० मी०

राज्य (1)	मार्ग कि० मी० (2)
पश्चिम बंगाल	3,722
आन्ध्र प्रदेश	4,709
असम	2,194
बिहार	5,312
गुजरात	5,671
हरियाणा	1,450

(1)	(2)
हिमाचल प्रदेश	256
जम्मू और कश्मीर	77
कर्नाटक	3,013
केरल	916
मध्य प्रदेश	5,730
महाराष्ट्र	5,234
नागालैंड	9
उड़ीसा	1,948
पंजाब	2,139
राजस्थान	5,614
तमिलनाडु	3,822
त्रिपुरा	12
उत्तर प्रदेश	8,811
संघ शासित राज्य	
चंडीगढ़	11
दिल्ली	168
गोवा, दमण और दीव	79
पांडीचेरी	27

प्रमुख पत्तन न्यास मंडलों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए नियम

7773. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने प्रमुख पत्तन न्यास मण्डलों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम के अन्तर्गत कोई नियम बनाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) ये नियम बोर्ड की बैठकें बुलाने, विशेष बैठकें बुलाने, कार्यसूचियां परिचालित करने, मतदान करवाने, बैठकों के कार्यवृत्त रिकार्ड करने और बैठकों के स्थगन करने आदि के बारे में है।

रायपुर रेलवे स्टेशन

7774. श्री कंवर भूषण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर रेलवे स्टेशन के विकास की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रायपुर रेलवे स्टेशन को विकसित करने की कोई बड़ी योजना नहीं है। लेकिन, निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

(1) डारमिटरी की व्यवस्था।

(2) मुख्य प्लेटफार्म के ऊपर अतिरिक्त छत।

(3) व्यापारियों के लिए प्रतिक्षालय।

(4) सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के लिए कोठरी।

इसके अतिरिक्त, 1981-82 में द्वतीय प्लेटफार्म पर उसकी छत को 300 फुट लम्बी करने के संबंध में विचार किया जा रहा है।

यमुना विहार में एक बस अड्डे का निर्माण

7775. श्री हरीशचन्द सिंह रावत : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण यमुना विहार में एक बस अड्डे का निर्माण करना चाहता है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके लिए भूमि आवंटित कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो यह किस जगह बनाया जाएगा और निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) यमुना विहार में मेन बस टर्मिनल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव दिल्ली परिवहन निगम के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

यमुना विहार में अपंजीकृत डाक्टरों द्वारा प्राइवेट क्लिनिकों का चलाया जाना

7776. श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना विहार कालोनी में कुछ अनधिकृत अपंजीकृत डाक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं;

(ख) क्या एक डाक्टर की पूरी अर्हतायें न रखने वाले व्यक्ति इस कालोनी के कुछ मकानों में डाक्टरी व्यवस्था कर रहे हैं और वे रोगियों को गलत औषधियां दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में उपचारात्मक कार्यवाही करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

धनबाद मण्डल में प्रतिपूरकों के रूप में की गई नियुक्तियां

7777. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद मण्डल के प्रत्येक विभाग में 1979 से 1981 तक, वर्षवार, प्रतिपूरकों के रूप में की गई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार की नियुक्तियों में अपनाई जाने वाली नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने स्थानीय आदिवासियों और हरिजनों को प्रतिपूरक के रूप में नियुक्त किया गया; और

(घ) गैर-रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को प्रतिपूरक के रूप में नियुक्त न करने के कारण और औचित्य क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नियुक्त किए गए ऐवजियों की संख्या इस प्रकार है :—

विभाग	1979	1980	1981
यांत्रिक	104	101	20
(सी० एण्ड डब्ल्यू)			
यांत्रिक (पावर)	274	46	209
परिवहन तथा वाणिज्य	176	111	कोई नहीं
कोयला वाणिज्य	14	26	कोई नहीं

(ख) जहां तक संभव होता है एवजी श्रेणी 3 तथा 4 के पदों के लिए चुने गये उपर्युक्त उम्मीदवारों के पैनल से लिए जाते हैं ।

(ग) 55

(घ) जो उम्मीदवार ऐवजी के रूप में भर्ती के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं उन पर विचार किया जाता है तथा चयन रेल कर्मचारियों के पुत्रों/आश्रितों तक सीमित नहीं होता ।

नागदा और उज्जैन के बीच सवारी गाड़ी चलाना

7778. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे पर नागदा से मध्याह्न 2 बजकर 40 मिनट पर नागदा उज्जैन-इन्दौर 87 डाउन गाड़ी के जाने के पश्चात उज्जैन से गाड़ी की कोई अन्य सेवा उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो वह गाड़ी वहां से कब चलती है;

(ग) क्या नागदा और उज्जैन के बीच किसी सवारी गाड़ी को चलाना न शुरू किए जाने के कोई कारण हैं, हालांकि नागदा से 87 डाऊन गाड़ी के चलने के बाद लम्बे समय तक कोई गाड़ी नहीं है; और

(घ) उज्जैन और नागदा के बीच मध्याह्न 2 बजकर 40 मिनट के बाद चलने वाली 'डाउन' और 'अप' गाड़ियां कौन-कौन सी हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अपर्याप्त लाइन क्षमता के कारण अतिरिक्त गाड़ी नहीं चलायी जा सकती हैं।

(घ) अप दिशा में 86 अप भोपाल-रतलाम सवारी गाड़ी उज्जैन से 17-50 बजे छूटती है।

किसी भी रेलवे स्टेशन पर कोयले का लदान

7779. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी रेलवे स्टेशन से कोयले का लदान किया जा सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो विभिन्न पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे स्टेशनों पर सैकड़ों वैगनों में कोयला कैसे लादा जा रहा है; और

(ग) क्या रेलवे विभाग इस कार्य के लिए वैगन देता है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। माल डिब्बा भर कोयले की बुकिंग केवल अधिसूचित स्टेशनों तथा कोयला खानों, कोक खानों तथा धुलाई साईडिंगों से ही करने की अनुमति है।

(ख) और (ग) कानूनी अदालतों द्वारा जारी निषेधाज्ञा अंतरिम आदेशों का अनुपालन करते हुए कोयले के छोटे परेषणों, जिसे पूरे माल डिब्बे भार के रूप में इकट्ठा किया गया हो, को अधिसूचित स्टेशनों के अतिरिक्त कुछ स्टेशनों, कोयला खानों, कोक खानों तथा धुलाई साईडिंगों से बुक करने की अनुमति दे दी गयी है। ऐसे मामलों में न्यायालय को निषेधाज्ञा/अंतरिम आदेश प्राप्त करने वालों को माल डिब्बों का आवंटन किया जाता है बशर्ते माल डिब्बे उपलब्ध हों।

अनियमिताएं और भ्रष्टाचार

7780. श्री ए० के० राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान धनबाद से निकलने वाले 'हीरावेल' नामक सप्ताहिक समाचार पत्र के 6 जनवरी, 1981 के अंक में "रेल आफिसर लोटा कम्बल तक हड़प लिया है" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां तो गम्भीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों का ब्यौरा क्या है तथा विशिष्ट आरोपों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

समाचार पत्रों में लगाये गये आरोपों का ब्यौरा	जांच के परिणाम
(1)	(2)
1. 3-11-80 को, 800 रु० लागत की 80 फिश प्लेटें चोरी चली गयी थीं जिनका न तो कोई रिकार्ड रखा गया था और नहीं प्राधिकारियों को इस चोरी की रिपोर्ट की गयी।	3-11-80 को किसी फिश प्लेट के चुराये जाने की कोई घटना प्राधिकारियों के ध्यान में नहीं आयी। फिर भी 2/3/11/78 की रात को 40 फिश प्लेटों की चोरी हुई थी। इन 40 फिश प्लेटों का मूल्य भी 800 रु० था। रेल पथ निरीक्षक/सी/गोमो ने इस चोरी से सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को अवगत कर दिया था और अपने दिनांक 5-11-78 के पत्र सं० 5/6/77-78 द्वारा मामले की रिपोर्ट की थी।
2. श्री ए० के० डैनियल, जिनका 6 महीने पूर्व स्थानान्तरण हो गया था, ने एक कम्बल 5 टार्च सेल, 2 वी० आई० पी० ब्रीफ केस, एक आंकलन मशीन और एक टार्च नहीं लौटायी थी, ये वस्तुएं उन्हें उधार पर जारी की गयी थीं।	श्री डैनियल को 2 कम्बल 3 टार्च सेट, 2 ब्रीफ केस, एक आंकलन मशीन और एक टार्च जारी की गयी थी, उसने 2 कम्बलों को छोड़कर 20-12-80 को सभी सामान लौटा दिया था। चूंकि श्री डैनियल ने सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली है। इसलिए इस अधिकारी द्वारा लौटायी न गयी सामग्री का मूल्य उसकी देय रकम में से वसूल कर लिया जायेगा।

(1)	(2)
3. श्री डैनियल, मंडल इंजीनियर के घर में घरेलू प्रयोजनों के लिए सर्व श्री गंडू और मुस्लिम खान, खलासी से काम लिया जा रहा है। ये खलासी निर्माण निरीक्षक के कार्यालय में अपनी उपस्थिति लगाते हैं।	निर्माण निरीक्षक/सी०/धनबाद का यूनिट में गंडू नाम का कोई खलासी काम नहीं करता है। जहां तक श्री मुस्लिम खान का सम्बन्ध है, जांच से पता चला कि वह श्री डैनियल के घर पर काम नहीं करता है बल्कि अपनी सरकारी ड्यूटी करता है।
4. श्री डैनियल के आशुलिपिक ने अपना स्थानान्तरण होने पर दो ताले नहीं लौटाये।	आशुलिपिक ने 20-12-80 को मंडार को ताले लौटा दिये थे।
5. श्री ए० पी० सिन्हा, कार्यालय अधीक्षक को 3-7-78 को एक कालीन जारी किया गया था जिसे उसने वापस नहीं किया।	यह कालीन 5-8-77 को श्री सिन्हा को जारी किया गया था और उसने उसे 14-8-78 को लौटा दिया था।
6. 12-1-72 को निर्माण निरीक्षक को जारी की गयी बाल्टी का वाउचर 3 वर्ष बाद 1-2-75 को जारी किया गया था। मंडार में 6 नयी बाल्टियां भी प्राप्त की गयी थीं जिनमे से 3 पुरानी बाल्टियों से बदल दी गयी थीं और उन तीनों पर ई० आर० के स्थान पर ई० आई० आर० की मार्किंग थी।	यह बाल्टी निर्माण निरीक्षक नि।धनबाद के निर्गम नोट स० डी० ई० एन०।सी०।285 दिनांक 10-1-72 (क्रमांक 256141) के अन्तर्गत जारी की गयी थी, इसे 12-1-72 को लेजर में दिखायी गया था, वाउचर की तारीख गलती से 1-2-75 दिखायी गयी थी। छः नयी बाल्टियां प्राप्त की गयी थी और उन्हें गैंगमैनों को वितरित कर दिया गया था और पुरानी रेल पथ निरीक्षक द्वारा एकत्रित कर ली गयी थी। रेल पथ निरीक्षक के पास उपलब्ध छः पुरानी बाल्टियों में से, केवल एक पर ही ई० आई० आर० का मार्का था और ऐसी बाल्टियां पहले धनबाद मंडल में जारी की गयी थीं।
7. यद्यपि श्री ए० पी० सिन्हा कार्यालय अधीक्षक, 12-2-80 से 29-2-80 तक छट्टी पर थे, फिर भी उन्हें 14-2-80 को कार्ड पास नं० 09145 दिया गया। यह कहा जाता है कि उन्होंने इस पास को कलकत्ता जाने के लिए अनेक बार इस्तेमाल किया। श्री डैनियल मंडल इंजीनियर भी उनके साथ जाते थे।	महाप्रबन्धक/पूर्व रेलवे द्वारा धनबाद जिले के लिए कभी भी कार्ड पास नं० 09145 जारी नहीं किया गया।

(1)	(2)
8 यह कहा जाता है कि निर्माण निरीक्षक का खलासी श्री बद्री ठाकुर, श्री सिन्हा की चाय की दुकान पर काम किया करता था। उसे तभी सरकारी काम पर वापस लाया गया जब अन्य खलासियों ने इसका विरोध किया।	श्री ए० पी० सिन्हा, कार्यालय अधीक्षक की कोई चाय की दुकान नहीं है। अतः यह आरोप निराधार है।

जनता को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं

7781. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों द्वारा जनता को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार को राशि देकर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्राप्त करने के लिये जनता की इच्छा के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 14 औषधालयों के इलाके में रह रही आम जनता को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई हैं।

(ख) हां।

(ग) 14 औषधालयों में ये सुविधाएं इसलिए दी गई हैं क्योंकि ये इलाके मुख्यतया सरकारी कालोनियों में हैं और इनमें प्राइवेट डाक्टरों की चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त रूप में सुलभ नहीं हैं। अन्य औषधालयों में आम जनता को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं उपलब्ध करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में प्राइवेट बसें

7782. **श्री के० मालन्ना** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अनेक बसों और मिनी बसों को विशेषकर दिल्ली परिवहन निगम की बसों के अतिरिक्त बसों की स्थिति संतोषजनक नहीं है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बाहर से दिल्ली आने वाले अनेक व्यक्तियों को कभी-कभी बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है क्योंकि इन बसों के कण्डक्टरों द्वारा उनका सही मार्गदर्शन नहीं किया जाता तथा उन्हें अनजाने स्थानों पर उतर जाना पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी बसों की जांच करने का है तथा उन्हें मार्गों पर तभी चलने की अनुमति देने का है जब उन्हें सही ढंग से चलाया जाए ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) और (ग) यह कहना ठीक नहीं है कि अनेक प्रायवेट बसें ठीक हालत में नहीं चल रही हैं। जो भी बसें रजिस्ट्रेशन के लिए लाई जाती हैं उन सभी की मोटर यान नियम, 1940 के अधीन दिल्ली प्रशासन के परिवहन निदेशालय के निरीक्षण मण्डल द्वारा जांच की जाती है और नई गाडियों को पहले-पहले दो वर्षों के लिए योग्यता प्रमाणपत्र दिया जाता है। पुरानी गाड़ियों को उनके रजिस्ट्रेशन के होने के बाद पांच वर्षों में एक वर्ष के लिए और पांच वर्ष से अधिक समय से रजिस्ट्रेशन हुई गाड़ियों के लिये छह महीने के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र दिया जाया है। जब तक गाड़ियों को योग्यता प्रमाण-पत्र नहीं दे दिया जाता तब तक निरीक्षण मण्डल गाड़ियों की जांच नही करता और यह जांच उक्त निदेशालय के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तथा यातायात पुलिस के साथ संयुक्त रूप से भी कभी-कभी की जाती है।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम या दिल्ली प्रशासन को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि जो लोग बाहर से दिल्ली आते हैं उन्हें अनजान स्थानों पर गाड़ियों से उतरने के लिए विवश कर दिया जाता है।

कलकत्ता के छात्रों को किराये में रियायत

7783. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य वाणिज्यक अधीक्षक, पूर्वी रेलवे तथा मण्डलीय रेल प्रबन्धक, सियालदाह द्वारा क्रमशः परिपत्र संख्या सी० 194।1।खण्ड-VIII।रेवन, पास फेयर।78, दिनांक 5 जुलाई, 1980 और परिपत्र संख्या सी० सी० 3।पैसेंजर।प्रोफाइल सर्वे।78 दिनांक 8 जुलाई, 1980 जारी किया गया है, जिसमें कलकत्ता के छात्रों को रेल किराये में 50 प्रतिशत की रियायत दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह रियायत 15 जुलाई, 1980 से दी जा रही है;

(ग) क्या दक्षिण-पूर्वी रेलवे ने भी ऐसे परिपत्र जारी किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बधी कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) उल्लिखित परिपत्र 15-7-1980 से लागू यात्री किरायों के संशोधन से सम्बन्धित है। 1-4-1979 से पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर विद्यार्थियों और बच्चों के सीजन टिकट का किराया व्यस्क सीजन टिकट किरायों के 50% के बराबर लिया जाता है। किन्तु ये किराये मासिक सीजन टिकटों के साधारण निम्नतम किरायों के अधीन होते हैं।

हल्दिया पत्तन पर श्रमिकों की भर्ती

7784. **श्री नारायण चौबे** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन का प्रशासन श्रमिकों की भर्ती के बारे में सामान्य नियमों का उल्लंघन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(क) प्रश्न नहीं होता ।

बर्दवान-आसनसोल सैक्शन पर अत्यधिक भीड़

7785. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को बर्दवान डिस्ट्रक्ट रेलवे यूसर्ज सेंट्रल कोआर्डिनेशन कमेटी, रानी गंज के सचिव से बर्दवान-आसनसोल सैक्शन पर हजारों यात्रियों के भेड़-बकरियों की तरह यात्रा किये जाने के बारे में कोई तार प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दियागो गार्शिया का मारिशस को लौटाया जाना

7786. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विदेश मंत्री दियागो गार्शिया को मारिशस को लौटाने के बारे में 12 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 336 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दियागो गार्शिया को मारिशस को लौटाने की मारिशस की मांग पर भारत ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है;

(ख) क्या भारत सरकार इस बारे में मौन रहा है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मारिशस की मांग पर गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन ने क्या दृष्टिकोण अपनाया था और इसके क्या कारण थे ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 12 मार्च 1981 को तारांकित प्रश्न संख्या 336 के उत्तर में बताया गया था कि नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष देशों के मंत्री-स्तरीय सम्मेलन की घोषणा में दिएगो-गार्शिया का जिक्र नहीं किया गया है । नई दिल्ली में हुए गुट-निरपेक्ष देशों के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में मारिशस ने दिएगो गार्सिया मारिशस को लौटाने का प्रश्न औप-

धारिक रूप से नहीं उठाया था। लेकिन इस सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में मारिशस के प्रतिनिधि-मंडल के नेता ने अपने भाषण में यह कहते हुए इस विषय का उल्लेख किया था कि मारिशस सरकार दिएगो गार्सिया के प्रश्न पर सभी पहलुओं से विचार कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी

7787. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेवक योजना देश-भर में 2 अक्तूबर, 1977 में लागू की गई थी;

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है और उन्हें कितना परिश्रमिक दिया जाता है, उन्हें क्या काम सौंपा गया है और इस बारे में आगामी योजनाएं क्या हैं;

(ग) क्या बिहार में सितम्बर, 1980 से उक्त योजना को समाप्त कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों ने विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन, सत्याग्रह आदि किए थे, अपनी गिरफ्तारियां दी थीं और उक्त सेवा को जारी रखने की अपनी मांग के समर्थन में प्रधान मंत्री को ज्ञापन भी दिया था; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां जन स्वास्थ्य रक्षक योजना केरल, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के संघ शासित क्षेत्रों को छोड़ कर सारे देश में 2 अक्तूबर, 1977 को चलाई गई थी।

(ख) 31 मार्च, 1981 तक जितने जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है उनकी राज्यवार संख्या का विवरण अनुबंध एक पर है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2371/81] तीन महीनों के प्रशिक्षण की अवधि में प्रत्येक जन स्वास्थ्य रक्षक को 200 रुपये प्रतिमास का स्टाइपेंड दिया जाता है और प्रशिक्षण के उपरान्त उसे 50 रुपये प्रतिमास का मानदेय दिया जाता है। छठी योजना अवधि (1980-85) में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना को चलाने के लिए योजना आयोग द्वारा 10132.00 लाख रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है, छठी योजना अवधि में 2.2 लाख और जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण देने का विचार है। 1981-82 के लिए इस योजना हेतु 1950.30 लाख रुपए का बजट अनुमान है। जनस्वास्थ्य रक्षक से आशा की जाती है कि वह अपने गांव में मुख्य रूप से निवारक और सम्बर्धक परिचर्या सेवाएं उपलब्ध करायेगा। उससे छोटी-मोटी बिमारियों के इलाज की भी अपेक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। यह पता चला है कि राज्य सरकार को यह फैसला इस योजना की स्थिति में अन्तर आ जाने के कारण करना पड़ा था क्योंकि पहले योजना केन्द्र द्वारा शतप्रतिशत धन देकर चलाई जाती थी, परन्तु बाद में इस योजना के लिए 50 प्रतिशत धन केन्द्र सरकार द्वारा और शेष 50 प्रतिशत धन राज्य सरकार द्वारा स्वयं वहन करने की बात तय हुई।

(ङ) और (च) इस राज्य में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के बन्द हो जाने के खिलाफ अभ्यावेदन मिले हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

1978-79 के बाद गाड़ियों में गम्भीर अपराधों की घटनाओं में वृद्धि

7788. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान डाक/एक्सप्रैस और सवारी गाड़ियों में गम्भीर संकट की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक जोनल रेलवे में कितने गम्भीर मामलों का पता लगाया गया और रिपोर्ट की गई;

इस प्रवृत्ति को रोकने तथा अपराधो को पूर्णतः समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। गाड़ियों में डकैती/लूटपाट की घटनाओं में बढ़ोत्तरी का रुख है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) गाड़ियों में अपराधों को रोकने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय किए गए हैं :—

1. सम्बन्धित राज्य सरकारों का राजकीय रेलवे पुलिस के सशस्त्र गार्डों द्वारा रात्रि के समय महत्वपूर्ण गाड़ियों का मार्ग-रक्षण।

2. स्टेशनों प्लेटफार्मों।प्रतिक्षालयों में बीट गश्त लगाना।

3. अपराधियों और बदनाम व्यक्तियों पर नजर रखना।

4. पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा रात्रि की गाड़ियों की जांच-पड़ताल।

5. भेद्य स्टेशनों पर पुलिस की टुकड़ियों की तैनाती, और

6. राज्यों सरकारों के केन्द्रीय जांच ब्यूरों के विशेष दस्ते रेलों पर किए गए अपराधों के लिए जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण मामलों की जांच-पड़ताल करते हैं।

रेलें इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय कर रही हैं :—

1. रेलें राज्य सरकार प्राधिकारियों से सभी स्तरों पर निकट सम्पर्क रखती हैं।

2. 22.00 बजे और 06.00 के बीच डिब्बों के गलियारेदार दरवाजे बन्द कर दिए जाते हैं।

3. चल टिकट परीक्षकों।परिवारों।कंडक्टरों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए सतर्क रहें।

4. रेलों में अपराधों की समस्या को राज्य सरकार अधिकारियों की आवधिक बैठकों में उठाया गया है और इसे सर्वोच्च स्तर पर भी उठाया गया है तथा राज्य सरकारों से जोर देकर कहा जा रहा है कि वे गाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत करें।

राजकीय रेलवे पुलिस, जो कि रेलों पर ऐसे अपराधों को रोकने तथा पता लगाने के लिए जिम्मेदार हैं, की संख्या बढ़ायी जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रेलवे	वर्ष	हत्या		लूटपाट		डकैती	
		रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	पता लगाये गये मामलों की संख्या	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	पता लगाये गये मामलों की संख्या	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	पता लगाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य	1978	2	2	22	15	5	5
	1979	—	—	20	11	2	2
	1980	—	—	27	13	6	5
पूर्व	1978	5	1	24	20	28	21
	1979	2	1	41	27	30	15
	1980	9	2	45	27	29	18
उत्तर	1978	12	10	57	35	13	12
	1979	8	4	22	13	7	4
	1980	12	4	42	17	8	6
पूर्वोत्तर	1978	9	3	20	8	9	8
	1979	4	—	39	20	15	6
	1980	5	—	68	24	28	12

1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्वोत्तर-सीमा	1978	—	—	4	2	2	1
	1979	1	1	11	7	—	—
	1980	—	—	6	4	6	5
दक्षिण	1978	—	—	6	5	1	—
	1979	—	—	5	21	—	—
	1980	—	—	5	2	—	—
दक्षिण-मध्य	1978	1	—	2	1	1	1
	1979	1	—	4	4	3	—
	1980	1	—	10	3	1	—
दक्षिण-पूर्व	1978	—	—	9	9	3	2
	1979	1	—	17	9	7	4
	1980	1	—	27	15	12	9
पश्चिम	1978	3	—	12	12	3	1
	1979	2	1	26	6	4	3
	1980	3	—	22	12	9	6
जोड़	1978	32	19	156	107	67	51
	1979	19	7	185	98	68	34
	1980	31	6	252	107	99	61

अजमेर-इन्दौर सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना

7789. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजमेर-इन्दौर सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित किए जाने की मांग गत आठ से दस वर्षों से की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1978-1979 में यह सिद्धांत स्वीकार किया गया था कि इस सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राजस्थान सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से पांचवीं योजना में कुछ नई सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के अपने प्रस्तावों में फाजिल्का से अजमेर होते हुए इन्दौर तक की एक सड़क को शामिल किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

अमेरिका द्वारा गुप्तचर उपग्रह छोड़ा जाना

7790. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अमेरिका ने 17 मार्च, 1981 को हिन्द महासागर पर एक गुप्तचर उपग्रह छोड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 16 मार्च, 1981 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक उपग्रह छोड़ा जिसके संबंध में आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि उसमें "वायुसेना का वर्गीकृत अर्जकभार" है। इस युक्ति को अमरीकी प्रेस में "जासूसी के लिए अत्याधुनिक गुप्त उपग्रह" कहा गया है तथा बताया जाता है कि वह सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की मध्य यूरोपीय सीमा के पार अफ्रीका और पश्चिम एशिया में काम करेगा।

(ख) हिन्द महासागर क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की बढ़ी हुई सैनिक गतिविधियों के बारे में भारत सरकार का दृष्टिकोण सर्वविदित है। भारत सरकार ने हिन्द महासागर क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थित का द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही मंचों पर हमेशा विरोध किया है।

रेल वैगनों का उत्पादन

7791. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रेल वैगनों का समूचा उत्पादन लगभग गैर-सरकारी क्षेत्र में होता है और यात्री डिब्बों का उत्पादन पूर्णतया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में होता है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों से देश में वैगनों और यात्री डिब्बों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है और निर्माताओं के नाम क्या हैं और उनके द्वारा कितना उत्पादन किया गया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) माल डिब्बे निजी क्षेत्र की चार तथा सार्वजनिक क्षेत्र की छः माल डिब्बा निर्माण इकाइयों में बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्षमता का उपयोग भी माल डिब्बों के निर्माण के लिए किया जाता है। जहां तक सवारी डिब्बों का संबंध है ये सार्वजनिक क्षेत्र की दो इकाइयों तथा रेलवे की अपनी उत्पादन इकाइयों में बनाए जाते हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(आंकड़े चौपहियों के हिसाब से)

माल डिब्बे फर्म का नाम	1978-79 में निर्मित माल डिब्बे	1979-80 में निर्मित माल डिब्बे	1980-81 में निर्मित माल डिब्बे
1	2	3	4
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां			
1. भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग क०/मुजफ्फरपुर	563	402	438
2. भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं० मोकामा	400	202	312.5
3. ब्रेथवेट/कलकत्ता	1658	812	303
4. बर्न/बर्नपुर	1554	1525	1767.5
5. बर्न/हावड़ा	1293	942	1920
6. जैसप/कलकत्ता	—	—	—
निजी क्षेत्र इकाइयां			
7. सिमकों/मरतपुर	2348	1795	952.5
8. एच० जी० आई०/नांगलोई	96	129	54
9. माडर्न इंडस्ट्रीज, साहिबाबाद	657	588	835
10. टैक्समाको/कलकत्ता	1867	2777	3864.5
11. रेल कारखाने	1586	1654	1610
जोड़	12,022	10,827	12,064
सवारी डिब्बे			
सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां			
1. बी० ई० एम० एल०/बंगलौर	223	250	176
2. जैसप/कलकत्ता	कोई नहीं	62	23
रेलवे की अपनी उत्पादन इकाई			
3. सवारी डिब्बा कारखाना/पैरम्बूर	702	662	659*
जोड़	925	974	858

*फरवरी, 1981 तक

पीलीभीत तथा शाहजहांपुर के बीच रेल सेवाएँ

7792. **श्री जीतेन्द्र प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीलीभीत तथा शाहजहांपुर के बीच सेवाओं की दशा बेहद खराब है;

(ख) क्या वहां स्टेशनों पर टेलीफोन सेवा, रेलगाड़ियों में तथा स्टेशनों पर स्वच्छता और रेल गाड़ियों में प्रकाश की व्यवस्था आदि जैसी मूल सुविधाएं नहीं प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या इन दो स्टेशनों के बीच चलने वाली अनेक गाड़ियां गत चार महीने से रद्द कर दी गई हैं और इस समय केवल मामूली रेल सेवा ही उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और रेल सेवाओं की उक्त खराब दशा के लिए कौन उत्तरदायी है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) खण्ड के स्टेशनों और गाड़ियों में सफाई और प्रकाश की व्यवस्था की गयी है। इन स्टेशनों पर टेलीफोनों की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं पाया गया।

(ग) और (घ) विगत में कोयले की कमी के कारण पीलीभीत-शाहजहांपुर खंड पर कभी-कभी गाड़ी सेवाओं को रद्द करना पड़ा था। इस समय एक जोड़ी गाड़ियां रद्द की गयी हैं और जैसे ही कोयले की उपलब्धता में सुधार होगा, इस गाड़ी को फिर से चला दिया जाएगा।

"ट्रेकोमा" के लिये देश में बनी औषधि

7693. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेत्र रोगों संबंधी राजेन्द्र प्रसाद सेंटर के वैज्ञानिकों ने "ट्रेकोमा" के लिये देश में ही एक औषधि का विकास कर लेने का दावा किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त औषधि का ब्योरा क्या है और प्रायोगिक आधार पर इस औषध कार्य प्रभाविता कैसी रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र में रोहे के उपचार के लिए "बेरबेरिस अरिस्टाटा" नामक पौधे से निकाली एक नई औषधि "बेरबेरिन" का परीक्षण किया गया है।

(ख) बेरबेरिन औषधि बेरिबेरिस अरिस्टेटा का मुख्य ऐल्केलाइड है। रोहे से पीड़ित 400 बच्चों के एक नियंत्रित अध्ययन में इस औषधि का उपयोग 0.2 प्रतिशत आई ड्राप्स के रूप में किया गया है और इसकी सोडियम सल्फऐसिटेमाइड 20 प्रतिशत (एक रासायनिक मिश्रण) के साथ तुलना की गई।

सोडियम सल्फऐसिटेमाइड से मिले 80 प्रतिशत परिणामों के मुकाबले बेरबेरिन के क्लिनिकल परिणाम 80 से 86 प्रतिशत निकले हैं।

लंदन स्थित इस्लामी सांस्कृतिक केन्द्र की गतिविधियां

7794. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंदन स्थित इस्लामी सांस्कृतिक केन्द्र ने एक योजना बड़े जोर-शोर से प्रकाशित की है कि "भारत में धार्मिक भेदभाव का सामना कर रहे 8 करोड़ से अधिक मुसलमानों की सहायता करो";

(ख) क्या इस केन्द्र के निदेशक श्री अब्दुल खैर बदवई ने हिन्दुओं द्वारा परेशान किए जा रहे 8 करोड़ हिन्दू हरिजनों को इस्लाम धर्म ग्रहण कराने के लिए एक योजना की घोषणा की है;

(ग) क्या यूरोपीय इस्लामी परिषद् को एक सर्वेक्षण करने और हिन्दुओं को सावधान किए बिना गुप्त रूप से इस योजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है;

(घ) क्या उक्त योजना के परिणामस्वरूप कुवैत में यू० एन० ए० ने 18 जनवरी 1981 को भारतीय मुसलमानों को कुवैत की सहायता की घोषणा की है; और

(ङ) भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान और कुवैत के इस हस्तक्षेप को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार ने लन्दन स्थित इस्लामी सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा भारत के 8 करोड़ से भी अधिक मुसलमानों की मदद करने और 8 करोड़ से भी अधिक हरिजन हिन्दुओं को दूसरे धर्मों की ओर आकर्षित करने की एक योजना तैयार किए जाने के बारे में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टें देखी हैं।

(ग) सरकार को ऐसी किसी योजना की जानकारी नहीं है और इस संबंध में की गई जांच-पड़ताल से इस्लामी सांस्कृतिक केन्द्र की ओर से इस प्रकार की किसी ठोस कार्रवाई का पता नहीं चला है।

(घ) और (ङ) इस प्रकार की कथित योजना के सम्बन्ध में सबसे पहले एक कुवैती अरब दैनिक "अल कबास" में 18 जनवरी, 1981 को खबर छपी थी। कुवैत की न्यूज एजेंसी "कूना" ने इस खबर का अंग्रेजी अनुवाद जारी किया। चूंकि यह खबर कुवैत में प्रकाशित हुई थी इसलिए कुवैत स्थित भारतीय राजदूतावास ने इसे कुवैत के "अवक्फ" मन्त्रालय और कुवैत न्यूज एजेंसी (कूना) दोनों के साथ उठाया। कुवैत के "अवक्फ" मन्त्रालय ने ऐसा कोई वक्तव्य दिए जाने से इन्कार किया है।

कुवैत न्यूज एजेंसी ने इस खबर का गलत अनुवाद हो जाने के लिए भारतीय राजदूतावास से खेद प्रकट किया है क्योंकि इस खबर ने एक अवांछनीय झुकाव ले लिया। कूना ने उस संवाददाता की भी भर्त्सना की है जिसने यह अनुवाद किया था।

सोवियत रूस में हिन्दी

7795. डा० दसन्त कुमार पंडित : क्या विदेशी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1981 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "हिन्दी कोचिंग अप इन सोवियत यूनियन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थानों के क्या निर्धारित किया गया है और क्या इन संस्थानों का नामकरण भारतीय लेखकों, विद्वानों के नाम पर किया गया है और उन्हें भारत सोवियत मैत्री सोसायटी, नई दिल्ली में सम्बद्ध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन संस्थानों के प्रयोजकों के क्या नाम हैं और रूस विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध भारतीय कालेजों का क्या विवरण है ?

विदेशी मंत्री (श्री पी० वी० नरसिह राव) : (क) और (ख) जी, हां।

ऐसा एक-एक स्कूल मास्को और लेलिनग्राद में, और सात स्कूल उज्बेकिस्तान गणराज्य में हैं। इस सभी स्कूलों में कक्षा दो से कक्षा दस तक हिन्दी पढ़ाई जाती है।

जहां तक उच्च शिक्षा की संस्थाओं का सवाल है, चार संस्थाओं में हिन्दी पढ़ाई जाती है; तथा, मास्को राज्य विश्वविद्यालय के अधीन 'एशियाई एवं अफ्रीकी अध्ययन संस्थान' 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध संस्थान' मास्को; लेलिनग्राद राज्य विश्वविद्यालय और ताशकंद राज्य विश्वविद्याल।

इनमें से किसी भी संस्था का नाम किसी भारतीय लेखक/विद्वान के नाम पर नहीं है। लेकिन मास्को के स्कूल नम्बर 19 में एक क्लब है जिसका नाम प्रेमचंद के नाम पर रखा गया है और जहां विद्यार्थियों को हिन्दी साहित्य के गहन अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की कोई भी संस्था नई दिल्ली स्थितभा रत-सोवियत फ्रेंडशिप से सम्बद्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिये जिम्मेदार अधिकारी

7796. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार में कौन अधिकारी जिम्मेदार है, जबकि 15 से 20 वर्ष के अन्दर इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य पूरा करने की घोषणा कर दी गई है;

(ख) क्या अधिकारी का दर्जा तथा पद उनकी जिम्मेदारी के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्यक्रम के तेजी से तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारी के हाथ मजबूत करने की दृष्टि से सरकार का और आगे क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम उन विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है जिन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय चला रहा है। इस प्रकार के सभी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में नीति नियोजन तथा मार्गदर्शन का काम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन कार्यक्रमों के केन्द्रीय घटकों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी और प्रशासनिक जिम्मेदारी तथा राज्यों को सौंपे गये घटकों के मोटे तौर पर समन्वय कार्य की जिम्मेदारी महानिदेशक के नियंत्रण और मार्गदर्शन में सहायक महानिदेशक (कुष्ठ) द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में निभायी जाती है। इन कार्यक्रमों के प्रमुख घटकों को कार्य रूप देने का काम सम्बन्धित राज्यों की सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सौंपा गया है जो आगे इस प्रयोजन हेतु नियुक्त अधिकारियों के जरिए अपनी-अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार इसे कार्यान्वित कराते हैं।

(ख) अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए नियुक्त समान दायित्व वाले अन्य अधिकारियों की पदवी और आथारिटी को देखते हुए कार्यक्रम अधिकारी का यह पद इस कार्यक्रम के महत्व के अनुरूप ही समझा जाता है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कुष्ठ रोग के लिए कार्य करने हेतु डाक्टरों को आकर्षित करने की नीति

7797. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि कुष्ठ के लिए निरन्तर कार्य करने हेतु डाक्टरों को आकर्षित किया जाए;

(ख) ऐसे कितने पूर्णकालिक डाक्टर हैं जो पिछले पांच वर्षों से केन्द्र सरकार में कार्य कर रहे हैं और उन्हें स्थायी नहीं किया गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) डाक्टर लोगों को कुष्ट के क्षेत्र में पूर्ण कालिक आधार पर निरन्तर सेवा हेतु आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन 200 रुपये प्रतिमास का विशेष वेतन देय है। इस कार्यक्रम को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों तथा स्वैच्छि सर्वेक्षण शिक्षा और प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से चलाया जा रहा है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में पुष्टीकरण का मामला उस सेवा में उपलब्ध स्थाई रिक्तियों तथा सम्बन्धित ग्रेडों में पद-धारकों की वरिष्ठता पर निर्भर करता है। केवल एक ही अधिकारी ऐसा है जो कुष्ठ विशेषज्ञता के क्षेत्रों में 5 वर्षों से अधिक काल से सेवा करता आ रहा है और अभी स्थाई बनाया जाना है।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को अधिकार में लेना

7798. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुष्ठ रोग के अगले 15-20 वर्षों में विवरण के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को अपने हाथ में लेने और इसको अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से लागू करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या चालू पद्धित के अन्तर्गत इसके क्रियान्वयन और निवारण को सुनिश्चिय करने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को एक अप्रैल, 1981 से शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से चलने वाले कार्यक्रम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की भांति इसे राज्यों द्वारा चलाया जा रहा है तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों और स्वैच्छिक संगठनों की भी इसमें सहायता ली जा रही है।

(ख) आशा है कि धन देने के परिवर्तित पैटर्न से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के प्रभावकारी कार्यान्वयन को बल मिलेगा।

उप-सहायक महानिदेशकों के प्रतिनिधियों की स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के प्राधिकारियों के साथ बैठक

7799. **श्री के० वी० एस० मनी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1981 में सभी उप-सहायक महानिदेशक के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली के प्राधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी;

(ख) इस बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) इस निर्णयों को कब क्रियान्वित किया जाएगा और यदि क्रियान्वित किया जाएगा, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) जी हां। सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, करनाल और गोहाटी के उप-सहायक महानिदेशकों (चिकित्सा सामग्री) ने इस बैठक में भाग लिया था। इन भण्डारों की कार्यकुशलता और उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के अभिप्राय से प्रशासन और कार्यविधि सम्बन्धी अनेक मामलों पर चर्चा की गई थी। भण्डारों की कार्यकुशलता बढ़ाने के बारे में जो निर्णय लिए गए थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है।

उड़ीसा में प्रसूति केन्द्रों का खोला जाना

7800 **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा में कुछ प्रसूति केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या एवं स्थापना स्थलों का ब्योरा क्या है और इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

गोहाटी के लिए वैकल्पिक रेल-मार्ग

7801. **श्री अजय बिश्वास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पिछड़े क्षेत्रों के द्रुत विकास और सीमा क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से गोहाटी से हजाई से हिलारा/बेहरा (का चार में) के लिये वैकल्पिक मार्गों की जरूरत है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में तुरन्त कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस समय लम्डिंग-बदरपुर हिल खंड द्वारा सेवित क्षेत्र में निकट भविष्य में प्रत्याशित यातायात की भारी वृद्धि की पूर्ति करने के उद्देश्य से गुवाहाटी जगई रोड से बदरपुर तक बड़े आमान एवं वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है । सर्वेक्षण के परिणाम मालूम होने पर इस परियोजना पर आगे विचार किया जायेगा बशर्ते संसाधन उपलब्ध हो और योजना आयोग इसकी स्वीकृति दे दे ।

राष्ट्रीय परमिटों का दिया जाना

7802. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परमिट मंजूर करने के निर्धारण नियम क्या हैं और क्या अब तक दिए गए परमिट इन नियमों के अनुसार मंजूर किए गए हैं;

(ख) अब तक कितने राष्ट्रीय परमिट जारी किए गए हैं; और

(ग) क्या परमिट जारी करने के लिए नियमों में कुछ छूट दी गयी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; किस हद तक छूट दी गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मोटर यान अधिनियम, 1939 के अनुसार, राष्ट्रीय परमिट राज्य सरकारी और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा गठित राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों द्वारा दिये जाते हैं। ये संस्थाएं अर्द्ध-न्यायिक संस्थाएं हैं। उक्त परमिट अधिनियम की धारा 63 की उपधारा 11 से 14 में उल्लिखित उपबंधों तथा अन्य सम्बन्धित धाराओं के अनुसार तथा मोटर गाड़ी (राष्ट्रीय परमिट) नियम, 1975 में उल्लिखित निम्नलिखित बातों के आधार पर जारी किए जाते हैं, अर्थात् :—

(1) जनहित में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सामान लाने ले-जाने में आवेदनकर्त्ता का योगदान क्या है।

(2) क्षेत्रीय, राज्य और अंतरराज्यीय क्षेत्र परमिटों के आधार पर माल लाने ले जाने के क्षेत्र में आवेदन-कर्त्ता का अनुभव कितना है।

(3) जो आवेदनकर्त्ता राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय परमिट दिए जाने से संतुष्ट नहीं हैं, वे इस सम्बन्ध में राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद, वे अपना मामला उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में भी ले जा सकते हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय 7752 मोटर गाड़ियां राष्ट्रीय परमिटों के अधीन चल रही हैं।

(ग) जी, नहीं।

क्षतिग्रस्त माल डिब्बों की मरम्मत न होना

7803. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 के पश्चात् क्षतिग्रस्त माल डिब्बों की सूची में कितने माल डिब्बे और सम्मिलित हुए;

(ख) क्षतिग्रस्त माल डिब्बों की संख्या में हो रही वृद्धि के तथा ऐसे पहले डिब्बों की मरम्मत न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप जनवरी, 1980 के पश्चात रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1-1-1980 को 22,267 माल डिब्बे तथा 31-3-1981 को 28,255 माल डिब्बे (इनमें वे माल डिब्बे भी शामिल हैं जो कारखानों में मरम्मताधीन हैं) आवधिक निवारक तथा टूटफूट मरम्मत के लिए निष्क्रिय थे (जिन्हें सामान्यतः मरम्मत योग्य कहा जाता है)।

(ख) माल डिब्बों की मरम्मत में रुकावट का कारण माल डिब्बा मरम्मत कारखानों, डिपुओं तथा मरम्मत लाइनों आदि को सप्लाई की जाने वाली बिजली में बार-बार रुकावट, व्यापारियों द्वारा अनुरक्षण के लिए अत्यावश्यक सामान की अपर्याप्त आपूर्ति है। मरम्मताधीन

माल डिब्बों में वृद्धि का कारण संचारण से प्रभावित माल डिब्बों की बड़े पैमाने पर मरम्मत करके उन्हें सभी वस्तुओं की ढुलाई के योग्य बनाने के प्रयोजन से लदान न किए जाने योग्य सभी माल डिब्बों की योजनाबद्ध तरीके से अलग करना पड़ रहा है।

(ग) रेलों ने जनवरी, 1980 में 171.2 लाख टन के लदान की तुलना में जनवरी, 1981 में 185.3 लाख टन का लदान किया और इस प्रकार लदान से कोई हानि नहीं हुई।

16 अप जी० टी० एक्सप्रेस का चलना

7804. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16 अप जी० टी० एक्सप्रेस पिछले तीन महीनों में नई दिल्ली और पलवल के बीच कितनी बार शटल ट्रेन की तरह चली;

(ख) ऐसे निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिए रेल विभाग क्या कार्रवाही कर रहा है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) नई दिल्ली और पलवल के बीच मार्गवर्ती स्टेशनों पर 16 अप जी० टी० एक्सप्रेस को जनवरी में छः दिन, फरवरी में सात दिन और मार्च, 81 में पाँच दिन ठहराया गया था। रेक के विलम्ब से आने के कारण, जिसे 374 अप पलवल शटल के रूप में चलाया जाना था। नई दिल्ली-पलवल खंड पर दैनिक यात्रियों की वापसी यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया था। चूंकि 19.30 और 21.30 बजे के बीच कोई अन्य गाड़ी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा था।

(ग) 374 अप पैसेंजर गाड़ी को समय पर चलाना सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे है।

निजामुद्दीन, दिल्ली और नई दिल्ली आने वाली गाड़ियों का लेट चलना

7805. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मार्च, 1981 तक की अवधि के दौरान, तारीख-वार निजामुद्दीन दिल्ली मेन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर आने वाली कौन-कौन सी गाड़ियां नियत समय पर आ गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों से गाड़ियां समय पर नहीं चल रही हैं; और

(ग) उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) तारीखवार मांगी गई सूचना बहुत विस्तृत है और इसके संकलन में पर्याप्त समय लगेगा। फिर भी, निजामुद्दीन, दिल्ली और नयी दिल्ली में समय पर पहुंचने वाली गाड़ियों के संबंध में यात्री

गाड़ियों का समय पालन इन सभी तीन स्टेशनों को एक साथ मिलाकर जनवरी से मार्च, 1981 के दौरान जनवरी में 46.2 प्रतिशत, फरवरी में 52.2 प्रतिशत और मार्च में 56.1 प्रतिशत था। गाड़ियों के समय पाबन्दी निष्पादन की बड़ी संख्या में खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं, बदमाशों की गतिविधियों, रेलवे संचलन से असम्बद्ध सार्वजनिक आन्दोलनों, दुर्घटनाओं तथा उपस्करों की खराबी के कारण प्रभाव पड़ा। 6 यात्री गाड़ियों के समय पाबन्दी निष्पादन में सभी स्तरों पर निकट से निगरानी रखी जा रही है। लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियों को दैनिक आधार पर निगरानी रखने के लिए बोर्ड कार्यालय तथा क्षेत्रीय रेलों में एक विशेष मानीटरिंग स्कन्ध गठित किया गया है और गाड़ियों के समय पाबन्दी में सुधार करने के लिए संकेन्द्रित उपाय किए जा रहे हैं।

न्यूरोलाजी की प्रगति के लिए प्रोत्साहन

7806. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आधुनिक उपकरणों की सहायता के बिना पुराने रोगों का निदान करने और उपचार करने के लिए न्यूरोलाजी पूरी तरह सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यूरोलाजिकल अनुसंधान द्वारा इसकी पुष्टि की गई है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसकी प्रगति के लिए सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नहीं। न्यूरोलाजिस्ट आधुनिक नैदानिक सुविधाओं तथा उपकरणों की सहायता के बिना न तो निश्चित रूप से रोग का निदान ही कर सकता है और न ही पुराने न्यूजोलाजिकल विकारों का उपचार।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) केन्द्रीय सरकार के अधीन संस्थाओं को उपयुक्त आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए वैज्ञानिकों को भी सहायता दी जाती है।

कानपुर में साइकिल स्टैंड का ठेका

7807. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के डिवीजनल मैनेजर इलाहाबाद ने कानपुर तथा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर साइकिल स्टैंड के ठेके आबंटित करने के लिए हाल ही में टेंडर आमंत्रित किये थे;

(ख) उक्त ठेंडर किस-किस तारीख को खोले जाने थे और उन पार्टियों की संख्या कितनी

है जिन्होंने कानपुर तथा इलाहाबाद में साइकिल स्टैंड के ठेकों के लिए अलग-अलग टेंडर फार्म खरीदे थे;

(ग) किन-किन पार्टियों ने कानपुर तथा इलाहाबाद दोनों स्थानों के लिए इकट्ठे टेंडर भरे थे और उन टेंडर दाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई दरों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) डिविजनल रेलवे मैनेजर उत्तर रेलवे इलाहाबाद ने अन्ततः किन-किन पार्टियों के पक्ष में ठेके दिये ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) कानपुर में ठेके के लिए सात निविदा फार्म तथा इलाहाबाद में ठेके के लिए दो निविदा फार्म बेचे गये थे। कानपुर में निविदाएं खोलने की निर्धारित तारीख 18-12-1980 तथा इलाहाबाद के लिए निर्धारित तारीख 24-12-1980 थी। किन्तु यह विनिश्चय किया गया कि निविदायें न खोली जाएं बल्कि कानपुर में ठेके का नवीकरण वर्तमान ठेकेदार के, जिसकी सेवाएं संतोषजनक थी, पक्ष में ठेके का नवीकरण कर दिया जाये। इलाहाबाद में ठेके के लिए अभी विनिश्चय किया जाना है।

साइकिल स्टैंड के ठेके

7108. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइकिल स्टैंडों के लिए ठेकेदारों/श्रमिक सहकारी संस्थाओं को ठेके देने के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या श्रमिक सहकारी संस्थाएं भी स्टेशनों पर खुले टेंडरों के बिना, विभिन्न वस्तुओं की बिक्री करने के ठेकों के आवंटन की पात्र है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय रेलवेज में गत दो वर्षों के दौरान खुले टेंडर आमंत्रित किए बिना ही, साइकिल स्टैंडों के लिए तथा स्टेशनों पर विभिन्न वस्तुएं बेचने के श्रमिक सहकारी संस्थाओं को दिए गए ठेकों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे स्टेशनों पर स्टैंड के ठेके टेंडर के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(ख) कुछ प्रमुख स्टेशनों के संबंध में टेंडर मांगने के बाद तथा अन्य स्टेशनों पर बिना टेंडर मांगे लाइसेंस फीस के आधार पर विभिन्न सामग्री बेचने के ठेके आवंटित किये जाते हैं।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजधानी में क्षय रोग अस्पताल में रोगियों को घटिया किस्म का भोजन दिया जाना

7809. श्री बी० बी० देसाई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में क्षयरोग अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों को अस्पताल की रसोई से दिए जा रहे घटिया किस्म के भोजन से ही गुजारा करना होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजन बाबू क्षयरोग अस्पताल, दिल्ली के रोगी सम्बन्धित अधिकारियों से इस बारे में शिकायत करते आ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला और इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं। भारतीय टी० बी एसोसिएशन तथा दिल्ली नगर निगम के अनुसार राजधानी के टी० बी० अस्पतालों में रोगियों को जो आहार दिया जाता है वह पर्याप्त और संतुलित होता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

गिनी के राष्ट्रपति की यात्रा

7810. श्री बी० बी० देसाई :

श्री मनफूल सिंह चौधरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिनी के राष्ट्रपति ने मार्च, 1981 के दौरान भारत की यात्रा की थी;

(ख) क्या यह सच है कि भारत और गिनी ने हिन्द महासागर में भारी सैनिक जमावं और प्रतिस्पर्धा पर विशेषकर दियागो गार्शिया के अमरीकी सैनिक अड्डे को मजबूत बनाने पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो ये अन्य बातें कौन सी हैं जिन पर दोनों सरकारों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है; और

(घ) उनकी यात्रा के पश्चात दोनों देशों के संबंध में किस सीमा तक और मजबूती आई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां, गिनी के राष्ट्रपति अहमद सेको तूरे 17 से 20 मार्च, 1981 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आये थे।

(ख) और (ग) गिनी के राष्ट्रपति और भारत की प्रधानमंत्री ने हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति और प्रतिद्वन्द्विता में वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की थी जिसमें विशेष रूप से दिएगो गार्सिया अड्डे को मजबूत बनाना भी शामिल है। दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि तटवर्ती और पश्च राज्यों की सपष्ट इच्छाओं के बावजूद बड़ी शक्तियां अपनी सैनिक स्पर्धा बढ़ा रही हैं जिसके इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दोनों नेताओं ने हिन्द महासागर में नौसैनिक शस्त्र परिसीमन के बारे में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच द्विपक्षीय वार्ता स्थगित हो जाने पर खेद व्यक्त किया और यह आशा व्यक्त की कि यह वार्ता जल्दी ही पुनः शुरू होगी।

(घ) गिनी के राष्ट्रपति की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विद्यमान द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। भावी सहयोग के जो क्षेत्र तय किए गए हैं उनमें कृषि, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, परिवहन और ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का विकास शामिल है।

राष्ट्रीय सड़क परिवहन निगम की स्थापना का प्रस्ताव

7811. श्री जनार्दन पुजारी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सड़क परिवहन निगम की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

सूरतगढ़-अनूपगढ़ लाइन

7812. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री अशोक गहलोत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़-अनूपगढ़ छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की योजना के अधीन सरकार को स्थानीय जनता की ओर से जैतसार स्टेशन को अनूपगढ़ के साथ जोड़ने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जैतसर स्टेशन को अनूपगढ़ स्टेशन से जोड़ने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) सूरतगढ़ से सरूपसर तक के लिए समानान्तर बड़ी लाइन तथा सरूपसर-अनूपगढ़ मीटर लाइन खंड (78 कि० मी०) का आमान परिवर्तन तथा इसे छत्तरगढ़ तक बढ़ाने के सर्वेक्षण के काम का 1981-82 के बजट में शामिल किया गया है जिसमें संयोगत: यह पहलू भी आ जाता है।

बम्बई वी० टी० पर गाड़ियों का आगमन

7813. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई वी० टी० पर एक प्लेट फार्म पर दो गाड़ियां आती हैं और उन्हीं गाड़ियों को तुरन्त ही जाने का संकेत दिया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि उसी समय आस पास के कई प्लेट फार्म खाली पड़े रहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) गाड़ियों को उसी प्लेट फार्म पर नहीं लिया जाता। एक प्लेट फार्म दो मुखी हो सकता है। बम्बई वी० टी० थोड़े-थोड़े अन्तराल में बड़ी संख्या में उपनगरीय गाड़ियां चलती और वहां समाप्त होती हैं, इस कारण कभी-कभी विशेष रूप से व्यस्त समय के दौरान एक प्लेट फार्म के दोनों ओर से प्राय: एक के बाद एक या एक साथ ही गाड़ियां यहां पहुंचती हैं या यहां से चलती हैं।

व्यस्ततम और गैर व्यस्ततम घंटों के दौरान बम्बई वी० टी० पर पहुंचने वाली गाड़ियों के चलने की आवृत्ति

7814. श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यस्ततम और गैर व्यस्ततम घंटों के दौरान बम्बई वी० टी० पर पहुंचने वाली उपनगरीय गाड़ियों के चलने की आवृत्ति क्या है;

(ख) एक घंटे के दौरान नम्बर 1 से 8 तक के प्लेटफार्म पर कुल कितनी गाड़ियां आती हैं और एक घंटे के दौरान प्रत्येक प्लेटफार्म पर कितनी-कितनी गाड़ियां आती हैं; और

(ग) जब बम्बई वी० टी० पर अधिकतम क्षमता का कार्य पूरा हो जाएगा, तब गाड़ियों के चलने की आवृत्ति क्या होगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

"सफदरगंज अस्पताल सोचनीय दशा में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

7815. श्री राम विलास पासवान :

श्री अशोक गहलोत :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1981 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में "सफदरजंग अस्पताल सोचनीय दशा में" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में लिपिकीय और आंकड़ों संबंधी कार्य के सरलीकरण के सम्बन्ध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा की गई सिफारिशें

7816. श्री निहाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में लिपिकीय और आंकड़ों संबंधी कार्य सरलीकरण के लिए तथा लिपिकीय कार्य को समाप्त करने और इसके कार्य के घंटों में इस प्रकार परिवर्तन करने जिससे अनावश्यक भीड़ कम हो और रोगियों को सुविधा हो, के लिए कई सिफारिशें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) हां।

(क) फिलहाल यह सिफारिश आजमायश के तौर पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दो औषधालय में लागू की जा रही है।

मोटरों, टैक्सियों, आटोरिक्शाओं और स्कूटर चालकों की उनके वाहनों की क्षमता के बारे में मांगें

7817. श्री चिरन्जी लाल शर्मा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली टैक्सी आटोरिक्शा तथा स्कूटर चालकों की उनके वाहनों की सवारियों की क्षमता के बारे में प्राप्त मांगों पर विचार कर लिया है; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

डाक्टर बनाने पर औसत लागत

7818. **श्री राजेश पाइलट** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्नातकोत्तर डिग्री के साथ एक डाक्टर बनाने पर कितनी औसत लागत बैठती है;

(ख) जब ऐसा डाक्टर सम्पन्न देश को चला जाता है तो वह अपने परिवार को औसतन कितनी राशि घर भेजता है (केवल कच्चा अनुमान बताया जाये);

(ग) निर्धन जनता, जिसकी कीमत पर उसको शिक्षा मिलती है, के लिए वह क्या करता है; और

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव देश से बाहर जाने वाले ऐसे डाक्टरों पर उपकर लगाए जाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) स्नातकोत्तर अर्हताओं वाला एक डाक्टर बनाने में कितना खर्च बैठता है इस बारे में कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

आगरा, जयपुर, अजमेर तथा उदयपुर के बीच और अधिक रेल गाड़ियों का चलाया जाना

7819. **श्री राजेश पाइलट** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पर्यटन क्षमता का उपयोग करने की दृष्टि से आगरा, जयपुर, अजमेर तथा उदयपुर के बीच और अधिक रेल गाड़ियों की तत्काल आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो यह आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आगरा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर के बीच पर्याप्त संख्या में मेल लेने वाली सेवाएं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नैमित्तिक श्रमिक

7820. श्री राम विलास पासवान :

श्री डी० पी० जडेजा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च, 1981 को विभिन्न रेलवे डिवीजनों में कुल कितने नैमित्तिक श्रमिक कार्य कर रहे थे और उनमें डिवीजनवार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई० 79 (एस० सी० टी०) 15/1 दिनांक 10 मार्च, 1979 के द्वारा जारी किये निदेशों का डिवीजनल प्रबंधकों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो बोर्ड के निदेशों का किन-किन मण्डलीय प्रबंधकों ने पालन किया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना सभी क्षेत्रीय रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खान-पान (केटरिंग) ठेकेदार

7821. श्री राम विलास पासवान : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलों में खान-पान (केटरिंग) ठेकेदारों की कुल संख्या क्या है और उनमें से अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों की डिवीजन वार संख्या क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : क्षेत्रीय रेल प्रशासनों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

थीसिस लिखने वाले रेजीडेन्ट डाक्टरों को वित्तीय सहायता

7822. श्री के० ए० राजन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार ने एम० डी० /एम० एस० पर थीसिस लिखने वाले दिल्ली के डाक्टरों को जो कि इस कार्य पर भारी राशि खर्च कर रहे हैं, कोई वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : नहीं।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में फोटोग्राफी विभाग/अनुभाग के कर्मचारी

7823. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आजाद मैडिकल कालेज में एक फोटोग्राफिक विभाग/अनुभाग है तो

लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गोविन्द वल्लभ पंत अस्पताल और गुरु नानक आई अस्पताल से सम्बद्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग/अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों की, वर्गवार, संख्या कितनी है और उनमें प्रत्येक वर्ग के पदों पर अलग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक वर्ग में, विशेषकर वरिष्ठ फोटोग्राफरों के पदों पर, आरक्षित कोटा पूरा है; और

(घ) यदि नहीं, तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को न करने के क्या कारण हैं और इन पदों को कब तक भर लिए जाने की सम्भावना है और पिछली बकाया रिक्तियां कब तक भरी जायेंगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) से (घ) लोकनायक जयप्रकाश नारायण और गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पतालों तथा मौलाना आजाद मैडिकल कालेज में फोटोग्राफी के कार्य में निम्नलिखित स्टाक लगा हुआ है :

पद का नाम	मौलाना आजाद मैडिकल कालेज		लोकनायक जय प्रकाश अस्पताल		गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल	
—	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	कालम (1) में दिए गए व्यक्तियों में कार्यरत	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	कालम (1) में दिए गए व्यक्तियों के कार्यरत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	कालम (1) में दिए गए व्यक्तियों के कार्यरत अनुसूचित जाति अनु० जनजाति के व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1. वरिष्ठ फोटोग्राफर	1	—	1	—	—	—
2. आर्टिस्ट फोटोग्राफर	1	—	—	—	—	—
3. फ्लूरेसिन एन्जियो सहायक	1	—	—	—	—	—
4. फोटो- ग्राफर	1	—	1	1	—	—
5. डार्करूम सहायक	2	1	1	—	—	—

लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल और गुरु नानक नेत्र अस्पताल से सम्बद्ध मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में अलग से कोई फोटोग्राफी विभाग अनुभाग नहीं है।

चूंकि पूर्वोक्त विवरण में दिखाए गए पद इक्का-दुक्का (आइसोलेटिड) हैं, इसलिए इन्हें अन्य समान पदों के साथ मिला दिया गया है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 40 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। वरिष्ठ फोटोग्राफर का पद भी एकाकी है और तदनुसार इसके आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

मौलाना आजाद मैडीकल कालेज, में सीनियर फोटोग्राफरों के रिक्त पद

7824. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, जी० बी० पन्त अस्पताल तथा गुरु नानक नेत्र केन्द्र से सम्बद्ध मौलाना आजाद मैडिकल कालेज में कुल कितने सीनियर फोटोग्राफर काम कर रहे हैं;

(ख) इस वर्ग के कितने पद रिक्त हैं तथा ये पद कब से रिक्त हैं और उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं; और

(ग) इन पदों को विभागीय उम्मीदवारों से न भरे जाने के क्या कारण हैं और इन पदों को विभागीय उम्मीदवारों से कब भरा जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) एक मौलाना आजाद मैडिकल कालेज में तथा एक लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में।

(ख) लोक नायक जयप्रकाश नारायण का पद 1 नवम्बर, 1997 से रिक्त पड़ा हुआ है। यह पद आरक्षित पद नहीं है।

(ग) यह पद इसलिए नहीं भरा जा सका क्योंकि सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा किए गए चयन को कानूनी चुनौती दे दी गई है और आज की स्थिति के अनुसार यह मामला न्यायाधीन है।

अस्पतालों में कार्यरत प्रयोगशाला टेक्नीशियनों को चयन ग्रेड

7825. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की प्रयोगशालाओं में कार्यरत प्रयोगशाला टेक्नीशियनों को चयन ग्रेड दिया गया है जबकि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत अन्य अस्पतालों में कार्य कर रहे प्रयोगशाला टेक्नीशियनों को वह नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन सभी प्रयोगशाला टेक्नीशियनों को जिन्हें अब तक इससे वंचित रखा गया है; चयन ग्रेड देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) हां ।

(ख) सरकारी आदेशों के अनुसार चयन ग्रेड तभी दिया जाता है जब सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या 75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हो । यद्यपि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रयोगशाला तकनीशियन इस सिद्धान्त के अधीन चयन ग्रेड के पात्र होते हैं किन्तु दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के प्रयोगशाला तकनीशियन इसके पात्र नहीं हैं ।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

बाजार में नकली दवाइयों की बिक्री

7826. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बाजार में बड़ी संख्या में नकली दवाइयां बिक रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बात की जांच करने के लिए कि केवल असली दवाइयां ही बाजार में बिकें सरकार द्वारा क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नकली औषधियों के निर्माण के मामले समय-समय पर भारत सरकार के ध्यान में आते रहते हैं । लेकिन बड़े पैमाने पर नकली औषधियों के निर्माण की कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है । औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अन्तर्गत औषधियों के निर्माण और बिक्री पर नियंत्रण राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है ।

(ख) जब कभी ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आते हैं तो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अनुसार आश्वयक कार्रवाई की जाती है । नकली औषधियों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए जो उपाय किये गये हैं उनका एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

नकली औषधियों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए किये गये उपायों का विवरण

(1) नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री करने पर दण्ड को जुर्माने सहित तीन वर्ष से 10 वर्ष तक बढ़ाने के लिए 1964 में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधित किया गया था । न्यायालयों से अनुरोध किया गया था कि यदि वे एक वर्ष से कम की सजा देना चाहते हैं तो उसके लिये विशेष कारण लिखित रूप से रिकार्ड करें ।

(2) 1964 में एक नई धारा जोड़ी गई जिसमें प्रत्येक दुकानदार अथवा किसी निर्माता के एजेन्ट से यह अपेक्षा की गई कि वह औषध निरीक्षक को उस व्यक्ति का नाम, पता तथा अन्य ब्यौरा बताये जिससे उसने औषधियां अथवा प्रसाधन सामग्री खरीदी है ।

(3) 1964 में एक ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसके तहत यदि नकली दवाइयों के निर्माण अथवा उनके विवरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दोषी सिद्ध कर दिया जाता है तो उन दवाओं के स्टाक को जब्त किया जा सकता है। ऐसी दवाओं के निर्माण, बिक्री अथवा वितरण में प्रयुक्त मशीनरी के साज-सामान और ऐसे पात्रों, बंडलों अथवा कवरों को जिनमें ये नकली दवाइयां रखी गई हों, और इन दवाइयों को ले जाने वाली गाड़ियों, पशुओं, यानों अथवा अन्य वाहनों को भी जब्त किया जा सकता है।

(4) बिना लाइसेंस प्राप्त किये औषधियों का निर्माण करने वालों को जो प्राय: नकली औषधियों का निर्माण व बिक्री करते हैं, इस व्यवसाय से हटाने के अभिप्राय से "लाइसेंस प्राप्त औषधि निर्माताओं की एक अखिल भारतीय सूची" तैयार की गई है और इसे अद्यतन कर दिया गया है। इस सूची की सभी राज्य औषधि नियंत्रकों तथा औषधि निर्माताओं और बिक्रेताओं की मुख्य एसोसियेसनों को भी परिपत्रित कर दिया गया है।

(5) राज्यों को सलाह दे दी गई है कि वे नकली दवाइयों के प्रति गहन अभियान चलाने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करें।

(6) जब भी केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन मे नकली दवाओं के निर्माण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह घोटाला अन्तर्राज्य किस्म का होता है तो सम्बन्धित राज्यों को तुरन्त सचेत कर दिया जाता है और उन्हें सलाह दी जाती है कि राज्य पुलिस की सहायता से आवश्यक कार्यवाही करें।

(7) दवा निर्माताओं और बिक्रेताओं के हित को देखने वाले संघों का सहयोग प्राप्त किया गया है और प्राप्त किया जा रहा है ताकि निर्माण और बिक्री की अच्छी प्रणाली का पालन सुनिश्चित किया जा सके। नकली दवाओं के विरुद्ध अभियान में भी उनका सहयोग मांगा जा रहा है।

(8) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा औषध परामर्शदात्री समिति की बैठकें, जोनल राज्य औषधि नियंत्रकों की बैठकें आयोजित करके तथा जोनल अधिकारी राज्य औषध नियंत्रकों से विचार विमर्श द्वारा तथा पत्राचार के माध्यम से राज्य के औषध नियंत्रण संगठन के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

(9) राज्यों से औषध सलाहकार बोर्डों का गठन करने का अनुरोध किया जा चुका है जिनमें निर्माताओं, बिक्रेताओं, चिकित्सा व्यवसाय तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए तो राज्य सरकारों औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए उपाय सुझायें।

(10) केन्द्रीय सरकार की केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता, केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद और केन्द्रीय अनुसंधान, कसौली में उपलब्ध जाँच सुविधाएं राज्यों को सौंप दी गई है। अब 21 राज्य और संघ शासित क्षेत्र इस जांच सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

(11) केन्द्र और राज्य संगठनों के बीच निकट सम्पर्क बनाये रखने के लिए तथा सारे देश में इस अधिनियम को एकता से लागू करने के लिए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के जोनल कार्यालय, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, गाजियाबाद में खोल दिए गए हैं। इन जोनल कार्यालयों के साथ औषधि निरीक्षक भी सम्बद्ध हैं और ये निरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए कि औषधियां औषध अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार ही तैयार की जा रही हैं, राज्य प्राधिकारियों के साथ मिल कर औषधि निर्माताओं के महातों में संयुक्त निरीक्षण करते हैं।

(12) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त औषध निरीक्षकों की तकनीकी क्षमता को केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन द्वारा आधुनिकतम बनाया जाता है और जिसके लिए वह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है और राज्य सरकारें इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं।

इलाहाबाद में माल की उतराई-चढ़ाई का ठेका

7827. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिवीजन मैनेजर उत्तर रेलवे इलाहाबाद ने इलाहाबाद स्टेशन पर माल की उतराई-चढ़ाई के ठेके के लिए मेसर्ज रेलवे साईकिल स्टेंड कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड, इलाहाबाद के साथ एक करार किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि डिवीजनल मैनेजर, इलाहाबाद, ने उक्त करार में निहित अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस ठेके को, उपरोक्त सोसायटी का कार्य निष्पादन असन्तोषजनक बने रहने के कारण 18 दिसम्बर, 1980 को समाप्त कर दिया था;

(ग) 18 दिसम्बर, 1980 से 9 जनवरी, 1981 तक लगाये गये विभागीय श्रम पर कुल कितनी राशि खर्च हुई और क्या इस प्रकार खर्च की गई समूची राशि उक्त सोसायटी से वसूल कर ली गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जनवरी और फरवरी 81 में सोसायटी के सम्हलाई बिलों से विभागीय श्रमिक प्रभारों के 6907.50 रु० वसूल किये गये।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बरौनी में आसाम मेल में जोड़े जाने वाले कोचों की बुरी दशा

7828. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस कोच पर मुजफ्फरपुर-नई दिल्ली की प्लेट लगी होती है और जिसे आसाम मेल के साथ बरौनी जंक्शन पर जोड़ा जाता है उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तथा इसमें पानी और प्रकाश की कोई सुविधा नहीं है तथा इसके दरवाजे की स्थिति भी अच्छी नहीं है।

(ख) यदि हां, तो संसद सदस्यों द्वारा बार-बार शिकायतें किये जाने के बावजूद उसमें सुधार न किये जाने के कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस कोच में कोई अटेंडेंट भी नहीं है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस कोच को सभी कोचों के बाद में जोड़ा जाता है तथा प्रथम श्रेणी के यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीच चल रहे सवारी डिब्बों के भीतर और बाहर रोगन करके अभी हाल ही में उनका नवीकरण किया गया है और उनके दरवाजे भली प्रकार काम कर रहे हैं। उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था भी सुनिश्चित की गयी है। इस गाड़ी में सभी तीन सेट सवारी-डिब्बों की वर्तमान हालत को संतोषपूर्ण समझा जाता है। सवारी डिब्बों में पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रारम्भिक स्टेशनों और मार्गवर्ती स्टेशनों के नामित डिपुओं पर पानी फिर से भरा जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार, केवल पूरे गलियारेदार किस्म के पहले दर्जे के सवारी डिब्बों में डिब्बा परिचरों की व्यवस्था की जाती है। इस किस्म के पहले-एवं-दूसरे दर्जे के मिले-जुले सवारी डिब्बों के पहले दर्जे के भाग में इस समय परिचरों की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। पूरे गलियारेदार किस्म के पहले दर्जे के संलग्न सवारी डिब्बों के डिब्बा परिचरों सहित, गाड़ी कर्मचारी यदि कोई हों, उनमें चल रहे यात्रियों के आराम की देखभाल करते हैं।

(घ) और (ङ) बरौनी से 85 अप में तीन सवारी डिब्बे अर्थात् दूसरे दर्जे का एक साधारण, सवारी डिब्बा दूसरे दर्जे का एक 3-टियर शयन यान और पहले और दूसरे दर्जे की एक मिली-जुली बोगी, लगाये जाते हैं। इन्हें पीछे एस० एल० आर० में पहले, दूसरे और तीसरे नम्बर पर जोड़ा जाता है। चूंकि इन सवारी डिब्बों को मध्यवर्ती स्टेशन पर 85 अप में लगाया जाता है, इसलिए उन्हें गाड़ी के बीच में जोड़ना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

चेतक एक्सप्रेस का डीजलीकरण

7829. **श्री भीखाभाई** : क्या रेल मंत्री चेतक एक्सप्रेस के डीजलीकरण के बारे में 19 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7752 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने कुछ सदस्यों को एक आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली से उदयपुर तक चेतक एक्सप्रेस के डीजलीकरण के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) वर्ष 1979 में दिये गये आश्वासन को कब पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) चेतक एक्सप्रेस के डीजलीकरण की व्यावहारिकता की जांच की जा रही है और व्यावहारिक पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी।

इंडियन रेलवे यूजर्स एसोसियेशन

7830. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे की जोनल तथा डिवीजनल यूजर्स कंसलटेटिव कमेटी और एन० आर० यू० सी० सी० तथा स्टेंडिंग वोलन्टरी हैल्प कमेटी में इंडियन रेलवे यूजर्स एसोसियेशन को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न 23 अप्रैल, 1981 से विचाराधीन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक ने इंडियन रेलवे यूजर्स एसोसियेशन के पंजीकरण, उद्देश्यों, कार्यकरण की तारीख, लक्ष्यों, क्षेत्राधिकारी और सदस्यता आदि के बारे में जानकारी मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में आदेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भारतीय रेलवे उपभोक्ता संघ को रेलवे परामर्श निकायों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

गनमैनों की परेशानियां

7831. **श्री के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० डब्ल्यू० आई० एस० धनबाद, गोमोह, पारसनाथ, बेरमा, हजारीबाग रोड, चन्द्रपुर, कटरासगढ़, बड़काकाना पडाटू, तोरी, लाटसहाई आदि के अन्तर्गत अस्थायी दर्जे के गनमैनों (सी० पी० सी०) की अगस्त 1974 से कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) जनवरी, फरवरी और मार्च 1979 के महीनों में प्रधानखन्ता के काम करने के लिए धनबाद में गनमैनों (सी० पी० सी०) का यात्रा भत्ता;

(ग) चौकीदार के रूप में 12 घंटे की ड्यूटी देने और गश्त करने की ड्यूटी देने के कार्य करने के धनबाद के गनमैनों को समयोपरि भत्ता; और

(घ) आर० ए० टी० 69 के अनुसार 1 मई 1979 से 16 सितम्बर, 1979 तक साढ़े आठ तक का ड्यूटी समय आठ घंटे बदलने के लिए डी० ई० एन० (कोंस) धनबाद के अन्तर्गत के गनमैनों को समयोपरि भत्ता ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्तमान नियमों के अनुसार नैमत्तिक गैंगमैनों को अस्थायी ओहदा प्राप्त कर लेने पर नियमित वेतनमान दे दिया जाता है।

(ख) चूंकि इन गैंगमैनों का मुख्यालय प्रधानखंता है, इसलिए वे किसी यात्रा भत्ते के हकदार नहीं हैं।

(ग) वर्तमान नियमों के अनुसार उन सभी मामलों में समयोपरि भत्ते का भुगतान कर दिया गया है जहां रिकार्ड के अनुसार दावे सही पाये गये।

(घ) समयोपरि बिल की जांच की जा रही है और शीघ्र ही भुगतान करने की व्यवस्था की जा रही है।

पुरी/भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच नई एक्सप्रैस रेलगाड़ी

7832. श्री राम चन्द्र रथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खड़गपुर, आद्रा, आसनसोल, वाराणसी और मुगलसराय होकर पुरी/भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच एक नई एक्सप्रैस रेलगाड़ी शुरू करने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 977-78 में रद्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) क्या उनका मंत्रालय अब इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और छठी योजना अवधि के दौरान नई रेल गाड़ियां शुरू करते समय क्या इसे प्राथमिकता दी जायेगी; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) लाइन क्षमता की तंगी तथा अन्य परिचालनिक कठिनाइयों के कारण 1977-78 के दौरान आद्रा और आसनसोल के रास्ते पुरी और नयी दिल्ली के बीच एक नयी गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया था।

(ग) और (घ) टाटानगर और बोकारो इस्पात सिटी, गया, मुगलसराय, वाराणसी जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों तथा औद्योगिक केन्द्रों को जोड़ने के लिए और छोटा नागपुर के पिछड़े इलाकों को केन्द्र की राजधानी से जोड़ने के उद्देश्य से सप्ताह में तीन बार चलने वाली 175/176 पुरी-नयी दिल्ली नीलाचल एक्सप्रैस को 1-4-80 से आरम्भ कर दिया गया है।

आरक्षण संबंधी फ़ार्मों का भरा जाना

7833. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम् : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे ने मदुरई से शुरू होने वाली बैंगल एक्सप्रैस के लिए आरक्षण संबंधी फार्मों के भरे जाने की पद्धति को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि इस पद्धति को समाप्त कर दिये जाने के परिणाम-स्वरूप टिकटों की कालाबाजारी बढ़ गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) आरक्षण खिड़कियों पर यात्रियों को तत्काल सेवा प्रदान करने के लिए दिन के समय चलने वाली गाड़ियों में सीटों के आरक्षण के लिए यात्रियों द्वारा मांग-पत्र भरने की प्रक्रिया 1980 में समाप्त कर दी गयी थी।

(ग) इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, मुनीरका, नई दिल्ली का कार्यकरण

7834. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, मुनीरका, नई दिल्ली के कार्य का समय प्रातः 9.30 से मध्याह्न 1.00 बजे तक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि प्रातः 10.30 बजे तक केन्द्र में न तो डाक्टर ही आते हैं और नहीं स्वागत अधिकारी;

(ग) इस तथ्य के बावजूद कि इस केन्द्र पर बहुत ही कम संख्या में रोगी आते हैं, क्या डाक्टर उन्हें अच्छी तरह नहीं देखते तथा संरक्षकों को किसी न किसी बहाने टाल दिया जाता है;

(घ) क्या केन्द्र में कुछ मरीजों का इलाज 1978 से चल रहा है, यदि हां, तो ऐसे मरीजों की संख्या क्या है और उनके निदान में इतना लम्बा समय लगने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव केन्द्र के प्रवेश द्वार पर किसी उपयुक्त स्थल पर शिकायत पुस्तिका अथवा सुझाव पेटिका रखने का है, जिससे कि मरीज अपनी कठिनाइयों को सरकार की जानकारी में ला सकें; और

(च) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र के डाक्टर और अन्य कर्मचारी केन्द्र में नियमित रूप से समय पर आते हैं किंतु वे सप्ताह में एक बार केन्द्र में आने से पहले स्टाफ मीटिंग में भाग लेने जाते हैं जो इस संस्थान में ही होती है।

(ग) ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

(घ) जी हां लगभग 17 दम्पति जो 1978 में पंजीकृत किए गए थे, जनवरी-मार्च 1981 के दौरान क्लिनिक में आते रहे हैं। संस्थान में आने वाले बहुत से मामले मुश्किल और पेचीदा होते हैं। अनेक बांझ तथा प्रजनन विकार वाली महिलाओं का 1978 से अन्वेषण और उपचार किया जा रहा है। वन्ध्य व्यक्तियों के इलाज में बहुत लम्बा समय लगता है और इसमें दम्पतियों और डाक्टरों दोनों को बड़े धैर्य से काम लेने की जरूरत होती है।

(ङ) यह मुख्यतया एक अनुसंधान केन्द्र है, न कि रूटीन सेवा केन्द्र। रोगियों की तकलीफों को सुनने के लिए अधिकारीगण केन्द्र में उपलब्ध होते हैं। वैसे अब इस केन्द्र में एक शिकायत रजिस्टर रख दिया गया है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

दो विधायकों से ज्ञापन

7835. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिन पहले पूर्वी रेलवे के महाप्रबन्धक को, उनके माधुपुर दौरे के दौरान दो विधायकों तथा स्थानीय लोगों की ओर से एक ज्ञापन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) ज्ञापन में एक नयी गाड़ी चलाना, वर्तमान गाड़ियों के अतिरिक्त ठहरावों की व्यवस्था तथा शायिकाओं में आरक्षण के लिए कोटा निर्धारित करना शामिल था । इन मामलों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

तमिलनाडु एक्सप्रेस रेल गाड़ी की टिकटें

7836. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु गाड़ी में बंगलौर से दिल्ली के टिकट जारी किये जाते हैं जबकि तमिलनाडु एक्सप्रेस गाड़ी के दिल्ली से बंगलौर तक के लिए जारी करने की कोई व्यवस्था अथवा कोटा नहीं है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 122 अप तमिलनाडु एक्सप्रेस और सम्बद्ध गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नयी दिल्ली से बेंगलूरु तक आरक्षित स्थान की थ्रू बुकिंग सुविधा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के नैमित्तक श्रमिकों का पैनल

7837 **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के नैमित्तिक श्रमिकों को उनकी नियुक्ति की तिथि से लेकर दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन में जांच की तिथि तक काम करने के आधार पर पैनल में शामिल किया गया है;

(ख) कार्य के कुल दिनों की संख्या ही डी० एस० टी० ई०/डब्ल्यू/ताम्बरम द्वारा डी० पी० ओ०/तिरेउचचिरापल्ली तथा वरिष्ठ डी० पी० ओ०/मद्रास को वर्ष 1979 के लिए बने पदों के लिए पैनल में शामिल करने को भेजी गई थी;

(ग) क्या सच है कि वर्ष 1980 के लिए पैनल बनाने हेतु डी० एस० टी० ई०/डल्यू ताम्बरम ने वरिष्ठ डी० पी० ओ०/मद्रास को नियुक्त तिथि ही भेजी थी, जबकि डी० एस० डी० ई०/मदुरै ने पैनल तैयार करने हेतु वरिष्ठता निर्धारण करने के लिए कार्य दिवसों की कुल संख्या ली है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पृथक प्रक्रिया अपनाए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे डाक्टर

7838. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेलवे डाक्टरों की समस्याओं की जांच करने के लिए एक-सदस्यीय (डा० शर्मा) आयोग की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस आयोग का प्रतिवेदन मिल गया है;

(ग) यदि हां, तो आयोग द्वारा क्या-क्या मुख्य सिफारिश की गई है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों पर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के वास्ते उपायों की सिफारिश करने के लिए 1976 में एक सदस्यीय (डा० डी० एन० शर्मा) आयोग की नियुक्ति की गयी थी।

(ख) जी हां।

(ग) मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) स्वास्थ्य यूनिटों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें।

(2) बेहतर प्रासंगिक सेवाएं और अस्पताल सेवाओं के उपयोग में सुधार करना।

(3) रेलवे स्टेशनों और बस्तियों में जन-स्वास्थ्य और स्वच्छता-कार्यों में सुधार करना।

(4) चिकित्सा और परा-चिकित्सा कर्मचारियों की पदोन्नति की बेहतर संभावनाएं।

(5) चुनींदा अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाओं का विकास करना।

(6) जिन स्थानों पर दो अथवा अधिक क्षेत्रीय रेलें पड़ती हैं, वहां पर बेहतर स्वास्थ्य प्रशासन।

(7) जिन डाक्टरों की भर्ती अध्ययन की लम्बी अवधि, अर्हता और अनुभव के कारण देर से की गयी है, उनकी सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करना क्योंकि इनमें से अधिकांश डाक्टर पूर्ण पेंशन के लिए अर्हता-प्राप्त नहीं करते।

(घ) रिपोर्ट पर विचार किया गया था और सिफारिशों पर पहले ही अपेक्षित कार्यवाही की जा चुकी है।

सरकारी औषधि भण्डार डिपो के कर्मचारियों को बोनस

7839. श्री के० बी० एस० मनी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी औषधि भण्डार डिपो प्रशासन, मद्रास ने कर्मचारियों को उत्पादन के सम्बद्ध अन्तरिम बोनस की अदायगी की सिफारिश की थी और प्रबंधकों द्वारा क्षेत्रीय श्रमायुक्त, मद्रास के समक्ष इसकी पुष्टि की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) डिपो कर्मचारियों को उत्पादन से संबद्ध बोनस का भुगतान कब किया जाएगा;

(घ) क्या इस मामले का निपटान करने के लिए सरकार की ओर से कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) (घ) और (ङ) यह मामला अभी विचाराधीन है।

हनुमानगढ़ के पी० डब्ल्यू० जे० और ए० ई० एन०

7840. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हनुमानगढ़, (राजस्थान) (पश्चिम रेल) के निर्माण विभाग के पी० डब्ल्यू० जे० और ए० ई० एन० को बैलास्ट स्टेकों के त्रुटिपूर्ण/खराब चट्टे लगाए जाने के बारे में मार्च के प्रथम तथा द्वितीय सप्ताह में कोई लिखित शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) रेलपथ निरीक्षक (निर्माण), हनुमानगढ़, उत्तर रेलवे के अधीन कार्यरत एक नैमित्तिक श्रमिक श्री उमेश मिश्र से ठेकेदार द्वारा गिट्टी का ढेर गलत/खराब लगाने के संबंध में इस प्रकार के ढेरों के विवरण सहित रेल-पथ निरीक्षक (निर्माण) हनुमानगढ़, उत्तर रेलवे (पश्चिम रेलवे नहीं) के नाम दिनांक 12-3-1981 का एक रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त हुआ था। ठेकेदार द्वारा 25.2.81 और 7.3.81 के बीच गिट्टी का ढेर लगाया गया था। श्री मिश्र ने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि गिट्टी के ढेर को मापने से पहले गिट्टी का ढेर लगाते समय अनुचित सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि रेलवे को कोई हानि न हो सके।

(ग) प्रश्नाधीन ढेरों की रेलपथ निरीक्षक (निर्माण), हनुमानगढ़, ने जांच की थी जिसने कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पायी। 22.3.81 को मामले की रिपोर्ट सहायक इंजीनियर को भी की गयी थी जिसने ढेरों की जांच की थी और भली-भांति जांच करने के बाद ढेरों में माप को रिकार्ड किया और जांच के दौरान नोटिस में आयी मामूली खामियां दूर कर दी गयीं।

रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनरों द्वारा फर्जी मेडिलक सर्टिफिकेट जारी किया जाना

7841. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिश्नर अपने भरण-पोषण के लिए अपने परिसरों में दवाई की दुकानें चला कर तथा फर्जी मैडिकल सर्टिफिकेट जारी करके अवांछित गतिविधियों का सहारा लेते हैं तथा डाक्टरी व्यवसाय को बदनाम करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन आरोपों के तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण करने का है और यदि सही पाए गए, तो उनके व्यावसायिक लाइसेंसों को रद्द करने तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) दिल्ली प्रशासन के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में पोर्ट कैनिंग के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

7842. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल में पोर्ट कैनिंग के विकास के लिए कोई वित्तीय/तकनीकी सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार छोटे पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है और इस प्रयोजन के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य क्षेत्र योजनाओं में की जाती है। इसलिए, इस कार्य के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं में कोई धनराशि नहीं दी जाती। राज्य सरकारें जब कभी अनुरोध करती हैं तो उन्हें तकनीकी सहायता दी जाती है। परन्तु, कैनिंग पत्तन के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से इस तरह का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

गत तीन वर्षों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या

7843. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में सरकारी सड़क परिवहन बसों, गैर-सरकारी सड़क परिवहन बसों, सार्वजनिक वाहनों तथा अन्य वाहनों की कितनी दुर्घटनाएं हुई; और

(ख) गत तीन वर्षों से कितने व्यक्ति हताहत हुए और सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारों और संघ-शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर, देश में पिछले तीन वर्षों में सभी प्रकार की गाड़ियों से घातक तथा अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं का ब्योरा इस प्रकार है :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की कुल संख्या (000 संख्या)	हताहतों की संख्या (000 संख्या)	
		मृत व्यक्ति	घायल व्यक्ति
1978	122.5	19.1	87.0
1979	111.4	18.5	83.2
1980	91.7	14.5	76.1

दुर्घटनाओं के कारण होने वाली संपत्ति की क्षति का ब्योरा नहीं रखा गया है।

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

श्री निरेन घोष (दमदम) : समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता खतरे में है क्योंकि समाचार-पत्रों में ···।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप मेरी बात सुनिए। जितने भी मोशंस मेरे पास आए थे, मैंने रिजेक्ट कर दिए हैं क्योंकि होम मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स आ रही हैं और जितना भी आप कहना चाहते हैं वह सारा उसमें कवर हो जाएगा। जितनी सख्ती से आप कहना चाहते हैं, आप कहिए।

श्री निरेन घोष : लेकिन वह तो शोरगुल में ही दब जाएगा।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : स्पीकर साहब, मुरादाबाद के रायट्स के सिलसिले में होम मिनिस्टर साहब ने कहा था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स आ रही हैं, आप होम मिनिस्टर से पूछिएगा।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, पत्रकार के ऊपर हमले का जो मामला है उसका होम मिनिस्ट्री से सम्बन्ध नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : तो किससे है ?

श्री राम विलास पासवान : राज्य सरकार और भजनलाल के खिलाफ उसने लिखा इसलिए उसको गिरफ्तार करके ले जाया गया। कल जब हम आवाज उठाएंगे तो आप कहेंगे यह स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, यहां पर आप मत उठाइये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : मैंने एडजर्नमेन्ट मोशन दिया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं है ।

मुझे मालूम है । मुझे इस स्थिति की पूर्णतः जानकारी है । मैं जानता हूं कि समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता बहुत जरूरी है । यह व्यवस्था के अधीन आता है । इस पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जानी है ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में चार आदमी मारे गए हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह भी गृह मंत्रालय की मांगों के अन्तर्गत आता है ।

श्री रामावतार शास्त्री : उससे कैसे काम चलेगा ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह राज्य का विषय है और गृह मंत्रालय की मांगों के अधीन भी आता है ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (गोल्लाची) : जहां तक शास्त्री जी के मुद्दे का संबंध है, तमिलनाडु में कई घटनाएं घटी हैं । अनेक बार हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति मांगी है । उत्तर यह दिया गया था कि वह राज्य का विषय है । हम इस पर चर्चा कहां कर सकते हैं ? राज्य सरकार का इस मामले में निहित स्वार्थ है । हम इस पर चर्चा कहां करें ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों को नहीं बदल सकता । मैं नियमों के बाहर नहीं जा सकता । यदि मैं ऐसा एक स्थान पर करूं···

(व्यवधान)

श्री सी० टी० दण्डपाणि : जहां तक हरिजनों के हितों का संबंध है, इसके राज्य का विषय होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री की डिमांड्स आ रही हैं ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : हो सकता है कुछ सदस्यों को यह अवसर न मिले कि···

अध्यक्ष महोदय : आपको चर्चा का अवसर मिल सकता है । आप इस तरह दिल क्यों छोटा करते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कृपया जल्दबाजी में अपना निर्णय न दीजिए । मैं यह जानना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा केन्द्र का विषय है अथवा राज्य का विषय ?

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : पहले मुझे यह बताएं कि क्या संविधान की रक्षा केन्द्र का विषय है अथवा राज्य विषय ? एक साधारण व्यक्ति के रूप में, मैं यह जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हम सभी इससे संबंधित हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : उसके अनुसार, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हुआ है···

अध्यक्ष महोदय : किस तरह ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हुआ है। कृपया कुछ सैकेंड के लिए मेरी बात सुनें। मुझे एक पत्रकार का पता चला है जिसे यह कहा गया है कि चूंकि वह फरीदाबाद में, एक अन्य जिले के फोटो ले रहा था, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया था। उसे दिल्ली से ले जाया गया उसके साथ मारपीट की गई और उसे फरीदाबाद में ले जाकर रखा गया। क्या यह एक सटीक मामला नहीं है··· ?

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्रालय की मांगों के समय क्या मैं इस विषय पर चर्चा करने पर प्रतिबंध लगा रहा हूं ?

श्री राम विलास पासवान : होम मिनिस्ट्री में कैसे आएगा ?

अध्यक्ष महोदय : फिर कहां आयेगा ? ला एण्ड आर्डर को आप कहा लेंगे ? (व्यवधान) नहीं। यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। उसी के अधीन इस पर चर्चा की जा सकती है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं आपका निर्णय चाहता हूं। क्या यह केन्द्र का विषय है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इसे गृह मंत्रालय से संबंधित मानें।

प्रो० मधु दण्डवते : अतः यह केन्द्र के अधीन आता है। अनुच्छेद 19 की रक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, जिसमें समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता शामिल है, जिसमें पत्रकारों की जीवनरक्षा भी शामिल है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मै समझता हूं; मैं स्थिति से पूर्णतः अवगत हूं। आपके विचारों से मुझे पूर्ण सहानुभूति है। लेकिन इस प्रश्न पर उचित रूप से चर्चा गृह मंत्रालय की मांगों के अधीन की जा सकती है।

प्रो० मधु० दण्डवते : कृपया उन्हें वक्तव्य का निदेश दें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझ नहीं आता। जब हमारे पास अवसर है, जब गृह मंत्रालय की मांगें विचार के लिए सामने आ रही हैं, तो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके लिए यह (वक्तव्य दिया जाना) जरूरी है। जी नहीं। इस संबंध में नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। मुझे नियमों की जानकारी है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आपके तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है क्योंकि पुलिस उसकी पिटाई कर रही है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ? इसके लिए कानून हैं। न्यायालय खुले हैं। श्री चित्त बसु (व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : दिल्ली पुलिस द्वारा अनेक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। वे शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे···। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे हरबार क्यों दोहराना चाहते है ? जी नहीं। कुछ भी रिकार्ड में नहीं आएगा।

(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : तमिलनाडु में कास्ट रायट फैल रहा है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने बोल दिया है। बारी-बारी आप क्यों कहलवाते हैं। एक बार नहीं, दस बार दोहराने से क्या वजन बढ़ता है। आप इस पर चर्चा करें। हमने इन बातों पर पहले ही चर्चा कर ली है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जब भी हम कुछ प्रश्न उठाते हैं, आप कह देते हैं कि यह रिकार्ड में नहीं आएगा। किस नियम के अधीन ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वह मेरी अनुमति के बिना हो।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि मैं कुछ बातें कहता हूँ, यदि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता जो अश्लीश अथवा मानहानिकारक है, तो फिर आप यह क्यों कहते हैं कि वह रिकार्ड में नहीं आएगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? मैं यह कह रहा हूँ कि केवल वे बातें रिकार्ड नहीं की जाएंगी जो मेरी अनुमति के बिना कही गई हों। आप मेरी अनुमति से जो कुछ भी कह रहे हो वह रिकार्ड में आ जाएगा। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति अपनी ही मरजी से बोलता जाएगा तब मैं अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता हूँ और मेरी अनुमति के बिना किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं है। क्या इस परम्परा का अन्य सदस्यों में भी पालन किया जाता है, यहां तक कि इगलैंड मे भी ? हां। हर जगह। अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है। अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोलने की इजाजत नहीं होती। मुझे यहां नियमों को पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आपने नियम पढ़े हैं तो आप प्रश्न नहीं उठाएंगे। आप प्रोफेसर हैं। यह सब मुझे आपको क्यों बताना पड़ रहा है ? यह बात तो बल्कि आपको मुझे बतानी चाहिए। आपको मेरी अनुमति लेनी होगी। (व्यवधान) यदि आप कोई चर्चा करना चाहते हैं तो मेरे चैम्बर में आएं। यदि आप कोई बहस करना चाहते हैं तो मेरे पास आएं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह एक किस्म का हमारे बोलने पर प्रतिबंध है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, महोदय यह है। इसके बिना मैं सभा का कार्य संचालन नहीं कर सकूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री : आपकी इजाजत लेते हैं, तो भी बोलने नहीं देते हैं। आप पूरी बात तो सुनिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं; मुझे यह मालूम है, मैं अपना कार्य जानता हूं।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में डेढ़ सौ लोग भूख से मर गए हैं.....

अध्यक्ष महोदय : इस पर मैं विचार कर रहा हूं। मैं वास्तविकता का पता लगा रहा हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : आप सूचना मंत्री को कहिए...

अध्यक्ष महोदय : सूचना मंत्री को क्यों कहें ?

श्री हरिकेश बहादुर : गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बहस होगी, लेकिन पुलिस के लोग पीट रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता किसी की यह मजाल हो। (व्यवधान) कुछ नहीं होगा, निश्चित रहिए आप।...(व्यवधान)...सभी होना चाहिए। आजादी का किसी पर अंकुश नहीं होना चाहिए।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय जहाजरानी निगम, बम्बई के वर्ष 1979-80 की समीक्षा और भारतीय जहाजरानी निगम, बम्बई का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2348/81]

वर्ष 198 -82 के लिए पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं वर्ष 1981-82 के लिए पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2349/81]

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 को वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी* संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) हिन्दी संस्करण अंग्रेजी संस्करण के साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2350-81]

विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग और पर्यावरण विभाग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

विज्ञान और प्रौद्योगिक तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वर्ष 1981-82 के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2 51/81]

(2) वर्ष 1981-82 के लिए पर्यावरण विभाग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2352/81]

सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 286 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण,) की एक प्रति जो दिनांक 10 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1977 की अधिसूचना संख्या 130-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किया गया है जिससे उसमें सम्पूर्ण मूल और उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के लिए शुद्ध वंशक्रम के कुक्कुट स्टाक को शामिल किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2353/81]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 280 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 1963 की अधिसूचना संख्या 206/63-के० उ० शु० के कतिपय संशोधन किया गया है ताकि उसके अन्तर्गत उपलब्ध सम्पूर्ण उत्पादन-शुल्क से विद्यमान छूट का लाभ केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क टैरिफ की मद संख्या 26कक (1क) के अन्तर्गत आने वाले लोहा अथवा इस्पात उत्पादों को भी तथा जो उसी टैरिफ

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 22 दिसम्बर, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

के अन्तर्गत आने वाले लोहा अथवा इस्पात के अन्य उत्पादों से बने हों जिन पर समुचित उत्पादन-शुल्क पहले ही अदा किया जा चुका है, दिया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2354/81]

(3) वर्ष 1981-82 के लिए वित्त मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2355/81]

(4) वर्ष 1981-82 के लिए संसद, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सचिवालयों तथा संघ लोक सेवा आयोग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2356/81]

———

प्राक्कलन समिति

चौदहवां प्रतिवेदन और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 12वां प्रतिवेदन

7. श्री एस० बी० पी० पट्टाभि राम राव (राजामुन्द्री) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)—लघु उद्योग—कच्चा माल और विपणन सम्बन्धी 14वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बारे में प्राक्कलन समिति (छठी लोक सभा) के 28वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 12वां प्रतिवेदन।

———

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

17वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

8. श्री बंसी लाल (भिवानी) : मैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अतिरिक्त न्यायाधीशों से अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण के लिए सहमति प्राप्त करने के बारे में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा गया परिपत्र

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : महोदय, मैं विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता

हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"राज्यों के मुख्य मंत्रियों को विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा लिखे गए एक परिपत्र का, जिसमें उनसे अपने-अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों में काम करने वाले सभी अतिरिक्त न्यायाधीशों से देश के किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के रूप नियुक्त किए जाने की सहमति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है । भ रत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा विरोध किए जाने के समाचार की ओर दिलाना ।"

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन आयोग, विधि आयोग और विभिन्न बार एसोसिएशनों सहित अनेक निकायों और फोरमों द्वारा भारत सरकार को बार-बार यह सुझाव दिए गए हैं कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, संकीर्ण प्रवृत्तियों का प्रतिरोध करने और उच्च न्यायालयों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए किसी भी उच्च न्यायालय के एक तिहायी न्यायाधीश यथासम्भव उस राज्य से बाहर के होने चाहिए जिस राज्य में वह उच्च न्यायालय स्थित है जिससे कि उस उच्च न्यायालय की पीठ में सुनिश्चित रूप से ऐसे अनेक न्यायाधीश हो जाएं जो स्थानीय बातों से प्रभावित नहीं होंगे । कुनबा परस्ती तथा अन्य स्थानीय सम्पर्कों और सम्बन्धों आदि के आधार पर बने पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोणों के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं । कुछेक मामलों में राजनैतिक सम्बन्धों का भी उल्लेख किया और विभिन्न राज्य प्राधिकारियों ने कुछेक अपर न्यायाधीशों की सेवाएं जारी रखने के बारे में अपनी आपत्ति भी प्रकट की है । यह उचित समझा गया कि इस प्रकार के कुछ मामलों में यदि अपर न्यायाधीशों को अन्य न्यायालयों में स्थाई बनाया जा सके तो इससे ऐसी नियुक्तियों पर कोई विधिमान्य आपत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि इस दशा में उनकी सेवाएं उस स्थानीय माहौल के बाहर होगी जिनमें उनकी जड़ें हैं । इस पृष्ठ भूमि में···

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : बड़े अशिष्ट तरीके से ।

श्री पी० शिवशंकर : प्रोफेसर साहिब आप एक बुजुर्ग आदमी हैं और इस प्रकार के विषय पर अगर आप मुझे शांति से सुने तो अच्छा होगा ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आप यह कह सकते हैं कि बूढे आदमी हैं क्योंकि श्रीमती प्रमिला दंडवते इस समय यहां नहीं हैं ।

श्री पी० शिवशंकर : मैंने सम्यकरूप से विचार करने के पश्चात् तारीख 18 मार्च, 1981 को एक परिपत्र राज्यों के मुख्य मंत्रियों को और जहां आवश्यक था, राज्यपालों को भेजा है । उस परिपत्र में मैंने यह कहा है कि वे उन अपर न्यायाधीशों से जो उनके उच्च न्यायालयों में कार्य कर रहे हैं, देश के किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उनकी सहमति प्राप्त कर लें जिसके साथ वे अपनी पसन्द के 3 उच्च न्यायालयों के नाम क्रमानुसार बता दें । उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इसी प्रकार की सहमति उन व्यक्तियों से भी प्राप्त कर लें जिन्हें वे पहले ही अथवा भविष्य में न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के बारे में प्रस्ताव करेंगे । मुख्य मंत्रीगण ऐसी सहमति संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों के माध्यम से प्राप्त करेंगे इसलिए इस परिपत्र की प्रतियां सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों को भी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई थी ।

भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने मुझे लिखे गए एक पत्र में कुछ बातों के बारे में स्पष्टीकरण मांगे थे जो उन्हें उपलब्ध कर दिए गए हैं।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक अपर न्यायाधीशों का सम्बन्ध है इस परिपत्र में यह कहा गया है कि बाहर के उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में उनकी सहमति प्राप्त की जाए। ये नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अधीन की गई नियुक्तियां होंगी। स्थानांतरण के लिए सहमति नहीं मांगी गई है। स्थानांतरण के मामले को अनुच्छेद 222 ही लागू होगा। अनुच्छेद 217 के अधीन नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया जाता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सभी अपर न्यायाधीशों को बाहर के न्यायालयों में नियुक्त करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

श्री रशीद मसूद : मुहतरम स्पीकर साहब, हमारे वजीर मौसूफ का जो ब्यान है वह बिल्कुल तवक्कवात के मुताबिक है। जब मैंने कालिंग एटेंशन दिया था, तो मैं जानता था कि ऐसा ही जवाब आएगा, जिस में अल्फाजों के गोरख धंधे में हम लोगों को फंसाने की कोशिश की जाएगी जैसा इसमें किया गया है और आर्टीकिल 222 और 217 की बात कही गई है। मैं यह भी जानता हूं कि जो मैं यहां पर कहूंगा या जो मेरे दूसरे साथी यहां पर कहेंगे, वह इन का रेडियो नहीं कहेगा बल्कि मिनिस्टर साहब का जो ब्यान आया है, रेडियो पर मसलसल कई दिनों तक वह आता रहेगा ताकि अवाम तक वह बात पहुंचे, जो मिनिस्टर साहब कहते हैं और वह बात न पहुंचे जो सही है और जिस को कहने का हमारा हक है।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : आप को पब्लिसिटी की फिक्र ज्यादा लगी है ?

श्री रशीद मसूद : पब्लिसिटी की मुझे अपनी फिक्र नहीं है बल्कि इस मुल्क की फिक्र है। पब्लिसिटी की फिक्र आप को है।

अभी मुहतरम वजीर साहब ने फरमाया कि ये एपाइन्टमेंट्स जो हैं, दूसरी हाई कोर्टों में एपाइन्टमेंट्स के लिये जजेज की कन्सेन्ट मांगी है। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या पहले भी जो एपाइन्टमेंट्स होते थे, उन के लिए भी आप ने इस तरीके की कम्पेन्ट मांगी थी क्योंकि आर्टीकिल 217 में यह बात दी हुई है कि जब आप एपाइन्ट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, तो दोनों ही सूरतों में चीफ जस्टिस आफ इन्डिया और कन्सर्नड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेंगे, उन से मश्विरा करेंगे और तब प्रेसीडेंट साहब एपाइन्ट करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि यह जरूरत एकदम कैसे आ गई कि इन लोगों से कन्सेन्ट लेनी चाहिए। असल बात तो यह है कि 12 जून, 1975 का दिन मुल्क का बदतरीन और बदकिस्मत दिन है, जिस दिन मुहतरमा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और जब से वह फैसला दिया गया है, उस दिन से हम देख रहे हैं कि जूडीशियेरी के ऊपर मसलसन हमले हो रहे हैं और जूडीशियेरी की इन्डिपेन्डेंस को खत्म करनेकी पूरी कोशिश की जा रही है।...(व्यवधान)...आपके मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं। यह गलत बात हो, तो वे कहें। स्टीफन साहब यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने ब्यान

दिया है इस सदन के बाहर कि कमिटेड जूडीशियेरी होनी चाहिए इस मुल्क के अन्दर। गलत बात हो, तो आप उन से पूछिए। स्टीफन साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने ब्यान दिया है कि कमिटेड जूडीशियेरी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ? यह इसलिए होनी चाहिए कि एक पार्टी का रूल इस मुल्क के अन्दर बरकरार रहे। हम जानते हैं कि अभी जो सलेक्शन हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मैं आप को बहुत सारे वाकयात बताऊंगा कि जहां दूसरी पार्टी के एम० एल० एज जीत रहे थे, वहां पर जो रिटर्निंग आफिसर थे, उन्होंने डेक्लेयर कर दिया दूसरों को।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए। जो विषय है उसी के दायरे में रहें।

श्री रशीद मसूद : मैं इसी पर सवाल करूंगा मगर बैकग्राऊन्ड मुझे बतानी पड़ेगी।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)...

श्री रशीद मसूद : जो चीज जरूरी है, वह तो बताने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। आप सवाल कीजिए और जो विषय है, उसके एम्बिट में ही रहिए।

श्री रशीद मसूद : मैं सवाल ही पूछूंगा, मगर मुझे थोड़ी सी बैकग्राउन्ड बताने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कानून के हिसाब से मैं थोड़ा सा नर्म हो रहा हूं।

श्री रशीद मसूद : कानून के हिसाब से तो यह ठीक ही है लेकिन यह कानून पहले लागू नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आप उतना कहिए, जितना जरूरी है। अब आप हमको सवाल पूछिये।

...(व्यवधान)...

आप लोग क्यों बेकार में ही बोल रहे हैं। यह मेरा कार्य है।

श्री रशीद मसूद : आप कानून अलग अलग एप्लाई कर रहे है। आप यही कानून बना दीजिए कि सदस्य सिर्फ सवाल ही पूछा करें। मैंने देखा है कि कालिंग एटेंशन में एक एक सदस्य 40, 40 मिनट बोले हैं।

अध्यक्ष महोदय : और भी साथी हैं, जो बोलेंगे आप जल्दी से सवाल पूछिए।

श्री रशीद मसूद : ठीक है, मैं मुख्तसर में ही अपनी बात कहूंगा। ऐसी मिसालें हैं जहां एम० एल० एज को, जो दूसरी पार्टी के थे, एस० डी० ओ० ने जो एसिसटेंट रिटर्निंग आफिसर था, जीते हुए को हारा हुआ डेक्लेयर कर दिया और जब प्रोटेस्ट किया, तो कह दिया कि पेटीशन दो।

अध्यक्ष महोदय : असंगत।

श्री रशीद मसूद : मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है ? जूडीशियेरी की इन्डिपेंडेंस खत्म होने की वजह से । जहां जहां पर जूडिशियल आफिसर्स थे, वहां पर उन्होंने रिजल्ट्स ठीक दिए और यह बात इन लोगों को पसन्द नहीं है कि जूडिशियेरी इन्डिपेंडेंटली काम करे । आप तो कांस्टीट्यूशन को जानते हैं । हमारे यहां का कांस्टीट्यूशन फेडरल कांस्टीट्यूशन है और इस के तीन विंग हैं, एक्जीक्यूटिव, जूडिशियेरी और लेजिस्लेटिव ।

अध्यक्ष महोदय : हमारा विषय न्यायाधीश के स्थानांतरण के बारे में है ।

श्री रशीद मसूद : वही मैं बता रहा हूं । इन का काम दो विंग्स को कमजोर करना है और ये सिर्फ एक्जीक्यूटिव विंग को बढ़ाना चाह रहे हैं । उस की आप मिसाल देख लीजिए । आर्डीनेन्स पार्लियामेंट की सिटिंग से 5, 10 दिन पहले जारी कर दिए जाते हैं । असेम्बली में तीन-चार दिन पहले सेसन के उसको खत्म कर देते हैं । इस तरह से ये सारी पावर्स एक्जीक्यूटिव में कंसेन्ट्रेट कर देना चाहते हैं । यह इनका इंटेंशन है ।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये ।

श्री रशीद मसूद : देखिये ये रूल आप सभी पर अप्लाई कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सभी पर अप्लाई कर रहा हूं । आप भले आदमी हैं, इसलिए आपको बतला रहा हूं । (व्यवधान) वैसे सारे के सारे अपने है ।

श्री रशीद मसूद : मेरा सवाल यह है कि इस सरकुलर की क्या जरूरत थी जबकि आर्टिकल 217 के तहत जजिज की अपोइंटमेंट आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं ?

दूसरे जो ट्रांसफर का सवाल है वह आर्टिकल 222 के अण्डर पोसिबल है । क्या यह उसकी तरफ एक कदम नहीं है कि ये ट्रांसफर्स एक्जीक्युटिव के हाथ में आ जाएं । ऐसा जो आप सरकुलर भेज कर करें, क्या यह कांस्टीच्युशन का ख्याल है ? आपने सरकुलर भेज दिया और चीफजस्टिस से कंसल्ट नहीं किया ।

आपके यहां 84 जगहें खाली हुई हैं उनके बारे में आपने सरकुलर में कोई गारन्टी नहीं दी है कि जजिज की कंसेंट लेकर किया जाए । क्या जजिज से कंसेंट मांगी गई है ? अगर नहीं तो ऐसा क्यों किया गया है ? चीफ जस्टिश ने जो प्रोटेस्ट किया उसके बारे में भी आपने कुछ नहीं मेन्शन किया है कि उन्होंने क्या कुछ प्रोटेस्ट किया है, क्या कुछ नहीं प्रोटेस्ट किया है । आप बोलने नहीं देते हैं, ये जवाब नहीं देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि ट्रांसफर आफ जजिज के मुतल्लिक आप बोलिए ।

श्री रशीद मसूद : यह तो मैंने क्लेरिफिकेशन मांगी है ।

तीसरे, आपने जो कहा कि मुख्तलिफ कमीशंस ने रिपोर्ट दी हैं कि इस तरीके से किया जाए । ये कमीशन जो रिपोर्ट्स देते हैं आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं जिनसे एक्जीक्युटिव ज्यादा मजबूत बनती है । इन कमीशनों ने एक दफा नहीं कई दफा रिपोर्ट दी कि हाई कोर्ट के चीफ

जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करके किया जाए। लेकिन रिकमण्डेशन होम मिनिस्ट्री भेजती है। क्या आपने यह तय किया है कि इन रिकमण्डेशंस को करने के लिए एक इंडीपेंडेंट बाडी हो जो कि आटोनोमस हो ? क्या आप ऐसी बाडी बना रहे हैं, क्या आप इस तरफ तवज्जह दे रहे हैं ? आप जानते हैं कि कांस्टीच्युशन में कई बातें हैं जिनमें इंडीपेंडेंट जुडीशियरी भी है और यह इंडीपेंडेंट जुडीशियरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। दूसरे हमारे यहाँ जो 60 परसेंट केसिज हैं, पब्लिक के सिटिजंस के केसिज हैं, इतने लिटिगेंट्स हैं, अगर पार्ट थी में जो इंडीपेंडेंट जुडीशियरी की बात है, वह नहीं होगी तो इन सिटिजंस को लिटिगेंट्स को उनके हकूक नहीं मिलेंगे।

आपके जरिए से ये पांच-छः सवाल में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

श्री पी० शिवशंकर : अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में मैं उन माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा जो इस विषय पर वक्तव्य देने जा रहे हैं कि वे शिष्टाचार बनाये रखें क्योंकि यह मामला काफी महत्वपूर्ण है और मैं यह नहीं चाहूँगा कि हम ऐसी टिप्पणियां करें जिनके दूरवर्ती परिणाम निकलें।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : यह आप पर भी लागू होता है।

श्री पी० शिवशंकर : इस परामर्श के लिए धन्यवाद। जिसकी आवश्यकता नहीं है।

महोदय, मेरे माननीय मित्र ने कुछ प्रश्न उठाये हैं। आधारभूत प्रश्न यह है कि क्या न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि उससे छेड़ाखानी न की जाए। यह एक ऐसा मामला है जिसे हमने मोटे तौर पर ध्यान में रखना है और क्या कार्यपालिका द्वारा की गई कोई भी कार्यकाही न्यायपालिका में हस्तक्षेप करना है। मेरे माननीय मित्र ने यह कहा है कि 12 जून, 1975 से जो भी कार्यवाही हो रही है वह न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए हो रही हैं। निस्सन्देह ये शब्द विपक्ष के लिये एक नारा बन गये हैं। क्या उन लोगों का, जो विपक्ष में बैठ हैं, इस संस्था में विश्वास है या नहीं यह ऐसा प्रश्न है जो उनके आत्मचिंता से सम्बन्ध रखया है। किन्तु मैं इस सदन को और इसके माध्यम से राष्ट्र को यह आश्वासन दे सकता हूं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाये रखने में हम किसी से पीछे नहीं हैं। आखिरकार समाज की कुरीतियों का प्रतिबिम्ब निस्सन्देह न्यायपीठ पर भी पड़ता है। आखिरकार, जिन्हें वहां बैठाया जाता है वे समाज से आए हुए होते हैं। अतः जब बाहर से न्यायाधीश लेने का प्रश्न आता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि यह किसी विशेष व्यक्ति का विचार है या इसी तरह की कोई अन्य बात है। इस माननीय संदस्यों के लाभ के लिए मैं विधि आयोग जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश श्री खन्ना जैसे प्रतिठित व्यक्ति ने की थी, की रिपोर्ट का कुछ भाग पढ़ना चाहूंगा ताकि यह मामला समझाया जा सके। प्रत्येक बार इस मामले को किसी न किसी रूप में उठाया जाता रहा है। मैं इसे केवल उचित रूप से प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इस मामले में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के क्या विचार है। मुझे इसी सम्बन्ध में दो पैरे पढ़ने की अनुमति दी जाए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। रिपोर्ट का उद्धरण इस प्रकार है :

"हमने इस विषय पर काफी चर्चा की है और हम उक्त सिफारिशों के बारे में सहमत हैं। हमारे विचार से, एक ऐसी परम्परा होनी चाहिए, जिसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक-

तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए। आम तौर पर ऐसा प्रारम्भिक नियुक्ति से किया जाना चाहिए न कि स्थानांतरण द्वारा। यह स्वाभाविक है कि यह प्रक्रिया धीमी होगी और निर्धारित अनुपात तक पहुंचने में काफी समय लग जायेगा। हमारा विचार हैं कि इस प्रकार की परम्परा बनाने से न केवल राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सफलता मिलेगी किन्तु विभिन्न उच्च न्यायालयों के कार्य में भी सुधार होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीश इस प्रकार के होंगे जो स्थानीय बातों अथवा भावनाओंको उद्वेलित करने वाले मुद्दों से प्रभावित नहीं हो सकेंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली रिपोर्टों में से किसी में कहा था कि सही न्याय करने के लिए एक आवश्यक तत्व यह है कि न्यायाधीशों में निपटाये जाने वाले मामलों के प्रति न केवल निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाये जाने की क्षमता होनी चाहिए अपितु उनमें सभी सम्बन्धित लोगों में यह भावना जागृत करने की भी क्षमता होनी चाहिए कि उनके निर्णय निष्पक्ष रूप से लिये जायेंगे।

अक्सर, न्यायालयों के पास ऐसे मामले भी आते हैं जिनमें काफी भावुकता अथवा क्षेत्रीय भावना भरी रहती है। ऐसे मामले को निपटाने हेतु हमें ऐसे न्यायाधीशों की आवश्यकता है जो स्थानीय भावुकता और क्षेत्रीय भावना से अप्रभावित रहें बल्कि ऐसा भी महसूस हो सके कि वे इन इन बातों से दूर हैं। अन्य इस उद्देश्य के लिए अन्य राज्यों के न्यायाधीश उपयुक्त रहेंगे। पुराने वकीलों में यह एक आम भावना है कि राजनैतिक मामलों के अलग अंग्रेज न्यायाधीश काफी निष्पक्षता बरतते थे और वे अदालती मामलों के निपटान में एक निष्पक्ष रवैया अपनाते थे। भारत में हम काफी सौभाग्यशाली स्थिति में हैं क्योंकि हमारा देश काफी बड़ा है। इसलिए अन्य राज्यों से कुछ प्रतिशत न्यायाधीश लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अन्य राज्यों से न्यायाधीश लेने के लाभ हानियों की तुलना में काफी अधिक होंगे।"

मैं जान बूझकर अन्य रिपोर्टों में से उद्धरण नहीं ले रहा हूं। मैंने सोचा कि इस नवीनतम रिपोर्ट में से, जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश श्री खन्ना द्वारा की गई थी, उद्धरण देना अच्छा रहेगा। इस प्रकार इस विषय पर जो दृष्टिकोण प्रकट किया गया है मैंने उसका सार माननीय सभा के ध्यान में लाने का प्रयास किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह कौन सा वर्ष था ?

श्री पी० शिवशंकर : 1979 में। 1980 में नहीं। शायद यह आप सोच रहे हैं कि यह 1980 था। लेकिन यह जानते हुए कि हम क्या करेंगे, मुझे विश्वास है कि यदि न्यायमूर्ति खन्ना ने यह रिपोर्ट 1980 में देते तो भी वह यही रिपोर्ट देते।

महोदय, जो कुछ मैं निवेदन कर रहा हूँ वह यह है, कि इससे संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हुआ है और मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिला सकता हूं कि मैं कभी भी संवैधानिक कार्य नहीं करूंगा। महोदय, अनुच्छेद 217 के अधीन मैंने वह पृष्ठ भूमि बता दी है जिसमें मुझे इस तरह से काम करना पड़ा। अनेकों शिकायतें आ रही हैं और जो कुछ मैंने पढ़कर सुनाया है उसको ध्यान में रखते हुए कोई न कोई तरीका तो निकाला ही जाना था। हमने केवल उनकी सहमति मांगी है और इस मामले को मुख्य न्यायाधीश को तो भेजना ही पड़ेगा जो अनुच्छेद 217 के सम्बन्ध में अपनी राय देंगे। क्या मैं राष्ट्रपति महोदय को किसी ऐसे व्यक्ति को

भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना, नियुक्त करने का सुझाव दे सकता हूं सिर्फ इसलिये क्योंकि यह पूर्व आपेक्षित है ? मैं इस सम्बन्ध में सारा ब्यौरा इकठ्ठा करना चाहता हूं और तब इसे उनके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि वह इस सब को ध्यान में रखते हुए निर्णय कर सके क्योंकि बहुत सी शिकायतें आ रही हैं और अनेकों मामले में तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से बहुत ही कम समान के लिए सेवा अवधि का विस्तार किया गया है। अब कुछ न कुछ कार्यवाही तो की ही जानी है।

इसलिये, अब मैं तो इस स्तर पर केवल सहमति प्राप्त करने का भी इच्छुक हूं ताकि भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख रखा जा सके जिसने कि वह इन बातों पर ध्यान देते हुए इस मामले में एक समग्र प्रयास कर सकें तथा इस मामले में कोई निर्णय किया जा सके। इसलिए महोदय, यही इसका कारण है कि मुझे सहमति लेने की आवश्यकता पड़ी है। महोदय, मेरे मित्र ने न्याय-पालिका की स्वतंत्रता को आडम्बर बताया है। ठीक है जैसा कि मैंने कहा है कि इस प्रकार की बातें आमतौर से कही जाती हैं। मैं इस अर्थ की गहराई को नहीं समझ पाया क्योंकि इसका सीधा सा कारण यह है कि मेरे विचार से, कोई भी व्यक्ति, यदि उसे अन्य स्थान पर नियुक्त किया जाता है तो, वह स्थान के मुकाबले शायद अधिक स्वतंत्रता से काम करेगा जहां वह पहले काम करता था क्योंकि इसके अनेक कारण हैं जैसे स्थानीय कारण, उसमें पहले से निहित पूर्व धारणायें इत्यादि जो उसके कर्तव्यों, पर बुरा प्रभाव डालते है। माननीय सदस्य को इस आशय से ये इस परिपत्र का स्वागत करना चाहिए कि इससे न्यायपालिका की अधिकाधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है क्योंकि वह·····से छुटकारा पा सकता है (व्यवधान)। मैं कोई भी अच्छा तर्क सुनने के लिए तैयार हूँ लेकिन विपक्ष का व्यंग्य नहीं सुनना चाहता। जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यह है कि मान लो मुझे किसी अन्य जगह पर काम करना पड़े जहां मेरा कोई जान पहचान का न हो तो क्या यह निस्पक्ष रूप से कर्तव्य निर्वहन में सहायक नहीं होगा। मान लो मुझे किसी ऐसे मामले में फैसला करना है जिसमें मेरा कोई निकट सम्बन्धी फंसा हुआ है। हो सकता है कि मैं इस मामले में न्याय कर रहा हूं परन्तु यह कहा जाता है कि न्याय न केवल होना चाहिए परन्तु ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय किया गया है। यदि समूची न्याय व्यवस्था इस सिद्धान्त पर टिकी है, माना यदि मुझे अपने किसी निकट सम्बन्धी और किसी अन्य व्यक्तियों के बीच किसी मामले में निर्णय के लिए कहा जाता है तो क्या कम से कम ऊपरी तौर पर उसका विश्वास बना रहेगा ? क्या इस विचार से उसका विश्वास एक क्षण के लिए टूट नही जायेगा कि मैं उसके साथ न्याय न कर सकूं। मुझे नहीं मालूम कि वह इस प्रकार की आधारहीन आकर्षक बात बार-बार क्यों जहां तक स्थानान्तरण का प्रश्न है, यह कहना कि कार्यपालिका मुख्य न्यायाधीश से सलाह लिये बिना ऐसा करेगी' बेबुनियाद है। आखिकार संविधान के उपबंधों का भी पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। मैं माननीय सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी मैं या·····(व्यावधान)। पहले मुझे कह लेने दीजिए फिर आप जो भी कहेंगे, मैं उत्तर देने को तैयार हूं। सरकार ने इस सम्बन्ध में संविधान की सीमाओं में रहकर कार्यवाही की है। यदि इसमें से कुछ बातें पैदा हो रही हैं तो मुझे उनकी भी जानकारी है। मैं उन बातों को यहां कहना नहीं चाहता क्योंकि किसी भी प्रकार के तथ्यों को यहां पर बताना नैतिकता के विरुद्ध है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मम्ले हैं। मैं

यहां न्यायपालिका को कठिनाई में नहीं डाल सकता क्योंकि आखिकार वे यहां अपने बचाव में कुछ नहीं कह सकते। इसीलिये बहुत सी बातें जो समाचार पत्रों में छपती रहती हैं, मैं उन्हें अनदेख कर देता हूं। उनके बारे में कुछ नहीं बोलता और चुप रहता हूं क्योंकि मेरा प्रयास अधिकाधिक यही है कि न्यायपालिका ज्यादा सुदृढ़ हो न कि उसकी शक्ति क्षीण हो। इसीलिये जो शंकाएं व्यक्त की गई हैं वे निराधार हैं।

मेरे मित्र महोदय ने कहा है कि हम उन रिपोर्टों को स्वीकार करते हैं जिससे कार्यपालिका शक्तिशाली बनती है और उन रिपोर्टों को अस्वीकृत करते हैं जिनसे वह कमजोर बनती है। मेरा ख्याल है कि यह बड़ा भ्रामक विचार है। यदि वह यह बताते कि हमने ऐसी कौन-सी रिपोर्टों को माना है जिनसे कार्यपालिका की शक्ति बढ़ी है और ऐसी किन रिपोर्टों को नहीं माना है जिनसे ऐसा नहीं हुआ है तो मैं स्थिति स्पष्ट कर देता। मेरे ख्याल से वह ऐसा भद्दा आरोप लगाकर कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वह यह आरोप लगा सकते हैं और हो सकता यह कहते हुए बाहर चले जाएं कि मैं ऐसा कहने पर शर्मिन्दा हूं।

प्रो० मधुदण्डवते : क्या**

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। सिर्फ वे ही सदस्य इस ध्यानाकर्षण के दौरान बोल सकते हैं जिनके नाम सूची में हैं।

श्री पी० शिवशंकर : प्रोफेसर साहब, आप पीछे दौड़ना चाहते हैं लेकिन मैं आगे देखना चाहता हूं। मैं भविष्य के लिए आज जीवित हूं। मैं अतीत में नहीं रह सकता। इसमें भारी अन्तर है। मुझे खेद है यदि इसमें आप कोई फर्क नहीं समझते। मैं सोचता था कि प्रोफेसर लोग बच्चों को देश का भावी नागरिक बनाते हैं ···(व्यवधान)। इसका क्या लाभ है यदि मैं यह कहता रहूं कि यह मामला जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं न्यायपालिका के बारे में कह सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता और न ही कभी मैंने ऐसा किया है। क्योंकि यह अनुचित बात है। मैं कब तक बीते हुए जमाने में रह सकता हूं ? यह एक दम निरर्थक है···(व्यवधान) साहस के साथ-साथ विवेक भी जरूरी है। हमें कल के लिए आज जिन्दा रहना है। (व्यवधान)··· मुझे कोई असुविधा नहीं है। मैं आपके साथ व्यक्तिगत रूप से बैठने को तैयार हूं, लेकिन मैं बहुत सी बातें नहीं मान सकता (व्यवधान)

अब मैं वह अन्तिम प्रश्न उठाता हूं जो पूछा गया था। मुझे उसका भी कोई आधार नजर नहीं आता। उन्होंने बताया है कि न्यायधीशों के बारे में सिफारिशें गृह मंत्रालय द्वारा की जाती हैं और सिफारिशों के लिए कोई स्वतंत्र प्राधिकरण क्यों नहीं बनाया गया ? मेरा ख्याल है कि मेरे मित्र को शायद इसके बारे में गलत विचार है। सही स्थिति का यह है कि ये सिफारिशें उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती हैं। गृह मंत्रालय यह कार्य नहीं करता। इसके बाद राज्य के विभिन्न प्राधिकारियों से सलाह मशविरा किया जाता है क्योंकि अनुच्छेद 217 के अधीन राज्यपालों को भी इसमें अन्तर्ग्रस्त होना पड़ता है और तब कहीं मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है और फिर सरकार इस पर कार्यवाही करती है। इसलिए, मेरा विचार है कि इस

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बारे में मेरे माननीय मित्र के विभाग में कहीं न कहीं कोई भ्रम जरूर है, और मुझे विश्वास है कि इस स्पष्टीकरण के पश्चात् उन्हें महसूस होगा कि मैंने कोई गलती नहीं की है।

श्री रशीद मसूद : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या इस परिपत्र को भेजने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया गया था ?···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री रशीद मसूद : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि क्या मुख्य न्यायाधीश ने इसका विरोध किया था और वे क्या मसले थे जिन पर मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्टीकरण मांगा था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री रशीद मसूद : जी नहीं उन्होंने इस पर एक भी शब्द नहीं कहा है।

एक माननीय सदस्य : यह समाचारपत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपी थी।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, यह ठीक है कि हर चीज का स्पष्टीकरण देना मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन इसका पहलू केवल यही था कि मुख्य न्यायाधीश ने यह महसूस किया कि हम अतिरिक्त न्यायाधीशों का अन्य न्यायालय में स्थानांतरण कर रहे हैं, और इसलिए, अनुच्छेद 222 लागू होता है जिसमें उसकी (मुख्य न्यायाधीश) की सहमति आवश्यक है। मैंने माननीय मुख्य-न्यायाधीश को स्थिति स्पष्ट कर दी है और जैसा कि मैंने बताया है कि यह मामला स्थाई नियुक्ति का था न कि किसी अन्य उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश का किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण का यदि ऐसा होता तो निश्चित ही मैं उनसे परामर्श करता। यहां तक कि इन मामलों में भी मेरा ख्याल है कि मैंने उनसे पूछा था कि और उनकी सलाह मांगी थी। लेकिन यह मामला अनुच्छेद 217 के अधीन स्थाई नियुक्ति का है और जैसा कि मैं बता ही चुका हूं कि इससे सम्बन्धित तथ्यों को एकत्रित किया जाना है क्योंकि बहुत से मामलों में सेवा काल बहुत शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। और जब तक कि मेरे पास तथ्य नहीं होंगे उनसे परामर्श करने का कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए परामर्श करने के लिए तथ्यों को एकत्र करना जरूरी है। यह स्थानांतरण का मामला नहीं है। यह नियुक्ति का मामला है, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि यह पूर्णतया संविधान के अनुच्छेद 217 के अधीन आता है। यह वह मुद्दा है जो उन्होंने उठाया था और जिसका मैंने उन्हें उत्तर दे दिया है।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : महोदय, माननीय मंत्री महोदय को निराश नहीं होना चाहिए मैं इस परिपत्र का स्वागत करता हूँ। निस्संदेह मंत्री महोदय ने अपना पक्ष बहुत सही ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने बयान में बताया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग निधि आयोग और अनेकों बार एसोसिएशनों सहित बहुत से अभिकरणों एवं मंचों ने सरकार से अभ्यावेदन और सिफारिशें की हैं और उन्होंने न्यायधीशों के स्थानान्तरण के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अधिकांश न्यायाधीश इमानदार हैं। वे महान प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं। लेकिन महोदय, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि···**इस पर अनेकों बार संदेह व्यक्त किया गया है और इसके बहुत से कारण भी हैं। जैसाकि विधि मंत्री महोदय ने कहा कि मानलो कोई न्यायधीश यह निर्णय करता है···

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पर आइये यह बाद-विवाद नहीं है। कृपया प्रमुख प्रश्न पर आइये।

श्री जैनुल बशर : जी नहीं महोदय, मैं प्रश्न पर कैसे आ सकता हूँ ? मैंने तो अभी शुरू ही किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सिर्फ प्रश्न ही पूछना है।

श्री जैनुल बशर : इस सदन की यह परम्परा रही है···

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। अपना प्रश्न पूछिये।

श्री जैनुल बशर : मैं प्रश्न पर किस प्रकार आ सकता हूँ ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। ध्यानाकर्षण में आप यह नहीं कर सकते ध्यानाकर्षण सिर्फ सदस्य और मंत्री के बीच की बात है। (व्यवधान)** मैं आपको इसलिए अनुमति नहीं दे रहा हू कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बशर कृपया अपना प्रश्न पूछिये। (व्यवधान)** कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। (व्यवधान)** कुछ भी रिकार्ड में शामिल नहीं किया जा रहा है। सिर्फ मि० बशर की बात ही रिकार्ड में जायेगी। मि० बशर आप पूछिये। केवल यही रिकार्ड किया जायेगा। (व्यवधान)** मैं आपको अनुमति नहीं देता। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय में कोई दूसरा सदस्य नहीं बोल सकता। जी नहीं। नियम स्पष्ट है। आपको नियम मालूम होना चाहिए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं केवल मि० बशर की बात ही रिकार्ड की जायेगी। (व्यवधान)** मैं आप को अनुमति नहीं दे सकता। (व्यवधान)** मि० जैनुल बशर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। (व्यवधान)** मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)** मि० राजदा, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मि० जैनुल बशर, आप अपना प्रश्न पूछिये। (व्यवधान)** मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। जी, नहीं। (व्यवधान)**

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न करें !

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं इसके खिलाफ वाक-आउट करता हूं पांच मिनट के लिए ।

(श्री हरीश कुमार गंगवार सदन से बाहर चले गए)

श्री जैनुल बशर : मैंने केवल यही कहा था कि यह आपत्तिजनक हो सकता है और वहां ऐसी परिस्थितियां भी हैं । इसमें कई स्थानीय मामले अन्तर्ग्रस्त हैं । यदि कोई एडवोकेट उसी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसके वहां नियमित मुवक्किल जरूर होंगे । वहां उसके मित्र, रिश्तेदार होंगे । साथ ही वहां उसके राजनैतिक आधार तथा कुछ ऐसी अन्य बातें होंगी जो किसी न्यायाधीश को प्रभावित कर सकती हैं । यह तो एक सामान्य बात है । ऐसा हो सकता है और ऐसा हमेशा होता है··· ।

महोदय मैंने अभी अपनी बात शुरू ही की है । केवल कुछ ही वाक्य रिकार्ड किए गए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियमों के अनुसार ही कार्य कर सकता हूं ।

श्री जैनुल बशर : आप नियमों की रक्षा कर सकते हैं । नियम तो हमेशा के लिए हैं केवल आज ही के लिए तो नहीं । महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कृपया इतने व्याकुल न होइए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कभी भी व्याकुल नहीं होता । क्योंकि आप काफी दयालु हैं इसलिए मैं आप पर हमेशा दया करूंगा ।

श्री जैनुल बशर : आप दयालु हैं । नियम हमेशा के लिए हैं केवल आज के लिए ही नहीं । अब मेरे से बाद में बोलने वाले सदस्य नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मैं ही क्यों करूं ?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं ! मैं आपको अनुमति नहीं देता । जब मैं आपका नाम लेकर पुकारूं तब ही बोलना ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पारूलेकर, अब आपका नाम है ।

श्री जैनुल बशर : यह कौन नहीं जानता कि जनता शासन के दौरान न्यायधीशों की नियुक्तियां राजनैतिक आधार पर की गई थीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषयेतर बात है । आप ये सब बातें क्यों कह रहे हैं ? आप उक्त परिपत्र के बारे में ही बोलिए ।

श्री जैनुल बशर : एक मुख्य न्यायाधीश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जानबूझ कर इसलिए स्थानान्तरित किया गया ताकि मंत्री महोदय या सरकार की रुचि के व्यक्ति को उक्त राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सके ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया न्यायपालिका के विषय में बोलते समय राजनैतिक मामले न उठाएं।

श्री जैनुल बशर : यह एक स्पष्ट तथ्य है कि एक विशेष विचारधारा के लोगों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पदों पर नियुक्त किया गया था। सोशलिस्ट दल के सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पदों पर नियुक्त किया गया था।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह एक खतरनाक बात है कि··· (व्यवधान)

श्री जैनुल बशर : राष्ट्रीय स्वयं सेवकसंघ से सम्बन्ध रखने वाले लोगों को उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उपयुक्त प्रश्न कीजिए। यह काफी नाजुक विषय है।

श्री जैनुल बशर : जनता शासन के दौरान न्यायपालिका पर बार-बार आक्रमण किया गया और राजनैतिक संबंध रखने वालों को···

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषयेतर बातें न कहें। (व्यवधान)** मैं आपको यह राजनैतिक वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री जैनुल बशर : यह कोई राजनैतिक वक्तव्य नहीं है। यह पूर्णतया कानूनी है। राजनैतिक वक्तव्य देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी न्यायधीश या न्यायपालिका की निन्दा करने की अनुमति नहीं दूंगा। आप अपना प्रश्न कीजिए।

श्री जैनुल बशर : मैं बहुत शीघ्र अपना प्रश्न करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं न्यायपालिका की निन्दा करने की अनुमति नही दूंगा। मैं इस बात की कतई अनुमति नहीं दूंगा। मैं सदन की कार्यवाही के रिकार्ड को देखूंगा और यदि यह पाया कि किस माननीय सदस्य ने न्यायपालिका की निन्दा की है तो उस अंश को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

श्री जैनुल बशर : आप इसे निकाल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : न्यायपालिका की निन्दा सम्बन्धी अंश को निकाल दूंगा।

श्री जैनुल बशर : आप इसे निकाल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : न्यायपालिका की निन्दा सम्बन्धी अंश को निकाल दूंगा।

श्री जैनुल बशर : समूचे देश में बड़े समाचारपत्रों सहित कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा यह धारणा फैलाई जा रही है कि—

उपाध्यक्ष महोदय : आप उपयुक्त विषय पर आ ही नहीं रहे हैं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जैनुल बशर : मैं उपयुक्त विषय पर आ चुका हूं। समूचे देश में बड़े समाचारपत्रों सहित कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा यह धारणा फैलाई जा रही है कि न्यायपालिका ही सब कुछ है। न्यायपालिका सर्वोच्च है। वे जो चाहे निर्णय दे सकती हैं। वे किसी भी नीति या कार्यक्रम के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इस देश में कौन सर्वोच्च है ?

श्री मधु दण्डवते : प्रधान मंत्री।

श्री जैनुल बशर : जनता की इच्छा सर्वोच्च है। (व्यवधान)। इस देश में जनता की इच्छा ही सर्वोच्च है और यह संसद जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए यह देखना उसका परम कर्त्तव्य है कि न्यायपालिका ठीक ढंग से कार्य करे और न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को बनाए रखा जाए। यदि कहीं किसी भी क्षेत्र में न्यायपालिका या कुछ न्यायाधीशों की न्यायनिष्ठा पर कोई संदेह हो तो वहां तुरन्त उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। (व्यवधान) इस संबंध में क्या किया जा सकता है ? जी हां ! न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने की व्यवस्था है। लेकिन हम सदन में हमेशा किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगा सकते लेकिन हम कुछ उपचारात्मक उपाय कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न करना चाहते हैं ?

श्री जैनुल बशर : मैं शीघ्र ही प्रश्न करूंगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब आपको रोक दूंगा। कृपया अपने प्रश्न कीजिए।

श्री जैनुल बशर : माननीय मंत्री महोदय ने एक परिपत्र जारी किया है और वह परिपत्र कोई नियुक्ति पत्र नहीं है। उक्त परिपत्र में तो न्यायाधीशों की केवल सहमति मांगी गई है। मंत्री महोदय ने परिपत्र में यह आश्वासन दिया है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों और स्थानांतरण के मामलों में अनुच्छेद 217 और 222 का पालन किया जाएगा और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाएगा। सरकार द्वारा न्यायपालिका को आघात पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं होता। यह बात स्पष्ट कर दी गई है। हम यहां नीतियां बनाते हैं। हमें कुछ नीतियों व कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए ही यहां भेजा गया है। हमें नीतियों व कार्यक्रमों तथा चुनाव घोषणापत्र के आधार पर चुना गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अभी तक आपने अपने प्रश्न तैयार नहीं किए हैं।

श्री जैनुल बशर : हमने अनेक बार यह देखा है कि न्यायपालिका ने सरकार की, चाहे वह कांग्रेस सरकार रही हो या जनता सरकार या भविष्य में आने वाली कोई अन्य सरकार, उन नीतियों तथा कार्यक्रमों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है जिन्हें सरकार कार्यान्वित करना चाहती थी। हमें अपने कार्यक्रमों को अमल में लाना है। न्यायाधीश तो केवल कानून की व्याख्या करने के लिए होते हैं। न्यायाधीशों को केवल कानून के अनुसार चलना चाहिए। उनसे यह आशा नहीं की जाती कि वे सरकार की उन नीतियों तथा कार्यक्रमों को रोकें

जिनके आधार पर कोई राजनैतिक दल चुनकर सत्ता में आया हो। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : न्यायाधीश इन बातों को हमसे अधिक समझते हैं।

श्री जैनुल बशर : न्यायाधीश तो केवल न्यायाधीश ही होते हैं। वे भगवान तो नहीं होते। वे भी मनुष्य होते हैं। लेकिन हमारा भी तो कुछ उत्तरदायित्व है। हमें जनता को उत्तर देना है। हमारी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और संसद जनता के प्रति उत्तरदायी है। हमारी अनेक समस्याएं हैं लेकिन इस समस्या को भी तो सुलझाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना प्रश्न पूछेंगे। अब मैं आपको आगे बोलने की अनुमति नहीं दूंगा ?

श्री जैनुल बशर : मैं अपनी बात पर आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न करें। मैं आपको आगे बोलने नहीं दूंगा। आप नियम जानते हैं। बहस की अनुमति नहीं दी गई है। श्री बशर आप तो एक वरिष्ठ, समझदार तथा जानकार सदस्य हैं।

नियम कहता है :—

"जब कोई वक्तव्य दिया जाए तो उस समय उस पर वाद-विवाद की अनुमति नहीं दी जाएगी लेकिन जिन सदस्यों का कार्यसूची में नाम दिया गया हो उनमें से प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से एक विशेष तथा संक्षिप्त स्पष्टीकरण देने वाला प्रश्न पूछ सकता है।"

इसलिए आप कृपया ऐसा ही कीजिए। अपना प्रश्न कीजिए। (व्यवधान)

अब प्रश्न कीजिए ?

श्री जैनुल बशर : मैं आपको आघात नहीं पहुंचाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे आघात नहीं पहुंचा रहे अपितु नियमों को आघात पहुंचा रहे हैं।

श्री जैनुल बशर : मैं नियमों को आघात नहीं पहुंचा रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : आखिर कोई सीमा भी होती है, आप अपना प्रश्न कीजिए।

श्री जैनुल बशर : महोदय अमरीका में··· (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री जैनुल बशर : मैं न्यायपालिका के बारे में बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नियमों का उल्लेख किया है। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कृपया प्रश्न कीजिए।

श्री जैनुल बशर : महोदय, अमरीका में···अनुमति नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अमरीका या रूस···आप उपयुक्त प्रश्न कीजिए ?

श्री जैनुल बशर : मैं भारत की बात कर रहा हूं···(व्यवधान) कभी-कभी···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ! आपको अपना प्रश्न करना होगा ।

श्री जैनुल बशर : मैं प्रश्न कर रहा हूं ! कभी-कभी न्यायाधीश (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति नहीं दूंगा । वह अपने प्रश्न पर आ गये हैं । कृपया बैठ जाइए ।

श्री जैनुल बशर : क्या यह सही नहीं है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपने प्रश्न पर आ गए हैं । कृपया शांत रहें । वह अपने प्रश्न पर आ रहे हैं ।

श्री जैनुल बशर : क्या यह सच नहीं है कि कभी-कभी न्यायाधीश ऐसे न्यायक्षेत्र में चले जाते हैं जो वस्तुतः उनका क्षेत्र नहीं होता ? क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताएंगे कि घारक बाण्ड संबंधी मामलों और ऐसे ही अन्य मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर न्यायाधीश निर्णय न देने पायें यह सुनिश्चित करने के लिए वे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—मंत्रालय द्वारा विभिन्न मुख्य मंत्रियों को भेजे गए परिपत्र की जानकारी प्रकट हो जाने के फलस्वरूप सामने आया है । उक्त पत्र तो काफी गोपनीय होगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जानकारी प्रकट कैसे हुई ?

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छे !

श्री जैनुल बशर : क्या यह जानकारी उसकी ओर से प्रकट हुई या दूसरी ओर से ? (व्यवधान) विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को परिपत्र की प्रति भेजी गई थी । मैं इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से जानाना चाहता हूं । क्या यह सही नहीं है कि एक···**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा । मैं अनुमति नहीं दूंगा । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा···

श्री जैनुल बशर : न्यायाधीश कोई असाधारण व्यक्ति तो नहीं हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री जैनुल बशर : न्यायाधीश खुदा तो नहीं होते । (व्यवधान) न्यायाधीश देवता नहीं होते ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस तरह की बातें नहीं बोल सकते । (व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए ।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : यह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिसे चर्चा के लिए लिया गया है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

श्री सी० टी० दंडपाणि : उन्होंने इस बात को ही स्वीकार किया है । यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है । आप सदस्यों को अपनी बात करने दीजिए ।

श्री जैनुल बशर : राजनैतिक आधार पर नियुक्तियां करने की प्रवृत्ति को रोकने तथा योग्य और अच्छी प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने हेतु कौन से कदम उठाने का विचार है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

श्री जैनुल बशर : इस बात को देखते हुए···(व्यवधान) यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण तथा अंतिम प्रश्न है । क्या इस शोर शराबे को देखकर सरकार इस परिपत्र को वापिस ले लेगी या वह वही कार्यवाही करेगी जो वह करना चाहती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय उत्तर देंगे ।

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मुझे खेद है कि वाद-विवाद को ऐसा मोड़ दे दिया गया है जो नहीं दिया जाना चाहिए था । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे ध्यानाकर्षण प्रस्तावों से ये कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं । मैं माननीय सदस्यों से पुनः यह अनुरोध करूंगा कि वे भी अपनी बात इस ढंग से न कहें जो हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर हो और हम उसके चंगुल में फस जाएं । (व्यवधान) मैं उन सभी संबंधित माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं जो आगे बोलेंगे । मैं बिना किसी भूमिका के केवल प्रश्न का ही उत्तर दूंगा ।

माननीय न्यायाधीशों द्वारा अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाने के विषय में प्रश्न किया गया था । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सांविधानिक सीमाएं काफी स्पष्ट हैं और सभी से यह आशा की जाती है कि वह निर्धारित सीमा के भीतर ही कार्य करेगा । मैं ऐसे सामान्य प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि किसी ने अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया हो, आदि आदि । मैं समझता हूं और मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक सांविधानिक प्राधिकारी संविधान के कार्यक्षेत्र के अधीन ही कार्य करता है । मुझे इस प्रश्न के उत्तर में कुछ और नहीं कहना है ।

दूसरा प्रश्न पत्र में उल्लिखित गुप्त बातों के प्रकट हो जाने के बारे में है । मैंने जो समाचारपत्र पढ़ा है उसमें बताया गया है कि "उच्चतम न्यायालय के निकटतम सूत्रों के अनुसार···" निस्संदेह समाचारपत्रों के हर जगह अपने एजेन्ट होते हैं और मैं तो केवल उक्त समाचार पत्र की प्रशंसा ही कर सकता हूं कि उसने यह समाचार प्राप्त किया । इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं ?

प्रो० मधु दंडवते : प्रैस के द्वारा ही समूचे वाटरगेट काण्ड का परदाफाश हुआ था।

श्री पी० शिवशंकर : इसलिए तो मैं यह कह रहा हूं। मुझे मजबूरन समाचार पत्र की प्रशंसा करनी पड़ रही है कि उसने किस विधि से उक्त समाचार प्राप्त कर लिया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप हर बार खड़े हो रहे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मुझे खड़े होने का पूरा अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। आप इस संबंध में स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते।

(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : जैसा कि मैंने कहा है, मैं समाचार पत्र की उसी रिपोर्ट में से पढ़ रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा है, "उच्चतम न्यायालय के निकटतम स्रोतों के अनुसार···" जैसा कि मैंने कहा कि यह जरूरी ही है कि उनके वहां अपने लोग हैं और उन्हीं से वे ऐसे समाचार प्राप्त करते हैं। और उन्हें प्रकाशित करते हैं। यदि कोई पूछता है कि यह समाचार बाहर कैसे गया था, तो मैं इसका क्या स्पष्टीकरण दे सकता हूं ? मेरे लिए इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना बहुत कठिन है।

राजनैतिक कारणों के आधार पर नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में भी एक प्रश्न पूछा गया है। मैं इस विषय पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि ऐसा करना सही नहीं होगा। स्वयं संविधान में ही अर्हताएं निर्धारित की गई हैं और उन्हीं अर्हताओं के आधार पर नियुक्तियां की जानी होती हैं। यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या सरकार इसे वापस लेना चाहती है—एक माननीय सदस्य के शब्दों में—"हल्ले-गुल्ले को देखते हुए।" मुझे यह कहना चाहिए कि जहां तक हमारे द्वारा की गई कार्यवाही का संबंध है, उसमें कुछ भी गैर-कानूनी नहीं है। यह सब संविधान तथा हमारे प्राधिकारों की परिधि के भीतर ही है। और यदि मैंने ऐसा किया है तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि यह संस्था के हितों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रख कर ही किया है। मेरे लिये इतने कम समय में और विशेष तौर सदन के सामने जहां कई बातें स्पष्ट नहीं की जा सकती तथ्यों की व्याख्या करना बहुत कठिन हो सकता है। परन्तु जहां तक मेरा संबंध है, मैं यह महसूस करता हूं और मेरा यह विश्वास है कि मैंने जो कुछ भी किया है, कानून के दायरे में रह कर ही किया है। यदि किसी को यह गलत-फहमी है कि हम भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपेक्षा कर रहे हैं तो यह नितांत गलत-फहमी ही है। मैं इस सम्बन्ध में बस यही कह सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पारुलेकर। मैं बहुत ही सुरक्षित हूं क्योंकि श्री बापूसाहिब परुलेकर एक विद्वान एडवोकेट हैं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नागिरी) : मैं आपके और माननीय विधि मंत्री द्वारा व्यक्त किये गए इन विचारों से पूर्णतया सहमत हूं कि हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर

रहे हैं। इसलिए हमें समस्या के बारे में गम्भीरतापूर्वक चर्चा करनी चाहिए और हंसी में भी न्यायपालिका अथवा माननीय न्यायाधीशों की कोई निन्दा नहीं करनी चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ मेरे निकट सहयोगी ने टिप्पणी की, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं उनकी टिप्पणियों का जोरदार विरोध करता हूं।

इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का समय बहुत ही सीमित है। मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं केवल संगत बातें ही कहूंगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे आपको मुझे कुछ कहना पड़े। मैं आपसे इसका वायदा करता हूं।

मेरा निवेदन यह है कि परिपत्र की विषय वस्तु से न्यायपालिका के स्वतन्त्र रूप से कार्य करने पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। यद्यपि माननीय मंत्री जी द्वारा अपने वक्तव्य में दिए गये कारण प्रत्यक्षत: साधारण से प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। समस्या का मूल्यांकन करने के लिए पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना आवश्यक होगा क्योंकि माननीय सदस्य, जो पहले बोले थे, ने यह प्रश्न पूछा था कि इस परिपत्र को जारी करने की क्या आवश्यकता थी। रिकार्ड से मुझे पता चला है कि सत्ता संभालने के बाद से इस सरकार ने नियुक्तियां और स्थानांतरण जैसा कि वे कहते हैं करने के मामले में बडी धीमी गति अपनाई है। यह जानकर आश्चर्य होगा है कि वर्ष 1980 में केवल 2 न्यायाधीश नियुक्त किये गए थे जबकि 1979 में 56 रिक्त पद थे, 1978 में 53 और 6 मार्च, 1981 को, जैसा कि आंकड़ों से ज्ञात होता है—माननीय मंत्री मेरी बात को सही कर सकते हैं यदि वे गलत समझते हैं--विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 84 रिक्त पद थे। कुछेक पद तो दो-तीन वर्षों तक रिक्त पड़े रहे। हमारे पास गोहाटी उच्च न्यायालय का एक उदाहरण है कि वहां 1978 से कोई न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया। इस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 405 है। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि—यदि मैं गलत कहता हूं तो मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे कथन को सही करें—अतिरिक्त न्यायाधीशों के संबंध में जिन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है और जिनकी संख्या 101 है, सरकार ने उनके सेवाकाल में थोड़े-थोड़े समय की वृद्धि करने की नीति अपना रखी है जैसा कि हम अधीनस्थ अधिकारियों के मामले में करते हैं और वह भी उनकी सेवा समाप्ति से केवल एक दिन पूर्व करते हैं। हमारे पास हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के उदाहरण हैं। जिन पांच न्यायाधीशों को 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था उनकी सेवा अवधि दो-दो, तीन-तीन महीने करके बढ़ाई गई और उन्हें इसकी सूचना जिस दिन उन्हें अपना पद छोड़ना था उससे एक दिन पूर्व ही दी गई। मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। परन्तु मेरे लिए इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि मुख्य न्यायाधीशों के स्थान्तरण किए गए थे। स्थानांतरण आदेशों को चुनौती देने के लिए कुछ रिट याचिकायें दायर की गई थीं। उन्होंने यही मुख्य तर्क दिया था कि स्थानांतरण आदेश जारी करने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई। मैं महसूस करता हूं और यह केवल मेरा ही मत नहीं है बल्कि यह "बेंच" और "बार" की भी सही राय है कि विधि मंत्रालय का इस परिपत्र को जारी करने का उद्देश्य विवाद को समाप्त करना और न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए रास्ता साफ करना है। हो सकता है यह सही मत हो अथवा एक गलतफहमी हो। परन्तु मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री एक वक्तव्य दें।

भारी अन्तर है।

और वे समूचे राष्ट्र को बतायें कि सही स्थिति क्या है क्योंकि 'बार' और न्यायाधीशों में इस बारे में चर्चा चल रही है। में यह बात चल रही है। इस ध्यानाकर्षण में न्यायाधीशों के स्थानांतरण से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि हमारा सम्बन्ध केवल जारी किए गए परिपत्र से ही है। विधि मंत्री का ध्यान मैं इसी बात की ओर दिलाना चाहूंगा। संबंधित विषय यह नहीं है कि न्यायाधीशों का स्थानान्तरण किया जाना चाहिए अथवा नहीं बल्कि यह है कि क्या संविधान के अनुसार सरकार न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के बारे में निर्णय ले सकती है। विधि मंत्रालय ने संविधान के शब्दों की व्याख्या एक अलग तरीके से की है। श्री शिव शंकर अपनी जगह ठीक हैं क्योंकि संविधान के सम्बन्ध में इस विषय पर उनकी यही अवधारणा है। परन्तु इसकी दूसरे ढंग से भी व्याख्या हो रही है जो कि धारा 217 और 222 के बारे में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने की है।

उपाध्यक्ष महोदय : दो अधिवक्ताओं में मतैक्य नहीं हो सकता।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : जब हम एक ही पक्ष में होते हैं तो एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं; परन्तु जब हम एक दूसरे का विरोध करते हैं तो सहमत नहीं होते।

महोदय, आपको यह जान कर हैरानी होगी कि उच्चतम न्यायालय के पास विचाराधीन पड़े मामलों में से 60 प्रतिशत और उच्च न्यायालयों में विचाराधीन पड़े अधिकांश मामलों में सरकार प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वादी है। प्रश्न यह उठता है कि किसी वादी को न्यायाधीशों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में निर्णय देने की अनुमति कैसे दी जा सकती है जबकि उच्चतम न्यायालय के पास विचाराधीन पड़े 60 प्रतिशत और विभिन्न उच्च न्यायालयों में अधिकांश मामलों में सरकार मुकदमे में एक पार्टी है।

यदि सरकार की किसी नीति को किसी विशेष न्यायाधीश के पास याचिका दायर करके चुनौती दी जाती है और सरकार चाहती है कि अमुक व्यक्ति इसकी सुनवाई करे परन्तु वह याचिका किसी ऐसे न्यायाधीश के पास दायर की गई है जिसे सरकार नहीं चाहती कि वह इसकी सुनवाई करे, तो उस न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है। लोगों के मन में इस बारे में जो आशंका है, उसे दूर किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस डर को जनता के दिमाग से निकालें। क्यों कोई भी साधारण वादी यह नहीं कह सकता कि " नहीं चाहता कि यह न्यायाधीश इस याचिका की सुनवाई करे।" उसे यह शक्ति प्राप्त नहीं है। अतः मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इसका उत्तर दें। जहां तक परिसीमा का संबंध है, मन्त्री महोदय ने देरी से सही, 12 या 13 महीने बाद, दो कारण बताए हैं जिनकी वजह से इस विशेष परिपत्र को जारी करने के लिए प्रेरित हुए। पहला कारण राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में है। पृष्ठ 1, पंक्ति 4 पर उन्होंने कहा है "संकीर्ण प्रवृत्तियों का विरोध करना और उच्च न्यायालयों के कार्यकरण में सुधार लाना" जैसा कि विधि आयोग ने सुझाव दिया है।

महोदय, जिस समय श्री शिव शंकर ने विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया था और उसमें से दो पैराग्राफ पढ़े थे तब आप सदन में उपस्थित थे। मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि जो कुछ उन्होंने रिपोर्ट से पढ़ कर सुनाया और जो कुछ अब कहा, उसमें

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि विधि आयोग की रिपोर्ट में इस बात पर चर्चा करते समय कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति दूसरे राज्यों से की जाये—मैं इस वाक्य पर बल देता हूं और श्री शिव शंकर से इस वाक्य को दोबारा पढ़ने का अनुरोध करता हूं—इसमें स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा प्रारंभिक नियुक्ति के समय किया जाए न कि नियुक्ति हो जाने के बाद स्थानांतरण के समय किया जाये। प्रश्न उठता है कि आप स्थानांतरण न्यायाधीशों पर स्थानांतरण की इस योजना को कैसे लागू कर सकते हैं। अतः यदि आपको प्रारंभिक नियुक्ति करनी है···(व्यवधान) मैं श्री शिव शंकर से पूछना चाहूंगा कि वे यह कैसे कह सकते हैं कि विधि आयोग ने सिफारिश की है कि नियुक्त किए गए अस्थायी न्यायाधीशों को भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है। विधि आयोग की इस रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकालने का कोई औचित्य नहीं है।

इस सम्बन्ध में सभी उच्च न्यायालयों के सेमिनारों, वेस्ट्रन इंडिया बार ऐसोसिएशन, बाम्बे बार ऐसोशियेशन, और सुप्रीम कोर्ट बार ऐसोशिएशन जो इस विषय से संबंधित हैं ने भी यही मत व्यक्त किया है। उन्होंने इस पहलू पर पूरी तरह से विचार किया है और न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बारे में दी गई व्याख्या का विरोध किया है।

इसके बाद उनका कहना है कि ऐसे स्थानांतरण से एकता को बढ़ावा मिलेगा। मेरा नम्र निवेदन है कि यदि आप मुझे ऐसा कहने की अनुमति दें, यह केवल भ्रम है। यदि इसके लिए दिए गए तर्क को स्वीकार कर लें तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य के केबिनेट स्तर के एक-तिहाई मंत्री दूसरे राज्यों से नियुक्त किए जाने चाहिये और इस सिद्धांत का विस्तार सरकार के समूचे तंत्र तक किया जाना चाहिए। इससे अधिक एकता कायम होगी···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परुलेकर को अकेला छोड़ दीजिए, वे सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं करने में सक्षम हैं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : इस सिद्धांत का दूसरे क्षेत्रों में भी विस्तार किया जाना चाहिए। इस पद्धति द्वारा यदि आप राष्ट्रीय एकता कायम करना चाहते हैं तो उसका श्रेष्ठ तरीका यह है कि मुख्य मंत्री दूसरे राज्यों से बना कर भेजे जायें। अतः मेरा सादर निवेदन यह है कि श्री शिव शंकर द्वारा दिया गया सुझाव सही नहीं है। इसलिए मैं श्री शिवशंकर से कहूंगा कि अनिवार्य स्थानांतरण द्वारा अनिच्छुक जजों को किसी स्थान पर नियुक्त करने से राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होगी बल्कि इससे राष्ट्रीय असंतोष पैदा होगा।

श्री सतीश अग्रवाल : उस से नियमों का बेहतर पालन होगा···(व्यवधान)

श्री बापूसाहिब परुलेकर : स्वतंत्रता आंदोलन में एक बात यह भी कही गई थी कि न्याय-पालिका को कार्यपालिका से अलग होना चाहिए। मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कौन करेगा। मैं आपके जरिये संविधान के अनुच्छेद 50 की ओर विधि मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं जिसमें न्यायपालिका के स्वतंत्र करने की बात कही गई है। न्यायपालिका से कार्यपालिका

के अलग होने का अभिप्राय है न्यायपालिका वास्तव में कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करे। अत: मैं अनुच्छेद 222 और अनुच्छेद 227 की बात नहीं करूंगा लेकिन, महोदय, इस परिपत्र के संदर्भ में इतना कहूँगा कि सभी तरफ से इसका विरोध हुआ है—मुख्य न्यायाधीश, पीठ, बार—तथा बंबई उच्च न्यायालय के वकीलों ने तो हड़ताल कर दी है, जो अभी तक जारी है। आपको इन सब बातों पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि इन सब लोगों का इस से सम्बन्ध है।

इस पृष्ठ भूमि में मैं यह पूछना चाहूँगा···

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही बहुत से प्रश्न पूछ लिए हैं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : नहीं महोदय, वह तो पृष्ठभूमि थी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह केवल पृष्ठभूमि थी ?

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : यह बात नहीं है। यह उस से संबंधित है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : यह पता चला है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस परिपत्र का कड़ा विरोध किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है, क्या माननीय विधि मंत्री को कोई विरोधपत्र मिला था तथा अगर वे इस सम्मानीय सदन को यह बतादें तो मेरे ख्याल में कोई परेशानी नहीं होगी, इस विरोध के क्या कारण हैं।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है···

श्री सी० टी० दण्डपाणि : प्रश्न यह है कि क्या यह सही है अथवा गलत।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को यह परिपत्र भेजा गया तथा उनमें से कितनों ने सहमति दी ? चूंकि इससे पता चलता है जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश से यह कहा था कि वह इसे 114 अतिरिक्त न्यायाधीशों को भिजवा दें तथा यह बताया गया है कि 114 में से बहुतों ने अपनी सहमति नहीं दी है। अत:, मेरे प्रश्न का तीसरा भाग यह है : प्रैक्टिस कर रहे कितने वकीलों को, जो न्यायिक नियुक्तियां चाहते हैं, यह परिपत्र दिया गया और जिन वकीलों को परिपत्र दिया गया है उनका चयन कैसे किया गया है ?

महोदय, परिपत्र में 15 दिन का समय दिया गया था। अब चूंकि 15 दिन हो चुके हैं अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि इन 114 कार्यवाहक न्यायाधीशों में से कितने न्यायाधीशों ने सहमति दी है, कितनों ने नहीं। इसका आधार क्या है, तथा नई नियुक्तियों में से किन्हें नियुक्त किया जाएगा, कितनों ने सहमति दी है ? क्या सरकार स्थानांतरण का मामला पूरी तरह न्यायपालिका पर छोड़ देगी तथा अनुच्छेद 50 को लागू करेगी ? यह मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है न्यायाधीश तारकुंडे और न्यायाधीश खन्ना—मैं विधि मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि वह विधि आयोग के अध्यक्ष थे—ने इस की सिफारिश की है तथा सभी विख्यात न्यायाधीशों ने यह कहा है कि वास्तव में हमें अनुच्छेद 50 लागू करना होगा। चूंकि आपका कहना यह है कि निर्देशक सिद्धान्त मौलिक अधिकारों से ऊपर होने चाहिये, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस अनुच्छेद 50 को लागू

करेंगे और इसे पूरी तरह न्यायपालिका पर छोड़ देंगे, क्योंकि यद्यपि यह 'प्रेजीडेंट' शब्द है लेकिन यह केवल नाम्मात्र का है, और यदि नहीं, तो क्यों (व्यवधान) महोदय, ऐसा माना गया था जिसका मैंने संकेत दिया है, और इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि यह समस्त कार्यवाही न्यायाधीशों पर कार्यपालिका का प्रमुख स्थापित करने के लिए की गई है। यह मैं नहीं कह रहा, यह न्यायाधीश कह रहे हैं। अतः, क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती कि परिपत्र को जनता का न्यायाधीशों में विश्वास कम होता है ? मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस परिपत्र द्वारा हम न्यायपालिका की समस्त संरचना को ही नष्ट कर रहे हैं तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला किया गया है और यह भी उस समय जब कि एक प्रतिष्ठित वकील, एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश विधि मंत्रालय के सर्वोपरि हैं। मुझे आशा है आप इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और कृपया मेरे एकान्त ठोस प्रश्नों, उपयुक्त प्रश्नों का जवाब देंगे और जैसा कि आपने कहा भी है "मैं संगत तर्कों को सुनने के लिए तैयार हूं।" मैं आप का धन्यवाद करता हूं कि आपने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी है।

श्री पी० शिवशंकर : मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस मामले पर बोलते हुए अपनी सामान्य मन स्थिति में नहीं थे। आमतौर पर वह काफी प्रभावशील रहते हैं। मुझे मजबूर होकर यह सोचना पड़ रहा है कि जो कुछ उन्होंने कहा, अपने मन से नहीं कहा।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : सलाहकार समिति में हमने जो चर्चा की थी क्या आप उसे प्रकट करने जा रहे हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : नहीं। मैं सलाहकार समिति में हुई बातचीत नहीं बता रहा। उसके बारे में मत सोचिए। मैं यहां आपकी प्रतिष्ठा कम नहीं होने दूंगा।

माननीय सदस्य ने बहुत से विषयों की ओर ध्यान दिलाया है। पहली बात उन्होंने इस परिपत्र द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आई आंच के बारे में कही है। इसका जवाब मैंने पहले दे दिया है। मुझे विश्वास है कि जिस संदर्भ में मैंने यह कहा है, उसे ध्यान में रखा जाएगा। आखिरकार, न्यायाधीश भी इंसान हैं। उनकी भी भावनाएं हैं। उनकी अपनी विचारधारा है। वे परमेश्वर का रूप हैं लेकिन फिर भी उनकी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं। उनमें मानव भावनाएं आदि हैं। मेरा यह विचार है और मैं आशा करता हूं कि यहां माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि जो भी कार्यवाही की गई वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक नहीं होगी, पहले भी मैंने यह बताया है। अब मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि यह सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण करने में ढील बरत रही है। मुझे नहीं पता, उन्होंने शायद यह बात भावना के उद्वेग में कह दी है चूंकि बाद में वह स्थानांतरण की बात के विपरीत बोलने लगे थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि मैंने समय-समय पर सदन के समक्ष स्थिति स्पष्ट की है कि किस कारण से पहले नियुक्तियां नहीं की जा सकीं। मैंने बहुत से कारण बताए हैं। उन कारणों को फिर से बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैंने यह बताया है कि राज्य के कर्मचारियों के बीच असहमति होने के कारण विलम्ब हुआ। मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया हूं तथा मैंने मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमन्त्री से अनु-

रोध किया है कि वह बैठ कर मामले को हल कर लें। कुछ मामलों में, कुछ सीमा तक मुझे सफलता मिली है कुछ में नहीं। वे मिल कर बात करने, और सहमत होने की स्थिति में नहीं हैं। इस में बहुत सी समस्याए हैं। यह ऐसे मामले हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता। लेकिन इतना मैं कहूंगा केन्द्रीय सरकार इस ढील के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं। चूंकि मेरे माननीय मित्र ने गोहाटी का जिक्र किया है, इसलिए मैं इस माननीय सदन की जानकारी में यह ला रहा हूं कि पिछले एक महीने में हमने गोहाटी उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए दो न्यायाधीशों सहित नौ न्यायाधीशों को नियुक्त किया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में, एक महीने में यह सब काम हुआ है, एक महीने में हम नौ न्यायाधीशों की नियुक्तियां कर सके हैं। मेरे माननीय मित्र ने थोड़ी अवधि बढ़ाए जाने की बात भी कही है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इसके लिए मैं भी थोड़ा परेशान हूं, लेकिन समस्या यह है कि इस बारे में क्या किया जाए तथा मैं ध्यानपूर्वक आपको बता रहा हूं कि जब एक अथवा अन्य क्षेत्र से अलग-अलग कारणों से बार-बार शिकायतें प्राप्त हुई, गम्भीर आरोप लगाए गए, तो आप ही इस बात को कहेंगे कि अगर इस प्रकार की शिकायतों का कोई आधार है तो बेहतर यही है कि हम अधिक अवधि तक एक ही स्थान पर एक विशेष न्यायाधीश को नहीं रहने दें तथा अगर उनका कोई आधार नहीं है तो हम किसी न किसी रूप में यथाशीघ्र इस बारे में निर्णय लें।

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि प्रत्येक मौके पर मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता रहा हूं। यह बात नहीं है कि यह उनकी जानकारी में ही नहीं लाया गया हो। हम यह ध्यान रखते हैं कि उन्होंने क्या परामर्श दिया है तथा उसी आधार पर हम कार्यवाही करते हैं। मैं इस मामले को ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। यह उचित भी नहीं होगा।

इसके अलावा मेरे मित्र ने दो मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण उनकी सहमति के बिना किए जाने की बात भी कही है। मैं तो इतना ही जान सका हूं कि विभिन्न लोगों में इस बारे में काफी आशंकाएं उत्पन्न हो गई थीं तथा यह सच है कि इन मुख्य न्यायाधीशों की सहमति नहीं ली गई थी। मेरे माननीय मित्र जो कि सुविख्यात वकील हैं, उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को जानते हैं जिसमें यह कहा गया है कि न्यायाधीश की सहमति लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन मैं इस सम्मानीय सदन को इतना आश्वासन दे सकता हूं कि इन दो मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने में कार्यपालिका का कोई हाथ नहीं है। चूंकि इस बारे में मुझे काफी बदनाम किया जा चुका है, अतः मैं सावधानीपूर्वक इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचारों को ध्यान में रखते हैं। उनके विचारों का हम पूरा सम्मान करते हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा।

वास्तव में सलाहकार समिति, मैं किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं कर रहा—के बारे में जो कुछ समाचारपत्रों में आया है, कुल मिलाकर, सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था, बंदिश या इस प्रकार की कोई चीज नहीं थी तथा इसमें इस सभा के विभिन्न दलों की इच्छा और राय व्यक्त होती है। उन्होंने नीति के रूप में कुछ सोच विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि मुख्य न्यायाधीश बाहर से होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैंने भी सोचा था, चाहे

सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया और अगर सरकार को निर्णय लेना हो तो मैं आगे कार्यवाही करूंगा। क्योंकि अनियमित स्थानांतरण से हमेशा इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं कि अगर 'क' नामक मुख्य न्यायाधीश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाए तो यही अनुमान लगाया जाता है कि चूंकि इसका स्थानांतरण किया गया है, इसलिए अवश्य ही इसने कुछ गलत काम किया होगा, इस प्रकार उस पर लांछन लगाया जाता है। अनुमान लगाया जाता है जो सही भी हो सकता है और गलत भी। जिस राज्य में उसका स्थानांतरण किया गया है सम्भवतः वह राज्य उसे लेने में हिचकिचाये। इस समस्या को दूर करने के लिए हम सोच रहे हैं। चूंकि काफी बातें निर्धारित की जा सकती हैं, चूंकि मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की सिफारिश करते हैं, सामान्यतया मुख्य न्यायाधीश सरकारी वकीलों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं, चूंकि मुख्य न्यायाधीश को काफी काम करने होते हैं तथा मेरी सलाहकार समिति—यहां मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि यह मेरी अपनी संपत्ति है—की यह राय थी कि अगर मुख्य न्यायाधीश बाहर के हैं तो इससे प्रणाली में काफी स्वतन्त्रता रहेगी तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में, योग्यता को ही ध्यान में रखा जाएगा और सरकारी वकीलों और अन्यों की नियुक्ति के मामले में भी योग्यता को आधार माना जाएगा यहां तक पीठ के गठन में भी विभिन्न आलोचनाओं का निराकरण हो सकता है।

इसीलिए, सभी दलों से बनी हुई सलाहकार समिति की यह राय थी। लेकिन अगर अनियमित स्थानांतरण किए ही जाएंगे, तो यहां मैं गम्भीरतापूर्वक सर्वोच्च न्यायालय से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर विचार करें। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है जहां तक किसी व्यक्ति विशेष की सहमति लिए जाने की बात है, मैं नहीं मानता हूं कि यह मानना उचित होगा चूंकि कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किए जाने के लिए सहमत हो।

मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो यह कहें कि "मैं किसी भी जगह स्थानांतरण के लिए तैयार हूं।" मुझे इस प्रकार के व्यक्ति अब तक नहीं मिले है। यदि मुझे कहने की अनुमति दी जाये तो मैं यहां तक कह सकता हूं कि एक बार भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जयपुर में एक भाषण में खुले आम कहा था जिन न्यायाधीशों के बच्चे या सम्बन्धी विनिन्न उच्च न्यायालयों में अपना कार्य कर रहे हैं वे अपना स्थानान्तरण स्वेच्छा वहां करा सकते हैं। लेकिन मैं इस सभा को बता देना चाहता हूं कि एक भी ऐसा मामला नहीं आया जिसमें किसी ने यह कहा हो कि "मैं अपना स्थानान्तरण कराना चाहता हूं" मैं इस बात पर विस्तृत चर्चा न करके सिर्फ इतना ही कहूंगा कि किसी व्यक्ति विशेष के स्थानान्तरण के मामले में उसकी स्वीकृति लेना एक स्वस्थ परम्परा नहीं होगी। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा था कि सम्पूर्णतंत्र उच्चतम न्यायालय द्वारा ही नियंत्रित होना।

मेरे माननीय मित्र ने दूसरी जो बात उठायी है उसका सम्बन्ध इस प्रश्न से था कि क्या सरकार स्थानान्तरण का निर्णय कर सकती थी। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का प्रश्न पूछते समय उनको अपनी बात पर पूरा यकीन नहीं था उन्हें संवैधानिक उपबन्ध की बहुत अच्छी जानकारी है और मैं इस सभा को यही आश्वासन दे सकता हूं कि संवैधानिक उपबन्धकी को लागू

करने की पूरी अनुमति दी जायेगी। इसमें किसी भी व्यक्ति के इस पक्ष या उस पक्ष में रहने की कोई प्रश्न ही नहीं है। आखिरकार संविधान मौजूद है और यह संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही करना होगा। मुझे पता है कि बहुत से मामलों में सरकार वादी होती है। लेकिन फिर भी सरकार के साथ बिल्कुल भी पक्षपात नहीं किया जाता है और बहुत से मामले के बारे मेरी अपनी व्यक्तिगत राय तो यह है कि सरकार के विरुद्ध पक्ष का पक्ष लिया जाता है। लेकिन इससे हमारे दिल में कोई उपप्रसन्नता की नहीं होती। मामलों के निर्णय संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार, उनके गुण व गुणों के आधार पर किये जायेंगे और उनमें कार्यकारी अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि आखिरकार संवैधानिक व्यवस्था ही सर्वोच्च और अन्तिम है।

अब मेरे मित्र ने मुझे 80 वे प्रतिवेदन की याद दिलायी है और उसने कहा है कि उन्होंने बाहर से प्रारम्भिक नियुक्ति के लिए भेज दिया है। परिपत्र में केवल प्रारम्भिक नियुक्तियों की ही बात है। अतिरिक्त न्यायाधीशों का प्रश्न भी है। मुझे इस स्थिति का स्पष्टीकरण कर दूं क्योंकि परिपत्र में दो पहलुओं पर विचार किया गया है। इसका एक पहलू अतिरिक्त न्यायधीशों का तथा दूसरा नियुक्तियों के बारे है कि नियुक्तियां वकील समुदाय में से की जाएं या उच्च न्यायालयों में छोटी अदालतों के विधिज्ञ वर्ग से। अब मेरा विश्वास है कि इन शब्दों की जो भी व्याख्या की की जाए पर माननीय सदस्य मेरी बात से सहमत होंगे और जहां तक विधिज्ञ वर्ग या उच्च न्यायालय की छोटी अदालतों के सदस्यों का सम्बन्ध है जिनको न्यायाधीश नियुक्त किया जाना है, कम से कम वह यह मानेंगे कि उनकी नियुक्ति प्रारम्भिक ही होगी। हो सकता है कि प्रारम्भिक नियुक्ति की सीमा में अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं आते हो, तब मैं इस दूसरे ढंग प्रस्तुत करूंगा। मैंने इसके कारण बता दिये हैं जिनके कारण हमें अतिरिक्त न्यायाधीश भी मांगने पड़ते हैं। इस स्थिति को देखते हुए मैं माननीय सदस्य से पूछता हूं कि यदि शिकायतें मिलने पर उनको पूरी तरह सिद्ध किया जा सके तब अतिरिक्त न्यायाधीशों का क्या किया जाए। क्या उन्हें हटा दिया जाए? इस सम्बन्ध में मैं बचने का यह सुरक्षित रास्ता अपनाऊंगा कि यदि उनकी कहीं और नियुक्ति कर दी जाए तो इस आरोप से बचा जा सकता है। यदि मैं ऐसा करता हूं तो इस प्रकार के मामलों में यह इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के शायद ज्यादा हित में हों। लेकिन यदि अन्त में माननीय सदस्यगणों का यह मत हो कि आरोपों को पर्याप्त रूप से साबित करने योग्य न होने पर भी ऐसे व्यक्तियों को हटा दिया जाये, तो इस सम्बन्ध में मुझे कहना पड़ता है कि मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता। यह अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण से सम्बन्धित प्रश्न है। यदि कोई विश्वस्त विश्वसनीय साक्ष्य हो तब उस स्थिति में मैं उस व्यक्ति को हटाने वाला पहला व्यक्ति हूंगा।

(व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : दोनों मामलों में चाहे वे नियुक्ति या अन्य मामलों से सम्बन्धित हों, आप बिना किसी साक्ष्य के किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं?

श्री पी० शिवशंकर : मैं भी यही कह रहा हूं। कई मामले होते हैं बहुत से मामले सिद्ध नहीं हो सकते हैं?

श्री०एन० के० शेजवलकर : या तो आप ध्यान दें। यह इधर न उधर बीच में ही कैसे पड़ा रह सकता है?

श्री० पी० शिवशंकर : यदि आप मुझसे तर्क के लिये ही तर्क दे रहे हैं तो मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं चर्चा करने को तैयार हूं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह यह है कि बहुत से मामले साबित नहीं हो सकते क्योंकि प्रमाण न्यायालय में अपेक्षित होते हैं।

श्री० एन० के शेजवलकर : आप सहमत हैं ?

श्री० पी० शिवशंकर : आप सहमत महसूस करते हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : लेकिन कोई साक्ष्य नहीं।

श्री पी० शिवशंकर : मैं यहीं कुछ उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन यह मेरे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार के मामलों में जहां तक अतिरिक्त न्यायाधीशों का सम्बन्ध है आप इस बात से सहमत नहीं होते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को किसी दूसरे स्थान पर नियुक्त करते हैं तो इससे इन आरोपों और आलोचनाओं की भावना समाप्त हो जायेंगी।

श्री एन० के० शेजवलकर : यह स्पष्ट नहीं है। आपके कथनानुसार भी यदि किसी मामले में आपको पूरा यकीन भी है—साक्ष्य की बात छोड़िए—यदि आपको पूरा यकीन है तो भी मेरी समझ में नहीं आता कि आप उसके स्थानांतरण और किसी स्थान पर उसकी नियुक्ति को किस प्रकार न्यायसंगत मान सकते हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता।

श्री पी० शिवशंकर : श्री शेजवलकर जी, प्रत्येक मामले में उसके तथ्यों के आधार पर विचार करना होता है।

कुछ तथ्यों के आधार पर इस प्रकार के मामले आ रहे हैं अवश्य ही कुछ दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। मैं उस स्थिति के बारे में सोच नहीं सकता जिसमें···

(व्यवधान)

आचार्य भगवानदेव (अजमेर) ; उपाध्यक्ष महोदय, इनका नाम तो है नहीं, फिर भी बीच में बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय राय जानना चाहते थे और उसने ऐसा कहा है। मैंने श्री शेजवलकर को इसलिए अनुमति दी थी क्योंकि मंत्री महोदय जानना चाहते थे। मैंने श्री शेजवलकर को अनुमति दी थी।

श्री एन० के० शेजवलकर : इस तरह हल्ला करने से लाभ नहीं होता।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कभी आप इस प्रकार के व्यक्तिगत आरोप लगाकर चर्चा का माहोल बिगाड़ देते हैं। हम एक बहुत ही गम्भीर स्थिति पर विचार कर रहे हैं। (व्यवधान) कृपया आप बैठ जाइये।

श्री एन० के० शेजवलकर : आपने मुझे अनुमति दी । अन्यथा मैं नहीं पूछता ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मैंने आपको अनुमति दी थी ।

श्री पी० शिवशंकर : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क उत्तर में मैंने जो वक्तव्य दिया है, उसमें मैंने अतिरिक्त न्यायाधीशों के संदर्भ में उनकी सहमति लेने के कारण बता दिए हैं । यदि वे इस सम्बन्ध में कोई भिन्न दृष्टिकोण अपनाना चाहेंगे तो यह उनका अपना मामला है वे उन्हें ऐसा करने का हक है । लेकिन मैंने इस प्रकार का दृष्टिकोण इसलिए अपनाया है कि मैं तथ्य तथा परिस्थितयों में विश्वास करता हूँ और इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि इससे संस्था का सबसे ज्यादा भला होगा । बहुत से तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें बतलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है और माननीय सदस्यगण भी मुझसे उसकी आशा नहीं करेंगे । अतः मैं इसे छोड़कर आगे बढ़ता हूं । जबकि विधि आयोग के 80 वे प्रतिवेदन में प्रारम्भिक नियुक्ति का जिक्र किया गया था तो इस सम्बन्ध जो दूसरा तर्क दिया जा सकता था वह यह होता कि अतिरिक्त न्यायाधीश की इस स्थायी नियुक्ति को भी एक प्रारम्भिक नियुक्ति की संज्ञा दी जा सकती थी । मैं इसे इसी ढंग से प्रस्तुत कर सकता हूं इससे अच्छा तरीका नहीं था । मैंने कारण बता दिए हैं । जहां तक कारणों का सम्बन्ध है मैंने अपने लिखित वक्तव्य में पहले ही कारण बता दिए हैं । और मुझे उन कारणों से ही अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में उनकी सहमति लेने का सहारा लेना पड़ा था ।

श्री सतीश अग्रवाल : विधि मन्त्री महोदय, कृपया मैं कुछ कहना चाहता हूँ । आपने एक विशेष स्थिति के बारे में बताया है जिसके लिए साक्ष्य भी हैं लेकिन साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए; स्थानांतरण किया जा सकता है । यह केवल तदर्थ नियुक्ति के बारे में ही लागू हो सकता है । लेकिन स्थायी न्यायाधीशों जिनके बारे में शिकायतें हैं उन मामलों के सम्बन्ध में क्या है ? उससे समस्या का हल नहीं होता है । आप अपने उपादेश को उन पर ही लागू कर रहे हैं जिन्होंने दो या तीन वर्ष का समय पूरा कर लिया है ।

श्री पी० शिवशंकर : मैंने तदर्थ नियुक्ति कभी नहीं कहा है जिनका सम्बन्ध अतिरिक्त न्यायाधीशों से है, प्रत्येक शिकायत पर उसके गुण व गुणों के आधार पर विचार करना होगा तथा निर्णय करना होगा । निर्णय साक्ष्य के आधार पर या तो किसी व्यक्ति को हराने या यह देखने के आधार पर लिया जायेगा कि उसे स्थानांतरित किया जा सकता था । यदि इससे बचा जा सकता, तो यह प्रत्येक मामले के बारे में निर्णय का प्रश्न है । आप मामले को तो गलत नहीं कह सकते । मैं यही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं । यदि उसने सहमति मांगी थी तो वह संवैधानिक व्यवस्था की परिसीमाओं के अन्तर्गत होगी ।

जैसाकि मैंने सर्वप्रथम कहा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना बहुत आवश्यक था । मैं उस भावना को अवैध मानता हूं ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं आपसे उनके बारे में पूछ रहा हूं जिन्होंने पहले ही सहमति दे दी है । इसका सम्बन्ध उस बात से है जो मंत्री महोदय ने स्थिति के बारे में कही थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको आगे कहने दीजिए ।

श्री पी० शिवशंकर : मेरा प्रख्यात वकीलों से पाला पड़ा है और मैं उनके प्रश्नों की कद्र करता हूं । यदि कोई व्यक्ति स्थायी न्यायाधीश है और यदि उसके बारे में शिकायतें हैं तो उस मामले का गुणा व गुण के आधार पर निर्णय करना होगा, अब क्या किया जाये ? जबकि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है, यह केवल मुकदमा चलाना ही एक रास्ता है । और किसी न्यायाधीश को महाअभियोग लगाये बिना हटा नहीं सकते हैं । महाअभियोग चलाना एक बहुत सख्त कार्यवाही है और इस सम्बन्ध में आप मेरी बात से सहमत होंगे कि यह और भी अनेकानेक समस्याओं को दावत देना होगा अतः प्रत्येक मामले में इसके गुणा व गुणों के अनुसार निर्णय देना होगा । सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमें इस बात पर खुले आम चर्चा नहीं करनी चाहिए जैसा मैं स्वयं तथा बहुत से सदस्यगण कभी-कभी निजी तौर पर चर्चा करते हैं, कुछ समस्याओं पर हम चर्चा करते रहे हैं (व्यवधान) मुझे विश्वास है कि आप ऐसी बहुत सी बातों को बताने के लिए मुझे मजबूर नहीं करेंगे, जिन्हें अन्यथा गुप्त रखा जाना चाहिये । ये सब बाते हैं जिनके लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा । मैं माननीय सदस्यगणों से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय के लिए । मुझ पर और दबाव न डालें । कुछ तथा ऐसे हैं जिनको मैं कभी भी नहीं बतलाऊंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक भद्रपुरुष का करार है ।

श्री पी० शिवशंकर : श्रीमन मेरे माननीय मित्र ने अनिच्छुक न्यायाधीशों के स्थानान्तरण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त असंतोष के बारे में कहा है । श्रीमन यदि कुछ व्यक्ति किसी मामले को कुछ बातों को स्पष्ट करने के बहाने बहुत ही नाजुक से इस मामले को उछालना ही चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति इन बातों को रोक नहीं सकता । आखिरकार मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि देश को स्थानान्तरण किये जाने के मामले के बारे में जरूरत से ज्यादा संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता नहीं । स्थानान्तरण तो होते ही रहते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : (राजापुर) श्रीमन, वह अब देश पर लांछन लगा रहे हैं ।

श्री पी० शिवशंकर : प्रो० साहेब मुझे आपके अनुमान के लिए खेद नहीं है । यदि आप मजाक करना चाहते हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूँ । लेकिन यदि आप गम्भीर हैं तो केवल इसके लिए मुझे खेद है ।

प्रश्न यह है कि स्थानान्तरण तो होते ही रहते हैं हर क्षेत्र में अनुभव के आधार पर किये जा रहे हैं और इसलिए किसी व्यक्ति इन बातों को इतना उछालने की आवश्यकता नहीं जिससे यह एक समस्या बन जाये । जबकि वास्तव में स्थानान्तरण की कोई बात नहीं हैं कठिनाई उस समय पैदा होती है जबकि लोग कुछ न होने पर भी अनुचित रूप से मनमाने अर्थ लगाना शुरू कर देते हैं । मेरे माननीय मित्र ने आधार के बारे में पूछा है । मैं पहले ही बता चुका हूं मैंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : उन्होंने विरोध किया है ।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, यह सिर्फ समझने की बात है। मैंने केवल यही कहा है कि समाचार पत्रों में इसकी सूचना छपी है । हो सकता है मेरे मित्र के पास वे दस्तावेज ही हों ।

इसलिए इस स्थिति को आप विरोध मान रहे हैं। उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। उन्होंने यह पूछा है कि क्या ऐसे विचार हैं कि सभी अतिरिक्त न्यायाधीशों का तबादला किया जाएगा।

वह यह सोच रहे थे कि हम तबादला कर रहे हैं। जैसे कि मैंने समझाया भी है कि यह तबादले का मामला नहीं है परन्तु अनुच्छेद 217 के अन्तर्गत यह नियुक्ति का मामला है। मैं स्पष्ट भी कर चुका हूं—मैं यह बात स्पष्ट कर देता हूं—कि हमारी यह धारणा नहीं है कि अतिरिक्त न्यायाधीशों का बाहर तबादला किया जाए। मैं समझा चुका हूं कि हमारी यह धारणा नहीं है। यही स्पष्टीकरण मांगे गए हैं और हमने यह स्पष्ट कर दिए हैं। आखिकार, यही वह अधिकारी हैं जिनके साथ मेरा सांवैधानिक सम्पर्क रहता है। मेरे मित्र बता रहे थे कि 114 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। इस बात पर मैं उन्हें ठीक करना चाहूंगा। मार्च-अप्रैल, 1981 में केवल 50 अतिरिक्त न्यायाधीश ही थे। उन्होंने पूछा है कि यह कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों के बारे में था। मैंने अतिरिक्त न्यायाधीशों के बारे में कुछ नहीं कहा। यह केवल मुख्य न्यायाधीश के बारे में ही कहा गया था।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पी० शिवशंकर : आज तक की स्थिति यह है कि लगभग 11 ने अपनी सहमति दे दी है। अर्थात अतिरिक्त न्यायाधीशों की, जिन्हें नियुक्त किया जाना है। बाकी की भी शीघ्र ही आने की संभावना है। इन मुद्दों पर तो मैं यही कह सकता हूं। मेरे माननीय मित्र कह रहे हैं कि आपने 15 दिन की सीमा क्यों निर्धारित की हैं। आप 15 दिन की या ऐसी सीमा निर्धारित ही क्यों करते हैं। इस पर तो मैं उन्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि यह आदेशात्मक न होकर निदशात्मक है; मैं उनके अपने शब्दों में ही बताऊंगा (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। इस पर दो घंटे से अधिक व्यय हो गए हैं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : आपने कहा है कि : "मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार की यह धारणा नहीं है कि सभी अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अन्य राज्यों से की जाए।" इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। सरकार की यदि यही नीति है तो आप किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़िन कर सकते हैं। क्या यह सही नहीं है।

श्री पी० शिवशंकर : मैं अपने मित्र को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह किसी को उत्पीड़िन के लिए नहीं है। जैसा कि मैंने कहा भी है कि प्रत्येक मामलों की उसकी वरीयता के आधार पर जांच की जाएगी। हमारी यह धारणा नहीं है कि प्रत्येक का तबादला किया जाए। (**व्यवधान**) हो सकता है वह मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों के यदा-कदा होने वाले तबादलों के कारण वापिस जा रहे हों। स्थिति बहुत स्पष्ट है। हो सकता है कि किसी विशेष मामले पर कोई सामग्री है और उस पर गुणदोष के आधार पर ही विचार किया जाएगा। यह धारणा नहीं है कि हरेक का तबादला किया जाए। मेरे विचार में उठाए गए सभी मुद्दे मैंने स्पष्ट कर दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु—कृपया केवल प्रश्न ही उठाएं। मैं वक्तव्य की अनुमति नहीं दूंगा। इस पर दो घंटे बहस हो चुकी है। (**व्यवधान**)

कृपया केवल प्रश्न ही पूछें। यह नियमों की अनुकूल है। ध्यानाकर्षण आधे घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। हमने इस पर दो घंटे लगा दिए। सूची में और भी विषय हैं।

श्री चित्त बसु : आपने अब तक यह नियम लागू नहीं किया ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी की बात मानें। अन्य बातें कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जाएंगी। केवल श्री चित्त बसु का प्रश्न ही सम्मिलित किया जाएगा। मैं आपको प्रश्न पूछने के लिए कह रहा हूं। (व्यवधान)** आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछने के लिए कह रहा हूं। आप नियमों के मुताबिक केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री चित्त बसु : कृपया मेरी बात भी सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। नियमों के मुताबिक आप प्रश्न पूछिए।

श्री चित्त बसु : मेरी बात सुनने का हक आप मुझसे कैसे छीन सकते हैं ? आप यह कह सकते हैं कि मैं विषय तक ही सीमित रहूं और संक्षिप्त रहूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि नियम के मुताबिक आप अध्यक्ष की अनुमति से एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछने के लिए कह रहा हूं। यदि आप वक्त बरबाद करना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं अगले सदस्य को बुला लूंगा।

श्री चित्त बसु : अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति देने में आपने नियम क्यों नहीं लागू किया ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इसे साधारण तौर पर नहीं ले सकते हैं। मैं आपको केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। क्या आप प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री चित्त बसु : मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने नियम कब हटाया ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप से यही कहना चाहता हूं कि आप एक प्रश्न पूछें।

श्री चित्त बसु : क्या आपने नियम 389 लागू किया ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनायें रखें। आप कृपया प्रश्न पूछें अन्यथा मैं अगले मद उठाता हूं।

श्री चित्त बसु : यदि आपका यह रवैया है तो मुझे भी दूसरा रवैया अपनाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपसे प्रश्न पूछने के लिए कह रहा हूं।

श्री चित्त बसु : आप मेरे साथ भेदभाव नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया प्रश्न पूछिए।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : आप लम्बा सा प्रश्न पूछ लीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी और भी विषय हैं । गृह मंत्रालय से सम्बद्ध प्रश्न भी अभी रह रहे हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : गृह मंत्रालय पर आज प्रश्न नहीं हो सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल, मैं आप ही की सहायता कर रहा हूं । हम बहुत अधिक समय लगा रहे हैं । मैं विपक्ष की ही सहायता कर रहा हूं । हमें बिना समय नष्ट किए आगे बढ़ना चाहिए । श्री चित्त बसु कृपया प्रश्न पूछें ।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि प्रस्तावित परिपत्र अथवा जो परिपत्र जारी किया जा चुका है, उसका उद्देश्य क्या अतिरिक्त न्यायाधीशों और और अस्थायी न्यायाधीशों के लिए पूर्व-शर्त लगाना है कि जब तक वह अन्य उच्च न्यायालयों में तबादले के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक, जहां तक उनकी नियुक्ति का संबंध है, उन्हें स्थायी नहीं किया जाएगा ? क्या यह सही नहीं है कि विधि मंत्रालय की यह धारणा है कि इस प्रक्रिया से न्यायपालिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व देकर उसे संयुक्त बनाया जाए ? क्या यह सही नहीं है कि इस प्रकार देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रा को निश्चित रूप से बहुत अधिक खतरा है ? क्या यह ऐसा प्रयत्न नहीं है जिससे कि अस्थायी न्यायाधीशों को स्थायी बनाने से पूर्व उन्हें धमकी दी जाती है तथा उन्हें अपमानित किया जाता है ? क्या यह ऐसा कदम नहीं है जिससे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो कि लोकतन्त्र के लिए आवश्यक है, को और भी कम किया जा रहा है ? क्या यह भी सही नहीं है कि यह संविधान के अनुच्छेद 50 का उल्लंघन है ? क्या यह सही नहीं है कि परिपत्र का उद्देश्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति और भूमिका की बदनामी करना है क्योंकि इससे भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुच्छेद 222 के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के तबादले करने से सम्बन्धित शक्ति को छीन कर उसे सरकार को प्रदान कर दिया जाएगा जिससे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना सरकार न्यायाधीशों का सामूहिक रूप से तबादला किया जा सके ? क्या यह सही नहीं है कि यह परिपत्र सहमति प्राप्त करने के लिए है, जिसका उपयोग संविधान के अनुच्छेद 222 की अवहेलना करने के लिए किया जा सकता है ? क्या यह सही नहीं है कि सरकार यह जानती है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश राजनैतिक कारणों से इन अतिरिक्त न्यायाधीशों को सामूहिक तबादले के हक में नहीं हैं ? क्या यह सही नहीं है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश विधि मंत्री द्वारा न्यायाधीशों के बड़े पैमाने पर किए जाने वाले तबादले में बाधक बन रहे हैं । भारक के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किए हैं :—

"प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए ।"

इसे ध्यान में रखते हुए, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने विश्वास में नहीं ले रही है और न्यायपालिका के प्रशासन में बाधा पहुंचा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि विख्यात विधिवेत्ताओं ने न्यायाधीशों का तबादलों की स्वतन्त्र न्यायपालिका के लिए एक खतरा और दण्ड बताया है ? क्या

सरकार यह जानती है कि देश के एक विख्यात विधिवेत्ता ने कुछ टिप्पणियां की हैं ? गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीवान ने कुछ दिन पहले, 12 अप्रैल को यह मत व्यक्त किया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं । अब कृपया समाप्त करें । इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पहले ही ढाई घंटे व्यतीत हो चुके हैं । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे अब समाप्त करें ।

श्री चित्त बसु : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान···**

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब असंगत बातों का जिक्र कर रहे हैं । आप केवल यही बात कह सकते हैं जिसका सम्बन्ध ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से है । ये बातें इस विषय से किस प्रकार सम्बन्धित है ? मैं यह प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान) **

अब मैं आपके भाषण को भी अनुमति नहीं दूंगा । इसका सम्बन्ध ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से नहीं है । यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं होगा । कृपया बैठ जाइये हर बात को निपटाने का एक तरीका होता है । यदि माननीय सदस्य सहयोग नहीं देंगे तो सभा की कार्यवाही कैसे चल सकती है ।

(व्यवधान)**

यह सब कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । वक्तव्य का आखिरी हिस्सा कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । यह मेरी अनुमति के बिना कहा गया है । अब मन्त्री महोदय ।

श्री पी० शिव शंकर : माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए अधिकतर प्रश्नों का उत्तर मैं दे चुका हूं । मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद म परामर्श लेने की स्वीकृति ले ली गई है जिससे पूरी सम्पूर्ण स्थिति पता चल सके । मैं यह स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं तथा इसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है । न्यायपालिका की स्वतंत्रता और तबादले के मामले पर सरकार के हस्तक्षेप, जो कि स्वाभाविक है, पर भी मेरे माननीय मित्र द्वारा प्रश्न उठाए गए हैं । मेरा विचार था कि आप अब गम्भीर होते जा रहे हैं···· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब श्रीमती दंडवते सभा में मौजूद नहीं होती तब वह ऐसे ही व्यवहार करते हैं । मैंने यह अक्सर देखा है ।

श्री पी० शिव शंकर : आपकी अनुमति और प्रोफेसर साहब की अनुमति से मैं यह विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि वह जब श्रीमती दंडवते सदन में नहीं होती तब वह शैतान बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं····· (व्यवधान)

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

मैं यह कहूंगा कि मेरे माननीय मित्र ने कुछ जोरदार शब्द कह दिए हैं। पिछले शासन मे जब श्री पुन्नैया जैसे व्यक्ति कर्नाटक से राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए लाए गए थे या श्री लोधा का तबादला करके उन्हें असम का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, तब मेरे इन्हीं मित्र ने एक भी शब्द नहीं कहा था। उस समय न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी, उस समय किसी प्रकार का शोर नहीं मचाया गया था, उस समय स्थिति पूरी तरह से ठीक ठाक थी। केवल इसी समय ये सब बातें उठी हैं। इससे केवल इनके विचारने की क्षमता का ही पता चलता है तथा मैं इसके लिये केवल खेद ही प्रकट कर सकता हूं।

मैंने इनके द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों का उल्लेख किया है। अन्य मित्रों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर में मैं केवल शिष्ट भाषा का ही प्रयोग करूंगा, न कि उस प्रकार की भाषा का, जिनका उन्होंने प्रयोग किया है। इनका यह भाव हमारे प्रति इनके अन्तर्निहित पूर्वाग्रह के कारण ही है तथा जैसा कि मैंने कहा है, मुझे इसके लिए पुन: खेद है।

[श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए]

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं उसी के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करना चाहूंगा। मैं ऐसे तथ्यों की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा जिनके सम्बन्ध में अभी तक किसी सदस्य ने ध्यान आकृष्ट नहीं किया है। आपने अपने वक्तव्य में तीन-चार मुख्य मुद्दे उठाये हैं। एक तो यह कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरे—आपने राजनीतिक सम्बन्ध की चर्चा की है। आपने कहा है कि कुछ मामलों में राजनीतिक सम्बन्धों का भी उल्लेख किया गया है और विभिन्न राज्य प्राधिकारियों ने कुछ अपर न्यायाधीशों को उनके पदों पर बनाये रखे जाने के बार में अपना संकोच व्यक्त किया है। इसके बाद आपने मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखा। इसके बाद आपने कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मुझे पत्र के जवाब में कुछ बातों के बारे में स्पष्टीकरण मांगे थे, जो उन्हें उपलब्ध कर दिये गये हैं। हमें यह मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या स्पष्टीकरण मांगे थे और उन्हें क्या उपलब्ध कराये गये हैं। आप जब जवाब दें तो कृपा कर इसके बारे में हमें बतलायें।

इसके बाद मैं मन्त्री महोदय का ध्यान अनुच्छेद 217 और 222 की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसका आपने उल्लेख किया है। अनुच्छेद 217 और 222 में कहीं भी मुख्य मंत्री का जिक्र नहीं है। आप अनुच्छेद 217 को देखें, उसमें सिर्फ इतना कहा गया है :—

> "भारत के मुख्य न्यायाधिपति से, उस राज्य के राज्यपाल से, तथा मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तथा वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की अवस्था में....."

मुख्य मंत्री का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। जबकि आपने अपना सर्कुलर मुख्य मंत्री को भेजा है। अनुच्छेद 222 तो बिलकुल साफ है, सिर्फ एक लाइन का है, उसमें चीफ जस्टिस का उल्लेख है।

अब मैं ट्रांसफर्स के बारे में कुछ उल्लेख करना चाहता हूँ। 1975 से 1977 तक हाई कोर्ट के 21 जजेज का ट्रांसफर हुआ। 1977 से 1979 तक 12 जजेज का ट्रांसफर हुआ। यहां हम लोगों के मन में एक शंका है—एमरजेन्सी के दौरान जिस ढंग से ट्रांसफर किये गये, 16 जजेज का ट्रांसफर हुआ उससे आपकी गतिविधियों के सम्बन्ध में—मैं यहां पर श्री शिव शंकर की गतिविधियों की बात नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार की गतिविधियों की बात कर रहा हूं—शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं—चाहे वह इस सरकार की बात हो या उस सरकार की बात हो—अभी आपने जो ट्रांसफर किया है, मंत्री महोदय भी बहुत बारीकी से उसका अनुभव करते होंगे, किस का किया है ? बिहार के चीफ जस्टिस का ट्रांसफर किया है, मद्रास के चीफ जस्टिस का ट्रांसफर किया है। बिहार के चीफ जस्टिस को मद्रास भेजा जा रहा है, क्या कभी आप ने यह जानने की कोशिश की कि क्यों ट्रांसफर किया गया है ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां जो आपके राजनीतिक सम्बन्ध हैं वे बिगड़े हुए हैं। मद्रास का चीफ जस्टिस कौन है ? माइनारिटी क्लास का है। एक तरफ तो आप अपने वक्तव्यों में माइनारिटीज और वीकर सेक्शन्ज की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ जो एक बड़ी स्टेट में अपने पद को होल्ड कर रहा था उसको छोटी स्टेट केरल में भेज रहे हैं। इसी तरह में 1978 में भी हुआ। उस समय आप ला मिनिस्टर नहीं थे लेकिन तब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर किया गया था और कर्नाटक भेजा गया था। कर्नाटक में जहां एक शेड्यूल्ड कास्ट्स का सदस्य चीफ जस्टिस बनने वाला था, वहां पर उसे भेज दिया। इसलिए उसका राइट मारा गया। जिसको चाहा, जिसको आपके मन ने चाहा, चीफ जस्टिस बना दिया, तो यह जो सारा मामला है, जिस को आप विधि की आड़ में या कानून की आड़ में करते हैं, इसके पीछे क्या बात है। आप की इन्टेंशन क्या रहती है, आपकी नीयत क्या रहती है, उसको भी हम को देखना पड़ता है। इसलिए बिहार का जो गंभीर मामला था उसके बारे में मैंने आपके सामने कहा। यहां पर बिहार के सदस्य बैठे हुए हैं। बिहार की सरकार जो चल रही है, वहां का जो मुख्य मंत्री है, वह कौन लाइन पर सरकार को ले जाना चाहता है और कैसे उसको चलाना चाहता है। सिर्फ एक ही जाति के लोगों को प्रोटेक्शन मिले या न मिले, तो इस सारी स्थिति को देखना पड़ेगा और इस दृष्टिकोण से जब हम जैसा आदमी देखता है, तो हमको लगता है कि तमाम जगहों पर राजनीतिक कारण उपलब्ध हैं, तमाम जगह राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि मंत्री जी ने अपने जवाब में जो कारण दिखाए हैं, चीफ जस्टिस का जो यह मामला है, यह हम जैसे लोगों की समझ में नहीं आया है। तो मैं मंत्री महोदय से एक सीधा सवाल करना चाहूंगा। अखबार में भी यह निकला है, उससे हमको मतलब नहीं है और आपने कहा भी है कि इसका हवाला नहीं दिया जा सकता लेकिन आप ने अपने जवाब में कहा है :

"भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने मुझे लिखे गए एक पत्र में कुछ बातों के स्पष्टीकरण मांगे थे, जो उन्हें उपलब्ध कर दिए गए हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि ये स्पष्टीकरण कौन-कौन मुद्दों पर था, और क्या आपने वह सब उनको उपलब्ध करा दिए हैं।

दूसरी बात यह है कि मुख्य मंत्रियों को आपने तमाम जगहों पर घसीटा है। तब तो इसका

मतलब सीधा है और साफ है और आप लाख समझाएं, यह सीधा-सा मामला है कि मुख्य मंत्रियों का वर्चस्व रहेगा, एक्जीक्यूटिव का वर्चस्व रहेगा, न्यायपालिका के ऊपर इनका वर्चस्व रहेगा। मैं अभी उन बातों की तरफ आप का ध्यान नहीं खींचना चाहता। फिर कभी इस पर डिबेट आएगी, तो मैं डिबेट करूंगा। जितनी आपको चिन्ता है, हम लोग भी उतने ही चिन्तित हैं कि वीकर सेक्शन्स के लोगों को प्रोटेक्शन मिले, वीकर सेक्शन्स के लोगों को जुडीशियरी में प्रतिनिधित्व मिले। यह सारा मामला अलग है। आपने अपने स्टेटमेंट में जातिवाद का भी जिक्र किया। यहां तक अपने स्टेटमेंट में आपने कहा है :

> "राज्य पुनर्गठन आयोग, विधि आयोग और विभिन्न एसोसियेशनों सहित अनेक निकायों और फोरमों द्वारा भारत सरकार को बार-बार यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, संकीर्ण प्रवृत्तियों का प्रतिरोध करने और उच्च न्यायालयों की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए किसी भी उच्च न्यायालय के एक तिहाई न्यायाधीश यथा-संभव उस राज्य से बाहर के होने चाहिए जिस राज्य में वह उच्च न्यायालय स्थित है जिससे कि उस उच्च न्यायालय की बैंच में सुनिश्चित रूप से ऐसे अनेक न्यायाधीश हो जाएं जो स्थानीय बातों से प्रभावित नहीं होंगे। कुनबापरस्ती तथा अन्य स्थानीय सम्पर्कों और संबंधों आदि के आधार पर बने पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ मामलों में राजनीतिक संबंधों का उल्लेख किया गया है"।

तो यह सारा मामला है और इस पर बहुत डिस्कशन की आवश्यकता है। इसके लिए जो समूची न्यायपालिका है, उस पर एक बार जमकर बहस होनी चाहिए।

अब जो स्थानान्तरण का मामला है, उसके बारे में मैंने उदाहरण दिये हैं। अभी भी आपने स्थानान्तरण किये हैं और इसके पहले भी स्थानान्तरण हुए हैं। एक हरिजन का कत्ल किया गया और दूसरे में एक मुसलमान ने जाकर रिट की। जो इस तबके के जो लोग हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है। जो स्थानानान्तरण करते हैं, उसके लिए आपके पास कोई नीति है या नहीं है या जब आपने चाहा आप ट्रान्सफर करते चले गये और यह कहते रहे कि यह सारा पब्लिक इन्ट्रेस्ट में हो रहा है और लीगेली हो रहा है। ये सारी चीजें हैं। तो एक बात तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कार्यपालिका जो है, इनमें आप क्या सम्बन्ध रखना चाहते हैं।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि चीफ जस्टिस ने क्या आपके पास कोई प्रोटेस्ट भेजा था और यदि उसकी तरफ से प्रोटेस्ट हुआ है, तो आपने अपने जवाब में उसके बारे में क्या कहा है। उसने कुछ स्पष्टीकरण आपसे मांगे और वे स्पष्टीकरण क्या थे और उन स्पष्टीकरण के जवाब में जो आपने बताया वह उन्हें उपलब्ध करवाया या नहीं और वह क्या था।

तीसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप बतलाएं कि आपकी इन्टेंशन क्या है। आप हमेशा कहते रहते हैं कि हमारी नीयत हमेशा साफ है लेकिन जिस तरह का आपका अभी तक का कार्यकलाप रहा है, उससे आपकी इन्टेंशन, नीयत साफ जाहिर नहीं होती रही है। इसलिए भविष्य में क्या ऐसी नीति आप बनाना चाहेंगे जिससे न्यायापालिका की स्वतन्त्रता पर जो एक

प्रश्नवाचक चिन्ह अभी तक लगा हुआ है आप लाख समझाएं वह चिन्ह लगा हुआ है, उस न्याय-पालिका की स्वतन्त्रता कायम रहे। इस देश में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसा लगता है जैसे इस पार्टी के समान खड़े हुए हैं, वह चीज खत्म हो और न्यायपालिका की मर्यादा कायम रहे, इसके सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं। मेरे इन प्रश्नों का मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री पी० शिव शंकर : पहले प्रश्न आर्टिकल 217 के ताल्लुक से किया। उसमें मैंने बताया है कि चीफ मिनिस्टर का कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन मैं उनको इतना ही ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आर्टिकल 217 के तहत जब किसी जज की नियुक्ति करने का सवाल पैदा होता है तो जहां तक इस आर्टिकल का सवाल है उसके तहत स्टेट के गवर्नर से ताल्लुक रखने के लिए कहा गया है। आर्टिकल 163 को अगर आप देखें तो गवर्नर स्वयं कुछ नहीं करते हैं। सारा जो स्टेट काम होता है वह गवर्नर के नाम से होता है। कांस्टीच्युशन और कानून के तहत गवर्नर कुछ नहीं करते हैं, वे सारा काम मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही करते हैं। अगर आर्टिकल 163 को आप देखें तो आपको मालूम होगा। वह साफ है—

> "राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री-परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा···"

आपको खुद इस बात का ज्ञान है कि सारा काम जो होता है उनके लिए गवर्नर को कभी नहीं लिखा जाता है और न लिखा गया है। चीफ मिनिस्टर को ही लिखा जाता है और चीफ मिनिस्टर को ही एडवाइस पर किया जाता है, वही एडवाइस देते हैं। आपको मालूम होगा कि जब चीफ जस्टिश लिखते हैं तो वे भी चीफ मिनिस्टर को लिखते हैं। शब्द गवर्नर का जरूर इस्तेमाल किया जाता है लेकिन गवर्नर होकर वे कुछ नहीं करते। इसलिए मैंने भी चीफ मिनिस्टर को लिखा है। इसमें नीयत का कोई सवाल नहीं आता है। कानून के हिसाब से ही मैंने किया है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के चीफ जस्टिश को या मद्रास के चीफ जस्टिश को केरल भेजने का ताल्लुक हमारी नीयत से नहीं। जैसा मैंने पहले आप लोगों से कहा कि उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक्जीक्युटिव का कोई हाथ नहीं है। इसके बारे में तफसील में जाना ठीक नहीं है और न जाने की कोशिश की जाए क्योंकि यह मुनासिब नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि इसमें एक्जीक्युटिव का कोई हाथ नहीं है।

जहां तक स्पष्टीकरण का सवाल है। मैंने इस से पहले भी कहा और आप से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हमारी बदनीयती का कोई सवाल नहीं है। जब हमारे परुलेकर साहब ने सवाल पूछा तो मैंने उसको भी साफ कर दिया था। एक तो स्पष्टीकरण वह चाहते थे कि क्या इसका मतलब यह तो नहीं है कि जितने भी एडीशनल जजिज हैं, क्या उन सब की दूसरी जगह पर नियुक्ति की जाएगी ? मैंने कहा था कि इस बात को नहीं किया जाएगा और हर केस के मेरिट पर ही इसको किया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि चीफ जस्टिश को कंसल्ट किए बगैर आगे कदम नहीं उठाया जा सकता है।

दूसरी, बात जैसा मैंने कहा और उन्होंने भी पूछा था, शायद इसलिए पूछा था कि वे यह समझ रहे थे कि हम एडीशनल जजिज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर के उनको नियुक्त करेंगे। उनसे भी मैंने कहा था कि यह हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है एडीशनल जजिज को परमानेंट बनाना, मुस्तकिल बनाना। जो यह स्पष्टीकरण मांगा गया था उसको मैंने साफ कर दिया था। यह हमारी नीयत है।

श्री राम विलास पासवान : मतभेद खत्म हो गए ?

श्री पी० शिवशंकर : मतभेद तो मियां-बीबी में रहते हैं। मियां-बीबी भी सौ फीसदी एक साथ मिल कर नहीं रहते और फिर प्रजातंत्र में तो मतभेद होना स्वाभाविक ही है। यह बात तो हमारे लिए एक तरीके से उत्तर के रूप में हो सकती है कि हमारी हुकूमत में भी मतभेद हैं।

आखिर, जहां तक न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सवाल है, मैंने पहले कहा कि हम किसी से इस मामले में पीछे नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि न्यायपालिका को बिल्कुल एब्सट्रेक्ट टर्म में यह कहना कि बिल्कुल ही स्वतंत्र है तो इस एक्सप्रेशन से दुःख होता है। इस देश में वे संविधान के अन्तर्गत काम करते हैं तो अगर यह कहा जाए कि ये सबसे ऊंचे हैं और ये सबसे नीचे हैं, यह मेरी समझ में मुनासिब नहीं होगा। समझने-समझने में फर्क हो सकता है। मैं समझता हूं कि हर-एक पालिका को विधान के अनुसार काम करना चाहिए। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि हम बड़े हैं या ये छोटे हैं। विधान में साफ बताया गया है कि हमारी पावर्स क्या हैं और हमारी ड्यूटीज क्या हैं और उनके पावर्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज क्या हैं, उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए। इससे हटकर अगर यह सोचा जाए कि ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उनसे बात भी नहीं कर सकते, वे देवता हैं, इस प्रकार से अगर समझा जाए तो मैं समझता हूं कि ना-मुनासिब बात होगी।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : सभापति महोदय, माननीय विधि मंत्री जी ने मुख्य न्यायाधीश के पत्र तथा उसमें उल्लिखित कुछ बातों का उल्लेख किया है। क्या मंत्री महोदय वह पत्र सभा पटल पर रखेंगे ? यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने तीन बार इस पत्र का उल्लेख किया है।

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख किया गया है, मैं नहीं समझता कि इस पत्र को सभापटल पर रखना उचित होगा क्योंकि इससे बहुत गलत परम्परा पड़ेगी तथा कोई भी सदस्य बहुत सी बातों पर चर्चा करना चाहेगा और मैं बहुत विषय-स्थिति में पड़ जाऊंगा कि मुझे उन गुप्त बातों की जानकारी देनी चाहिए अथवा नहीं। उससे एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर और जोर न दें।

सभापति महोदय : विधि मंत्री जी, कृपया एक बात को स्पष्ट कीजिए। श्री राम विलास जी ने कहा था कि एक अनुसूचित जाति के न्यायाधीश थे। उनके स्थानांतरण से उनकी पदोन्नति में बाधा पड़ी। क्या यह सही है ?

श्री पी० शिवशंकर : जी नहीं, यह बात नहीं है। अनुसूचित जाति के किसी न्यायाधीश को स्थानांतरण करने का कोई मामला नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : कर्नाटक में ? 1978 में इलाहाबाद से कर्नाटक में जब ट्रांस्फर किया गया था···।

श्री पी० शिवशंकर : किसको ?

श्री रामविलास पासवान : वहां जो शेडयूल कास्ट के जजेज थे, वे चीफ जस्टिस होने वाले थे और बाद में कहा गया कि आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में। अभी हमने आपको मुसलमान का उदाहरण दिया है, तो जब कोई बड़ा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है तो वह छोटे पद पर क्यों जाएगा, इसलिए उसने रिट दायर किया है, ये उदाहरण हम लोगों के सामने है।

श्री पी० शिवशंकर : मैं माननीय सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि जहां तक वर्तमान सरकार का संबंध है, वह यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीशों के प्रति किसी प्रकार का अन्याय न किया जाए। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हमें खेद है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुश्किल से चार न्यायाधीश हैं। अनुसूचित जाति के किसी भी न्यायाधीश के स्थानांतरण का किसी भी समय मामला नहीं उठा था। वे यह कहना चाहते थे कि 1978 में यदि न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर को इलाहाबाद से कर्नाटक वापस न भेजा जाता, तो न्यायमूर्ति भीमैय्या मुख्य न्यायाधीश बन गये होते। खैर, इस समय मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार द्वारा यह नीति संबंधी निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक न्यायाधीश को वापस भेजा जाए।

श्री रामविलास पासवान : न्यायपालिका को अलग रखिए, एग्जीक्यूटिव का वर्चस्व मत होने दीजिये।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हमारे केस की वजह से उनको इलाहाबाद भेजा था।

श्री पी० शिवशंकर : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि चूंकि पिछली सरकार ने यह निर्णय लिया था कि सभी न्यायाधीशों को उनके अपने-अपने स्थानों पर वापस भेजा जाये, इसलिए न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर को वापस भेजा गया था।

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु जब उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया, तो उन्हें वापस नहीं भेजा गया।

श्री पी० शिवशंकर : मैं यह अवश्य कहूंगा कि इनका कहना पूरी तरह से सही नहीं है। परन्तु जब प्रोफेसर साहिब यह कहते हैं···(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : कम संख्या है तो कैसे उसको पूरा करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं बात को स्पष्ट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या आप इनकी बात मान रहे हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं प्रोफ़ेसर साहिब की बात मानूंगा। वे उम्र में मेरे से बड़े हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। आपात् स्थिति के दौरान, कुछ न्यायाधीशों ने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध कुछ अन्तरिम आदेश अथवा फैसले दिये थे, उनका राजनैतिक आधार पर वास्तव में तबादला कर दिया गया था इसके बाद जब जनता सरकार ने सत्ता संभाली, तब हमने यह नीति संबंधी निर्णय लिया कि उन सभी न्यायाधीशों को, जिन्हें विभिन्न उच्च न्यायालयों में भेजा गया था तथा चूंकि यह तबादले राजनैतिक बदले की भावना से किए गए थे, अतः यदि वे चाहें, तो उन्हें अपने पुराने न्यायालयों में वापस जाने दिया जाए, जहां से वे भेजे गए थे। उनमें से केवल दो ने ही यह कहा था कि वे उसी स्थान पर रहना चाहते हैं, जहां वे कार्य कर रहे हैं। अन्य न्यायाधीश अपने पुराने न्यायालयों में वापस चले गये थे। उस समय यही निर्णय लिया गया था।

श्री पी० शिवशंकर : इसमें कोई शक नहीं है कि हर बार यही कहा जाता है कि आपात् स्थिति के दौरान 16 न्यायाधीशों का राजनैतिक आधारों पर तबादला किया गया था। मैं अपनी सारी शक्ति से इस आरोप का खण्डन करता हूं, क्योंकि प्रायः इसकी आड़ लेकर ऐसी बातें कही जाती हैं परन्तु वास्तविक तथ्त बताना मेरे लिए सम्भव नहीं है। लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि तबादले संबंधी सुझाव भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिया था अतः यह कहना इस बात का कोई आधार नहीं है कि कार्यपालिका ने यह फैसला राजनैतिक आधार पर किया था।

प्रोफेसर साहिब ने कहा था कि जिन दो न्यायाधीशों ने वापस जाने की बात को स्वीकार नहीं किया था, उन्हें वापस नहीं भेजा गया परन्तु अन्य न्यायाधीशों को उनके पिछले न्यायालयों में भेज दिया गया था। मैं केवल यह कह रहा था कि पिछली सरकार ने नीति संबंधी निर्णय लिया था कि जिन न्यायाधीशों का तबादला किया गया था, उन्हें वापस भेज दिया जाए। (व्यवधान) प्रोफेसर साहिब, जो आप कह रहे हैं, वह पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। यदि आप चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, परन्तु कुछ नामों का उल्लेख करना उचित नहीं होगा। इसीलिए मैं इस संबंध में नहीं बता रहा हूं। उस समय यह स्थिति थी कि दो न्यायाधीश वापस नहीं जाना चाहते थे। यह सही है, क्योंकि वे मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे। उनका यह अनुमान था कि यदि वे वापस चले जाते हैं तो वे कभी भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकेंगे। उनमें से एक न्यायाधीश श्री सदानन्द स्वामी थे, जो कि गोहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे। यदि वे कर्नाटक वापस चले जाते, तो वे कभी भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकते थे। दूसरे न्यायाधीश श्री पी० यू० मेहता थे, जिनका हिमाचल प्रदेश से तबादला किया गया था। उनका भी यही विचार था कि यदि वे वापस गुजरात चले जायेंगे, तो वे कभी भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकेंगे। अतः उन्होंने अपने-अपने स्थानों पर कार्य करना अधिक मुनासिब समझा। वास्तव में मैं यह कहूंगा कि यदि उन्हें उनकी सहमति के बगैर वापस भेजने के बारे में नीति संबंधी निर्णय ले लिया गया था, तो उन्हें वापस भेज दिया जाना चाहिए था। यह मेरा अपना मत है। उन्हें केवल मुख्य न्यायाधीश बन जाने के उद्देश्य ही वहां कार्य करते रहने की अनुमति दी गई थी। मुझे एक ऐसे मामले का पता है जहां एक न्यायाधीश वापस नहीं जाना चाहता था, परन्तु उसे वापस भेज दिया गया था। मैं इन सब के बारे में बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे बहस

बढ़ती है। हमें उन सब मामलों की बातें नहीं करनी चाहिए। जो कुछ कर दिया गया है, उस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। जहां तक हमारी नीति का संबंध है, मैंने समय-समय पर तथा वक्तव्य में भी उसे स्पष्ट कर दिया है।

श्री रामविलास पासवान : अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व दिये जाने के संबंध में आपने क्या किया है ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं उसी के बारे में कहने जा रहा था, जब प्रोफेसर साहिब बीच में अपनी बात कहने लगे। मेरे मित्र श्री पासवान कह रहे थे कि यदि न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर को इलाहाबाद से वापस नहीं भेजा गया होता तो न्यायमूर्ति भीमैय्या के मुख्य न्यायाधीश बन जाने की संभावना थी। मैं यह बात मानता हूं, मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। परन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं, पिछली सरकार ने यह मत व्यक्त किया था कि जो भी व्यक्ति वापस जाने की इच्छा प्रकट करे, तो उसे वापस जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि इस स्थिति को अन्यायपूर्ण समझा जाना चाहिए अथवा नहीं। परन्तु आज भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं—यह हो सकता है कि श्री पासवान स्वयं इस बात से अवगत न हों—कि न्यायमूर्ति भीमैय्या देश के समस्त उच्च व्यक्तियों के न्यायाधीशों में वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। परन्तु उनके साथ यह कठिनाई है कि वे किसी और न्यायालय में नहीं जाना चाहते। उन्हें उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया था। परन्तु वे यहां नहीं आना चाहते। मुझे यह सारी बात स्पष्ट करनी है ताकि मेरी बातों का गलत अर्थ न लगाया जा सके। वस्तुतः इस संबंध में हमारी पूर्ण सहानुभूति इनके साथ हैं। यह सहानुभूति का प्रश्न नहीं है, यह हमारा कर्त्तव्य नहीं कि हम यह देखें कि समाज के इस वर्ग के प्रति कोई अन्याय न किया जाये। परन्तु वे कर्नाटक छोड़ कर आने को तैयार नहीं है। कठिनाई यह है कि, इस तथ्य के बावजूद कि वे देश के समस्त उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, उन्हें किसी अन्य स्थान पर नियुक्त करना संभव नहीं है। यदि ये न्यायमूर्ति भीमैय्या को इस बात के लिए राजी कर सकें, तो मैं इस बात पर ध्यान दूंगा।

श्री रामविलास पासवान : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का रिप्रेजेन्टेशन बहुत कम है। हमने कहा था कि क्या मंत्री महोदय के दिमाग में इस तरह की योजना है, क्या कोई पालिसी बनाने जा रहे हैं जिससे न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राईब्ज का समुचित रिप्रेजेन्टेशन हो। वह इसके लिए क्या करने जा रहे हैं ?

सभापति महोदय : राम विलास जी वह तो हो गया।

श्री पी० शिवशंकर : मैंने अगस्त, 1980 में समस्त मुख्य न्यायाधीशों तथा मुख्य मंत्रियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति संबंधी सुझाव देने के लिए कहा है। मैं यह बात उन्हें पहले ही लिख चुका हूं तथा मैं ऐसी बात लगातार लिखता रहा हूं।

———

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में शारदा नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील में घनारा घाट पर शारदा नदी के ऊपर पुल का निर्माण अत्यावश्यक है । इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का है । रक्षा विभाग के लिए भी इस पुल का निर्माण विशेष लाभकारी है । इस स्थान से थोड़ी दूर पर ही नेपाल की सीमा मिलती है और चीन की ओर आवागमन किया जा सकता है । 1962 के चीन-भारत युद्ध के समय रक्षा विभाग ने इसे बनाने का विचार सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया था, परन्तु युद्ध शीघ्र समाप्त होने के कारण विचार कार्यान्वित नहीं हो सका ।

लखीमपुर खीरी से लेकर समस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश को इस पुल निर्माण द्वारा सड़क से जोड़ा जा सकता है । इस समय घनारा घाट के दोनों ओर पीलीभीत से लखीमपुर खीरी जाने वाली सड़कें हैं । राष्ट्र की सुरक्षा व उत्तर प्रदेश में आवागमन के साधनों के विस्तार हेतु घनारा घाट पर शारदा नदी के ऊपर पुल निर्माण की मैं मांग करता हूं ।

(दो) लौंग का तेल निकालने की फैक्टरी की स्थापना करने के लिए केरल सरकार को वित्तीय सहायता दिया जाना

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : महोदय मैं केरल में लौंग की खेती करने वाले हजारों कृषकों की कतिपय समस्याओं को सभा में उठाना चाहता हूं ।

केरल के किसानों ने कोका की तरह लौंग की खेती भी बड़ी आशाओं के साथ शुरू की थी । आज स्थिति यह है कि 100 रुपये प्रति किलो की दर पर भी लौंग का कोई खरीददार नहीं है । पांच वर्ष पहले लौंग का भाव 300 रुपये प्रति किलो था ।

उस समय बाजार के ऊंचे भाव तथा सरकार के प्रचार ने किसानों को बड़े पैमाने पर लौंग की खेती करने के लिए उत्साहित किया। 20 रुपये प्रति पौदे की दर से लगभग 30 लाख पौदे लगाए गए थे। त्रिचूर, एर्नाकुलम, एलेपी, क्विलोन तथा त्रिवेन्द्रम जिलों में लौंग की विस्तृत खेती की गई थी।

अब सरकार लौंग का आयात कर रही है यद्यपि हम अपने देश में इसका काफी उत्पादन कर रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि इसके भाव गिर गये हैं।

लौंग मुख्यतः दवाइयां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हमें अपने देश में लौंग के तेल की बड़ी मात्रा में जरूरत है। विश्व में जांजिबार ही एकमात्र देश है जहां इस समय लौंग का तेल निकाला जाता है। विश्व में लौंग के तेल की वार्षिक खपत लगभग 500 टन है। जांजिबार में कुल उत्पादन 100 टन से कम है।

इस स्थिति में, किसानों की रक्षा करने का एक कारगर उपाय यह है कि लौंग का तेल निकालने की एक फैक्टरी स्थापित की जाए। विशेषज्ञों की राय है कि संयत्र तथा अन्य अपेक्षित उपकरण भारत में ही तैयार किए जा सकते हैं। केरल में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें इस क्षेत्र में आवश्यक दक्षता प्राप्त है।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह लौंग का तेल निकालने की एक फैक्टरी स्थापित करने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता दे और इस प्रकार किसानों को विपत्ति से बचाए।

(तीन) राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात आदि के स्टाक के उठाए जाने के लिए और अधिक रेल वैगन आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री रास बिहारी बहेरा (कालाहांडी) : राउरकेला इस्पात संयंत्र में विक्रेय इस्पात, कच्चे लोहे और कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट का लगभग 1,50,000 टन भण्डार एकत्र हो गया है और रेल वैगनों की कमी के कारण अभी तक उसकी ढुलाई नहीं की गई है। सप्लाई किए गए अनेक वैगन पुराने हैं तथा पटरी पर चलने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार, इस समय जो परिवहन की सुविधा उपलब्ध है वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए संयत्र को भारी हानि हो रही है।

संयत्र में इतनी जगह नहीं है कि दिन प्रति दिन के उत्पादन को वहां इकट्ठा किया जा सके क्योंकि उपलब्ध अधिकांश जगह एकत्र हुए भण्डार से भर गई है। इसके कारण संयत्र में विक्रेय इस्पात का उत्पादन कम हो गया है।

मुझे आशंका है कि यदि इस संयत्र में एकत्र हुए भण्डार का उठाने के लिए तत्काल और अधिक वैगन न दिए गए तो स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। इसलिए मेरा इस्पात और खान मंत्री से आग्रह है कि वह रेल मंत्रालय से तत्काल सम्पर्क करे और एकत्र हुए भण्डार की ढुलाई के लिए रेल वैगनों की सप्लाई में वृद्धि करवाए।

सभापति महोदय : मुझे आशा है कि रेल मंत्री ने इसे नोट कर लिया है।

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी हां।

सभापति महोदय : बहुत अच्छा।

(चार) बिहार में मोकामा-बड़हिया टाल परियोजना को सरकारी नियंत्रण में लिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, बिहार सरकार के अधीन 4.0 वर्ग मील में लखीसराय से पतुहा तक मोकामा बड़हिया टाल योजना आज 22 वर्षों से लम्बित है। दलहन एवं तिलहन की खेती के लिए कीमती जमीन निरर्थक ही पड़ी है। यदि यह योजना कार्यान्वित हो जाती है, तो बिहार ही क्या, सारा भारतवर्ष दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर हो सकता है। अब तक करोड़ों की क्षति हो चुकी है। मैं भारत सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट कर रही हूं कि वह अपने अधीन इस योजना को ले ले और 410 वर्ग मील की बहुमूल्य जमीन पर दलहन और तिलहन की खेती की योजना का कार्यान्वयन करे। इससे करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा का भी लाभ हो सकता है।

(पांच) इन्दौर को नई बोइंग और एवरो विमान सेवाओं के अन्तर्गत लाए जाने की आवश्यकता

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, जहां एक ओर दिल्ली और भोपाल के बीच बोइंग विमान सेवा की शुरूआत अगले महीने से होने जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत के सबसे बड़े प्रदेश, मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख नगर, इन्दौर का देश और प्रदेश की राजधानियों सहित महत्वपूर्ण नगरों से वायु सेवा सम्बन्धों को समाप्त किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन्दौर और बम्बई के बीच उपलब्ध वायु सेवा के टाइमिंग्ज भी इस प्रकार बदले जा रहे हैं कि इन्दौर से बम्बई हवाई जहाज से यात्रा करना सुविधाजनक नहीं होगा। इन्दौर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक, व्यावसायिक और व्यापारिक केन्द्र है, जिसके आसपास देवास, उज्जैन, नागदा तथा रतलाम प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। इन्दौर को नई वायु सेवाओं की आवश्यकता है।

अतएव मेरा नागरिक विमानन मंत्रालय से आग्रह है कि अगले माह से प्रारम्भ की जा रही नई बोइंग एवं एव्रो विमान सेवाओं में इन्दौर को सम्मिलित किया जाए तथा इन्दौर और बम्बई के बीच बदले जा रहे टाईमिंग्ज को न बदलते हुए यथावत् रखा जाए।

(छः) पश्चिम बंगाल में रह रहे असम से निष्कासित गैर-असमिया लोगों को राहत देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार ने अनेक बार अनुरोध किया है कि पश्चिम बंगाल को उस खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए धन दिया जाए जो उन्होंने पश्चिम बंगाल शिविरों में रह रहे उन गैर-असमियों को अस्थाई राहत तथा पनाह देने के लिए किया है, जिन्हें असम से निकाल दिया गया है।

महोदय, राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बार-बार आग्रह किया है कि इन लोगों को आवश्यक राहत और आश्रय देने के लिए आवश्यक उपाय जारी रखने हेतु धन उपलब्ध करायें।

अभी तक केन्द्रीय सरकार ने न तो कोई उत्तर ही दिया है और न ही धनराशि दी है।

ऐसी परिस्थिति में, मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि वह तत्काल पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता दे जिससे कि वे असम के विस्थापितों की राहत पर किए गए और असम में उनके वापस जाने तक किए जाने वाले खर्च को वहन कर सके। मेरी यह भी मांग है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सभा में एक विवरण दें।

(सात) भारत के संविधान का एक प्रमाणित हिन्दी संस्करण प्रकाशित करने की आवश्यकता

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : समापति महोदय, संविधान के अनुसार हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है और कुछ समय के लिए अंग्रेजी काम-चलाऊ भाषा। परन्तु खेद की बात है कि हिन्दी को आज भी अंग्रेजी की सहचरी बना कर रखे जाने की चेष्टा की जा रही है।

भारत का संविधान मूल रूप से हिन्दी में बनाना चाहिए था, लेकिन खेद की बात है कि आज तक उसका हिन्दी में ऐसा प्रमाणिक अनुवाद भी प्रकाशित नहीं किया गया, जिसे न्यायालयों और विधि जगत में मान्यता प्राप्त हो। हिन्दी के साथ इससे बड़ा और कोई अन्याय नहीं हो सकता। यह आजाद भारत एवं देश के नागरिकों के सिर पर कलंक है।

इसी प्रकार सरकार की अन्य भारतीय भाषाओं में भी संविधान की प्रामाणिक प्रतिलिपि तैयार करानी चाहिए।

देश के प्रत्येक नागरिक के पास संविधान की प्रति गीता, रामयण, बाइबल और कुरान की तरह रहनी चाहिए। अतः इसका सस्ता संस्करण प्रकाशित कराए जाने की नितान्त आवश्यकता है।

अनुदानों की मांगें 1981-82

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

सभापति महोदय : अब श्री तपेश्वर सिंह बोलेंगे।

श्री तपेश्वर सिंह (विक्रमगंज) : समापति महोदय, कृषि मंत्रालय की जो डिमांड यहां विचारार्थ प्रस्तुत है उस का समर्थन करने के लिए में खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय : आप जरा एक मिनट बैठें।

मैं शुरू में ही यह कह दे रहा हूं कि रूलिंग पार्टी से काफी लोगों के नाम बोलने के लिए आए हुए हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि काफी महत्वपूर्ण विभाग है और काफी लोग बोलना चाहते हैं, इसलिए दस मिनट में अपनी बात कहें तो ज्यादा लोगों को मौका मिल जाएगा।

मैं यह बताना चाहूंगा कि सत्ताधारी दल से बोलने वाले बहुत से सदस्य हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक सदस्य दस मिनट का ही समय लें ताकि अधिक सदस्य अपनी बात कह सकें। मेरा यह अनुरोध इसी प्रकार से है।

श्री मूल चन्द डागा : बिगिनिंग में तो लोग आधे-आधे घण्टे बोल जाते हैं, बाद में समय पर पाबन्दी लगायी जाती है। लेकिन अच्छा है, अभी भी लोग दस मिनट ही बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री दलीपसिंह भूरिया (झाबुआ) : मेरा यह कहना है कि हाउस मे हमारी दो तिहाई मेजारिटी है तो इधर से दो आदमी बोलने चाहिए और उधर से एक आदमी को बोलना चाहिए।

सभापति महोदय : वह ठीक है, समय का वैसे ही ध्यान रखा जाता है। कृपया अपनी जगह बैठ जाएं। हम उस बात का ध्यान रखेंगे। प्रत्येक दल को समय आबंटित किया गया है। सभापति अन्य तथ्यों पर भी विचार करता है।

श्री तपेश्वर सिंह : मैंने सारी रिपोर्ट और आंकड़ों को देखा हैं और इस से मुझे संतोष है कि पिछले वर्षों में कृषि विभाग के मन्त्री जी जो कि डायनेमिक मन्त्री हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। कृषि विभाग का जितना भी इन्फ्रा-स्ट्रक्चर है, चाहे वह एफ० सी० आई० हो, चाहे एन० एस० सी० हो या कोआपरेटिव सेक्टर हो, नाफेड हो, इन सारे के आंकड़ों को देखने से प्रतीत होता हैं कि काफी अच्छा काम हुआ है।

खाद की भारी कमी इस साल थी खास कर रबी के दिनों में। ऐसा लगता था खास कर बिहार में कि किसानों की खाद की आवश्यकता की हम पूर्ति नहीं कर सकेंगे। लेकिन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की सहायता और सौजन्य से सारी परिस्थितियों पर हम काबू पा सके। बिहार का जो सिन्द्री का फर्टिलाइजर कारखाना है, बरौनी का है या नामरूप का है, ये सारे कारखाने बन्द थे और इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर लगभग 45.48 लाख टन विदेशों से मंगाकर किसानों की आवश्यकता की पूर्ति की गई। देश में पांच हजार प्रखंड हैं अभी तक बड़ी भारी ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है। लगभग 2000 ऐसे प्रखंड हैं जहां अभी तक रेल हेड नहीं है जहां कि सुविधा से माल पहुँचाया जा सके। इस तरह के अनेक प्रखंड बिहार में हैं जिस से कि हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट से उस की व्यवस्था करते हैं। उस में काफी कठिनाई है, लेकिन जो आवश्यकता किसानो की है उस की हम पूर्ति कर पाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय से और खास कर कृषि मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में यह मांग करना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस को इस्टीच्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था के रूप में कोआपरेटिव सेक्टर के माध्यम से कराएं और कोआपरेटिव सेक्टर जिस स्टेट में सक्षम नहीं हो वहाँ सरकार स्वयं अपने और इस्टीच्यूशंस से चाहे सिविल सप्लाइज कारपोरशन हो, चाहे एफ० सी० आई० हो चाहें फर्टिलाइजर कारपोरेशन हो उस के माध्यम से उस के डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था कराएं।

ऐसा देखा जाता है कि काफी बड़ी संख्या में, लगभग 40 परसेंट माल प्राइवेट लोगों को देने की व्यवस्था की गई है। बिहार के बारे में मैं खासतौर से कहना चाहता हूं कि प्राइवेट ट्रेड से जो खाद दी गया है उस में बराबर शिकायत है। उस में मिलावट की शिकायत है। काफी स्केयर्सिटी थी खाद की बिहार में, खासकर नाइट्रोजनस और यूरिया खाद की, और काफी शिकायत मिली कि ब्लैक में खाद बेची जा रही है। इसलिये में मांग करता हूं कि फर्टिलाइजर का वितरण, चाहे कोई सी भी खाद हो, यूरिया हो, नाइट्रोजनस खाद हो या फासफेट खाद हो, इन

सब का कोआपरेटिव सेक्टर के जरिये वितरण किया जाय। और जिस स्टेट की क्षमता कोआपरेटिव सैक्टर के माध्यम से वितरण करने की न हो, वहाँ सरकार इन्स्टीट्यूशनेलाइज करने की चेष्टा करे।

बिहार में बड़े पैमाने पर जूट की खेती होती है। लेकिन जे० सी० आई० की जो नीति है और तरीके हैं, उससे हमारे किसानों को बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है क्योंकि वहाँ ऐसी भूमि है जैसे सहरसा, पूरनिया और कटिहार को कि जहां जूट अच्छा होता है। लेकिर जे० सी० आई० कहने के बाद भी जूट का प्रोक्योरमेंट समय पर नहीं करता है जिससे किसानों को सपोर्ट प्राइस नहीं मिलती है। आज भी बिहार की कोआपरेटिव मारकेटिंग फेडरेशन जी० सी० आई० के एजेन्ट के रूप में काम करती है और अभी तक लगभग 4 करोड़ रु० जे० सी० आई० बिहार की कोआपरेटिव मारकेटिंग फेडरेशन को भुगतान नहीं कर रही है।

पिछले 3, 4 सालों में एन० सी० डी० सी० के काम में काफी विस्तार हुआ है और बिहार की ओर भी इसका ध्यान गया है। बिहार में हमारे अनेक समस्यायें है, एन० सी० डी० सी० कोआपरेटिव सैक्टर में काफी यूजफुल काम कर रही है और वर्ल्ड बैंक के सौजन्य से बिहार में भी कोल्ड स्टोरेज की फेसिलिटीज बढ़ाने में सहायता मिल रही है। इसलिये मैं चाहूंगा एन० सी० डी० सी० और बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग यूनिट्स, चाहे राइस मिल हो, तेल मिल हो, या ऐडिबिल आयल के प्रोसेसिंग का काम हो, इसकी बड़े पैमाने पर कराने की व्यवस्था करे।

में भारत सरकार से मांग करता हूँ कि फर्टिलाइजर की जो प्राइस है, मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री महोदय की फर्टिलाइजर प्राइस इन्टरनेशनल फिनोमनन हैं, सारे विश्व में इसके दाम बढ़े हैं पैट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाने की वजह से, फिर भी मंत्री जी ने इसके दाम नहीं बढ़ाये हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसानों के हित को दृष्टिकोण में रखते हुए फर्टिलाइजर पर कुछ साब्सिडी देने की व्यवस्था की जाय। पिछले साल बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वहां के मुख्य मंत्री ने फर्टिलाइजर पर कुछ सब्सिडी दी, 10 से लेकर 25 प्रतिशत तक, जिससे किसानों में बड़ा उत्साह और प्रोत्साहन था। लेकिन भारत सरकार की ओर से, खासकर प्लानिंग कमीशन ने उस पर रोक लगायी कि इसको अनुदान नहीं देना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से रिजर्व बैंक से आग्रह करना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान के किसान और खासकर जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं वहाँ के किसान और वीकर सेक्शन के भाई जो हैं वे काफी सफरर हैं रेट आफ इंटरेस्ट के कारणा क्योंकि रिजर्व बैंक ने जो रेट रखा है जिस पर ऋण उनको दिया जाता है वह अल्टीमेट बोरीअर के पास पहुँचते पहुँचते 12-13 परसेंट तक हो जाता है। तो भारत सरकार इस बात पर विचार करे कि कोअपरेटिव चैनल से जो ऋण मुहैया किया जाता है किसानों को उसकी रेट आफ इंटरेस्ट कम रखा जाय। मैं जानता हूं कि रिजर्व बैंक कंपेशनल रेट पर देता है, फिर भी आवश्यकता है कि किसानों के हित को सर्वोपरि रखा जाय। अब जो बैंक रेट बढ़े हैं हो सकता है कि 15 परसेंट तक किसानों को देना पड़े, जबकि उनकी माली हालत खराब है इसलिए मैं चाहूंगा कि रेट आफ इंटरेस्ट में कमी की जाय। नोमिनल रेट आफ इंटरेस्ट पर किसानों की खासकर के वीकर सेक्शन्स के किसान, मजदूर,

हरिजन और आदिवासी या रिक्शा पुलर्स हैं, ऐसे लोगों को नोमिनल रेट आफ इंटरेस्ट पर ऋण मुहैया सहकारिता क्षेत्र से किया जाय।

सभापति महोदय, बड़े दिनों से सुनते चले आ रहे हैं और चर्चा भी बहुत होती है रीजनल इम्बैलेंस की, लेकिन रिजर्व बैंक के द्वारा बातें की भी जाती हैं कि इस देश में रीजनल इम्बैलेंस नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यह भी कहा जाता है कि इकोनोमिकली जो बीकर स्टेट है, चाहे वह बिहार हो, बंगाल को, उड़ीसा हो, असम हो या राजस्थान हो, यह जो फाइनेंशियल डिसीप्लीन है, यह उन्हीं स्टेट्स के लिए हैं। मैं अपने मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे रिजर्व बैंक और वित्त मंत्री से बात करके, रीजनल इम्बैलेंस को दृष्टि में रखते हुए, बिहार पोपुलेशन के हिसाब से 1/10 हिस्सा को रिप्रजेंट करता है, बिहार की पोपुलेशन 6·5 करोड़ से ज्यादा है, यदि आप वहां के आंकड़ों को देखेंगे तो आप पायेंगे कि भारत का कम से कम रुपया बिहार के विकास में, कृषि के विकास में लगे हैं। मैं इसलिए मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि रीजनल इम्बैलेंस को दृष्टिकोण में रखकर जो इकोनोमिकली और को-आपरेटिवली बीकर स्टेट्स हैं, उनके लिए मापदंड अलग रखा जाए और जो डवेलप्ड स्टेटस हैं उनके लिए मापदंड अलग रखा जाए।

सभापति महोदय, मैं थोड़ी चर्चा को-आपरेटिव के बारे में करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा कोआपरेटिव मूवमेंट एग्रीकल्चर से मिला हुआ है। जो रिपोर्ट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने सब्मिट की है, उसमें कोआपरेटिव की भी चर्चा की गई है। मैं नहीं समझता हूँ कि वह पर्याप्त चर्चा है। मैं चाहता था कि उसमें कोआपरेटिव के माध्यम से कृषि के विकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

लेकिन जितना मैं सोचता था, जितना मैं चाहता था उतना उपबन्ध राशि का नहीं किया गया है। कोआपरेटिव सैक्टर का वर्किंग कैपिटल 17 हजार करोड़ रु० है और लगभग आज की स्थिति में सारे देश में इसका मैम्बरशिप दस करोड़ की है और तीन लाख से ज्यादा कोआपरेटिव सोसाइटीज इस हिन्दुस्तान में, अपने देश में काम कर रही है। मैं बड़े जोरों से इस बात को सदन के सामने रखना चाहता हूं और खासकर अपने कृषि और सहकारिता मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, इतने बड़े पैमाने पर सहकारिता के क्षेत्र में काम चल रहा है, कि इसको स्टेट सब्जैक्ट बनाया जाए। स्टेट में आए-दिन एक-न-एक कोआपरेटिव को पोलिटिकल टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है ? एक्ट में क्लीयर व्यवस्था है, तो फिर क्या वजह है कि इनका सुपर-सैशन किया जाता है, चाहे कोई भी स्टेट हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, एक ही दिन में 12 हजार समितियों का सुपर-सैशन किया गया। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बड़े जोर से कहना चाहता हूं कि, जिसकी दस करोड़ की मैम्बरशिप हो, जिसके पास 17 करोड़ रु० की पूंजी हो और जो संस्था इतने बड़े काम में लगी हुई हो, जो पीपल्स मूवमेंट आए-दिन पोलिटिकल टूल्स बनें, यह देश के हित के लिए, कोआपरेटिव मूवमेंट के लिए उचित नहीं है। मैं मांग करता हूँ कि इसको सैन्टर सब्जैक्ट बना दिया जाए।

अभी हाल में, उपाध्यक्ष महोदय इस देश की नेता, हमारी प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि कोआपरेटिव मूवमेंट को केवल डी-आफिशियलाइज ही नहीं करना है बल्कि डी-पोलिटीकलाइज भी

करना है। हमको एक ऐसा स्टेप लेना होगा जिससे कोआपरेटिव मूवमेंट एक मर्यादा के साथ इस देश में चल सके। विदेशों में भी इस बात की चर्चा होती है—एक बड़ी भारी संस्था है—इन्टरनेशनल कोआपरेटिव एलाएंस—जब हम वहां गये तो वहां इस बात की चर्चा हुई कि इण्डिया में कोआपरेटिव इंस्टीचूशन को पोलिटिकल-टूल बनाया जाता है। आज हिन्दुस्तान की आधे से ज्यादा कोआपरेटिव्ज सुपरसेशन में हैं, पोलिटिकल आधार पर नामिनेटेड बोर्ड्स हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो जनता पार्टी वालों ने उन बोर्ड्स को बनाया, जब वहां दूसरी सरकार बनी तो उसने फिर नये बोईस बनाये। इस लिये मैं जोरदार मांग करता हूं·····

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना वक्तव्य समाप्त करें। आपके दल से बहुत से सदस्यों ने अभी बोलना है। उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए।

श्री तपेश्वर सिंह : मैं केवल एक-दो प्वाइन्ट्स कह कर ही बैठ जाता हूं। कोआपरेटिव रिपोर्ट में यह बात आई है कि चाहे नाफेड हो, एन० ई० सी० एफ० हो, इन संस्थाओं ने वीकर सैक्शन्ज, आम कन्जयूमर्स और प्रोडयूसर्ज के लिए बहुत काम किये हैं। चाहे ओनियन के किसानों की समस्या हो या पोटेटो के किसानों की समस्या हो, चाहे मेघालय या मीजोराम के किसानों की समस्या हो, हिमाचल प्रदेश या जम्मू-काश्मीर के एपल-प्रोडयूसर्ज की समस्या हो, हमने सब किसानों को उचित मूल्य दिलवाया·····

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही 15 मिनट का समय ले लिया है। कृपया अब समाप्त करें। मैं अगले सदस्य को बोलने के लिए कहूंगा। "सहकारिता" राज्य का विषय है।

श्री तपेश्वर सिंह : सिर्फ एक मिनट और लूंगा।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव कानून में कई रेस्ट्रिक्टिव क्लाजेज लगा दी गई हैं। जैसे कोई भी पदाधिकारी दो टर्म्ज से ज्यादा नहीं रहेगा। हम जिन्दगी भर मिनिस्टर बने रह सकते हैं, जिन्दगी भर पार्लियामेंट के मेंम्बर बने रह सकते हैं, मुनिस्पिलिटी के चेअरमैन बने रह सकते हैं, लेकिन कोआपरेटिव में दो टर्म से ज्यादा नहीं रह सकते। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की रेस्ट्रिक्टिव क्लाजेज को हटाया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और आपका भी, उपाध्यक्ष महोदय, शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, में कृषि मंत्रालय एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं तथा इस सम्बन्ध में सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले तो मैं किसानों, वैज्ञानिकों और हमारी सरकार को बधाई देना चाहता हूं—उन्होंने बहुत मेहनत करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करके हमारे देश को आत्म-निर्भर बनाया है। दूसरी बात—मैं यह कहना चाहता हूं—जब तक हम अपने देश में अनाज का बफर-स्टाक तैयार नहीं करेंगे तब तक न तो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सकसेसफुल कर सकते हैं और न हम कीमतों को कन्ट्रोल में रख सकते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोक्योरमेंट पालिसी के जो टारगेट्स स्टेट्स के सामने रख गये हैं—हमारे सभी चीफ मिनिस्टर उन टारगेट्स को अवश्य

पूरा करें । गेहूं के मामले में, चावल के मामले में जो भी टारगेट्स फिक्स किये गये हैं उन्हें उन टारगेट्स को अवश्य पूरा करना चाहिए । अगर वे पूरा नहीं करते हैं तो न हमारा बफर-स्टाक बन सकता है और न हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल सकता है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं—इधर दो महीनों से कीमतों में वृद्धि हो रही है । शक्कर की कीमतों में वृद्धि हुई है । हमारे राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों से शक्कर पाकिस्तान में जाती है, जहां पर शक्कर के भाव बहुत मंहगे हैं । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप राज्य सरकारों को निर्देश दें कि वे एशेंशियल कोमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत, नेशनल सेक्यूरिटी एक्ट के अन्तर्गत उन फोर्सेज के खिलाफ कदम उठाएं, जो स्मगिल करती हैं ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में इस साल भयंकर अकाल की स्थिति है और जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, बाड़मेर और जैसलमेर का जो क्षेत्र है, उसमें तीन साल से और कुछ हिस्सों में तो चार साल से लगातार अकाल की स्थिति है । उस अकाल की स्थिति को फेस करने के लिए राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है, परन्तु राज्य सरकार के साधन सीमित हैं । राजस्थान सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह 95 करोड़ रुपये का डेफिसिट बजट है और रिजर्व बैंक का जो ओवरड्राफ्ट है, वह ५5 करोड़ रुपये का है । राजस्थान सरकार अपने साधनों से इस भयंकर संकट का मुकाबला नहीं कर सकती है । अभी आपने एक स्टडी टीम हमारे इलाके का अध्ययन करने के लिए भेजने की बात की है और वह कल या परसों वहां पहुंच जाएगी । इसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्टडी टीम समय पर भेजी है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के पास सीमित साधन हैं और हमारे बाड़मेर और जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान की स्थिति बड़ी भयंकर है । वहां पर पानी का अकाल है और इसकी भी एक समस्या पैदा हो गई है । वहां घास भी पैदा नहीं हुई है और इसकी भी एक समस्या पैदा हो गई है। न वहां पर अनाज ही पैदा हुआ है । इन परिस्थितियों में हमारी वहां की सरकार ने 30 मार्च, 1981 को जो एक मैमोरेण्डम प्रस्तुत किया है, उस मेमोरेण्डम को देखते हुए राजस्थान सरकार 7·74 करोड़ रुपये की मार्जिनल मनी और 17 करोड़ रुपये, 5 परसेन्ट एडवान्स प्लान में जुटा सकती है लेकिन और साधन नहीं जुटा सकता । इसलिए 131·52 करोड़ रुपये की जो राजस्थान सरकार ने डिमान्ड की है, वह मिलनी चाहिए । जब तक 50 परसेन्ट लोन और 50 परसेन्ट सब्सीडी के आधार पर उन को पैसा नहीं दिया जाएगा, तब तक इस अकाल की स्थिति का राजस्थान सरकार मुकाबला नहीं कर सकती । 50 परसेन्ट लोन और 50 परसेन्ट सब्सीडी सातवें फाइनेन्स कमीशन ने भी रिकमेंड किया है और सेन्ट्रल गवर्मेंट ने उसको मान लिया है । उन्होंने आधे ऋण अथवा आधी नकदी सहायता की सिफारिश की है । वहां पर ऐसे सरकमस्टान्सेज हैं और लगातार दो साल से, तीन साल से अकाल की स्थिति है और उस का मुकाबला करने के लिए उसके पास साधन नहीं है । इसलिए मैं यह चाहता हूं कि यह जो रिकमेंडेशन की गई है, उसको माना जाए । भारत सरकारके 25 अप्रैल, 1979 के पत्र संख्या एफ/43 (1) पी० एफ० आई०/79 के तहत यथा सूचित, अध्याय चार में अन्तर्विष्ट, 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 50 परसेन्ट लोन और 50 परसेन्ट सब्सीडी की जाए, तब जा कर मामला कुछ सुलझ सकता है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 1974-75 में नेचुरल केलेमिटीज को मीट करने करने के लिए 10.19 करोड़ रुपये की राजस्थान को मदद दी जाती थी, जिस को 1977-78 में रिड्यूस करके 7·74 करोड़ रुपये कर दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि नेचुरल केलेमिटीज को मीट करने के लिए जो मार्जिनल मनी पहले 10·19 करोड़ दी जाती थी, उसको मंहगाई की वजह से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया जाए।

मैं ड्रिंकिंग वाटर के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर और बाड़मेर को प्रति व्यक्ति चौथाई गेलन पानी मिल रहा है। इतना पानी बहुत ही अपर्याप्त है। इसके लिए मिलिट्री और फोर्सिज की सहायता की आवश्यकता है। मिलिट्र ने इस काम में पहले जो मदद की थी वह बहुत ही सराहनीय थी। जब भी उस से सहायता लेकर सारे स्थानों पर पीने का पानी पहुंचाया जाए। जिन गांवों में पीने के पानी का संकट है, वहां टैंकर भेजे जाते हैं। उसके लिए आप गवर्नमेंट के आवास और निर्माण मंत्री को लिखें ताकि आइन्दा के लिए उस इलाके में पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था हो सके।

मैं विशेष रूप से डेजर्ट डवलपमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। डेजर्ट डवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन 50 करोड़ रुपयों से डेजर्ट रोकने की व्यवस्था नहीं हो सकती है। 1977-78 में यह सेन्ट्रली स्पोंसर्ड स्कीम थी जिसके अन्तर्गत सारी ग्रांट सेन्ट्रल गवर्नमेंट देती थी। राजस्थान गवर्नमेंट की इतनी केपेसिटी नहीं है कि वह डेजर्ट को कंट्रोल कर सके। इसके लिए सारी राशि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को देनी चाहिए। अगर आप वास्तव में डेजर्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसके विस्तार को रोकना चाहते हैं तो इस 50 करोड़ की राशि को 500 करोड़ कर दिया जाए तभी इसको कंट्रोल किया जा सकता है।

डी० पी० ए० पी० प्रोग्राम के बारे में मेरा कहना है कि जो ड्राट प्रोन एरियाज हैं उनको आप तीन केटेगरीज में बांट दें। सबसे पहले जो सर्वाधिक अकाल से ग्रसित हों, दूसरी केटेगरी वह हो जो अधिक अकाल से ग्रसित हो और तीसरी केटेगरी वह जो सामान्य रूप से अकाल से ग्रसित हो। इस प्रकार से इस समस्या को हल किया जाना चाहिए।

मैं अपने यहां की राजस्थान नहर के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूं। हमारे यहां नर्मदा का भी विवाद है। इसको गुजरात के चीफ मिनिस्टर और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जल्दी से जल्दी तय करें जिससे कि हमारे यहां राजस्थान केनाल और नर्मदा का पानी पहुंच सके और हमारे क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुनन। आप 10 मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे।

श्री के० अर्जुनन (धर्मपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

भारत मुख्यत: एक कृषि प्रधान देश है, और यहां कृषि केवल मानसून पर निर्भर करती है; यदि मानसून समय पर न आएं तो कृषि को बहुत हानि होती है। भारत में सिंचाई की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की बहुत गुंजाइश है; नदियों का पानी

सिचाई प्रयोजनों के लिए मोड़ा जा सकता है। बहुत सी नदियां बहती हैं लेकिन उनका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।

तमिलनाडु के संबंध में, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उपयोग किया जा सकता है और उनका जल सिचाई प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु की ओर मोड़ा जा सकता है। चूंकि यह मामला दो राज्यों, तमिलनाडु और केरल, से संबंधित है, अत: उचित रूप से केन्द्र हस्तक्षेप कर सकता है और समझौता हो सकता है जिससे कि पश्चिम की ओर बहने वाले पानी को तमिलनाडु की ओर मोड़ा जा सके; इससे केरल भी, जहां अनाज का उत्पादन कम होता है, तमिलनाडु से अनाज प्राप्त कर सकता है।

गंगा-कावेरी योजना जो कि काफी लम्बे समय से अनिर्णीत है, के संबंध में भी केन्द्र अभी तक जांच के स्तर तक भी नहीं पहुंचा है। केन्द्र को इसमें शुरूआत करनी चाहिए। सम्पूर्ण देश को इससे लाभ होगा और उपजाऊ बनेगा; इससे कई लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। भारत अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत अखंडता के मामले में निश्चय ही और मजबूत होगा। यहां हमारे 75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। भारत में अधिकतर पर्वतीय आदिवासी और हरिजन कृषि पर निर्भर हैं और उनमें से अधिकांश कृषि कुली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृषि मजदूर कहिए।

श्री के० अर्जुनन : उनमें अधिकांश कृषि मजदूर हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य फालतू पानी जो कि समुद्र में जा रहा है का उपयोग करके उन कृषि मजदूरों की सहायता करनी चाहिए। कृषक उस पानी का उपयोग कर सकते हैं और इससे देश को उपजाऊ बनाया जा सकता है।

तमिलनाडु में सूखा पड़ता है—मुझे इसके बारे में विस्तार से कहने की जरूरत नहीं। यह अत्याधिक सीमा तक पड़ता है क्योंकि मानसून वहां धोखा दे जाती हैं। वास्तव में वहां पीने का पानी नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि 'हिन्दू' ने एक लेख प्रकाशित किया है—मुझे ठीक तरह से उसकी तारीख याद नहीं है—उसमें यह बताया गया था कि पानी राशन कार्डों पर सप्लाई किया जाता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में संगागिरी नामक एक गांव है जहां लोगों को पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। तमिलनाडु में सूखा की स्थिति रहती है। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को समय पर स्थिति के बारे में बताने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। कृषि मजदूर काम तथा भोजन के बिना दुखी हैं। उन्हें पीने के पानी की अत्यधिक कमी हो रही है। वे अपने पशुओं को चारा भी नहीं दे सकते। तमिलनाडु में अनाज के उत्पादन में कमी है। राज्य सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर अपना ध्यान नहीं दे रही है। उनका ध्यान केवल इस ओर है कि स्पिरिट कांड, सत्य अराकतली और बस चालकों से अनिवार्य वसूली के माध्यम से पैसा कैसे कमाया जाए ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री के० अर्जुनन : महोदय, कांग्रेस (ई०) तथा डी० एम० के० दोनों ही दलों के सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है। उनका धन्यवाद। उन्होंने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थिति

का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजा है। मेरा केन्द्र से अनुरोध है कि वह सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को और अधिक धन दें और, साथ ही, मेरा उनसे यह भी अनुरोध है कि वे राज्य सरकार को यह निदेश दें कि वह सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लगे मजदूरों की देखरेख के लिए सभी दलों की एक समिति गठित करे। क्योंकि पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं और इस कार्य की देखरेख के लिए कोई भी स्थानीय निकाय नहीं है। वे यह कर रहे हैं कि स्थानीय निकायों, पंचायत यूनियनों, आदि के अधिकारियों से मिल जाते हैं और सारा काम आल इंडिया द्रविण मुन्नेत्र कषगम के कार्यकर्त्ताओं/स्वयं सेवकों को दे देते हैं। करोड़ों रुपये आल इंडिया द्रविण मुन्नेत्र कषगम के कार्यकर्त्ताओं को दिए जाते हैं। इससे, सूखा से ग्रस्त गरीब वर्गों के लोगों को सहायता नहीं मिल सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी।

श्री के० अर्जुनन : वर्मे (बोर-वैल) लगाए जाते हैं। भ्रष्टाचार जोरों पर हो रहा। यह एक कुप्रथा है। इसे उचित ढंग से रोकना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब समाप्त करिए क्योंकि सभी को तर्कसंगत समय दिया जाना चाहिए।

श्री के० अर्जुनन : मानसून न आने का कारण यह है कि तमिलनाडु में सम्पूर्ण वन सम्पदा समाजविरोधी तत्वों द्वारा समाप्त कर दी गई है। मैं यह भी कह सकता हूं कि तमिलनाडु के एक मंत्री ने प्रत्येक जिले में बहुत से विधायकों को वनों से चन्दन के पेड़ काटने के लिए नामित किया है। ग्राम अधिकारियों को घर भेज दिया गया है और गांवों में देखरेख करने वाला कोई नहीं है। पेड़ काट कर गोदामों में भेजे जा रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : महोदय, मैं संक्षेप्त में ही बोलूंगा। अनुदानों की मांगों के समर्थन में बोलते समय मैं कुछ सुझाव दूंगा। पहला सुझाव यह है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में वृक्षों को पुन: लगाने के बारे में जो व्यवस्था है उसकी फिर से जांच की जानी चाहिए। मैं 'मोनो-कल्चर' के विरुद्ध हूं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर हमें इस अधिनियम पर विचार करना चाहिए।

महोदय, 1952 में राष्ट्रीय वन नीति निर्धारित की गई थी, जिसके अनुसार 22 प्रतिशत भूमि को वनों के अन्तर्गत रखी जानी थी। मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करने का अब एक उचित समय है और हमें एक व्यापक नई राष्ट्रीय वन नीति निर्धारित की जानी चाहिए। जहां तक सामाजिक वन-रोपण का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि गांवों में वृक्ष लगाने के लिए अधिक प्रोत्साहन देने की जरूरत है ताकि इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। कागज उद्योग के प्रयोग हेतु मानव-निर्मित वनों के लिए वन क्षेत्र प्रदान करने का कोई उचित महत्व नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में एक नीति बनाने की आवश्यकता है। जहां तक विज्ञान के महत्व का संबंध है—कागज के लिए राहुरत्न जल का प्रयोग—मैं समझता हूं कि इस दिशा में काफी अनुसंधान करने की आवश्यकता है तथा खरपतवार और फसल के रोगों के भी जीव विज्ञान सम्बन्धी नियंत्रण हेतु काफी धन राशि लगाने की आवश्यकता है।

महोदय, अब मैं केन्द्रीय भूमि उपयोग आयोग के बारे में भी एक शब्द कहूंगा। मुझे यह बताया गया है कि सरकार ने केन्द्रीय भूमि प्रयोग आयोग की स्थापना हेतु एक नीति बनाई है। 1976 में राज्य भूमि प्रयोग बोर्ड की एक स्कीम थी किन्तु केन्द्रीय भूमि उपयोग आयोग की स्थापना के साथ ही, मैं समझता हूं कि प्रत्येक राज्य में राज्य भूमि उपयोग बोर्ड और अधिक प्रभावी बना दिए जायेंगे।

महोदय, कारगर आर्थिक क्षेत्र में समुद्र गर्भित संसाधनों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय नीति निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है जिसमें जल-जीव और मछली पालन विनियमन विकास और संरक्षण आदि बातों को शामिल किया जाना चाहिए। इस समय देश में न तो नदियों और न ही भारत के समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए कोई विधान है। ऐसा विधान यथाशीघ्र बनाया जाना चाहिए। महोदय, लक्ष्यद्वीप, मन्नार की खाड़ी और जामनगर समुद्रतट में बनाए जाने वाले राष्ट्रीय समुद्री पार्कों का क्रियान्वयन अतिशीघ्र किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री दिग्विजय सिंह : जहाँ तक सिंचाई का सम्बन्ध है नहरों के तटों की स्थिति ठीक नहीं है। नहरों के किनारे उपयुक्त बनाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि पानी एकत्र होना और मिट्टी में क्षारतत्व को बढ़ने से रोका जा सके।

अन्त में मैं मन्त्री महोदय को फसल बीमे के बारे में पिछले वर्ष दिए गए मेरे सुझाव को स्वीकार करने पर मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस स्कीम के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मछली-पालन पशुपालन, डेयरी और बागवानी के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी, राव वीरेन्द्र सिंह, कृषि विभाग के अन्य विषयों का उत्तर देंगे। मैं माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अत्यन्त मूल्यवान सुझाव दिए। उन्होंने, मछलीपालन, पशुपालन, डेयरी और बागवानी पर काफी बदमूल्य सुझाव दिए हैं। मैं इन विषयों पर सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर दूंगा। सबसे पहले मैं मछली पालन को लेता हूं। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अनेक बाधाओं के बावजूद विश्व में कुल मछली उत्पादन में भारत का सातवां स्थान है और अन्तर्देशीय मछली उत्पादन में दूसरा। इस समय हम झींगा मछली के सबसे बड़े उत्पादक हैं जो मछली निर्यात कार्य में हमारा मेरुदण्ड है और जिससे हमें 200 करोड़ रु० वार्षिक आय होती है। मछली पालन के लिए छठी योजना में राज्य और केन्द्र दोनों क्षेत्रों के लिए 367.71 करोड़ रु० की व्यवस्था रखी गई है जबकि पांचवी योजना में 151.24 करोड़ रु० की व्यवस्था थी।

मछली पालन कार्यक्रम में मुख्य स्थान समुद्र-मछली पालन को दिया गया है। समुद्र-मछली उत्पादन क्षमता अब लगभग 16 लाख टन हो गई है। अनुमानित क्षमता लगभग 46 लाख टन है।

5650 किलोमीटर लम्बे समुद्रतट और 20.2 करोड़ हैक्टेयर प्रभावी आर्थिक समुद्र क्षेत्र की तुलना में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं के बेड़े में (सरकारी तथा निजी क्षेत्र में) केवल 75 मछली पकड़ने की नौकाएं हैं जो बहुत कम हैं और इस कमी का लाभ विदेशी जहाज उठाते हैं जो हमारे प्रभावी आर्थिक क्षेत्र में घुस आते हैं। इसलिए 1985 तक हम गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए 350 पोत प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

श्री रणवीर सिंह (कैसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के मंत्रालय में काफी मंत्री हैं। वे सभी हस्तक्षेप कर रहे हैं। बहुत सा समय इसी तरह बीत जाता है। अत: इस समय को हमारे समय में से अलग रखा जाए। यह मेरा अनुरोध है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर आपको अपनी पार्टी की बैठक में निर्णय लेना होगा।

श्री रणवीर सिंह : राव साहिब के पास काफी मंत्री हैं। वे सभी इसी प्रकार हस्तक्षेप करते हैं। बहुत सा समय इस प्रकार बीत जाता है। यह समय हमारे समय में शामिल न किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में आपने ज्यादा समय लिया है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि पिछले कुछ महीनों में (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए। (व्यवधान)**

श्री आर० पी० यादव (माधेपुरा) : मेरा व्यवस्था का सम्बंध है। सदन में यह इस समय गणपूर्ती नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ती की घंटी बजाई जा रही है।

जी हां, अब यहां गणपूर्ती है। श्री स्वामीनाथन अब आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि पिछले कुछेक महीनों के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए काफी कदम उठाए गए। हमारे देश के क्षेत्र में आने वाले पानी से विदेशी नावों द्वारा मछली पकड़ने से सरकार गहरी चिन्ता में डूबी हुई है।

हमारे देश के समुद्र-जल क्षेत्र में विदेशी नावों द्वारा मछली पकड़ने के काम को विनियमित करने के लिए एक विधेयक तैयार किया गया है, इसे संसद के चालू सत्र के दौरान पेश कर दिया जायेगा। विधेयक में भारी दण्ड और मछली पकड़ने वाली नावों को जब्त करने की व्यवस्था की गई है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार विभिन्न प्रकार की गैर-यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने का काम करने वाले मछेरों के हितों की उपेक्षा नहीं कर सकती। यंत्रीकृत और गैर-यंत्रीकृत नौकाओं के बीच मछली क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए एक आदर्श विधेयक राज्य सरकारों के पास भेजा गया है और इसके लिए एक केन्द्रीय विधान बनाने के प्रश्न पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

निर्यात आय बढ़ाने के लिए, निर्यात योग्य मछलियों का उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तटवर्ती राज्यों में खारे पानी में झींगा मछलियों का उत्पादन प्रारम्भ किया जा रहा है।

उपलब्ध समय के भीतर ही मैंने समुद्रीय मछली कार्यक्रम पर विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास किया गया है। डीजल के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि से मछली उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, विशेषकर छोटी यंत्रीकृत मछली नौकाओं पर उन्हें कुछ प्रोत्साहन एवं राहत देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

अब मैं अन्तर्देशीय मछली पालन पर आता हूं। इस क्षेत्र में हमारा उत्पादन 1 लाख टन का है। देश में मछली उत्पादन की वार्षिक अनुमानित क्षमता 40 लाख टन की है। हमारी नीति बारामाशी तालाबों, नदी के मुहानों के पास खारे पानी के क्षेत्रों का विकास करने और जलाशयों में मछली का उत्पादन बढ़ाने तथा बहते पानी में मछली पकड़ने के और अधिक कारगर उपाय अपनाने की है। अन्तर्देशीय मछली उत्पादन के विकास हेतु पूर्वोत्तरी क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ग्रामीण जनसंख्या के सबसे निर्धन वर्गों को मछली संसाधनों का लाभ पहुँचाने के लिए अनुदान, ऋण तथा तकनीकी सलाह द्वारा प्रोत्साहन देने हेतु मछली किसान विकास अभिकरण की योजना का विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सभी आई. आर. डी./एस. एफ. डी. ए. ब्लाकों में मछली पालन के विकास हेतु छोटे तथा सीमांत किसानों को पूंजी तथा आवर्ती व्यय के लिए सहायता भी दी जाती है। पिछले वर्ष के आरम्भ में मछली किसान विकास अभिकरण की संख्या 50 थी जो बढ़कर अब 98 हो गई हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तियों तथा मछेरों की सहकारी समितियों को जलाशय क्षेत्र दीर्घकालीन अवधि के लिए पट्टे पर दिए जाते हैं तथा तालाबों के विकास, मछली के बीजों की सप्लाई और अन्य साज-समान हेतु विस्तार प्रणाली के माध्यम से सहायता तथा ऋण भी दिया जाता है।

अन्तर्देशीय मछली पालन के विकास में मुख्य कठिनाई मत्स्य बीज की कमी रही है। इस कमी को राज्य सरकारों अथवा मत्स्य बीज निगमों द्वारा संचालित मछली बीज फार्मों तथा अंडज उत्पत्तिशालाओं की श्रंखला स्थापित करके दूर किया जा रहा है।

एफ. एफ. डी. ए. के अन्तर्गत ऋण देने के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन द्वारा मछली उत्पादन को कृषि के समान बना दिया गया है और अब यह उद्योग कृषि दरों पर ही ऋण लेने का पात्र हो गया है।

जहाँ तक विपणन का सम्बन्ध है, सरकार ने तीन बाजारों, अर्थात कलकत्ता, दिल्ली और बंगलौर का अध्ययन कर लिया है और समुद्र की मछलियों तथा नदियों में मछलियों के बारे में अखिल भारतीय बाजार सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

अब मैं पशुपालन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मछली के अलावा दुधारू पशु, मुर्गीपालन, सुअरपालन, भेड़ और बकरी भी हमारे भूमिहीन ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए अधिकतम उत्पादन परिसम्पत्ति होती हैं। उन लोगों की सहायता करके तथा उचित उपबंध द्वारा उनके उत्पादन में वृद्धि करके उनकी परिसम्पत्तियों का मूल्य बढ़ाया जा सकता है। अच्छी नस्ल के पशुओं के पालन पोषण के लिए केन्द्रीय बजट मे योजना परिव्यय की भी व्यवस्था की जाती है।

पशुपालन और डेरी सम्बन्धी व्यापक कार्यक्रम चलाने के लिए, राज्य सरकारों के पशुपालन और डेरी विभागों को हर स्तर पर मजबूत बनाया जा रहा है। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी (इंडिया ग्रासलैंड एण्ड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट) तथा सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर चारे और घासों की बढ़िया किस्में तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ चारा उत्पादन और डेयरी कार्यक्रम में सहायता देने हेतु चारे की खेती आरम्भ करने के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु सात क्षेत्रीय केन्द्र हैं।

इस समय, देश में लगभग 16,000 पशु अस्पताल, चिकित्सालय और चल चिकित्सालय हैं तथा लगभग 8000 पशु सहायता केन्द्र हैं। इस प्रकार, प्रत्येक ब्लाक में ऐसे एक से अधिक संस्था अथवा केन्द्र हैं। छठी योजना के दौरान और 2500 नये पशु अस्पताल और चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव है। पशु-प्लेग, खुर और मुंह सम्बन्धी बीमारियों एवं अन्य महत्वपूर्ण बीमारियों को नियंत्रित करने के सघन प्रयास किये जायेंगे। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग इस समय पशुओं के लिये टीकों का उत्पादन करने में करीब-करीब आत्मनिर्भर हैं। 33·30 करोड़ टीकों का वर्तमान उत्पादन स्तर बढ़ाकर 1985 तक 41·00 करोड़ कर दिया जायेगा।

अब मैं डेयरी के सम्बन्ध में बताता हूं। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमने दूध का उत्पादन बढ़ाकर करीब-करीब दुगना अर्थात् 3 करोड़ टन कर लिया है, लेकिन फिर भी इसके प्रति व्यक्ति उपलब्धता बहुत ही कम है। समेकित पशुपालन और डेयरी कार्यक्रमों तथा आनन्द अथवा अमूल के ढंग के सहकारी ढांचों के माध्यम से 1985 तक दूध के उत्पादन को बढ़ाकर 380 लाख कर देने का प्रस्ताव है। आपरेशन फ्लड एक नामक एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है।

प्रति व्यक्ति दूध की कम उपलब्धता के बारे में कुछ प्रश्न उठाये गये थे। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1970 में 108 ग्राम दैनिक से बढ़कर 1980 में 120 ग्राम दैनिक हो गई है। हम इसे बढ़ाकर 1985 तक 146 ग्राम कर देना चाहते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारा डेयरी विकास कार्यक्रम उपभोक्ता उन्मुख कार्यक्रम है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे डेयरी कार्यक्रम का सबसे पहला लक्ष्य है, उत्पादक सहकारी संघों के माध्यम से ग्रामीण दूध उत्पादकों को लाभ पहुंचाना। सहकारी समितियां उत्पादकों को उनके पशुओं के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता बढ़ाकर और उनके दूध के अच्छे दाम दिलाकर उनकी सहायता करती हैं। उत्पादकों और उपभोक्ताओं

के बीच सीधी सम्पर्क होने से बिचौलिये लाभ नहीं कमा सकते। अध्ययनों से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान अधिकांश दूध उत्पादकों की नकद आय 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बढ़ी है।

एक भारतीय सदस्य ने सुझाया है कि दूध उत्पादक को उसके दूध का मूल्य चिकनाई रहित तत्वों (नान-फैट सोलिड्स) के आधार पर भी मिलना चाहिये न कि केवल चिकनाई के आधार पर ही सरकार का भी यही मत है। वास्तव में हमने राज्य सरकारों को दो-सीमान्त मूल्यों का एक फार्मूले का भी सुझाव दिया है जिसके अंतर्गत दूध में चिकनाई और चिकनाई-रहित दोनों ही तत्वों को ध्यान में रखा गया है।

आपरेशन फ्लड एक डेयरी परियोजना जिसे चार महानगरीय विपणन क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में शुरू किया गया था, बहुत ही सफलता रही है। इन चारों शहरों में संगठित क्षेत्र की दूध परिष्करण क्षमता में तीन गुना विस्तार हुआ है। दूध वाले 21 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 34 लाख लीटर दूध परिष्करण-क्षमता स्थापित की जा चुकी हैं। 10,000 से अधिक उत्पादक सहकारी समितियाँ जिनके सदस्य 13 लाख से अधिक किसान हैं, गठित की गई है। इस सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस परियोजना का गत वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन में एक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मिशन द्वारा मूल्यांकन किया गया था और इस मिशन ने इस परियोजना को कार्य निष्पादन के प्रति प्रशंसा व्यक्त की थी।

सरकार अब आपरेशन फ्लड दो के कार्यान्वियन की गति को तीव्र करना चाहती है जिसके अन्तर्गत 148 शहर तथा 150 दूध वाले जिले और 1 करोड़ कृषक परिवार आयेंगे। अधिकांश मामलों में परियोजना अधिकारियों और सम्बद्ध राज्य सरकारों के बीच प्रारम्भिक वार्ता पूर्ण हो चुकी है और छः राज्यों में वास्तविक कार्यान्वयन हो भी चुका है। हमें आशा है कि यह समेकित राष्ट्रीय पशु एवं डेयरी विकास परियोजना चालू वर्ष के दौरान तेजी से प्रगति करेगी।

जहाँ तक मुर्गीपालन का सम्बन्ध है, अंडे के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1974 में अण्डे का उत्पादन लगभग 77 लाख था जो इस समय बढ़कर 120 लाख हो गया है। अण्डा देने वाली सुधरी हुई किस्म की मुर्गियों की संख्या भी 1971 में 290 लाख से बढ़कर इस समय 400 लाख हो गई है। मुर्गियों की नस्ल सुधारने के लिए विदेशी स्रोत पर सम्पूर्ण निर्भरता को समाप्त करने के उद्देश्य से नस्ल सुधारने वाली मुर्गी के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और सीमित अवधि के लिये अच्छी नस्ल के मुर्गों का आयात करके इसका विकास किया जा रहा है। आशा है कि अगले पांच-सात वर्षों के दौरान हमारा देश अच्छी नस्ल के मुर्गों के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जायेगा। उन मुर्गी खानों (हैचरीज) को सभी आवश्यक सुविधायें दी जा रही हैं जो अच्छी नस्ल के मुर्गों का विकास कर रहे हैं। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर अण्डों का विपणन राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के माध्यम से किया जा रहा है जिसे अपनी मुर्गी-उत्पाद विपणन गतिविधियों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर एक मुर्गी उत्पाद विपणन संघ बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

बहुत से विशेष कार्यक्रमों के अधीन प्रति परिवार 50 से लेकर 200 तक मुर्गियों वाले मुर्गी-खाने स्थापित करने के लिए छोटे सीमांतिक कृषकों एवं आदिवासियों को, मुर्गीखाने बनाने, मुर्गी के

बच्चे और दाना आदि खरीदने के लिए 25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक राज-सहायता दी जा रही है। किसानों को प्रशिक्षणी देने और निम्न आय समूह के लोगों को 4½ प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। गैर-सरकारी मुर्गीखानों को ये निर्देश दे दिये गये हैं कि वे मुर्गी के बच्चों वाले छोटे किसानों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। हमने राज्य सरकारों से यह सिफारिशें की हैं कि वे विद्युत सम्बन्धी शुल्क आदि के संबंध में मुर्गीपालन को कृषि सम्बन्धी गतिविधियों के रूप में मान्यता प्रदान करें।

अब मैं बागवानी के बारे में दो शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। समग्र रूप से, बागवानी एक अपेक्षित विषय रहा है। परन्तु इसकी महत्ता सर्वविदित है। इसलिए कृषि और सहकारिता विभाग में एक अलग से एक बागवानी प्रभाग स्थापित किये जाने के बारे में 1980-81 के दौरान प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा एक निर्णय किया गया है। यह प्रभाग देश में बागवानी के समेकित विकास की ओर पूर्ण कालिक ध्यान देगा।

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य भलीभांति जानते ही हैं कि आर्थिक सम्पन्नता के बढ़ते हुए स्तर और उस जनसंख्या की गिरती हुई दर के बीच एक सर्वसम्मत एवं ठोस सम्बन्ध है जो सिर्फ अकेली भूमि पर ही आधारित कृषि पर निर्भर करती है। इसके साथ-साथ पशुधन के प्रजनन सम्बन्धी सुधार सेवाओं के विस्तार एवं समुचित कृषि प्रबन्ध के माध्यम से उनके लिए विपणन योग्य अतिरिक्त दूध, मुर्गी, मांस, मछली आदि का उत्पादन किया जा सकेगा। मुझे विश्वास है कि यह सदन इस प्रयास एवं कार्यक्रम को अपना समर्थन देगा। मूल लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपने ग्रामीण निर्धनों की दशा सुधारने में सरकार माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये अनेकों सुझावों पर विचार करेगी। यह ऐसा लक्ष्य है जिसके प्रति हम सभी को समर्पित होना चाहिये।

महोदय, मैं आपका एवं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरी बात धैर्य के साथ सुनी।

विधेयक पुरस्थापित

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(आदेश 20 का संशोधन)

श्री उत्तमराव पाटिल (यवतमाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में और संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में और संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री उत्तमराव पाटिल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(2) रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीकरण) संशोधन विधेयक, 1981

(धारा 21 आदि का संशोधन)

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति की जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :—

"कि रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1974 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रामावतार शास्त्री : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(3) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1981

(अनुच्छेद 16 का संशोधन)

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान और संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न हैं :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के० पी० सिंह देव : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(4) अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण विधेयक, 1981

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं की सभी सक्षम शरीर वाले व्यक्तियों के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने वाले एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :—

"कि सभी सक्षम शरीर वाले व्यक्तियों के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने वाले एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के० पी० सिंह देव : में विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(5) कृषि जन्य वस्तुएं समर्थन कीमत विधेयक, 1981

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : मैं गन्ना, दालों तथा अन्य कृषि जन्य वस्तुओं की लाभप्रद समर्थन कीमत नियत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि गन्ना, दालों और अन्य कृषि जन्य वस्तुओं की लाभप्रद समर्थन कीमत नियत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(6) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1981

(सप्तम अनुसूची का संशोधन)

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : मैं भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री लकप्पा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(7) मुनाफाखोरी निवारण और कीमत नियंत्रण विधेयक, 1981

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : मैं दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को विनियमित करने और ऐसी वस्तुओं में मुनाफाखोरी का निवारण करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को विनियमित करने और ऐसी वस्तुओं में मुनाफाखोरी का निवारण करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(8) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1981

(नई धारा 10ख का अन्त:स्थापन)

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए प्रस्ताव करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जगदीश टाइटलर : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(9) सामाजिक नि:शक्तताओं का निवारण विधेयक, 1981

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं किसी समुदाय के सदस्य या सदस्यों द्वारा अपने ही समुदाय के सदस्य या सदस्यों पर सामाजिक नि:शक्तताओं के अधिरोपण का निवारण करने के लिए ऐसे कार्य या कार्यों के लिए शक्तियों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि किसी समुदाय के सदस्य या सदस्यों द्वारा अपने ही समुदाय के सदस्य या सदस्यों पर सामाजिक नि:शक्तताओं को अधिरोपण का निवारण करने के लिए ऐसे कार्य या कार्यों के लिए शक्तियों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मूलचन्द डागा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(10) पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन)

निरसन विधेयक, 1981

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम, 1966 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम, 1966 का निरसन करने वाले विधेयक का पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं ।

———

छोटे किसान सहायता विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री के० लकप्पा द्वारा 20 मार्च; 1981 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा :—

"कि छोटे किसानों को ऋण और विभिन्न सहायकी देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

हमारे पास केवल 8 मिनट बचे हैं। पिछली बार भी एक घण्टे की समयवृद्धि की गई थी और सूची में 4, 5 सदस्यों को नाम हैं। क्या सदन इस विधेयक पर विचार हेतु और समयवृद्धि चाहता है ?

श्री जेवियर अराक्कल (एर्णाकुलम) : मेरा सुझाव है कि एक घण्टा और समय बढ़ाया जाये।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए एक और घन्टे की समयवृद्धि देने के लिए सहमत हो गया है। अब श्री जेवियर अराक्कल बोलें।

श्री जेवियर अराक्कल : जैसाकि विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी कथन में बताया गया है इस विधेयक के मुख्यत: दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य छोटे किसानों को उपलब्ध वित्त सुविधाओं को बढ़ाना है। दूसरा उद्देश्य यह है कि इन छोटे किसानों को विपणन सुविधाएं प्रदान की जाएं। सभा को उनके सम्बन्ध में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

हम कृषि तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर विचार कर रहे हैं। यदि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था में कृषि और कृषि क्षेत्र की स्थिति की ओर नजर डालें तो हम देखेंगे कि अभी भी हमारी 80% जनसंख्या मुख्यत: इसी क्षेत्र पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में गम्भीरता से ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि खेतिहर मजदूर और खेतिहर परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, किन्तु कुल भूमि का क्षेत्र उतना ही है। दूसरे शब्दों में जिसका अर्थ है कि हम अपने विद्यमान भूमि क्षेत्र तक ही सीमित हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम उसी क्षेत्र में कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करें। बताया गया है कि भूमि का कुल क्षेत्रफल 32.88 करोड़ हैक्टेयर है। इसमें से कुल 17.11 करोड़ हैक्टेयर भूमि पर फसल उगाई जाती है। जिसका मतलब हुआ कि छोटे किसानों के पास थोड़ी सी ही भूमि है।

यदि हम कृषि क्षेत्र में मजदूरी दरों को देखें तो यह पता चलेगा कि अधुनातम रिपोर्ट के अनुसार पुरुष मजदूर को प्रतिदिन 3.26 रुपए तथा महिला मजदूर को 2.28 रुपए मजदूरी मिलती है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 68% परिवार ऋणग्रस्त हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि इस क्षेत्र का अधिकांश भाग ऋणग्रस्त है। अत: उद्देश्यों व कारणों सम्बन्धी कथन में मामले की गंभीरता को स्पष्टत: उद्घाटित किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रत्येक परिवार पर 605/- रु० का ऋण है। इन सब बातों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में कितनी गरीबी तथा बेरोजगारी है। वे काम के लिए कहां जाएं ? क्या छोटे किसानों को इस

समय कोई सुविधा या सहायता दी जाती है ? विभिन्न संस्थानों से कृषि तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्र को वर्ष 1979-80 में ही 2420 करोड़ रुपए के ऋण दिये गए थे जो वर्ष 1980-81 में बढ़कर 2550 करोड़ रुपए तक हो गए थे। वर्ष 1980-81 में मुख्यत: सहकारी समितियों के माध्यम से 1500 रुपए की राशि के अल्पावधि ऋण तथा 485 करोड़ रुपए के दीर्घावधि ऋण दिए गए थे। अब प्रश्न यह उठता है कि इन दीर्घावधि तथा अल्पावधि ऋणों से वस्तुत: और कौन लोग लाभान्वित हुए थे ? इस प्रश्न पर गहराई से विचार किए जाने की जरूरत है।

सभा में बार-बार यह बात कही गई है कि छोटे तथा सीमान्त किसानों के स्थान पर अमीर तथा सम्पन्न को ऋण दिए जाते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वाणिज्यिक तथा ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 1979 में सीधे 771 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए थे तथा जो वर्ष 1980-81 में बढ़कर 850 करोड़ रुपए तक पहुँच गए थे। यह बताया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में कुल संचित राशि 2850 करोड़ रुपए की हो जाएगी जिसका यह अर्थ हुआ कि इस क्षेत्र को बैंकिंग प्रणाली से काफी बड़ा अंश दिया जाएगा। मेरा तो यह कहना है कि यह राशि वस्तुत: उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जिन्हें इससे लाभान्वित होना चाहिए। अत: ऋण देने सम्बन्धी मामले के प्रश्न पर उचित रूप से पुनर्विचार किया जाना चाहिए और इस क्षेत्र की ओर, विशेषकर इस संदर्भ में, उपयुक्त ध्यान दिया जाना चाहिए। एक और बात जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती वह यह है कि उचित भूमि सुधार किया जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि कृषि क्षेत्र में 18 प्रतिशत उत्पादन बढ़ाया जाए। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने 1320 लाख मी० टन के उत्पादन को 1500 या 1600 लाख मी० टन उत्पादन तक ले जाएं। यदि हम उत्पादन का यह लक्ष्य रखें तो इसमें छोटे तथा सीमान्त किसान का अधिक योगदान होगा। लेकिन प्रश्न तो यह है कि उनमें से कितने लोगों के पास अपनी भूमि है ? इनमें से कितने लोगों को यह कहने का सौभाग्य प्राप्त है कि उक्त भूमि उन्हीं की है ? जब तक उन्हें ऐसा कहने का सौभाग्य नहीं मिलता तब तक मेरे विचार से, हम उक्त लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी जनसंख्या के सबसे निम्न वर्ग के 10% लोगों के पास 81% भूमि भी नहीं है जबकि समाज के धनाढ्य वर्ग के 10% लोगों के पास कुल भूमि का 60% से अधिक भाग है। इस तरह से उनके बीच अत्यधिक अन्तर है। मैं जानता हूं कि यह राज्यों का विषय है। लेकिन हमें इस अन्तर को दूर करना है। भूमि सुधार के जरिए हमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहिए। इसलिए मेरा आधार वाक्य यही है। सरकार ने संयमी ऋणों के लिए 2850 करोड़ रुपए की राशि नियत की है लेकिन वह राशि हमारी जनता के निम्नतम वर्ग तक नहीं पहुँच पाएगी। मैंने सभा के समक्ष जो आंकड़े रखे हैं वे इस बात को सिद्ध करते हैं।

अब तक प्रत्येक राज्य में भूमि सुधार नहीं किया जाता तब तक सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हमारे मध्यम वर्ग, जो हमेशा से पीड़ित है तथा जो काफी परिश्रम करता है, तक नहीं पहुँच पाएंगी। उन्हें इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इन सुविधाओं से केवल धनी तथा समृद्ध लोगों को ही लाभ मिलेगा। इसलिए यही समय है जबकि हम इस ओर ध्यान दें और इस बारे में निर्णय लें कि क्या वस्तुत: हम विपणन प्रणाली के माध्यम से उनको कोई वित्तीय सहायता देना चाहते हैं। आप और मैं तथा समूचा सदन जानता है कि सौदन में वे किस प्रकार से अपने उत्पाद

को मिट्टी के माव बेचते हैं, क्योंकि कोई समुचित विपणन व्यवस्था नहीं है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस विधेयक को पेश करने वाले ने इन मुद्दों को उजागर किया है। इस समय देश में उचित सहकारी विपणन व्यवस्था के सम्बन्ध में सोचने की अत्यन्त आवश्यकता है। जब तक हम इस दिशा में उचित कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक बिचौलिए, जो किसानों के अथक परीश्रम से लाभान्वित हो रहे हैं, फलते-फूलते रहेंगे। वह है हमारी व्यवस्था, हमारी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। संयुक्त अभियान से इस प्रणाली को बदलने का यह उचित समय है। हमारे देश में इस अभियान में तेजी लायी जानी चाहिए। कहा जाता है कि हमारे देश में 821 लाख ग्रामीण परिवार रहते हैं। यह संख्या 1974-75 में थी। 1964-65 में यह संख्या 704 लाख थी। 1964-65 के बाद से इस संख्या में 16.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की स्थिति क्या है ? क्या परिवारों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुपात में इस स्थिति में सुधार हुआ है। अत: दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। सर्वप्रथम हमें उनको उचित वित्तीय सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और दूसरे एक उचित विपणन सहकारी अभियान शुरु करने पर विचार किया जाना चाहिए। जब तक छह बातों पर ध्यान नही दिया जाता हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जनता का सुधार नहीं हो सकता। वे छह बातें हैं : अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, सिचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरकों की खपत, ऋण सुविधाएं, विपणन सम्बन्धी सुविधाएं और रचनात्मक योजनाएं एवं सुविधाएं जिनमें फसलों और पशुओं का बीमा शामिल है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इन छह बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके आगामी वर्षों में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजयराघवन, आप केवल पांच मिन्ट का समय ही लें क्योंकि श्री लकप्पा को अपने प्रस्ताव पर बोलना है और मंत्री महोदय उनकी बातों का उत्तर देंगे।

***श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। प्रारम्भ में, मैं यह कहना चाहूँगा कि किसान ऋण के भार से दबे जा रहे हैं। सदन में प्राय: यह बात उठायी जाती है कि किसानों को अपने उत्पाद का लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है। विशेषतौर पर, छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। उन्हें दो वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उन लोगों की सहायता करे। आज किसानों को ऋण पर बहुत अधिक दर से ब्याज अदा करना पड़ता है। इससे उनके लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना भी कठिन हो रहा है। सरकार को उन्हें इस कमरतोड़ भार से मुक्त कराने के लिए कुछ करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि इस समस्या का अध्ययन करने लिए एक आयोग का गठन किया चाहिए।

दूसरी समस्या उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं की है। उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं के मूल्य आसमान को छू रहे हैं। इस समस्या का प्रभाव विशेषतौर पर छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों पर पड़ा है। स्थिति की बिडम्बना यह है कि एक ओर तो उन्हें अपने उत्पाद का लाभप्रद मूल्य नहीं दिया जाता और दूसरी ओर उन्हें उर्वरकों और दूसरी कृषि सामग्रियों के ऊंचे दाम

*मलयालम में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

देने पड़ रहे हैं। सरकार को इस समस्या से निपटना है। यदि आप औद्योगिक क्षेत्र को देखें, तो आपको पता चलेगा कि वे अपने उत्पादों के मूल्य स्वयं निर्धारित करते हैं। उर्वरक तैयार करने वाली फैक्ट्रियों, इस्पात मिलों अथवा किसी दूसरी फैक्ट्री को लें जो सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं तैयार करती हैं। फ़ैक्ट्री मालिक का प्रतिनिधि सरकार के साथ बातचीत करता है और वह अपनी फैक्ट्री के उत्पादों के बेहतर दाम लेने के लिए सरकार को सहमत कर सकता है। परन्तु जब उत्पाद के मूल्य निश्चित करने का प्रश्न आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कृषि मूल्य आयोग प्राय: उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में नहीं रखता। परिणामस्वरूप किसानों को अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त नहीं होता। बिचौलिए किसानों का शोषण कर रहे हैं। हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता कृषि कार्यों में लगी है। इस 80 प्रतिशत में से बड़े किसान अथवा जमींदार केवल 5 प्रतिशत हैं। किसानों का यह वर्ग भी छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों का शोषण कर रहा है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें इस शोषण से बचाये। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि कृषि मूल्य आयोग का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और इसमें वास्तविक किसानों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वी० एस० विजयराघवन : महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं इस देश के किसानों के एक प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूं। मुझे इस सर्वोच्च मंच पर उनकी आवाज उठानी है। इस मंच के अलावा मैं कहां उनकी आवाज लाऊं ?

महोदय, इसलिए माननीय मंत्री जी के लिए मेरा सुझाव है कि छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों, जिनके पास अपनी 5 हैक्टेयर या इससे कम भूमि है, को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

मैं दूसरा प्रश्न किसानों को दिये जाने वाले पानी के बारे में करना चाहता हूं। आज उन्हें पानी पर बहुत ऊंची दर से कर देना पड़ता है। महोदय, किसान को बहुत अधिक कर देने पड़ते हैं। उसे कृषि आयकर, जलकर आदि देने पड़ते हैं। मेरा यह सुझाव है कि इन बहुत करों के स्थान पर एक ही कर लिया जाना चाहिए।

श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : आप किसान रैली आयोजित कर चुके हैं क्या उससे किसानों की समस्याएं हल नहीं हुई ? (**व्यवधान**)

श्री वी० एस० विजयराघवन : जी हां, हम किसान रैली आयोजित कर चुके हैं। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि 16 फरवरी को हुई किसान रैली ने यह दिखा दिया है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसान हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ हैं। और उन किसानों ने श्रीमती गांधी के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। इसमें ईर्ष्या करने का कोई लाभ नहीं है। आप अपनी कहिए ? क्या आप और आपके नेता अव्वल नम्बर के अवसरवादी नहीं हैं ? आप श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर चुनाव जीत कर इस सदन में आये थे। अब आपने दल बदल लिया है। क्या आपके नेता में कोई निष्ठा है ? यदि आप में साहस है तो

आप संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देकर दोबारा त्रिवेन्द्रम से चुनाव लड़िये। तब हम देखेंगे क्या होता है ? इसलिए कृपा करके किसान रैली का जिक्र न करें।

आपका अधिक समय न लेते हुए, मैं यह कहूंगा कि सरकार को किसानों की सहायता करने में संकोच नहीं करना चाहिए, जोकि जनता का पोषण कर रहे हैं। सरकार लघु उद्योग और कई अन्य क्षेत्रों को आर्थिक सहायता दे रही है। इसलिए उन्हें किसानों को सहायता देने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं पानी का उल्लेख पहले ही कर चुका हूं। किसानों को पानी ऊंची दरों पर दिया जाता है। यह पानी सरकार के नियंत्रणाधीन सिंचाई परियोजनाओं से सप्लाई होता है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि उर्वरक, पानी, बीज, कीटनाशक आदि घटी दरों पर दिये जाने चाहिए। इसी प्रकार फसल बीमा योजना चालू की जानी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों को श्रीमती इंदिरा जी की सरकार से और अत्यन्त कुशल माननीय मंत्री राव बीरेन्द्रसिंह से बहुत आशाएं हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि किसानों की आशाएं पूरी होंगी। इस उम्मीद के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करते हुए, अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जयपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए देश के किसानों की जो समस्याएं हैं और उनकी जो हालत है, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

35 साल की आजादी के बाद आप देखिए कि किस तरह से इस देश के अन्दर डिसपेरिटी बढ़ी है। आज हिन्दुस्तान के कारखानों में या पूंजीपतियों के कारखानों में उत्पादित माल की कीमत और किसान को अपने खेत की उपज से मिलने वाली कीमत का कोई तालमेल नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस बिल के आने के बाद देहात के किसानों की समस्याओं पर गहराई से विचार किया जाना चाहिये। किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए। देहात में धरती पर किसानों का बोझ बढ़ा है, घटा नहीं है, विभिन्न अध्ययनों से यही पता चलता है। मैं अपील करना चाहता हूं कि विकास को तेज करने की दृष्टि से जमीन से बोझ घटाकर हिन्दुस्तान में छोटे उद्योग-धंधों को देहातों में लगाना चाहिए, इससे यह काम हो सकता है। मैं अपील करूंगा कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसानों की हालत ठीक करने के लिए ज्यादा रुपया किसान के लिए रखें और भूमि-सुधार की ओर विशेष ध्यान दें। भूमि-सुधार की बात मैं खासतौर पर कहना चाहता हूं, इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पिछले दिनों कांग्रेस-पार्टी की सरकार ने एक स्कीम के अन्तर्गत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को पट्टे वितरित किये थे। मैं बताना चाहता हूं कि इन हरिजन-आदिवासी किसानों को, जिनको 2-3 बीघा जमीन दी गई है, इनकी हालत बहुत खराब है। वे बैल नहीं रख सकते, सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए, इससे किसानों को फायदा होगा। लैण्ड रिफार्म के बारे में कहना चाहूंगा कि इसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जितनी भी कोआपरेटिव

सोसायटीज हैं या बैंक, जहां से किसानों को ऋण मिलते हैं, उनके हिन्दुस्तान के मार्जिनल किसान का फायदा नहीं हो रहा है। इन संस्थाओं के कर्मचारी बाकायदा किसानों से साजिश रखते हैं। जो इंजिन बाजार में ढाई-तीन हजार का मिल जाता है, वही इंजिन दुकानदारों से साजिश करके इन सोसायटियों द्वारा 4-5 हजार में दिया जाता है। मैं अपील करूंगा कि इन संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को सस्ता, सुलभ और आसान बनाया जाए, वरना किसान की उन्नति नहीं हो सकती। कर्जे के बारे में भी पूरे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है कि किसान 300 रुपए कर्जा लेते हैं और दो-ढाई साल बाद 3000 रुपए कर दिया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा जिन किसानों को कर्जा दिया गया था, उनमें से ज्यादातर किसानों की कुड़की होने जा रही है। 14 दिन जेल में रहने के बाद भी उनकी जमीन की कुड़की होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी इन सोसायटीज में आडीटर्स और सुपरवाइजर्स के द्वारा जो लार्ज स्केल पर धांधलियां की जा रही हैं, उन पर गहराई से सोचिए और इस बिल के अनुसार पूरे हिन्दुस्तान में जिन किसानों पर 8-10 साल से कर्जे पड़े हुए हैं, उन कर्जों को माफ किया जाए। सीधे और अनपढ़ किसान से मनमाने ढंग से अंगूठे लगवाकर 300 की जगह 3000 कर दिया गया है और 400 की जगह 6-7 हजार कर दिया गया है, उन कर्जों को माफ कीजिए, वरना किसान मर गया है आपके उन कर्जों के नीचे दब करके। वर्ना किसान इन कर्जों से दबकर मर जाएगा।

आप मशीनें और खास तौर से ट्रेक्टर, ट्राली या और जो भी उपकरण किसानों को देते हैं उनको सबसिडाइज्ड रेट्स पर दें। किसान ज्यादा तर बैंकों से कर्जे लेकर ट्रैक्टर आदि ही खरीदेगा और जमीन को छुड़ाने की स्थिति में वह नहीं होगा। मैं मानता हूं कि गन्ने की कीमत कुछ बढ़ जाने से किसान की हालत सुधरी है। लेकिन किसान का जो शोषण होता है उसका अंदाजा मैं समझता हूं राव साहब अच्छी तरह से लगा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि पूंजीपतियों की तरह किसान को भी सस्ते दाम पर बिजली, पानी तथा दूसरी सुविधायें उपलब्ध कराई जाएं। उद्योगपतियों को आप कोटे देते हैं, कोयला देते हैं उसी तरह से किसान के बारे में भी आप सोचें। एक स्तर से नीचे तक के जो किसान हैं जिनको आप मार्जिनल किसान कह सकते हैं या और कोई पैमाना आप निर्धारित कर सकते हैं उनको सस्ते दामों पर आप उपकरण आदि मुहैया कराएं। आपने ऐसा नहीं किया तो किसान की हालत गिरती चली जाएगी। 58 प्रतिशत किसान बिलो पावर्टी लाइन हैं।

जो उनकी पैदावार हैं उसके दाम और कारखानों में उससे बनने वाली चीजों के दाम में थोड़ा बहुत तालमेल स्थापित करने के बारे में भी आप सोचें। आज उसका दोहरा शोषण होता है। जो माल वह पैदा करता है उसको व्यापारी वर्ग या कैपिटलिस्ट क्लास सस्ते खरीदता है और फिर उसी को पक्का बना कर ज्यादा दामों पर उस चीज को बेचकर उसका दोहरा शोषण करता है। इस दोहरे शोषण की प्रवृत्ति को आप रोकें, इस पर आप विचार करें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : मैं लकप्पा जी को समय पर इस बिल को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। उनके साहस की मैं दाद देता हूं। लिंग पार्टी का सदस्य होने के बावजूद भी मैं समझता हूं कि सही मंशा से वह इस बिल को लाए हैं वर्ना रूलिंग पार्टी के सदस्यों का यह तरीका रहा है कि वे घड़ियाली आंसू ही किसानों के लिए बहाते रहे हैं। 15 फरवरी को किसान रेली हुई थी जिस पर देश का तीन सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ और बीस लाख के करीब लोग

उसमें सम्मिलित हुए जिनमें से मुश्किल से पाँच प्रतिशत ही किसान रहे होंगे। फिर भी इसका नाम किसान रैली दिया गया। ये पाँच परसेंट किसान भी इस आशा से आए थे कि कुछ उनको मिलेगा। यहाँ सक्षम सरकार है, बहुमत वाली सरकार है लेकिन हुआ क्या ? केवल छठी योजना डिसक्स हुई और उनके लिए कुछ नहीं किया गया। न बिजली सस्ती देने का प्रबन्ध हुआ, न खाद के दाम कम किए गए और न ही पानी के। किसी तरह से किसी चीज के दाम करने की बात नहीं की गई। जो उम्मीद लेकर वे आए थे वह उम्मीद ही रह गई और निराशा ही उनके हाथ लगी। निराशा भी ऐसी जिसका कोई अन्दाजा नहीं। अब लकप्पाजी जो बिल लाए हैं इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि कृषि मंत्री उनके लिए कुछ न कुछ अवश्य करें और इस बिल को तो कम से कम स्वीकार कर दें ही।

छोटे और सीमान्त किसान सब से ज्यादा आज परेशान हैं। हमारे देश में करीब सत्तर प्रतिशत किसान अस्सी प्रतिशत में से इसी केटेगरी में आते हैं। उनकी अगर तरक्की होती है तभी मुल्क तरक्की कर सकता है, उनकी तक्की पर ही मुल्क की तरक्की निर्भर करती है। कागजों पर तो आप ठीक कहते हैं उनको आप ऋण भी देना चाहते हैं, दूसरी सुविधायें भी उपलब्ध करना चाहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं हैं। जो गांव में रहते है या ब्लाक्स में रहते हैं उनको शायद इसकी कुछ जानकारी भी होगी और शायद उनको थोड़ा बहुत इंडायरेक्टली इसका पता भी लग जाता होगा। कहने को तो आप लोन उनको देते हैं लेकिन वह बेचारा इतना परेशान होता है लोन को प्राप्त करने में कि पैसे देने के बाद भी दसियों दिन और महीन-महीना भर परेशान होने के बाद अन्त में वह हाथ जोड़ देता है और कह देता है कि उसको लोन नहीं चाहिए। कृषि मन्त्री जी क्लेम करते हैं कि वह इसी वर्ग से आते हैं। अगर यह सही है और यह इनके लिए कमिटेड है तो उनको कुछ करना चाहिये और देखना चाहिये कि इस तरीके से उनका एक्सप्लायटेशन न हो।

सबसिडी की बात को आप देखें। अभी माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि आज इंडस्ट्री को तरह-तरह की सबसिडीज बिजली पर तथा दूसरी चीजों पर दी जाती है लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम को कोई सबसिडी नहीं दी जाती है। जो उसे चाहने पर भी, कागज पर जो कि कहते हैं कि देना चाहते हैं, लेकिन आज तक कोई सबसिडी नहीं मिलती है चाहे बीज की हो, खाद की हो या बिजली की हो। कोई सबसिडी तो आप दें। आज हालत यह है कि जिस समय वह पैदा करते हैं, तो उनकी डिस्ट्रेस सैल करनी पड़ती है क्योंकि उसकी दूसरी चीजें खरीदने के लिये तुरन्त पैसा चाहिए। इसलिए लाचार हो कर कम दाम पर बेचना पड़ता है। और वही चीज बड़े व्यापारियों के पास चली जाती है तो तिगुने, चोगुने दाम बढ़ जाते हैं। मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ खास कर के दिलाना चाहता हूँ कि कुछ उसके लिए हो सके तो करें, जिसके लिए सरकार कुछ करना चाहती है और बारबार कहती भी है। केवल कहा ही न जाय बल्कि सर जमीन पर भी उतारा जाय।

उपाध्यक्ष जी, आज मुल्क में छोटे मार्जिनल फार्मर्स की हालत का ज्यादा अनुभव किया जा सकता है बजाय बयान करने के और अनुभव ऐसे लोगों को ज्यादा हो सकता है जो खेती करते हैं। इसलिये मैं कृषि मन्त्री जी से कहूंगा कि उनके लिए कुछ करें। वास्तव में 16 फरवरी को

जिस तरह का इन्होंने नक्शा बना रखा था और बारबार कहा भी लेकिन करना नहीं चाहते थे। 16 फरवरी की बात जब उठायी गई तो कहा गया माननीय चरण सिंह ने भी रैली किया था। मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी की सरकार से उस समय बाहर थे। वह बताना चाहते थे मोरार जी भाई को कि हमारे पीछे यह शक्ति है हमें इग्नोर करोगे तो तुम नहीं चल सकते हो। लेकिन आपको किसको दिखाना है ? आप दिल्ली के लोगों से पूछें तो वह इतनी गाली दें कि तीन दिन तक उनको न बस मिली, न दूध मिला और न पानी मिला, न दफ्तर जा सके। इसलिये मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह का कोई कम से कम तमाशा न करें, हकीकत से जिसका कोई वास्ता न हो। इसलिए यदि आप कुछ करना चाहते हो तो यह बिल उसी स्पिरिट में आया है और मन्त्री जी को इसे स्वीकार करना चाहिये और उस विकास के लिए जिसकी दुहाई देते हैं, जिसके लिए कुछ करने का यहां पर बार-बार दावा करते हैं, उसकी भलाई के लिए इस बिल को मान लें। यही मेरा निवेदन है।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय लक्ष्मा जी को साधुवाद देता हूं और वास्तव में जो बिल लाये हैं वह उनकी अपनी नीति, मंशा और उनकी पार्टी की भावना, दृष्टिकोण और घोषित सिद्धान्त के अनुरूप है। आज हमारे देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रतिशत मार्जिनल फार्मर्स, स्माल फार्मर्स और फार्मिंग लेबरर्स का है। मैं समझता हूं कुल कृषकों को 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इस तरह के छोटे फार्मर्स का बनता है और इनकी दशा वास्तव में दयनीय है। यही कारण है कि प्रारम्भ से देश की स्वतन्त्रता के दिनों से कांग्रेस का यह दृष्टिकोण रहा कि किसी तरह से भूमि सुधार कानून को अमल में लाया जाय। और देश की स्वन्त्रता के बाद कांग्रेस की सरकार ने, चाहे केन्द्र में हो या प्रान्तों में हो, उन्होंने ईमानदारी के साथ भूमि सुधारों के कानून को लागू किया। और यही कारण है कि हम दो प्रकार के मार्जिनल या स्माल फार्मर्स को देखते हैं। एक तो वह जिनकी पारिवारिक परम्परा से जमीन मिली है और दूसरे वह जिनको लैंड सीलिंग के द्वारा जमीन मिली है। इस तरह के फार्मर्स एक करोड़ से भी अधिक होंगे। और भूमि सुधार के बाद इन कृषकों की दशा सुधारने के लिए, चाहे पंडित नेहरू का नेतृत्व रहा हो या श्रीमती इन्दिरा गांधी का नेतृत्व हो, कई एजेन्सीज का निर्माण किया गया जिनके माध्यम से इस तरह के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की गई है और यही कारण है कि विगत दिनों किसानों का एक अद्भुत मेला और समूह दिल्ली में जमा हुआ और उन्होंने अपनी निष्ठा कांग्रेस के प्रति और इन्दिरा जी के प्रति और पार्टी ने जो उनके लिये किया है उसके लिए अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहां आये। हो सकता है कि मेरे मित्र को राजनीतिक दृष्टिकोण की दूषित भावना के कारण कुछ उसमें और अन्यथा दिखाई देता हो।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह किसानों और हमारी सरकार के पारस्परिक प्रेम का आपस में एक आदान-प्रदान था।

आज यह बात मैं यहां पर नहीं कहना चाहता था, लेकिन हमारे मित्रों ने इसे यहां पर उठाया है इसलिए विवश हूं। जहां तक सीमान्त कृषकों का सवाल है, उसके दुःख और व्यथा के

लिए हम, हमारी पार्टी और हमारी सरकार सभी दुःखी हैं। इस साल के बजट में इस तरह के किसानों की दशा का सुधारने के लिए बहुत सारे प्रावीजन किए गए हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 5,000 रुपये तक का ऋण किसानों को दिया जायेगा और उस पर किसी तरह की जमानत उनसे नहीं ली जाएगी।

मैं भाई जगपाल सिंह और श्री यादव की इस बात से सहमत हूं कि जो हमारे इस तरीके के प्रावीजन हैं, वह स्टेट्यूट बुक में रह जाते हैं, वास्तविक रूप में धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। बैंकों से ऋण देने की बात है, हमने बजट में इसका प्रावीजन कर दिया है, लेकिन वास्तव में जो बैंक गाँव में काम करते है, वह साधारण आदमियों से उन्मुख नहीं हैं, उनके कल्याण के लिए काम नहीं करते हैं। आज हमारी बैंक प्रणाली इतनी दूषित हो गई है, इसमें इतनी कमियाँ हैं कि स्माल फार्मर बैंक का दरवाजा खटखटता रह जाता है, उसको समय पर ऋण नहीं मिलता है। या तो उसे टाउट के चक्कर में पड़ना पड़ता है या ब्यूरोक्रेटिक सेट-अप के चक्कर में पड़ना पड़ता है या जो अपनी कमीशन लेते हैं, उनके चक्कर में उसे पड़ना पड़ता है। किसानों को जितना ऋण दिया जाता है, जितना उसे कागज में मिलता है, वास्तविक अर्थों में उतना उसकी जेब में नहीं जाता है।

मैं समझता हूं कि हमारे रूरल बैंकिंग सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, इसकी कमियों को दूर करने की है। हमारे माननीय कृषि मंत्री को चाहिए कि कुछ ऐसी क्रेडिट एजेन्सियाँ वहाँ शुरू करवायें, जिनके सामने लक्ष्य हो, जो एक उद्देश्य को लेकर, भावना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि वास्तविक अर्थों में किसानों की खेती का और उनके भाग्य का हम सुधार नहीं कर पायेंगे।

जिस बात को मैं माननीय कृषि मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं, वह यह है कि हमारे इस तरह के किसानों को सिंचाई की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जो पानी के हमारे छोटे-छोटे स्रोत हैं, उनको टैप कर के किसानों को पानी की सुविधा दी जानी चाहिए, चाहे भूगर्भ में पानी हो या बाहरी स्रोत से हो, उनके लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्य होना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि उनकी माली हालत में सुधार नहीं लाया जा सकता है।

हमारे जो कम्युनिटी डैवलपमेंट ब्लाक्स हैं, उनके माध्यम से भी कुछ इस दिशा में किया जा सकता है, लेकिन आज इनके अधिकार सीमित हो गये हैं। प्रान्त की सरकार को कहा जाना चाहिये कि कम्युनिटी डैवलपमैंट ब्लाक के अधिकारों को बढ़ाए और उनके सामने लक्ष्य रखे और जितनी भी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली एजेन्सीज हैं, उनको चाहिए कि वहाँ के ब्लाक डैवलपमैंट आफिसर की मारफत कार्य करें, और उनको इन कार्यों को सुपरवाइज करना चाहिए। वहां की क्षेत्रीय समितियाँ इनके कार्यों का विवेचन करें। होता यह है कि जो रिपोर्ट सरकार के पास आती है, यह गलत होती है वास्तविकता कुछ दूसरी ही होती है। जब तक स्थानीय आधार पर सुपरविजन नहीं होगा, मैं समझता हूं कि इन लोगों का कल्याणार्थ योजनायें सफल नहीं होंगी।

भाई लकप्पा जी जिस उद्देश्य ये इस बिल को यहां पर लाये हैं, कि किसान जितना पैसा

अपनी खेती पर खर्च करता है, जितने उसके आपरेशन के टूल्स हैं, सीड्स हैं, पैस्टीसाइड्स हैं और मार्केटिंग के मामले में हैं, उसका रिटर्न उसको नहीं मिलता है। ऐसे फार्मरों के लिए चाहे आप सब्सीडी के माध्यम से करें या कोई ऐसा दूसरा तरीका निकालें जिससे उसकी आपरेशनल कास्ट उसको मिलनी ही चाहिए।

इसके अलावा कृषि के समवर्ती क्षेत्रों को डेवेलप करना चाहिए। जैसे, छोटे किसानों को बागवानी, सब्जी-उत्पादन और फल-उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उनके उत्पादन के मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। ऐसी मार्केटिंग एजेन्सीज स्थापित की जाएं, जिनसे किसानों को अपने उत्पादन के अच्छे दाम मिल सकें। इसके साथ ही रोड्ज और कम्युनिकेशन्ज का इनफास्ट्रक्चर क्रीएट करना चाहिए, जिससे किसानों को नवीनतम भावों की जानकारी हो सके और वे अपने उत्पादन को मार्केट तक पहुंच सकें।

किसान दुग्ध-उत्पादन का धंधा अपना सकें, इसके लिए उन्हें अच्छी नस्ल के पशु प्रोवाइड किए जाएं और उनके आस-पास डेयरी संस्थायें खोली जायें, जिससे उनकी माली हालत में सुधार हो सके और वे अपनी रोज-मर्रा की आवश्यकता की चीजें तथा इम्प्लीमेंट्स आदि खरीद सकें।

हम सब किसान हैं और कृषि के महत्व को भी समझते हैं। आज देश का आर्गनाइज्ड सैक्टर हमसे बहुत कुछ प्राप्त कर रहा है। चाहे वे सरकारी सेवाओं में करने वाले लोग हों या फैक्टरियों इत्यादि में काम करने वाले लोग हों, हमने उन्हें कई तरह की कनसेशन्ज दी हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में बड़े किसानों के लाभ के लिए कुछ किया जा चुका है। मगर आज आवश्यकता इस बात की है कि छोटे किसानों के लिए भी एक ऐसी योजना को कारगर ढंग से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, जिससे उनका वास्तविक अर्थों में लाभ हो सके।

मैं समझता हूं कि इस बिल का उद्देश्य सरकार का ध्यान इन दुखी, दीन और अकिंचन लोगों की तरफ आकृष्ट करना है। सम्भव है कि इस बिल में टेकनिकल आधार पर कई कमियां हों। हो सकता है कि मूवर महोदय अपने बिल को वापस ले लें, लेकिन जो भावना और मंशा इस बिल की है, मुझे आशा है कि सरकार उसको हृदयंगम करेगी। उस पर सख्ती से अमल करेगी।

श्री मधुसूदन बैंरालें (अकोला) : सभापति महोदय, इस सदन के समक्ष जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसके पीछे जो भावना हैं, मैं उससे शत-प्रतिशत सहमत हूं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस बिल पर विचार करते हुए दो पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। एक पहलू तो इस बिल में साफ-साफ लिखा है : जिन किसानों के पास पांच एकड़ इरिगेटिड लैंड या दस एकड़ ड्राई लैंड है, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

मैं समझता हूं कि अगर पांच और दस एकड़ के फर्क को थोड़ी देर के लिए अलग भी रख दिया जाए, तो इस मुल्क के काश्तकारी के क्षेत्र में एक बुनियादी सवाल यह है कि जिन किसानों

की खेती को पानी मिलता है और जिनकी खेती सूखी है, उनमें भी अन्तर बढ़ता जा रहा है। जिन किसानों की खेती को पानी नहीं मिल सकता है और जिन्हें साल भर आस्मान से बरसने वाली बारिस पर अवलम्बित रहना पड़ता है, उनके लिए खेती एक बहुत मुश्किल मसला बन गया है। ये लोग साल में सिर्फ एक फसल उगा सकते हैं। उनका सीजन सिर्फ चार महीने का होता है और आठ महीने उनको दूसरा कोई काम नहीं होता है।

मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान ड्राय लैंड वाले किसानों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। वे लोग साल में सिर्फ एक फसल लेते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन लोगों की साल में ड्राई कल्टीवेशन में एक फसल होती है, वे साल भर अपना गुजारा कैसे कर सकते हैं। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि उन्हें दो तरह से मदद दी जाए। एक तो इस बात की तरफ ध्यान दिया जाए कि उनकी खेती में से ज्यादा पैदावार कैसे हो, और दूसरे, जो अनाज वे उत्पन्न करते हैं, उसके उचित दाम उन्हें मिलें।

जिस राज्य से मैं आता हूं—महाराष्ट्र वहाँ अधिकतर कल्टीवेशन ड्राई लैंड पर होती है। वहां एक वर्क योजना बनी थी, जिसमें बताया गया था कि 2900 करोड़ रुपये चौदह साल में खर्च करने के बाद भी स्टेट में सिर्फ 26 परसेंट जमीन इरिगेटिड हो सकती है। इसका मतलब यह है कि बाकी की जमीन ड्राई रहने वाली है और हमारे मुल्क में ड्राई जमीन का मसला कृषि मंत्रालय के सामने एक बड़ा कठिन मसला है। ऐसा मैं मानता हूं। एक ही इलाज है। उन को जो दाम दिए जाते हैं वह देते वक्त उन को अच्छे दाम दीजिए। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं। जो उनकी फसल पर खर्च होता है उतना दाम उन्हें मिलता नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक अपना जिक्र करूंगा जिसे काटन कहते हैं। कपास का हाल यह है कि काटन को परचेज प्राइस और फिनिस्ड प्राडक्ट की प्राइस में इतना अन्तर पड़ जाता है कि शायद एक एक मीटर पर दस दस रुपये तक मार्जिन होता है, ऐसा मुझे शक होता है। यदि कपास की कीमत एक क्विंटल की 400 रुपये होती है, उस के हिसाब से निकाला जाय तो 9.65 के जी के लिए जिसमें से सौ मीटर कपड़ा बनता है उसकी कीमत 144 रुपये 56 पैसे होती है, उस हिसाब से जब कपड़ा एक्स-मिल निकलता है तो उसकी कीमत 22 रुपये 99 पैसे होनी चाहिए लेकिन वह 40. 45 और 50 के ऊपर हो जाती है। यह फासला क्यो रहता है इसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिल पाया।

मैं सिर्फ इस तरफ इतना ही ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो सूखी खेती करते हैं उन की समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। दस एकड़ में से कोई भी पाँच आदमी की फैमिली साल में एक फसल लेकर और आठ महीने खेत को खाली रख कर जिन्दा नहीं रह सकती। इसलिए इस का एक ही इलाज है, जैसा कि बिल के एम्स एंड आबजेक्ट्स में बताया गया उनको दूसरा कोई उद्योग उपलब्ध कराने का प्रबन्ध कर दिया जाय। जब तक उन्हें दूसरा एम्पलायमेंट नहीं दिया जाया तब तक उनके लिए अपनी जीविका निर्वाह करना कठिन है। वह उद्योग जानवर पालने का हो या दूध का हो या जिसे हम ऐग्रीकल्चर बेस्डइंडस्ट्री कह सकते हैं, वह उनको जब तक नहीं दी जाती तब तक इस मुल्क में उन का जिन्दा रहना बहुत मुश्किल होगा।

इस बिल के निमित्त से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस मुल्क के अन्दर मेजारिटी आफ कल्टीवेटर्स जो सूखी खेती करते हैं जिन को साल में एक ही फसल लेने का मौका मिलता है उनकी आर्थिक हालत की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जह देने की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को यह बिल स्वीकृत करके पूरा करते हैं या नहीं, यह दुरुयम महत्व का प्रश्न है, ऐसा में मानता हूं। प्रथम महत्व का प्रश्न यह है कि इस मसले पर सरकार विचार करने के लिए और खास ध्यान देने के लिए तैयार है या नहीं। जहां तक मैं समझता हूं कांग्रेस सरकार की यह नीति रही है और आज तक सहकारी आंदोलन के द्वारा हमने इन किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश की है लेकिन अब इसका मौका आया है। आज तक हम जितनी मदद करते हैं वह सराहनीय है, कृषि मंत्रालय के हम उसके लिए आभारी हैं। लेकिन अब वक्त आया कि इससे भी ज्यादा मदद की जाय और उस में कृषि उद्योग से भरपूर ऐसा एक नया कार्यक्रम दिया जाय। यह कार्यक्रम यदि नहीं दिया गया तो आपने देखा कि ये सूखी खेती करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा शहरों की ओर जा रहे हैं, शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और वहां उन्हें कोई काम धन्धा नहीं मिल पाता।

इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो सूखी खेती करते हैं उनको हम सेल्फ सफिश्येंट, स्व-निर्भर नहीं कह सकते हैं। वे स्व-निर्भर नहीं रह गए हैं। इसलिए आवश्यकता है कि सरकार उन की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। जो साल में तीन चार फसलें लेते हैं उन के मुकाबिले में जो सिर्फ एक ही फसल साल में ले सकते हैं वे सरकार की सहायता मिलने के ज्यादा हकदार हैं, यह मैं इस बिल के सम्बन्ध में बोलते हुए बतलाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगी और सूखी खेती करने वाले किसानों के सवालात को हल करने में ज्यादा से ज्यादा मदद करेगी। धन्यवाद।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (बालेश्वर राम): सभापति महोदय, मुझे हर्ष है कि कई माननीय मित्रों ने वाद विवाद में भाग लिया। मैं श्री लकप्पा का भी अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने यह विधेयक इस सम्मानीय सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है। आज भी श्री मधुसूदन वैराले, श्री हरीश रावत, श्री जगपाल सिंह और श्री आर० पी० यादव ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। यद्यपि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार व्यक्त करना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा तथापि मैंने सभी सुझाव नोट कर लिए हैं। और इन सुझावों पर सरकार आवश्यक ध्यान देगी।

माननीय सदस्य श्री लकप्पा ने प्रस्ताव पेश किया है कि "छोटे किसान सहायता विधेयक, जिसमें छोटे किसानों को ऋण एवं सहायता दिये जाने की व्यवस्था की गई है, पर इस सदन द्वारा कानून बनाए जाने के लिए विचार किया जाये। विधेयक में कहा गया है कि इस समय छोटे किसानों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कृषि प्रयोजनों पर आने वाली लागत तथा अपने उत्पाद लाभकारी मूल्यों पर बेचने पर आने वाले व्यय को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त करने में कठिनाई पेश आती है। विधेयक का उद्देश्य छोटे किसानों को उनकी वित्तीय एवं विपणन संबंधी आवश्यकताओं के बारे में सहायता देना है।

प्रारम्भ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार विधेयक में निहित भावनाओं का समर्थन करती है। सरकार छोटे किसानों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के प्रति पूर्णतया सजग है।

सदन इस बात से अवगत है कि प्रधान मंत्री जी ने किसानों की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक और तेजी से निपटाने के सरकार के संकल्प को बार-बार व्यक्त किया है। कई वर्षों से छोटे और मध्यम स्तर के किसानों के लिए साधन जुटाने हेतु अनेक कदम उठाये जाते रहे हैं ताकि वे आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद फसलों का उत्पादन कर सकें। 'छोटे किसानों के विकास सम्बन्धी अभिकरण, को, जैसा कि आप जानते हैं, अब एक अधिक विस्तृत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम को 2 अक्तूबर, 1980 से देश के सभी ब्लाकों में चालू कर दिया गया है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए 1500 करोड़ रुपये की भारी राशि आबंटित की गयी है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थायें भी इस कार्यक्रम के लिए धन देंगी जो कि, हमें आशा है, सहायता सम्बन्धी प्रावधान से तीन से चार गुना तक होना चाहिए। छठी योजना में, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अलावा, कई दूसरे कार्यक्रम, जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं, शामिल किये गये हैं। ये कार्यक्रम हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम और रेगिस्तान समाप्त करने सम्बन्धी कार्यक्रम। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य छोटे किसानों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों की आर्थिक और बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन सभी कार्यक्रमों के लिए भारी व्यय की व्यवस्था की गई है। छठी योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में लगभग 6,000 करोड़ रुपये के निवेश के अतिरिक्त ग्रामीण विकास कार्यों पर लगभग 5000 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा। सरकार कमजोर वर्गों के उत्थान में वित्तीय संस्थाओं द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका से भी पूर्णतया अवगत है। बैंकिंग की कई पद्धतियों में ढील दी गई है और उन्हें सरल बनाया गया है ताकि छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों को इन वित्तीय संस्थाओं से शीघ्र और अधिक धन प्राप्त हो सके।

तथापि, इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि अभी भी छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम इस बात से इनकार नहीं करते। मैं सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का समर्थन करता हूं।

स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली कृषि ऋण राशि 1984-85 में 5,415 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। जबकि 1979-80 में इन बैंकों ने 2,550 करोड़ रुपये का ऐसा ऋण दिया था। मुझे आशा है कि मैंने जिन कार्यक्रमों और उपायों का उल्लेख किया है, उनसे माननीय सदस्यों को दोबारा इस बात का आश्वासन मिल जाता है कि सरकार छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों तथा समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है।

विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान, माननीय सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं और कई अच्छे सुझाव दिये हैं। इन सभी पर सरकार ध्यानपूर्वक विचार करेगी। मैं अब कुछ मुद्दों पर अलग से विचार करना चाहूँगा। श्री लकप्पा और अनेक दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा था कि छोटे किसानों को ऋण दिये जाने की स्थिति संतोषजनक नहीं है। मेरा सदन के समक्ष निवेदन है कि सरकार ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों, जिसमें छोटे और मध्यम दर्जे के किसान भी शामिल हैं, को ऋण दिये जाने की आवश्तकता से पूर्णतया अवगत है। मार्च 1980 में गठित एक कार्य दल, जिसे 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करने के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, की सिफारिशों के आधार पर, अब बैंकों से कहा गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि 1983 तक कृषि ऋणों का 50% भाग छोटे और सीमान्तक किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को दिया जाए। सरकार ने यह निर्णय किया है कि 1985 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का 40% भाग प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिया जाए जबकि इस बारे में पुराना लक्ष्य 33⅓% का था। नीतियो और प्रक्रियाओं के बारे में फिर से निर्धारण करने के परिणामस्वरूप सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा छोटे किसानों को दिए जाने वाले अल्पावधि तथा मध्यावधि के ऋणों का प्रतिशत 1973-74 में 27.8% से बढ़कर 1977-78 में 40% हो गया। वाणिज्यिक बैंकों के मामले में, मार्च, 1979 के अन्त में छोटे और सीमान्त किसानों को दिए जाने वाले ऋण 21.8% से बढ़कर 38.4% हो गए। मार्च 1980 के अन्त में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया 168.4 करोड़ रुपये के ऋण में से 148.4 करोड़ रुपये अर्थात् 88% छोटे और सीमान्त किसानों, खेतिहर मजदूरों आदि को दिया गया। छठी योजना अर्थात् 1980-85·····

प्रो० एन० जी० रंगा : जिन छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण दिया गया, उनकी संख्या क्या है ?

श्री बालेश्वर राम : मैं बताने जा रहा हूं। छठी योजना 1980-85 के दौरान ऋण देने के बारे में बहुत अच्छी आयोजना की गई है तथा गांव के विभिन्न वर्गों के गरीब लोगों के लिए ऋण की राशि अलग से रखी गई है।

ग्रामीण और अर्द्ध शहरी इलाकों में बैंक की शाखाओं में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है। 30-8-1980 को वाणिज्यिक बैंकों की 15,101 ग्रामीण शाखाएं तथा 8078 अर्ध शहरी शाखाएं थीं; इन में से 2,35 शाखाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की थीं। ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाएं बढ़ाने का कार्य जारी रहेगा। अब मैं प्रोफेसर रंगा द्वारा पूछी गई बात का जवाब दूंगा। 31-12-1979 तक 20,85,407 ऋण खातों के 140.95 करोड़ रुपए के ऋण ब्याज की विभेदी दर योजना के अधीन 4% ब्याज दर पर दिए गए।

भारत सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने का निश्चय किया है जो कि कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने के शीर्षस्थ संस्थान के रूप में कार्य करेगा।

महोदय, सर्वश्री सुधीर गिरि, जयपाल सिंह कश्यप तथा तथा वृद्धि चन्द्र जैन ने चर्चा के समय छोटे और सीमान्त किसानों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर के बारे में दो सुझाव दिए हैं। एक सुझाव यह है कि छोटे और सीमान्त किसानों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाए। दूसरा सुझाव यह है कि छोटे और सीमान्त किसानों को सभी ऋण ब्याज की विभेदी दर योजना के अनुसार 4% दर पर दिया जाए। मैं यह बताना चाहूंगा कि छोटे और सीमान्त किसानों को अन्य किसानों के मुकाबले पहले ही ब्याज की रियायती दरों पर ऋण दिया जा रहा है। अगर सभी छोटे और सीमान्त किसानों को ब्याज मुक्त ऋण अथवा 4% ब्याज दर पर ऋण दिया जाए तो ऋण संस्थाओं पर इसका अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उन का चल पाना कठिन हो जाएगा।

बहुत से माननीय सदस्यों ने ग्रामीण इलाकों में विपणन और संचार सम्बन्धी सुविधाएं पर्याप्त नहीं होने की ओर ध्यान दिलाया है। विपणन की विभिन्न बुराइयों को समाप्त करने के लिए भारत सरकार विनियमित बाजार स्थापित करने पर जोर दे रही है। लगभग सभी राज्यों में विनियमित बाजारों के लिए कानून बनाए गए हैं। शेष राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को भी ऐसा करने के लिए राजी किया जा रहा है।

भारत सरकार, राज्य सरकारों को कुछ चुने हुए विनियमित बाजारों, फल और सब्जी के टर्मिनल बाजारों, ग्रामीण प्राथमिक बाजारें तथा पिछड़े क्षेत्र में थोक भाव के बाजारों के लिए नीलामी प्लेटफार्म, कार्यालय, गोदाम, पीने के पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहायता देती है। कृषि उत्पादों के लिए ग्रामीण गोदाम बनाने के राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की भी हमारी योजना है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं :—

(1) मजबूरी में घाटे पर बिक्री रोकना।

(2) किसानों को लाभकारी मूल्य तथा आसान शर्तों पर ऋण सुनिश्चित करना।

1980-85 की अवधि के लिए इस कार्य पर 17.50 करोड़ रु० खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग यह है कि गांवों में सड़कों का इस प्रकार जाल बिछाया जाए कि उससे लाभ पहुंचे। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1990 के अन्त तक 1500 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों तथा 1000 से 1500 की आबादी वाले 50% गांवों को सभी मौसम में काम आने वाली सड़कों से जोड़ दिया जाएगा, जिसके लिए 1165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

श्री लकप्पा श्री आर० एल० पी० वर्मा ने कृषि मूल्य आयोग का उल्लेख किया है तथा कहा है कि वहां किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कृषि मूल्य आयोग एक परामर्शदात्री निकाय है। अर्थव्यवस्था की समस्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि मूल्य आयोग अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार समेकित मूल्य ढांचे में संतुलन बनाए रखने के लिए सिफारिश करता है ताकि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जा सके।

प्रोफेसर एन० जी० रंगा : हर समय उपभोक्ता ही प्रमुख होता है।

श्री बालेश्वर राम : सिफारिश करने से पहले कृषि मूल्य आयोग, राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित मामलों से लागत के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त करता है। आयोग सरकार को किसी विशेष सामग्री की मूल्य नीति की सिफारिश करने से पहले राज्य सरकारों के विभिन्न प्रतिनिधियों, किसान संघों और अन्य सबद्ध लोगों (व्यवधान) और मजदूरों के साथ बैठकें आयोजित करता है।

प्रोफेसर एन० जी० रंगा : केवल एक श्री रणधीर सिंह ही पर्याप्त नहीं है।

श्री बालेश्वर राम : जैसाकि मैंने बताया है, कृषि मूल्य आयोग एक परामर्शदात्री निकाय है तथा मूल्य नीति के बारे में अन्तिम निर्णय सरकार ही लेती है। जैसाकि माननीय सदस्य को पता ही है सरकार द्वारा अभी हाल ही में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्य आयोग द्वारा घोषित किए गए मूल्य से अधिक है।

इस समय कृषि मूल्य आयोग में चार सदस्य हैं जिनमें से एक किसानों और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधि है। उसमें चौधरी रणधीरसिंह भी हैं। (व्यवधान) यह वर्तमान स्थिति है। सर्वश्री मूलचन्द डागा और गिरधारी लाल व्यास ने कहा है कि फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं दिया जा रहा है। मैं स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। इस बारे में एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। गुजरात तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में 1979-80 से एक पायलट फसल बीमा योजना लागू है। इस योजना को, छठी योजना के दौरान कुछ और राज्यों में भी लागू किए जाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। छठी योजना में फसल बीमा के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको मालूम भी है, यह एक काफी बड़ी योजना है। इसमें समस्याएं भी हैं तथा सारे देश को इस योजना के अन्तर्गत लाना सम्भव भी नहीं है और इसी लिए पायलट परियोजना आरम्भ की गई है। अतः मुझे सदन की जानकारी में यह बात लानी थी। महोदय, इसके अलावा श्री सिदनाल तथा कुछ अन्य मित्रों ने कहा है कि सरकार को एक इंजीनियरिंग ग्रुप अवश्य ही गठित करना चाहिए जो विभिन्न स्थानों पर जाकर भूमिगत जल का पता लगाएं तथा यह बताएं कि कहां कुए खोदे जाने चाहिएं।

भूमिगत जल के बारे में जांच करने, इसका पता लगाने और मूल्यांकन करने के लिए सेंट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड शीर्षस्थ निकाय है जो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जल-भौगोलिक सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के लिए ड्रिलिंग का कार्य देश के विभिन्न भागों में करता है। इसके अलावा राज्य सरकारों के अपने ग्राउंड-वाटर संगठन भी हैं जो 'ग्राउंडवाटर' के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण और सुधार कर रहे हैं। इन संगठनों को मजबूत बनाने के लिए, राज्य सरकारों को सहायता देने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना भी है। चूंकि जैसा कि मैंने पहले कहा है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड तथा राज्य सरकारों द्वारा अन्वेषण और सर्वेक्षण का कार्य किया जा चुका है, अतः यह आवश्यक और व्यवहार्य नहीं होगा कि एक इंजीनियरी ग्रुप का गठन किया जाए जोकि स्थान-स्थान पर जा कर यह पता लगाए कि भूमिगत जल कहां उपलब्ध है तथा कहां कुए खोदे जाएं।

श्री राजगोपाल नायडू और श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने कहा है कि जिन लोगों को बंजर और सीलिंग की भूमि दी गई है उन्हें भूमि के विकास के लिए सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, मैं माननीय सदन की जानकारी में यह ला रहा हूं कि केन्द्र सरकार और राज्य

सरकारों द्वारा सहायता के रूप में जिन लोगों को अतिरिक्त फालतू भूमि मिली है, उसे उपजाऊ बनाने के लिए प्रति हैक्टेयर 1000 रुपये अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं। अब तक केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को 15 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 60 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। जो इलाके इस क्षेत्र में नहीं आते, उन क्षेत्रों तक यह योजना बढ़ाये जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। संसाधनों की कमी होने के कारण इस समय यह संभव नहीं हो सकेगा कि जिन लोगों को अधिकतम सीमा के अन्तर्गत फालतू जमीन प्राप्त हुई है, उनके अलावा भी लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए। इस समय स्थिति यह है।

राज्य सरकारें इस स्थिति में नहीं हैं कि वे उन भूमि मालिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा सकें जिनके पास अतिरिक्त भूमि है। वित्त सम्बन्धी कठिनाई के कारण, इस समय यह संभव नहीं है कि बंजर आदि भूमि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा श्री पी० राजगोपाल नायडू और श्री जयपालसिंह कश्यप ने बताया है कि जब तक सहायक किसानों द्वारा उद्योग नहीं चलाए जाते, वे आर्थिक रूप से सक्षम तथा आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। यह बहुत अच्छी बात है तथा मैं भी इन विचारों से सहमत हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सहायक उद्योग छोटे और सीमान्त किसानों के लिए शुरू किए जाएं क्योंकि उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है।

'आई० पी० डी०' कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग सेवाएं प्रदान करना और व्यापार संबंधी कार्य आता है। आशा की जाती है कि हर ग्रामीण गरीबों को तथा विशेष रूप से ग्रामीण कारीगरों को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना के अनुसार अपना रोजगार चलाने के लिए युवकों को प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे अपना धंधा चला सकें। छठी पंचवर्षीय योजना में खादी और ग्राम उद्योगों के विकास के लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग को 480 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इससे छठी योजना के अन्त तक 50 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा जबकि इस समय 29 लाख लोग इस रोजगार में लगे हुए हैं। श्री के० लकप्पा और श्री पी० राजगोपाल नायडू तथा कुछ अन्य मित्रों ने कहा है कि गरीब किसानों की समस्याओं का पता लगाने के लिए भारत सरकार को एक उच्च स्तरीय निकाय का गठन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी कम करने पर काफी जोर दिया गया है। इस बारे में जो योजना तैयार की गई है उसकी मुख्य बातें यह हैं : गरीबों का पता लगा कर उन्हें परिसंपत्ति, शिल्प और प्रौद्योगिकी का अन्तरण किया जाना, मजदूरी रोजगार और स्वनियोजन रोजगार के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने वाले कार्यक्रम तथा विभिन्न क्षेत्रों में लागू न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए विख्यात वैज्ञानिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं डा० एम.एम. स्वामीनाथन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में, योजना आयोग में एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है। ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए एक अन्य उच्च स्तरीय समिति गठित किए जाने की आवश्यकता पड़ सकती है।

विधेयक से उत्पन्न होने वाली दो मुख्य बातों को भी मैं लेना चाहूंगा। इस विधेयक में छोटे किसानों को उनके उत्पादों के क्रय-विक्रय में सहायता देने के लिए सहकारी समितियां स्थापित

किए जाने का प्रस्ताव भी है। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस बारे में पहले ही सहकारी क्षेत्र छोटे किसानों की मदद कर रहा है। इस समय, मंडी स्तर पर, 550 विशेष सामग्री विपणन समितियों सहित 3370 प्राथमिक विपणन समितियां, 173 केन्द्रीय विपणन समितियां (गन्ना सप्लाई समितियों को छोड़कर) मुख्य रूप से जिला स्तर पर राज्य पर, 25 शीर्षस्थ विपणन संघ तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की 31 शाखाएं काम कर रही हैं। जन-जातीय क्षेत्र के लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष सहकारी संघ स्थापित किए गए हैं।

विधेयक में छोटा किसान उसे बताया गया है जिसके पास कुल कृषि भूमि शुष्क भूमि 10 एकड़ अथवा उससे कम तथा आर्द्र भूमि 5 एकड़ अथवा उससे कम है। आई० आर० डी० कार्यक्रम की परिभाषा के अनुसार जिस छोटे किसान के पास 5 एकड़ या इससे कम जोतवाली भूमि है वह भी कृषक होता है। वर्ष 1970-71 की कृषि गणना के अनुसार लगभग 7 करोड़ जोतवाली भूमि थी जिसमें से लगभग 5 करोड़ जोतवाली भूमि ऐसी थी जो 2 हैक्टेयर से कम थी 2 हैक्टर तक भूमि रखने वाले किसानों के पास थी। 7 करोड़ जोतवाली भूमि में से 5 करोड़ भूमि के किसान या तो छोटे किसान थे या सीमान्त किसान। वर्ष 1969-70 में एस० एफ० डी० ए०की शुरूआत के बाद से उपलब्ध प्रशासनिक तथा वित्तीय संसाधनों से हम अब तक लगभग प्रतिवर्ष 10 लाख परिवारों की ही सहायता करने में समर्थ रहे हैं। जैसाकि विधेयक में सुझाव दिया गया है कि 10 एकड़ कृषि भूमि रखने वाले किसानों को भी वर्तमान सुविधाएं उपलब्ध करने पर विचार किया जाये इससे पहले उन किसानों की सहायता करना आवश्यक होगा जिनके पास दो एकड़ से कम कृषि भूमि है। हम सबसे पहले गरीबों में भी सबसे गरीब किसान की सहायता करने के लिए चिंतित हैं। अतः उन किसानों को जिनके पास 10 एकड़ कृषि भूमि है, उन्हें छोटे किसानों की श्रेणी में लाना उचित नहीं है।

जैसाकि मैंने पहले ही कहा है सरकार छोटे किसानों तथा अन्य निर्बल वर्ग के लोगों की उनकी आर्थिक कार्यक्रमों तथा उनके उत्पादों को लाभकारी मूल्य पर बेचने में आने वाली कठिनाईयों को सुलझाने के सम्बन्ध में बहुत से कदम उठाए हैं। वास्तविकता यह है कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अतः सरकार इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगी और स्थिति की निरन्तर समीक्षा करती रहेगी। अतः मैं माननीय सदस्य श्री लकप्पा से यह अनुरोध करूंगा कि वह सदन की अनुमति लेकर विधेयक को वापस ले लें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं तथा मैं आपको इतना समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि दोनों पक्षों के मेरे माननीय मित्र तथा साथियों ने, जिन्होंने मेरे विधेयक "लघु किसान सहायता विधेयक" पर वाद-विवाद में भाग लिया है, इस विधेयक में अन्तर्विष्ट सिद्धांतों की व्यापक रूप से सराहना की है तथा उनका समर्थन किया है। मैंने यह विधेयक इस सभा में पुरःस्थापित किया था तथा इस सभा की शुभकामनाएं मांगी थी ताकि हम इन गरीब किसानों की स्थिति में सुधार ला सकें।

इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें छोटे किसानों तथा देश में व्याप्त स्थिति की हालत को देखने के साथ-साथ छोटे किसानों तथा सीमान्त किसानों के इस निर्बल असंगति क्षेत्र के मामले में हो रहे सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को भी ध्यान में रखना होगा।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से लगता है कि सरकार किसानों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में बहुत ही इच्छुक है। हमारे नेता ने भूमि सुधार की शुरूआत करने में पहल की है। यह ठीक है कि मेरे विपक्ष के मित्र यह कह रहे थे कि विधेयक का लाना मगरमच्छ के आंसू बहाने के समान है। यह विधेयक मगरमच्छ के आंसू नहीं है और न यह भवनात्मक विचार से प्रस्तुत किया है। यह किसानों की वास्तविक समस्याएं थीं जिन्होंने मुझे इस विधेयक को लाने और इसकी ओर सभा का ध्यान आकर्षण करने के लिए मजबूर किया है। मैं यह जानता हूं कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वे सत्ता में आए और सब के सब भाग गए। उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गयी लेकिन वे सरकार नहीं चला सके और भाग गए। इस सभा को, जो एक संप्रभु निकाय है, यह समझना होगा कि समस्या कितनी उग्र हो गई है। इस विषय पर बहुत बार चर्चा की गई है। एक माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़ें भी बताए हैं। इस सम्बन्ध में हाल-ही प्राक्कलन मिति द्वारा लिए गये कुछ निर्णयों तथा निष्कर्षों के सम्बन्ध में मैं कुछ बताना चाहूंगा। इससे उस स्थिति का पता लगता है जो देश में संसाधन जुटाने तथा उनका देश में छोटे तथा सीमांत किसानों में बांटने की पद्धति के सम्बन्ध में हैं। संसद की प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में जो निर्बल वर्गों को ऋण सुविधाएं देने के बारे में है, इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से बैंक का धन शहरी क्षेत्रों में जा रहा है। विधान मंडलों और इस माननीय सभा के 80 प्रतिशत प्रतिनिधियों को गरीब किसानों तथा सीमान्त तथा भूमिहीन किसान का ही समर्थन प्राप्त होता है जो असंगठित हैं तथा जो निर्बल वर्ग के हैं। वे इस माननीय सभा से यह आश्वासन मांगते हैं कि उनको देय सुविधाएं दी जाये जो उन्हें नहीं दी जा रही हैं बल्कि जो संगठित क्षेत्र के 10 या 20 प्रतिशत लोगों को दी जा रही हैं।

विपक्ष ने किसान रैलियों का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया है। इसके बजाय उन्हें मिलकर इन गरीब किसानों की जो असंगठित हैं और जो देश में उपद्रव तथा अन्य बातों के शिकार हैं दशाओं को सुधारने तथा उनकी समस्याओं का वास्तविक हल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए था। यह इतिहास में पहला समय है कि हमारी सरकार तथा हमारी नेता ने भूमि सुधार में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है तथा उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम से इस देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किये हैं। इन बातों के सम्बन्ध में हमारी सरकार के लिए यह देखना आवश्यक है कि 80 प्रतिशत जनता अर्थात गरीब तथा सीमान्त किसानों को जो असंगठित हैं, संसाधन तथा धन-राशि उपलब्ध अनुवर्ती कार्यवाही की जाये। संसाधनों के क्षेत्रवार वितरण का जो वर्तमान तरीका है, उसमें भारी परिवर्तन करने के बारे में समिति ने ठीक ही विशेष रूप से उल्लेख किया है और उसने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के विभिन्न वर्गों में संसाधनों के उचित वितरण को बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। यह एक ऐसी पहलू है जिसकी आमतौर पर अवहेलना कर दी जाती है। बैंकों के लिए गांवों में कृषि तथा अन्य उत्पादन के लिए ऋण राशि बढ़ाना और अपनी ग्रामीण शाखाओं का उधार-जमा अनुपात में सुधार करना आवश्यक है।

उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति वांछित श्रेणी के हो। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की ढिलाई बरतने से संपन्न वर्ग इन सुविधाओं का लाभ उठायेंगे जैसा कि पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। यह स्थिति देश में व्याप्त है। माननीय मंत्री महोदय ने कुछ आंकड़े बताये हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट तथा कृषि मांग पर चर्चा के समय भी इस सभा में सभी वर्गों की एक साधारण मांग यह थी कि फसल बीमा किया जाये। प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसके लिये केवल 20 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं और इसमें 2 प्रतिशत किसान भी नहीं आते हैं। आज किसान मानसून तथा मौसम की अनिश्चितता के साथ जुआ खेल रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में किसानों की विभिन्न श्रेणियां हैं। इन सुविधाओं के अभाव में जो हमें किसानों को उपलब्ध करना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में, जिनमें रायल सीमा पट्टी भी शामिल हैं किसानों की पूरी आबादी के लिये तीन महीने के लिए भी कृषि कार्य नहीं है। इसका कारण यह है कि कृषि कार्य मौसम के अनुसार ही होता है। आजकल इस प्रकार के उग्र समस्या वाले क्षेत्रों के लिए भी कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है यद्यपि हमने योजना के अनुसार कदम भी उठाये हैं और उधार की सुविधाएं भी दी गयी हैं। आज छोटे तथा सीमान्त किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए एक भी एजेन्सी नहीं है। आजकल सहकारिता क्षेत्र भी किसानों को ऋण न देकर व्यापारी वर्ग को ऋण दे रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से दिये जाने वाले ऋणों के मुख्य भाग को व्यापारी वर्ग ही हड़प रहा है। प्राक्कलन समिति ने यह बताया है कि किसानों के लिए आबंटित किये गये धन का मुख्य भाग शहरी क्षेत्र के लोगों को ही दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में भारी विषमताएं होने के कारण इस क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध की गयी सुविधा अपेक्षित मात्रा में निर्बल वर्गों के पास नहीं पहुंच सकती है जब तक कि इसके लिये विशेष प्रयास नहीं किये जाते है और बैंकों से ऋण दिया जाना इस नियम का अपवाद नहीं है। भूमि के स्वामित्व की पद्धति में आमूल परिवर्तन करने से ही इस विशेष प्रयास को छोड़ा जा सकता है। समिति ने जो यह सुझाव दिया है कि इन दोनों से जो धन आता है, उसको वहां के विकास पर लगाया जाये, उसकी काफी आलोचना होगी और जो उचित भी है। जब कि यह महत्वपूर्ण है कि इन दोनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाये उन्हें अपने विकास होने वाली फालतू आय को राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाये बिना केवल अपने ही विकास पर खर्च करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है।

जिस पर चर्चा की गयी है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आंकड़े खोज समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन बैंकों का कारोबार करने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण देने की सम्पूर्ण पद्धति ही सुसंगठित नहीं हैं। यह पर्याप्त नहीं है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर विधियों का आबंटन करते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि इन एजेन्सियों द्वारा विधियां ठीक ढंग से दी जाती है। अत: हमें यह देखना होगा कि छोटे तथा सीमान्त किसानों को ऋण की सुविधाओं की व्यवस्था वर्तमान एजेन्सियों द्वारा ठीक ढंग से आयोजित की जाती है।

हमारे मित्र ने यह कहा है कि उसने विभिन्न क्षेत्रों के लिए विधियों का आबंटन किया है। उसने यह भी कहा है कि योजना में इस उद्देश्य के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। लेकिन यह देखकर दुख होता है कि इन संस्थानों को उपलब्ध किये गये धन को किस प्रकार खर्च किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसका महत्व समझेंगे। समेकित ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप ने इस कार्यक्रम की उपलब्धियों तथा प्रभाव का एक तत्काल मूल्यांकन किया है तथा इसकी रिपोर्ट में परियोजना क्षेत्र में छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिये 130·50 लाख रुपये रखे गए हैं। इस राशि में से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान केवल 9·95 लाख लगाया गया था। यह छोटे तथा सीमान्त किसानों की संख्या का लगभग 10 प्रतिशत है।

इसलिए आज भी यह सौतेली मां का व्यवहार है। इन संस्थाओं के ऊपर जो नौकरशाही कार्य करती है वह भी इन गरीब किसानों की मदद नहीं करती है। इन एजेन्सियों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली को जो सुविधाएं उपलब्ध करनी हैं, उसे भी तीव्र करना होगा। यह भी देखना चाहिए कि किस्तों के भुगतान की व्यवस्था करने वाले उन नियमों विनियमों में भी उचित संशोधन किए जाने चाहिये जिन से किसानों को आसानी से रुपया मिलने में रुकावट आती है। इसी प्रकार निम्न स्तर की सहकारी समितियां भी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर रही हैं। विभिन्न श्रेणियां बनायी गयी हैं। राज्यों में भी किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं को विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया गया है। सहकारी बैंक भी राष्ट्रीय योजनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे किसानों को वे लाभ नहीं हुए हैं जो उन्हें देने की योजना बनायी गयी थी।

छोटे तथा सीमान्त किसानों के मामलों में ये लाभ एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग हैं। यहां तक कि इनका कोई उचित मूल्यांकन भी नहीं किया गया है। इन छोटे तथा सीमान्त किसानों को सूखे क्षेत्रों में रोजगार भी नहीं मिलता है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कोई वित्तीय संस्थान कृषि पर आधारित उद्योगों की व्यवस्था करने के लिए आगे आयी है। किसानों के 80 प्रतिशत लड़के केवल बेरोजगार ही नहीं है बल्कि वे असामाजिक तत्व बन गये हैं क्योंकि साल में उनके पास 9 महीने कोई काम नहीं है। अत: यह बहुत ही आवश्यक है कि कृषि मंत्रालय द्वारा बनायी गयी योजनाओं तथा इन बैंकिंग संस्थानों द्वारा दी गयी सुविधाओं तथा ऋणों की ठीक प्रकार व्यवस्था हो और उनका वितरण हो सके। मन्त्रालय के लिए यह देखना बहुत आवश्यक है कि सभी एजेन्सियां ठीक प्रकार से कार्य करें तथा वे छोटे किसान, सीमान्त किसान तथा कृषि मजदूरों की सहायता करें। उनकी व्यवस्था सरकार के स्तर पर यह देखने के लिए की जाए कि इन सुविधाओं का बिचौलिए नौकरशाही तथा अन्य वर्गों द्वारा शोषण नहीं किया जाये। ये लोग देश की रीढ़ की हड्डी के समान हैं ये लोग प्रजातन्त्र के केवल समर्थक ही नहीं हैं बल्कि प्रजातन्त्र और लोकतन्त्र प्रणाली के रक्षक भी हैं।

विपक्ष इसका लाभ उठा रहा है तथा वे इनका अपने राजनैतिक उद्देश्यों तथा अन्य उद्देश्यों के लिए शोषण करना चाहते हैं। अत: मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह यह देखें कि हमने अपनी योजनाओं में जो कुछ भी व्यवस्था की हैं, उसकी किसी एक एजेन्सी के द्वारा उचित ढंग से व्यवस्था की जाये।

हम कृषि के लिए अलग धनराशि की मांग कर रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कोष बनाया जाना चाहिए। इस कृषि सम्बन्धी विधि का वितरण एक ही एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए जो सारे देश भर में ठीक से कार्य करे। यह एक बहुत सामान्य सी बात इस विधेयक में जोड़ी गई है जिससे कि छोटे और सीमांत किसानों को लाभ सही तरीके से मिले, तथा देश की किसी अन्य एजेन्सी द्वारा उनका शोषण न होने पाए।

इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि सभी राज्यों को इस सम्बन्ध में निदेश जारी किए जाएं। केन्द्र सरकार को यह भी देखना चाहिए कि संसद सदस्यों के एक उच्च स्तरीय निकाय का भी गठन किया जाना चाहिए। इस सदन के विभिन्न सदस्यों द्वारा दिए गए अनेक सुझाव और तरीके का पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया जाए।

मेरे मित्रों ने कृषि मूल्य आयोग का भी जिक्र किया है। यह लम्बे समय से कार्य कर रहा है। परन्तु इसने अभी तक इस देश के किसानों का वास्तव में प्रतिनिधित्व नहीं किया। कृषि मूल्य आयोग में किसी भी छोटे किसान को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अभी हाल ही में मैं इस विषय पर बोल रहा था। अधिकारी वर्ग ही इसका संचालन करते हैं इसकी अर्थव्यवस्था तथा अन्य वस्तुएं देखते हैं। इसका सारा नियंत्रण उन्हीं के हाथों में है। मुझे खुशी है कि मन्त्री महोदय यह समझ गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने इस दिशा में कदम उठाये हैं। हमारे प्रख्यात वैज्ञानिक श्री स्वामीनाथन इस सब बातों की जांच करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री महोदय की ऐसी जिम्मेदारी है कि वह यह देखें कि संसद सदस्य भी किसानों का प्रधिनिधित्व करें तथा संगठित क्षेत्र और विपक्ष भी इसमें शामिल हो। जहां तक किसानों का सम्बन्ध है इसमें कोई राजनीति अन्तग्रस्त नहीं है। वस्तुतः इसमें राजनीति नहीं है। यदि वह इसमें राजनीति ग्रस्त करना चाहते है तो इसका यह अर्थ है कि वह सीध-साधे किसानों का शोषण करना चाहते हैं। एक बार यदि वे समझ जाएं कि हमारी सरकार की क्या नीति है तथा जब यह वित्त किसानों के पास पहुंच जाता है तब वह यह समझ जाएंगे कि उनका अब और शोषण नहीं किया जा सकता, तब वह संतुष्ट हो पाएंगे। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में माननीय मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर अधिक अच्छा नहीं है। यह प्रोत्साहन बढ़ाने वाला उत्तर नहीं है। जिन सदस्यों का इस क्षेत्र में अनुभव है उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं जैसे आधाभूत सुविधाएं प्रदान करना, सड़कें बनाना, कुंए खोदना, कुंए खोदने के लिए आसान किश्तों पर धन देना आदि। सरकार को बहुत कुछ करना है जैसे प्रलेखन प्रणाली और सर्वेक्षण प्रणाली संगठित करना, विभिन्न राज्यों की मिट्टी की विशेषताएं तथा संरचना देखना, तथा ग्रामीण इलाकों में जनता और किसान लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं उनके कृषि सम्बन्धी काम कैसे चल रहे हैं आदि तथा कुछ सम्बद्ध विषय भी हैं जैसे उनके पास भंडारन की सुविधा नहीं है, उन्हें उचित पारिश्रमिक तथा बाजार की सुविधाएं नहीं मिल पातीं। साथ ही बागवानी तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को भी संगठित किया जाना है। यहां तक कि बैंक भी ऋण नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कोई बैंक नहीं है। किसानों की समस्या को देखने के लिए विशेष बैंकों की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए मैं इस मुद्दे पर जोर देना चाहूंगा और इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय मुझसे सहमत होंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें स्पष्ट रूप से आश्वासन देना चाहिये। जहां तक छोटे किसानों की तथा किसानों

के लिए बनी विभिन्न विकासशील और कल्याणकारी गतिविधियों का सम्बन्ध है हमें एक सुनिश्चित आश्वासन चाहिये, जिससे कि सरकार इन किसानों—इस असंगठित क्षेत्र—का विश्वास प्राप्त कर सके तथा यह भी देखा जाना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित बजट का 80 प्रतिशत, चाहे वह उद्योग हो या रेलवे या परिवहन या विद्युत हो, अंश एक ही एजेंसी को दिया जाएगा तथा सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा आबंटित राशि का वितरण एक ही एजेसी द्वारा किया जाएगा तथा इस चुनौती का सामना करने के लिए उसे कारगर बनाया जाना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह सुनिश्चित आश्वासन दें जब तक यह आश्वासन नहीं देंगे तब तक मैं विधेयक वापिस नहीं लूंगा क्योंकि सभी ने इसका समर्थन किया है तथा इसमें किसी प्रकार की राजनीति अन्तर्ग्रस्त नहीं है तथा विपक्ष ने भी इसे स्वीकृत किया है। हमारी सरकार ने कई कदम उठाये हैं। छोटे किसानों में हमारी सरकार की पूर्ण श्रद्धा है। विधियों का आबंटन करने के लिए कई योजनाएं बनायी गई हैं।

इसलिए इस एजेंसी को यह चुनौती स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिये। मैंने यह विधेयक इन्हीं सिद्धान्तों पर पेश किया है और मुझे आशा व पूर्ण विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय केवल आश्वासन ही नहीं देंगे वरन् यह देखेंगे भी कि इन सिद्धान्तों को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए।

श्री बालेश्वर राम : अपने वक्तव्य में मैंने श्री लकप्पा द्वारा उठाए गए बहुत से मुद्दों का उत्तर दे दिया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ग्रामीण विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है तथा छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र पर 6000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा चुकी है। उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि छोटे किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा चुकी है।

श्री के० लकप्पा : मैंने इसका जिक्र किया था।

श्री बालेश्वर राम : मैंने सभी मुद्दे नोट कर लिए हैं। श्री लकप्पा द्वारा व्यक्त किए गए उद्गारों की मैं प्रशंसा करता हूं।

उनके द्वारा उठाए गए बहुत से मुद्दों का मैं उत्तर दे चुका हूं और बाकी को मैंने नोट कर लिया है। श्री लकप्पा द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर सरकार पूरा-पूरा ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ में श्री लकप्पा से निवेदन करूंगा कि वह विधेयक वापस ले लें।

सभापति महोदय : मेरा विश्वास है आप विधेयक वापस ले लेंगे। श्री लकप्पा क्या आप विधेयक वापस ले रहे हैं ?

श्री के० लकप्पा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि छोटे किसानों को ऋण और विभिन्न आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करने सम्बन्धी विधेयक "—वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"छोटे किसानों को ऋण और विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करने सम्बन्धी विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

स्वीकृत हुआ

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

पेंशन विधेयक

श्री बी० एन० गाडगिल (पुणे) : महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि :—

"कि केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों को सेवा निवृत्त, स्वैच्छिक अथवा अन्य प्रकार से, होने पर, अथवा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर दी जाने वाली पेंशन, उपदान, मंहगाई व अन्य भत्ते तथा सुविधाओं व उससे सम्बद्ध अन्य मामलों की व्यवस्था करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, इस विधेयक का इतिहास बहुत उतार-चढ़ावपूर्ण है। मैंने यही विधेयक पहले भी पेश किया था तब मैं दूसरे सदन का सदस्य था। वह वर्ष 1973 विधेयक सं० 28 था। बाद में वह मेरे राज्यमन्त्री होने के कारण व्यक्तगत हो गया। जब जनता पार्टी सत्ता में आई तब मैंने यही विधेयक दूसरे सदन में फिर पेश किया। परन्तु जनता पार्टी ने यह आपत्ति उठाई कि यह तो वित्त विधेयक है तथा इस पर राज्य सभा विचार नहीं कर सकती। अत: यह मामला तब इस सदन के अध्यक्ष को सौंपा गया तथा उन्होंने यह आपत्ति स्वीकार कर ली कि यह तो वित्त विधेयक है और इसलिए न तो उस सदन में इस पर विचार किया जा सकता है नहीं यह पेश ही किया जा सकता है। अब चूंकि सौभाग्य से मैं इस सदन का सदस्य हूं इसलिए इस सदन का सदस्य बनते ही मैंने यह विधेयक पेश किया।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उसी विनिर्णय के कारण तो आप इस सदन के सदस्य चुने गए थे।

श्री बी० एन० गाडगिल : प्रो० दंडवते कोई भी तर्क पेश कर सकते हैं इसीलिए मैं कहता हूं कि यह गलत पेशे में चले गए। इन्हें तो प्रोफेसर के स्थान पर एडवोकट होना चाहिए था।

यह थोड़ी सी असामान्य बात है कि जब मैं राज्य सभा का सदस्य था तब मैंने फौजी जवानों सम्बन्धी अनेक मुद्दे उठाए थे तो मेरे प्रदेश में मुझे जवानों का संसद सदस्य कहा जाने लगा था। अब चूंकि मैं लोक सभा का सदस्य हूं तो इस विधेयक को पूरा करने के उपरान्त शायद मुझे 'पेंशन पाने वालों का संसद सदस्य" कहा जाने लगे। प्रो० दंडवते ने कहा कि मैं ऐसे शहर से आया हूं जो कभी—अब नहीं—पेंशनायाफ्ता लोगों का शहर अर्थात पूना, कहा जाता था। परन्तु मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र का विस्तार करके ही मैं यह विधेयक पेश नहीं कर रहा हूं। सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य की दृष्टि से यह विधेयक एक माननीय समस्या से सम्बन्धित है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं चाहूंगा कि सदन इस विधेयक को ले।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में पेंशन के अधिकारों अथवा अधिकार विहीनता से सम्बद्ध केवल दो ही कानून हैं। एक तो सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम में इसका जिक्र है कि पेंशन का अन्तरण नहीं हो सकता। साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता में भी यह जिक्र है कि पेंशन जब्त नहीं की जा सकती। इसलिए 1881 में पास किया गया अधिनियम अर्थात पिछले 109 वर्षों से यही कानून पेंशनयाफ्ता लोगों की समस्या हल करने के लिए चला आ रहा है। संविध पुस्तक में यही सबसे हानिकर कानून है। परन्तु चूंकि यह धरोहर हमें ब्रिटेन से प्राप्त हुई

है इसलिए इस पर मैंने कुछ अनुसंधान किया जो कि प्रत्यक्ष रूप में तो इससे सम्बद्ध नहीं है, परन्तु इसका इतिहास का कुछ अंश बहुत ही मनोरंजक है। मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड में पेंशन की धारणा कैसे शुरू हुई और फिर अन्य देशों में इसे कैसे अपनाया गया। जैसा कि अक्सर होता है, पेंशन जैसी अच्छाई का विचार भी काफी बुराई के बाद आया। भ्रष्टाचार के कारण पेंशन का प्रादुर्भाव हुआ। यही इसका पिछला इतिहास है। हो सकता है कि गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री योगेन्द्र मकवाना की इसमें कुछ रुचि हो,—पहले वह सीमाशुल्क विभाग के सदस्य थे—इंग्लैंड के सीमा-शुल्क विभाग में भ्रष्टाचार होने कारण ही आखिरकार पेंशन का विचार आया। यद्यपि 'पेंशन' शब्द लैटिन भाषा के 'पेशिओ' शब्द से बना है, जिसका अर्थ सिर्फ भुगतान होता है, परन्तु पहले इंग्लैंड में इसका यह अर्थ नहीं था। डा० जान्सन ने 1775 के अपने शब्दकोश में लिखा :—

> "इंग्लैंड में सामान्यतया इसका अर्थ पैसा लेकर अपने देश के प्रति विश्वासघात करने वाले लोगों के लिए किया जाता था।"

इसके अतिरिक्त दूसरे इतिहासवेत्ता सर लुईस नामेयर, जो बाद में मेरे शिक्षक भी बने थे, ने अठारहवीं सदी के प्रारम्भिक दिनों की राजनीति के सम्बन्ध में बहुत अनुसन्धान किया था तथा उन्हें सूचियों में केवल सेवानिवृत्त अधिकारियों के ही नाम नहीं मिले थे, बल्कि साम्राज्य के कुछ प्रथम ड्यूकों के नाम भी मिले थे, जिन्हें उनकी सेवाओं के लिये तथा सम्राट के निकटतम व्यक्तियों के अनुरूप गरिमा तथा साज-सज्जा बनाए रखने के लिए पेंशन दी जाती थी; यह पेंशन इन लोगों को कम प्रतिष्ठित महिलाओं, चापलूसों तथा विदेशियों को मिलने वाली अपेक्षाकृत कम पेंशन के अतिरिक्त थी। उन दिनों यह भुगतान सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी द्वारा राज्य की निष्ठापूर्ण सेवा के प्रतिकार के रूप में नहीं किया जाता था, परन्तु यह एक प्रकार के संरक्षण के रूप में किया जाता था।

यह बड़ी रोचक बात है कि सीमा-शुल्क विभाग तथा अन्य विभागों में इसका दुरुपयोग इतना अधिक हो चुका था कि इस दुरुपयोग को रोकने के लिये अन्ततः एक जांच करनी पड़ी। उस जांच में यह पता चला—इसमें हम में से कुछ राजनैतिज्ञों की रुचि की हो सकती है—कि :—

> "विलियम फ्रान्सर विदेश विभाग के अवर सचिव के मामले में आयुक्तों को एक विस्मयकारी मामले का पता चला था, जिसमें उसे 1761 से कार्यालय छोड़ने के कारण पेन्शन दी गई थी तथा वह 22 वर्षों से भी अधिक समय तक पेन्शन लेता रहा यद्यपि वह 1785 में कार्यालय मे पुनः नौकरी करने लगा था।"

अतएव, उसने नौकरी करते हुए भी 22 वर्षों तक पेन्शन ली। अतः इस प्रकार का दुरुपयोग होता रहा। अन्ततोगत्वा कुछ उपाय करना पड़ा। एक तरफ तो वे वृद्ध व्यक्ति थे, जिनका बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं था तथा दूसरी ओर वे लोग थे जो नौकरी करना चाहते थे। इस प्रकार एव अजीब प्रणाली विकसित हुई। यह प्रणाली अपने समय की विचारधारा के अनुरूप थी, जिनमें नौकरियां बेची जाती थीं, पैसों के बल पर नौकरियां बदली जाती थीं तथा नौकरियों की नीलामी की जाती

थी । उस समय एक ऐसा तरीका भी खोज निकाला गया था, जिसके अन्तर्गत किसी नौजवान को नौकरी चाहिये होती थी तो उस स्थान पर नौकरी करने वाला व्यक्ति यदि बूढ़ा होता था तो वह कहता था कि "मैं तुम्हारे लिये अपनी नौकरी छोड़ सकता हूँ, बशर्ते कि तुम मुझे पेन्शन दो" इस प्रकार सर्वप्रथम पेन्शन का विचार विकसित हुआ । कुछ लोग सेवानिवृत्त होना चाहते थे तथा कुछ नये लोग भर्ती होना चाहते थे । नये भर्ती होने वाले पर यह जिम्मेदारी डाल दी जाती थी कि यदि वह अपने वेतन का कुछ भाग सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को बतौर पेन्शन देने को तैयार हो तो उसे नौकरी मिल जाती थी ।

चूंकि श्री दण्डवते के अनुसार मैं पेन्शन पाने वाले व्यक्तियों के निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर आया हूं, तो उन्हें यह जानकर खुशी होगी कि सबसे पहले पेन्शन पाने वाला व्यक्ति पूना का नहीं था बल्कि मरिओस रफैल द्वारा लिखित पुस्तक पेन्शन एण्ड पब्लिक सर्वेन्ट्स' के अनुसार सर्वप्रथम पेन्शन पाने वाले व्यक्ति का नाम श्री मार्टिन हार्शम था, जिसे 1684 में पेन्शन मिली थी । इस पुस्तक के लेखक ने बहुत से दस्तावेजों की खोज की है । इस विशिष्ट दस्तावेज की फोटोस्टेट प्रति पुस्तक में दी हुई है । बहुत पुरानी अंग्रेजी में, बड़ी अजीब वर्तनी तथा तरीके से इसमें उल्लेख किया गया है कि मार्टिन हर्मेन नामक इस व्यक्ति को उसके बुढ़ापे के कारण नहीं अपितु इस कारण पेन्शन दी गयी थी कि वह सेवानिवृत्त होना चाहता था । अतएव उसे यह पेन्शन दी गई थी तथा पेन्शन सम्बन्धी आदेश किये गये थे, जिनकी एक प्रति उपलब्ध है । शायद वह व्यक्ति विश्व का सर्वप्रथम पेन्शन पाने वाला अर्थात आदिमानव अथवा आदम जाति 1684 में पैदा हुआ था । ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों पेन्शन शब्द की वर्तनी भी दूसरी थी; उसे पी० ई० एन० एस० आई० ओ० एन० के बजाय पी० ई० एन० टी० आई० ओ० एन० लिखा जाता था: तब उसे पी० ई० एन० सी० ओ० एन० लिखा जाता था ।

इस संबंध में दूसरी घटना के रूप में उस समय एक निधि की स्थापना की गई जब यह पाया गया कि यद्यपि नई भर्ती होने वाले व्यक्ति सेवा-निवृत्ति होने वाले व्यक्तियों को पेन्शन देने के लिए सहमत होंगे परन्तु यह भी हो सकता है कि किसी समय वे लोग इस प्रकार की पेन्शन देने को राजी न हों । अतएव, कुछ वर्षों बाद एक निधि की स्थापना की गई ।

अगली महत्वपूर्ण घटना 1810 तथा 1859 के अधिनियम को लागू करना था । भारत का कानून अधिकांशत: मुख्य रूप से इन दो ब्रिटिश कानूनों पर आधारित है । इसके पश्चात् इस संबंध में सुप्रसिद्ध बेवरिज रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यह सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक भाग बन गई, परिवार पेन्शन लागू की गई, विधवाओं को पेन्शन दी जाने लगी तथा सेवा-निवृत्ति के पश्चात् दी जाने वाली पेन्शन की राशि में बढ़ोतरी की गई । यह पेन्शन का इतिहास है ।

सभापति महोदय : पेन्शन संबंधी इतिहास का विवरण 12 मिनट में समाप्त हुआ है ।

श्री वी० एन० गाडगिल : मुझसे यह कहा गया था कि मैं 6 बजे तक बोल सकता हूं ।

(व्यवधान)

मैं अब सीधे 1871 के अधिनियम के बारे में बहूँगा। मैं विधेयक को उसकी अन्तिम खण्ड से पढ़ूंगा। अन्तिम खण्ड में कहा गया है :—

"जहाँ तक केन्द्रीय कर्मचारियों का संबंध है, 1871 का पेन्शन अधिनियम एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।"

इसका क्या औचित्य है ? जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा था, इस कानून में यह सबसे बेहूदा उपबन्ध है। यह भारत में छोड़ी गई अंग्रेजी परम्परा का सबसे अप्रिय पहलू है। यह कैसा अधिनियम है ? मैं आपकी अनुमति से इसे पढ रहा हूँ क्योंकि जब मैंने अनेक व्यक्तियों से इसके बारे में पूछताछ की, तो बहुत से लोगों को इस अधिनियम के बारे में कुछ नहीं पता था। यह 1871 का भारतीय पेन्शन अधिनियम है। इसमें क्या कहा गया है। धारा 4 के अनुसार :—

"4. इसमें उल्लिखित व्यवस्था के सिवाय, कोई भी दीवानी अदालत पेन्शन अथवा सरकार द्वारा दी गई भूमि के अनुदान अथवा भूमि राजस्व से संबंधित मुकदमे की सुनवाई नहीं करेगी, चाहे वह पेन्शन अथवा अनुदान किसी भी मुआवजे के रूप में दिया गया हो, तथा वह पेन्शन अथवा अनुदान किसी भी प्रकार के भुगतान, दावे अथवा अधिकार के स्थान पर प्रतिस्थापित हो।"

अतएव यदि आप पेन्शन के संबंध में कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी अदालत में जाने का अधिकार नहीं है।

इसके अतिरिक्त, यदि आप धारा 5 देखें, तो उसमें यह व्याख्या की गई है :—

"ऐसी पेन्शन अथवा अनुदान संबंधी दावा पेश करने वाला व्यक्ति ऐसे दावे को जिला समाहर्त्ता अथवा उपायुक्त अथवा संबंधित सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है तथा वह समाहर्त्ता, उप-समाहर्त्ता अथवा अन्य अधिकारी बनाए गए नियमों के अनुसार उस दावे का निपटान करेगा।"

अतः, पहले तो, आप अदालत में जा ही नहीं सकते। यदि आप अदालत में जाना चाहते हैं, तो आपको समाहर्त्ता से अनुमति लेनी पड़ेगी। इतना पढ़ने के पश्चात् ऐसा महसूस होता है कि इस धारा के द्वारा कुछ न्याय किया गया है कि आप समाहर्त्ता से अनुमति मांगें तथा अनुमति प्राप्त करने के बाद आप अदालत में जा सकते हैं। परन्तु आप अगली धारा देखें। धारा 6 में कहा गया है :—

"ऐसे दावे का निपटान करने में सक्षम कोई दीवानी अदालत संबंधित समाहर्त्ता, उप-समाहर्त्ता अथवा अन्य अधिकारी से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे दावे पर विचार कर सकती है···परन्तु वह अदालत किसी भी मुकदमें में कोई ऐसा आदेश अथवा डिक्री नहीं दे सकती, जिसके द्वारा सरकार पर पूर्वोल्लिखित ऐसी कोई पेन्शन अथवा अनुदान के भुगतान का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दायित्व पड़े।"

इसका अर्थ यह है कि इसके द्वारा धारा 5 के प्रावधान को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया है। पहले तो आप अदालत में जाही नहीं सकते, परन्तु यदि आप समाहर्ता की अनुमति से अदालत में जाते भी हैं, तो भी यदि अदालत की डिक्री से सरकार पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का दायित्व पड़ता है तो मुकदमा दायर करने के बावजूद अदालत डिक्री जारी नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह है कि अदालत अधार-मुक्त ही है। वह अपना कार्य नहीं कर सकती। अधिनियम में इस प्रकार के प्रावधान करने के बाद तथा ऐसा प्रावधान किए जाने के बारे में आपको इतिहास से पता चलेगा—मैं ब्रिटिश इतिहास के बारे में नहीं, अपितु भारतीय इतिहास के बारे में कह रहा हूं—कि इस विधेयक को माननीय काकरेल ने प्रस्तुत किया था। यह बात 1871 के पेन्शन अधिनियम के इतिहास में उल्लिखित हैं, जिसे कि सितम्बर, 1871 में पारित किया गया था। गवर्नर-जनरल की कौंसिल में उसने कहा था कि 'कानून-पुस्तिका में इस विषय से संबंधित वर्तमान समय के अनेक विनियम तथा अधिनियम हैं। इन अधिनियमों में उल्लिखित प्रशासनिक नियमों तथा अनुदेशों आदि संबंधी प्रावधान अब पुराने पड़ गये हैं। इसीलिए विधेयक को प्रस्तुत किया गया है।' सबसे अधिक अप्रिय सिद्धांत कौन सा है ? मैं उन्हीं के शब्दों का उद्धरण देता हूं, जो इस प्रकार है :—

> "कानून के मुख्य उपबंधों का यह प्रमुख सिद्धान्त कि चूंकि पेन्शन तथा इस प्रकार के भत्तों की अदायगी अनुग्रह के रूप में की जाती थी अथवा राज्य नीति के अनुसार की जाती थी, इस अनुदान अथवा भत्तों को जारी रखने संबंधी प्रश्नों के निर्धारण संबंधी अधिकार सरकार ने अपने पास सुरक्षित कर रखे थे।"

अतएव, सिद्धान्त यह है कि पेन्शन आपके प्रति एक प्रकार का उपहार है, कृपा स्वरूप है, यह आपका अधिकार नहीं है। आप भले ही सरकार की बहुत निष्ठा तथा ईमानदारी से 30 वर्षों तक सेवा करने के बाद सेवा निवृत्ति हो जायें, परन्तु आपको पेन्शन लेने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता। आप इसे कृपा अथवा उपहार के रूप में इसकी मांग कर सकते हैं; यह सरकार द्वारा किया गया अनुग्रह है। इसका क्या आधार है ? इतिहास की दृष्टि से, इसका आधार पुन: ब्रिटिश परम्परा है। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लैंड में एक कानूनी सिद्धान्त था कि असैनिक कर्मचारी साम्राज्य के विरुद्ध मुकदमा नहीं दायर कर सकता। केवल इतना ही नहीं, यह भी सिद्धान्त था कि 'सम्राट कभी गलती नहीं करता तथा साम्राज्य के ऊपर किसी प्रकार का दायित्व नहीं होता।' आप प्रो० लास्की द्वारा बेन्ब्रिज बनाए पोस्ट मास्टर जनरल के सुप्रसिद्ध मुकदमें के दौरान चलाए गए अभियान से अवगत हैं। उस समय अदालत ने जो निर्णय दिया था, वह इस प्रकार है—श्री बेन्ब्रिज की एक मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी ने मुआवजे का दावा किया। अदालत ने यह तिथि दिया, तुम चालक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकती हो, परन्तु चूंकि महाडाकपाल सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है, तुम साम्राज्य से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकती।' यही सिद्धान्त 1871 के अधिनियम के रूप में इस देश में लागू किया गया था तथा यही सिद्धान्त 100 वर्षों से भी अधिक समय से अभी भी चलता आ रहा है। यही इसकी सबसे बेहूदा बात है। न केवल इस सभा की याचिका समिति द्वारा अपितु विधि आयोग द्वारा भी इसकी जांच की गई थी। तथा विधि आयोग ने भी 1972 में सिफारिश की थी कि इस अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से धारा 4

को अवश्य निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह सैद्धांतिक रूप से गलत है, पुरातन है, अनुचित है, इससे व्यक्ति की गरिमा का हनन होता है। 10 वर्षों की नौकरी के बाद असैनिक कर्मचारी को यह कहा जाता है : 'नहीं, तुम्हें अपने अधिकार के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम पर केवल दया ही की जा सकती है। 25 अथवा 30 वर्षों तक निष्ठावान सेवा करने के बाद असैनिक कर्मचारी को इस प्रकार का आदर दिया जाता है। अतएव, अपने विधेयक के सबसे महत्वपूर्ण खण्ड के द्वारा मैं 1871 के अधिनियम के अन्तिम खण्ड को पूर्णरूप से निरस्त करना चाहता हूं।

अब असैनिक कर्मचारियों की अनेक समस्याओं से संबंधित अन्य उपबन्धों के बारे में कहूंगा। मैं यह अवश्य स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस विधेयक का प्रयोजन रक्षा कर्मचारियों तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी अखिलभारतीय सेवाओं के सदस्यों के बारे में नहीं है। यह विधेयक अन्य कर्मचारियों तक ही सीमित है। दूसरी बात यह है कि यह विधेयक उन पेन्शनों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में हैं, जिनके लिए मैंने अपने विधेयक में प्रावधान किया है, तथा सर्वप्रथम वह असमानता के बारे में है। मैं इनका ब्योरा तथा आंकड़े नहीं दूंगा। वे सब आंकड़े सरकार को, वित्त मंत्रालय को तथा याचिका समिति को भी विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तुत कर दिए गए हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज स्थिति यह है कि 1972 से पहले सेवा-निवृत्ति होने वाले भारत सरकार के सचिव तथा 1972 के बाद सेवा-निवृत्ति होने वाले सहायक, को जो पेन्शन मिलती है, वह लगभग बराबर है। यह एक असमानता है। 1-1-1973 को बहुत महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। दुर्भाग्यवश, यदि आप 1-1-1973 से पूर्व सेवा निवृत्ति हुए हैं, तो आपको 12-1-1973 के बाद सेवा निवृत्ति होने वाले व्यक्ति की तुलना में बहुत कम पेन्शन मिलेगी।

इसी प्रकार की असमानता परिवार-पेन्शन के बारे में है। इस संबंध में बहुत करुणाजनक मामले हैं। मुझे स्वयं एक ऐसे मामले का पता है जिसमें अनेक वर्षों की सेवा के बाद एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई। 1964 से पूर्व परिवार पेन्शन नहीं दी जाती थी। कभी-कभी बच्चे जीवित माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करते। मुझे इस मामले का पता है। हो सकता है कि यह एक चरम अवस्था का मामला हो। परन्तु मुझे एक व्यक्ति के बारे में पता है, जिसे सेवा निवृत्ति के पश्चात 67 रुपये की पेन्शन मिलती थी। मैंने उसके मामले की पैरवी की। मुझे पता चला कि वह युद्ध के दौरान नौकरी में था। युद्ध के दौरान उसे अचानक पता चला कि युद्ध में उसका भाई मारा गया है। वह बहुत परेशान हो गया था। उसने वह नौकरी छोड़ दी तथा सभी स्थानों पर अपने भाई की खोज करने लगा क्योंकि उसे बताया गया था कि उसके भाई की मृत्यु पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई थी। वह अपने भाई का पता नहीं लगा सका। कुछ वर्षों बाद वह वापस आ गया तथा उसे पुनः नौकरी दे दी गई। सेवा-निवृत्त होने के बाद उसे 67 रुपये पेन्शन दी गई। उसे कहा गया था कि सेवा में व्यवधान हो गया था। चूंकि उसकी सेवा में व्यवधान पाया गया था, अतः उसे और अधिक पेन्शन नहीं मिल सकी। क्या कोई व्यक्ति 67 रुपयों से जीवन-पालन कर सकता है? उस गरीब के कोई बच्चा नहीं था। कोई सगा-संबंधी भी उसकी मदद करने के लिए नहीं था। उसकी पत्नी विकलांग थी। उसके लिए कोई उपाय नहीं था। वह अदालत में नहीं जा सकता था। यदि वह दया की भीख मांगता तो सरकार से प्रार्थना कर सकता था। यह हो सकता

है कि यह एक चरम अवस्था का मामला हो। इससे बुढ़ापे में पैदा होने वाली समस्याओं की झलक मिलती है। यदि पेंशन दिए जाने का कारण बुढ़ापे में निर्धनता की समस्या को दूर करने के लिए समाज द्वारा दिया गया धन है तो मैं निश्चित रूप से यही कहूँगा कि विधेयक में जो उपबंध किए गए हैं वे ऐसे हैं कि सरकार को उन उपबंधकों को स्वीकार करने मे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और उससे इस समस्या का काफी व्यापक रूप से समाधान किया जा सकता है। इस विधेयक की मुद्रा स्फीति और मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए याचिका समिति द्वारा जांच की गई थी। इस समय सेवारत सरकारी कर्मचारी को मंहगाई भत्ता मिलता है। पहले तो आयोगों ने पेंशन प्राप्त व्यक्तियों के मामले में इस सम्बन्ध में विचार नहीं किया था इसलिए तीसरे वेतन आयोग ने जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, मुद्रा स्फीति तथा अन्य समस्याओं पर जिनका पेंशन पर प्रभाव पड़ता है, के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं किंतु इसमें इससे अधिक कुछ नहीं कहा है। पेंशन प्राप्त व्यक्तियों की समस्याओं के संबंध में इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अध्ययन किया गया था। इसका अध्ययन दो अर्थशास्त्र-विदों ने किया था। उनका मुद्रा-स्फीति के संबंध में यह निष्कर्ष था :—

> "स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों और ग्रेडों में तीन बार वृद्धि की गई है किन्तु पेंशन प्राप्त व्यक्तियों को इसके अनुपात में अथवा उसके समान कोई लाभ नहीं दिया गया है।"

इन अर्थशास्त्र-विदों द्वारा यह एक उदाहरण दिया गया है। यह पेज 118 पर है।

> "उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि जो कर्मचारी 1950 में रिटायर हुए हैं उनकी निर्धारित पेंशन आय व क्रय शक्ति लगभग 94 प्रतिशत कम हो गई है।"

और वे व्यक्ति जो 1960 में रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन आय व क्रय शक्ति लगभग 75 प्रतिशत कम हो गई है और वे व्यक्ति जो 1970 में रिटायर हुए हैं उनमें यह कमी 70 प्रतिशत है और जो 1980 में रिटायर हुए हैं। उनके संबंध में यह कमी 36 प्रतिशत है। इस प्रकार एक व्यक्ति जिसकी 1950 में रिटायर होने पर पेंशन 100 रुपये थे उसमें यदि 70 अथवा 75 प्रतिशत की कमी हो जाती है तो उसका अर्थ यह हुआ कि उसे 25 रुपये में गुजारा करना होता है। पेंशन प्राप्त व्यक्ति मुद्रा स्फीति तथा मूल्य वृद्धि से कैसे प्रभावित होते हैं इससे पता चल जाता है।

याचिका समिति को इस बात के ऊपर ध्यान दिलाया गया था कि यह सर्वेक्षण किया गया है जिसके अनुसार यह पता चलता है कि विभिन्न देशों में अनेक उपबंध किए हैं। उदाहरण के लिए इंगलैंड में इस संबंध में सांविधिक उपबंध है—मैं अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के संबंध में नहीं कहूंगा—कि जीवन निर्वाह लागत सूचकांक में वृद्धि होने पर पेंशन में भी स्वत: वृद्धि हो जाती है। याचिका समिति के प्रतिवेदन में एक परिशिष्ट है मैं इसके पूरे ब्यौरे के बारे में नहीं कहूंगा। इसमें विभिन्न देशों के बारे में विभिन्न उपबंध दिए गए हैं। मुझे पता चला है कि इस संबंध में श्री थामस बिल्सन द्वारा "पेंशन, इन्फ्लेशन एण्ड ग्रोथ" नामक पुस्तक में उनके द्वारा किया गया हाल का अध्ययन दिया गया है। उसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सभी देशों, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम के बारे में दिया गया अध्ययन शामिल है। यह सच है कि यह सभी

धनी देश है जिनके साथ हम अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। मुझे पता चला है कि इन सभी देशों में तथा कनाडा में तथा अन्य देशों में पेंशन की मात्रा या तो जीवन निर्वाह सूचकांक अथवा वेतन सूचकांक से संबद्ध है अथवा कोई फार्मूला होता है जिसके द्वारा जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि होने पर मूल्य में वृद्धि होने पर किसी न किसी प्रकार से पेंशन प्राप्त व्यक्ति को कुछ अतिरिक्त लाभ देकर पेंशन की राशि में वृद्धि की जाती है। इसी प्रकार अमरीका में भी एक "प्रेसीडेंट कमीशन आन पेंशन पालिसी है। उन्होंने भी संसार के विभिन्न देशों का सर्वेक्षण और अध्ययन किया है और इस अध्ययन में भी यह बताया गया है कि उसमें कनाडा फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्वीडन तथा विभिन्न देशों का अध्ययन करने पर यह पता चला है कि हरेक देश की समस्या के सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध किए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस देश में इस प्रकार के कोई उपबंध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति 1950 में रिटायर हुआ है और उसकी पोन पेंशन 100 रुपए है और आज मूल्य वृद्धि होने के कारण तथा जीवन निर्वाह सूचकांक बढ़ जाने के कारण वास्तव में उसके पास केवल 25 रुपये रह जाते हैं जिसके अलावा इस अध्ययन से यह पता चलता है कि रिटायर होने की आयु के मामले में भी—मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रिटायर होने की आयु को बढ़ा दिया जाए। मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ कि इन देशों में उन्हें जो रिटायर होने का लाभ दिया जाता है वो किस प्रकार का है। वहां पर रिटायर होने की आयु को निरन्तर बढ़ाया जा रहा है। कुछ देशों में अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 29 देशों में रिटायर होने की आयु काफी अधिक है। कुछ देशों में इस समय रिटायर होने की आयु 70 वर्ष है और उनके यहां बहुत अधिक बूढ़े व्यक्तियों को अधिक समस्या नहीं है। वहां का समाज ऐसे सभी व्यक्तियों को अपने में मिला लेता है और उन्होंने रिटायर होने की आयु 70 वर्ष तक बढ़ा दी है। बेल्जियम में एक सरकारी कर्मचारी यदि अपनी योग्यता में सुधार करने के लिए कालेज में पढ़ने जाता है उसे तीन अथवा चार वर्ष को भी पेंशन में जोड़ा जाता है। इसके अलावा जर्मनी में पेंशन सुविधाएं बहुत उदार हैं कि रिटायर होने वाले व्यक्ति को पेंशन के रूप में उसके वेतन का 75 से 80 प्रतिशत तक धनराशि मिल जाती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हम ऐसे धनी देशों के साथ अपनी तुलना कर सकते हैं किन्तु ऐसे व्यक्ति जिनकी पेंशन बहुत कम है उनके मामले में अवश्य कुछ किया जा सकता है। प्रसंगवश में यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां न्यूनतम पेंशन निर्धारित है। अन्य सभी उन्नत देशों में न्यूनतम पेंशन निर्धारित है उससे कम पेंशन किसी को नहीं दी जाती है। उनको न्यूनतम पेंशन की अदायी करने का दायित्व समाज का है। हमारे देश में ऐसे कोई प्रक्रिया नहीं है किन्तु इस सम्बन्ध में एक अन्तर अवश्य है।

सभापति महोदय : अन्य देशों में न्यूनतम पेंशन कितनी है।

श्री बी० एन० गाडगिल : यह अलग अलग अलग देशों में अलग है। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है इस संबंध में न्यूनतम और अधिकतम राशि निर्धारित है। जर्मनी में पेंशन के रूप में वेतन की 75 प्रतिशत राशि दी जाती है और वेतन का अर्थ यह नहीं होता कि वह रिटायर होने के समय कितना वेतन प्राप्त करता है किन्तु उसे समय के वेतनमान से होता है जो कि उस समय वेतनमान के 75 अथवा 85 प्रतिशत के आधार पर होता है। इस सम्बन्ध में न्यूनतम राशि भी निर्धारित है। मैं इस सम्बन्ध में उसके दूसरे पहलू के बारे में भी बताऊंगा कि इंगलैंड को छोड़कर इन

अधिकांश देशों में पेंशन योजना अंशदायी योजना नहीं होती है । केवल इंगलैंड में और न्यूयार्क स्टेट में यही दो उदाहरण हैं जहां पर पेंशन योजना अंशदायी योजना नहीं होती है । सरकारी कर्मचारी को इसके लिए कोई अंशदान नहीं करना होता है । सदन के सदस्यों को यह जानकर दिलचस्पी होगी कि यह गैर सरकारी सदस्य के विधेयक के द्वारा लगाया गया था । इसके इतिहास में पता चलता है कि (व्यवधान) इसका मूल अधिनियम 1810 में लाया गया था । इसके पश्चात 1859 में इस अधिनियम को पारित करने के पहले एक रायल कमीशन नियुक्त किया गया था और उसने प्रश्न की जांच की थी । सिविल सेवा को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त थे । इसके सम्बन्ध में इतना अधिक प्रचार किया गया कि यह विधेयक एक गैर सरकारी सदस्य लार्ड नास के द्वारा किया गया है । और इस पुस्तक के अनुसार जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है ऐसा पता चला कि वह छः सप्ताह के पश्चात् तीस जून को प्रकाशित हुआ था तथा 11.15 को उसने एक गैरसरकारी सदस्य के विधेयक को पेश करने की अनुमति मांगी और जिसके द्वारा एक अनुच्छेद के द्वारा धारा 27 को निरस्त किया गया था । उसके पश्चात् इस सम्बन्ध में लगातार चार बार मतदान हुआ । और वाद-विवाद के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए मतदान किया गया जिसमें सरकार की हार हो गई । अन्त में 14 घंटे की लगातार बैठक के पश्चात् प्रातः 3.30 बजे विधेयक समिति की अवस्था में पारित कर दिया गया और अन्त में 4 अगस्त को वाद-विवाद को स्थगित करने के एक अन्य प्रयास के बावजूद यह विधेयक 68 के बहुमत से पास हो गया और यह 1857 में एक अधिनियम बन गया । और उस समय सिविल सेवा को इतनी अधिक शक्ति प्राप्त थी कि जब विधेयक एक अधिनियम बन गया तो सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि इसमें अनावश्यक रूप से जल्दी करके विधेयक को पारित किया गया है । और यह उपाय सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक संगठित षड्यन्त्र का रूप है । और इसके उपबंध अनुचित हैं और यह गलत बयानी पर आधारित है ।

एक माननीय सदस्य : इसकी बात को यहां दोहराया नहीं जाएगा ।

श्री वी० एन० गाडगिल : यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें एक गैरसरकारी सदस्य के विधेयक के द्वारा पेंशन प्राप्त व्यक्तियों के मामले में अंशदायी उपबंधों को हटा दिया गया है और ब्रिटिश सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसके कर्मचारियों की पेंशन योजना आज भी पूर्णतया गैर अंशदायी योजना है ।

इसके दूसरे उपबंध जैसा कि मैंने कहा है वह न्यूयार्क स्टेट के मामले में है । वह भी एक ऐतिहासिक घटना है और जिसका कि रिसर्च कौंसिल द्वारा प्रकाशित रिटायरमेंट सिस्टम फार पब्लिक एम्पलाईज नामक पुस्तक में उल्लेख है । ऐसा प्रतीत होता है अमरीका में एक पेंशन रिसर्च कौंसिल है जहां पर कि पेंशन प्राप्त व्यक्तियों की सभी समस्याओं पर विचार किया जाता है । तथा इस पुस्तक के अनुसार न्यूयार्क अकेला एक ऐसा राज्य है जहां ऐतिहासिक घटना अथवा ऐतिहासिक कारणों से गैर अंशदायी पेंशन योजना आरम्भ की गई थी और शेष मामलों में 90% कर्मचारी उस पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं जो कि अंशदायी हैं ।

मैं अपने विधेयक के अन्य उपबंधों के सम्बन्ध में जल्दी जल्दी से कुछ बताना चाहता हूं। इसके अन्तर्गत पेंशन को एक प्रकार का अधिकार माने जाने का प्रयास किया गया है। मेरा मुख्य तर्क यह है—कि मैं इस सम्बन्ध में अधिक चिन्तित नहीं हूं कि चाहे उस राशि में दो रुपये अथवा तीन रुपये कम किए जायें किन्तु वह कर्मचारी का एक कानूनी अधिकार होना चाहिए और वह आपकी अनुकम्पा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसलिए खण्ड तीन में मैंने इस बात का उपबन्ध किया है कि यह एक प्रकार से अधिकार होना चाहिए। इसलिए इसमें कहा गया है :—

> "प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो सेवा से निवृत्त हो रहा है अथवा हो चुका है··· वह अनुग्रह राशि···और पेंशन···प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उसे यह एक अधिकार के रूप में प्राप्त होना चाहिए।"

खण्ड चार में कहा गया है कि उसने 20 वर्ष सेवा की है तो उसे सेवा से निवृत्त होने और पेंशन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। यहां मैंने एक उल्लेख किया है। यदि कोई व्यक्ति आवश्यक रूप से सेवा निवृत्त कर दिया जाता है तो उस मामले में मैंने खण्ड 5 में यह उपबन्ध जोड़ा है :

> "यदि सरकारी कर्मचारी जिसे आवश्यक रूप से सेवा से निवृत्त कर दिया गया है उसे पेंशन दी जानी चाहिये।"

इस मामले में उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं है किन्तु जो सरकारी कर्मचारी स्वेच्छा से सेवा से निवृत्त होते हैं उन्हें अनुग्रह राशि और पेंशन अधिकार के रूप में दी जानी चाहिए। मैं अन्य लाभों के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं जो उन्हें अधिकार के रूप में प्राप्त होने चाहिए। मैंने महंगाई भत्ते की परिभाषा की है मैंने पहले ही इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट से उल्लेख किया है कि किस प्रकार मूल्य वृद्धि और जीवन निर्वाह सूचकांक में वृद्धि होने से उन पर प्रभाव पड़ता है। उसके पश्चात् मैंने (मकान किराया भत्ता) का उल्लेख किया है। मकान किराए भत्ते के संबंध में कैसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं इससे हम सभी परिचित हैं। आवास की समस्या कोई व्यक्तिगत समस्ता नहीं है। वरन यह सामाजिक समस्या है। इसलिए खण्ड 7 में मैंने सुझाव दिया है कि उस व्यक्ति को मकान किराया भत्ता अधिकार के रूप में मिलना चाहिए उसके पश्चात् चिकित्सा सुविधाएं और शैक्षणिक सुविधाओं की चर्चा की गई है। मेरा विचार है कि जब हमने पेंशन तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को स्वीकार कर लिया है तो हमें यह सुविधाएं, पेंशन प्राप्त व्यक्तियों को भी जिन्होंने सरकार की सेवा की है प्रदान करनी चाहिए। यदि हमने संसद का सदस्य बनकर देश की सेवा की है और इसलिए पेंशन और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के हकदार हो गए हैं तो निश्चय ही सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने देश की तथा सरकार की 25 अथवा 30 वर्ष तक निष्ठापूर्वक सेवा की है उन्हें यह लाभ अधिकार के रूप में मिलने चाहिए। मेरे विधेयक के खण्ड सात में उपबन्ध शामिल है।

खण्ड 8 में पेंशन और अन्तरिम पेंशन की चर्चा की गई है। पेंशन प्राप्त करने में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है। यह एक बहुत बड़ी बुराई है जो मेरे सामने आई है। हाल ही में ऐसे कुछ प्रयास

किए गए हैं कि रिटायर होने वाले व्यक्ति के पेंशन पेपर रिटायर होने के पहले ही तैयार कर लिए जाएं किन्तु आपको ऐसे सैकड़ों मामले मिलेंगे जिन्हे पेंशन देने में विलम्ब हो गया है। आश्चर्य तब होता है कि सरकारी कर्मचारी स्वयं विलम्ब करते हैं और यह नहीं समझते कि आज जो सरकारी कर्मचारी हैं उसे भी कल रिटायर होना है। और वह यह नहीं समझता है कि कुछ वर्षों बाद उसके सामने भी ऐसी स्थिति आएगी। मेरे पास ऐसे बहुत से मामले आए हैं जबकि कलैक्टर के कार्यालय में अथवा ट्रेजरी में कागजात को भेजने में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया गया है और उस सेवा निवृत्त कर्मचारी बेचारे को पेंशन नहीं मिल पाती है।

खण्ड 10 नामांकन के बारे में है। मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार ने इस सीधे सुझाव को अभी तक स्वीकार क्यों नहीं किया है। जीवन बीमा पालिसी के सम्बन्ध में नामांकन करना होता है। अन्य मामलों में भी यह नामांकन किया जाता है कि कौन व्यक्ति इसे प्राप्त करेगा। किन्तु सरकार के नियमों के अन्तर्गत इसकी अनुमति प्रदान नहीं की गई है। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति जोकि बूढ़ा है और बाद में अपंग हो जाता है, वो चल फिर नहीं सकता और तीन, चार अथवा पाँच महीनों तक उसकी पेंशन बकाया पड़ी रहती है और वह उसको प्राप्त नहीं कर पाता है और चार अथवा पांच अथवा छः महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उसकी विधवा पत्नी अथवा कोई संबंधी अथवा कोई उस पर निर्भर व्यक्ति जब उसकी राशि को प्राप्त करने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने कोई नामांकन नहीं किया है तब उसे उत्तराधिकारी का प्रमाणपत्र लेने के लिए न्यायालय में जाना होता है और उसके लिए उसे न्यायालय की फीस और वकील की फीस देनी होती है। और मुझ जैसे अथवा किसी अन्य वकीलों को अदायगी करनी होती है। इन सबसे व्यय बढ़ जाता है और इसका परिणाम यह होता है बकाया राशि का दावा करना निरर्थक हो जाता है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : उसे प्राप्त करने में छः वर्ष लग जाते हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : इसलिए मेरा सीधा सुझाव यह है कि सरकारी कर्मचारियों को नामांकन करने की अनुमति प्रदान की जाए। यदि वह उसका दावा नहीं कर पाता है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को उसकी पेंशन की बकाया राशि को प्राप्त करने में बिना कठिनाई के हक प्राप्त होना चाहिए।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि परिवार पेंशन के मामले में स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि जो व्यक्ति 1964 से पहले रिटायर हो गए थे उन्हें कोई कुटुम्ब पेंशन नहीं मिलती है क्योंकि उस समय कुटुम्ब पेंशन की कोई योजना लागू नहीं थी और इसी प्रकार जो 1973 से पहले रिटायर हुए हैं तथा उसके बाद रिटायर हुए हैं उनमें बहुत असमानता है। मैं किसी ऊंचे अधिकारी के मामले की वकालत नहीं कर रहा हूँ मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं भारत सरकार का सचिव का वेतन 3500 रु० होता है किन्तु उसकी पेंशन 1500 रु० बनती है।

सभापति महोदय : श्री गाडगिल, हमें उस सभा की बैठक छः बजे स्थगित करनी है।

श्री वी० एन० गाडगिल: आप चाहें तो मैं कल अपना कथन जारी रखूं।

सभापति महोदय : अभी दो मिनट हैं। आप अपना व्यक्तव्य जारी रख सकते हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं अपना वक्तव्य कल जारी रखूंगा।

सभापति महोदय : आप वक्तव्य जारी रखें।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं इस बात को उल्लेख करना चाहता हूं कि भारत सरकार के सचिव को 3500 रु० वेतन मिलता है और उसके 1500 रु० के लगभग पेंशन मिलती है उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा पत्नी को अथवा उस पर निर्भर व्यक्ति को केवल 250 रु० तक का कुटुम्ब पेंशन मिलती है। इससे कम वेतन प्राप्त लोगों को अनुपाततः कम पेंशन मिलती है। इस लिए इसकी धारा 12 कुटुम्ब पेंशन के सम्बन्ध में है। यदि आप मुझे अनुमति प्रदान करें तो मैं अपना वक्तव्य कल जारी रखूं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन्हें डाक्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाए।

सभापति महोदय : अभी भी दो अथवा तीन मिनट हैं। यदि आप चाहें तो अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : हम उन्हें अपना विधेयक वापिस देने के लिए राजी कर सकते हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय इस विधेयक के अन्य उपबन्ध भी हैं। खण्ड 16 के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह जो कुछ मैंने पहले कहा है उसका विरोध करते हैं। मैंने अनुरोध किया है कि पेंशन अधिनियम 1871 को निरस्त कर दिया जाए। कि इस अधिनियम में सिविल न्यायालय के श्रेणाधिकार की व्यवस्था क्या है। मैं नहीं चाहता कि पेंशन प्राप्त व्यक्तियों के मामले में विलम्ब किया जाए। आज सिविल न्यायालय में जो स्थिति है आप जानते हैं। उसमें बड़ी कठिनाइयां आती हैं। जैसा कि श्री साठे ने कहा है यदि आप न्याय प्राप्त करने के लिए अथवा कानूनी न्याय प्राप्त करने के लिए कोई केस दायर करते हैं तो इसमें छः अथवा सात वर्ष लग जाएंगे। और इस स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले मैं जब यहां प्रीवी कौंसिल होती थी तो यह कहा जाता था कि यदि तब भारत में कोई व्यक्ति मामला दायर करता था तो सम्भवतः उसका नाती डिक्री को प्राप्त कर सकता था। इसमें इतना अधिक समय लग जाता था और इस स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि सिविल न्यायालय की बजाए शीघ्र गति से कार्य करने वाला न्यायाधिकरण होना चाहिए अथवा कोई प्राधिकारी होना चाहिए जिससे कि मामले शीघ्र निपटाए जा सकें। और पेंशन प्राप्त व्यक्ति को राहत मिल सके। मेरे विधेयक की धारा 16 में यह उपबन्ध है। मेरा निवेदन है कि जो कुछ मैंने खण्ड 18 अर्थात पेंशन अधिनियम 1871 को निरस्त करने के लिए जो उपाबन्ध करना चाहा

है उसका यह विरोध नहीं करता है। मैंने खण्ड 17 के अन्तर्गत नियम निर्माण शक्ति के उपबन्ध भी किए हैं।

सभापति महोदय : मैं आशा करता हूँ कि आप अपना वक्तव्य अगले दिन जारी रखेंगे।

श्री वी० एन० गाडगिल : ठीक है मैं अपना वक्तव्य अगले दिन जारी रखूंगा।

सभापति महोदय : सभा की बैठक अब स्थगित होती है और 20 अप्रैल, 1981 को पुनः समवेत होगी।

5·59 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 20 अप्रैल, 1981/ 30 चैत्र, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साउथ मौजपुर, दिल्ली।